रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73

REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 1978/आषाढ़ 24, 1900

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 1978/ASADHA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 14 जून, 1978

आदेश

का० आ० 2037.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल के लिए साधारण निर्वाचन के 287-राजनगर (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नबगोपाल बौरी, दुबराजपुर डाकघर मुक्तिपुर, जिला बीरभूम, पश्चिमी बंगाल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत: उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नबगोपाल बौरी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० प० बं०/वि०स०/287/77]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 14th June, 1978

S.O. 2037.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nabagopal Bauri, Village Dubrajpur P.O. Muktipur, District Birbhum, West Bengal, a contesting candidate for general election to the West Bengal Legislative Assembly from 287-Rajnagar (SC) assembly constituency, held in June, 1977, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nabagopal Bauri to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. WB-LA|287|77]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय

नोटिस

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1978

का० आ० 2038.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटेरीज रूल्स) 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री टी० वीर भूषण, एडवोकेट, स्टेशन बाजार गुलबरगा, करनाटका स्टेट ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, गुलबरगा डिस्ट्रक्ट और गुलबरगा सिटि में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र भेजा है ।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जाये ।

[सं० 22/13/78-न्याय]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

(Office of the Competent Authority)

NOTICE

New Delhi, the 1st July, 1978

S.O. 2038.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri T. Veerbhushan, Advocate, Station Bazar, Gulbarga, Karnataka State for appointment as a Notary to practise in Gulbarga District and Gulbarga city.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/13/78-Jus.]

नोटिस

का०आ० 2039.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटेरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री रामेश्वर दियाल गुप्ता, एडवोकेट, 88सी०, शास्त्री नगर, जोधपुर ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन जोधपुर सिटि और जोधपुर डिस्ट्रक्ट में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र भेजा है ।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जायें ।

[संख्या 22/39/78-न्याय]

NOTICE

S.O. 2039.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Rameshwar Dayal Gupta, Advocate, 88C, Shastri Nagar, Jodhpur for appointment as a Notary to practise in Jodhpur District and Jodhpur City.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. 22/39/78-Jus.]

नोटिस

का० आ० 2040.—इसके द्वारा, लेख्य प्रमाणक नियम (नोटेरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री रामेन्द्रा कुमार रे, एडवोकेट, 37 साउथ कुमारपारा लेन, कलकत्ता-43 ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन कलकत्ता और 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र भेजा है ।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हो तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जाएं।

[सं० 22/40/78-न्याय]

NOTICE

S.O. 2040.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Ramendra Kumar Ray, Advocate, 37, South Kumarpara Lane, Calcutta-43 for appointment as a Notary to practise in Calcutta and 24 Parganas as District.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/40/78-Jus.]

नोटिस

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1978

का० आ० 2041.—इसके द्वारा लेख्य प्रमाणक नियम (नेटेरीज रूल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्राधिकारी को श्री टी० के० शनमुगानन्दम् एडवोकेट, 48, रेस कोर्स रोड कोयम्बटूर 18 ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र भेजा है।

उक्त व्यक्ति की लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जाये।

[संख्या 22/30/78-न्याय]

एल० डी० हिन्दी, सक्षम प्राधिकारी

NOTICE

New Delhi, the 4th July, 1978

S.O. 2041.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri T. K. Shanmuganandam, Advocate, 48, Race Course Road, Coimbatore-18 for appointment as a Notary to practise in Coimbatore District.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/30/78-Jus.]

L. D. HINDI, Competent Authority

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1978

आय-कर

का०आ० 2042.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "मार इगने शियस डयारा" को निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2203/फा० सं० 197/29/78-आ० क(ए I)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th February, 1978

INCOME-TAX

S.O. 2042.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Mar Ignatious Dayara" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1977-78.

[No. 2203/F. No. 197/29/78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1978

आय-कर

का०आ० 2043.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "कोयंबटूर डायेसेस सोसाइटी" को निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2218/फा० सं० 197/207/77-आ० क(ए I)]

New Delhi, the 15th March, 1978

INCOME-TAX

S.O. 2043.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Coimbatore Diocese Society", for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1973-74.

[No. 2218/F. No. 197/207/77-IT(AI)]

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1978

आय-कर

का०आ० 2044.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "अरुलमिगु आर० के० नाचियार बिन्यास, सिवगिरी" को निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2249 फा० सं० 197/97/77-आ० क०(ए I)]

New Delhi, the 31st March, 1978

INCOME-TAX

S.O. 2044.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Arulmigu R. K. Nachiar Endowments, Sivagiri" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1974-75.

[No. 2249/F. No. 197/97/77-IT(AI)]

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1978

आय-कर

का०आ० 2045.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "श्री जैन श्वेताम्बर नकोदा पारस्व नाथ तीर्थ मेवानगर" को निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2256/फा० सं० 197/4/78-आ०क(ए I)]

New Delhi, the 11th April, 1978

INCOME-TAX

S.O. 2045.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Jain Swetamber Nakoda Paraswanath Tirath, Mewanagar" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1976-77.

[No. 2256/F. No. 197/4/78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 16 मई, 1978

आय-कर

का०आ० 2046.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "दि सोसाइटी आफ दि फ्रांसिस्कन ब्रदर्स, कोटागिरि" को निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2301/फा०सं० 197/49/77 आ० क (ए I)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

New Delhi, the 16th May, 1978

INCOME-TAX

S.O. 2046.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Society of the Franciscan Brothers Kotagiri" for the purpose of the said section for and from he assessment year(s) 1975-76.

[No. 2301/F. No. 197/49/77-IT(IA)]

M. SHASTRI, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 1978

आय-कर

का०आ० 2047.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की दिनांक 6-2-1978 की अधिसूचना सं० 2158 (फा०सं० 404/82/77-आ० क०स० क०) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् उक्त अधिसूचना में आने वाले अक्षरों और शब्दों "श्री जी० रामेगौडा और श्री एस० अर्थनारी, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, कर-वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये" के स्थान पर "श्री जी० रामेगौडा, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, कर-वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये" शब्दों और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[सं० 2318/फा०सं० 404/25/78-आ०क०सं०क०]

एच० वेंकटरामन्, उप सचिव

New Delhi, the 26th May, 1978

INCOME TAX

S.O. 2047—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of

Finance (Department of Revenue) No. 2158 (F. No. 404/82/77-ITCC) dated 6-2-1978 namely : In the said notification for the letters and words "Sarvshri G. Ramegowda and S. Arthanari being Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer" the words and letters "Shri G. Ramegowda being a gazetted officer of the Central Government to exercise the powers of a tax Recovery Officer" shall be substituted.

[No. 2318/F. No. 404/25/78-ITCO]
H. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 31 मई, 1978

का० आ० 2048.—समय-समय पर संशोधित किये गये बोर्ड के 22 जुलाई, 1974 के आदेश सं० 60 फा० सं० 328/137/74-धन कर, में आंशिक संशोधन करते हुए और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269-च की उपधारा (6) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित प्रत्येक आयकर आयुक्त, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित सक्षम अधिकारी से सम्बन्धित आयुक्त होगा।

सारणी

(1)	(2)	(3)
1.	आयकर आयुक्त, पटियाला	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, अभिग्रहण रेंज, लुधियाना।

2. यह आदेश 1 जून, 1978 से लागू होगा।

[सं० 2329/78-फा० सं० 316/93/78-धन कर]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 31st May, 1978

S.O.2048—In partial modification of the Board's Order No. 60/F. No. 328/137/74-WT dated the 22nd July, 1974, as amended from time to time and in exercise of the powers conferred by the explanation to sub-section (6) of section 269F of the Income-tax Act, 1961 the Central Board of Direct Taxes hereby specify that every Commissioner of Income-tax specified in Column (2) of the Table given below shall be the Commissioner in relation to the competent authority specified in the corresponding entry in Column (3) of the said Table :

TABLE

1	2	3
1.	Commissioner of Income-tax Patiala.	Inspecting Assistant, Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ludhiana.

2. This order shall come into force with effect from 1st June, 1978.

[No. 2329/78-F. No. 316/93/78-W.T.]

का०आ० 2049.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 14-11-1972 के अपने आदेश सं० 30 (फा० सं० 328/111/72-धन कर) में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आदेश देती है कि दिनांक 10-1-74 के आदेश सं० 75 (फा० सं० 328/111/72-धन कर) दिनांक 20-11-1974 के आदेश सं० 105/74-(फा० सं० 328/227/74-धन कर), दिनांक 15-3-1975 के आदेश सं० 16/75(फा० सं० 328/227/74-धन कर); और दिनांक 19-4-1977 के आदेश सं० 26/77 (फा० सं०-316/211/76-धन कर) के द्वारा यथा संशोधित दिनांक 14-11-1972 के उपयुक्त आदेश की संलग्न सारणी की क्रम सं० 13(क) के सामने दी गई प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सारणी

13(क)	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, अभिग्रहण रेंज, लुधियाना	पंजाब के पटियाला, संगरूर, लुधियाना और रोपड़ जिले, पूरा हिमाचल प्रदेश राज्य और संघीय क्षेत्र, चण्डीगढ़।

2. यह आदेश 1 जून, 1978 से लागू होगा।

[सं० 2330/78-फा० सं० 316/93/78-धन कर]

S.O.2049.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 269F of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of their Order No. 30 (F. No 328/111/72-WT) dated 14-11-1972, the Central Government hereby order that in the table appended to the aforesaid order dated 14-11-1972, as amended by Orders No. 75 (F. No. 328/111/72-WT) dated 10-1-1974, No. 105/74- (F. No. 328/227/74-WT) dated 20-11-1974, No. 16/75 (F. No. 328/227/74-WT) dated 15-3-1975 and F. No. 26/77-316/211/76-WT dated 19-4-1977, the entries against S. No. 13(E) shall be substituted as under :—

TABLE

13(E)	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Ludhiana.	Patiala, Sangrur, Ludhiana, and Rupar districts of Punjab, whole of the State of Himachal Pradesh and Union Territory of Chandigarh.

2. This order shall come into force with effect from 1st June, 1978.

[No. 2330/78-F. No. 316/93/78-WT]

का०आ० 2050.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 14 नवम्बर, 1972 के आदेश संख्या 30(फा० संख्या 328/111/72-धन कर) के आंशिक संशोधन में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आदेश देती है कि दिनांक 10-1-1974 के आदेश संख्या 75 (फा० सं० 328/111/72-धन कर), दिनांक 20-11-1974 के आदेश संख्या 105/74 (फा० सं० 328/227/74-धन कर) दिनांक 15-3-1975 के आदेश संख्या 16/75 (फा० सं० 328/227/74-धन कर) और दिनांक 19-4-1977 के आदेश सं० 26/77 (फा० सं० 316/211/76-धन कर) द्वारा यथा संशोधित दिनांक 14-11-1972 के पूर्वोक्त आदेश की संलग्न सारणी की क्रम संख्या 13(क) के सामने दी गई प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

सारणी

13(क)	निरीक्षी सहायक, आयकर आयुक्त, अधिग्रहण रेंज, रोहतक	हरियाणा राज्य

2. यह आदेश 1 जून, 1978 से लागू होगा।

[संख्या 2331/78-फा० सं० 316/93/78-धन करकर]

S.O. 2050.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of their Order No. 30 (F. No. 328/111/72-WT) dated 14-11-1972, the Central Government hereby order that in the Table appended to the aforesaid order dated 14-11-1972, as amended by Orders No. 75 (F. No. 328/111/22-WT) dated 10-1-1974, No. 105/74 (F. No. 328/227/74-WT) dated 20-11-1974, No. 16/75 (F. No. 328/227/74-WT) dated 15-3-1975 and No. 26/77-F. No. 316/211/76-WT) dated 19th April, 1977, the entries against S. No. 13(A) shall be substituted by the following :—

TABLE

13(A)	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak.	Haryana State

2. This order shall come into force with effect from 1st June, 1978.

[No. 2331/78-F. No. 316/93/78-WT]

का०आ० 2051—बोर्ड के दिनांक 19-4-1977 के आदेश सं० 27/77 (फा० सं० 316/211/76-धन कर) में आंशिक संशोधन करते हुए और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269च की उपधारा (6) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लिखित आयकर-आयुक्त उक्त सारणी के स्तम्भ 3 की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सक्षम अधिकारी से सम्बन्धित आयुक्त होगा :

सारणी

1	2	3
1.	आयकर आयुक्त हरियाणा, रोहतक	निरीक्षी सहायक, आयकर आयुक्त, अभिग्रहण रेंज, रोहतक।

2. यह आदेश 1 जून, 1978 से लागू होगा।

[सं० 2332/78-फा० सं० 316/93/78-धन कर]

S.O. 2051.—In partial modification of the Board's Order No. 27/77-F. No. 316/211/76-WT dated the 19th April, 1977 and in exercise of the powers conferred by the explanation to sub-section (6) of Section 269F of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby specify that the Commissioner of Income-tax specified in column 2 of the table given below shall be the Commissioner in relation to the competent authority specified in the corresponding entry in column 3 of the said Table :

TABLE

1	2	3
1.	Commissioner of Income-tax, Haryana, Rohtak.	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak.

2. This order shall come into force with effect from 1st June, 1978.

[No. 2332/78-F. No. 316/93/78-WT]

का०आ० 2052.—समय-समय पर यथा संशोधित, बोर्ड के 22 जुलाई, 1974 के आदेश सं० 60/फा० सं० 328/137/74-धन कर में आंशिक संशोधन करते हुए और आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 269च की उप-धारा (6) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित प्रत्येक आयकर आयुक्त, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) को तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सक्षम अधिकारी से सम्बन्धित आयुक्त होगा।

सारणी

(1)	(2)	(3)
1.	आयकर आयुक्त, विदर्भ, नागपुर।	निरीक्षी सहायक, आयकर आयुक्त अभिग्रहण रेंज, नागपुर।

2. यह आदेश 1 जून, 1978 से लागू होगा।

[सं० 2333/78-फा०सं० 316/93/78-धन कर]
एच० एन० मण्डल, अवर सचिव

S.O. 2052.—In partial modification of the Board's Order No. 60/F. No. 328/137/74-WT dated 22nd July, 1974, as amended from time to time and in exercise of the powers conferred by the explanation to sub-section (6) of section 269F of the Income-tax Act, 1961 the Central Board of Direct Taxes hereby specify that every Commissioner of Income-tax specified in column 2 of the Table given below shall be the Commissioner in relation to the competent authority specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

1	2	3
1.	Commissioner of Income-tax, Vidarbha, Nagpur.	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Nagpur.

2. This order shall come into force with effect from 1st June, 1978.

[No. 2333/78-F. No. 316/93/78-WT]
H. N. MANDAL, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

(बिक्री-कर अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 1978

स्टाम्प

का० आ० 2053.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उस शुल्क को माफ करती है जो पंजाब वित्तीय निगम द्वारा 1977–78 में ऋणपत्रों के रूप में जारी किए गए 1 करोड़ 65 लाख रुपए मूल्य के बाँडों पर, उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य है।

[सं० 13/78-स्टाम्प-फा० सं० 33/29/78-वि० क०]

(Department of Revenue)
(Sales Txa Section)
ORDER
New Delhi, the 30th June, 1978
STAMPS

S.O. 2053.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of debentures

to the value of one crore and sixty five lakhs of rupees issued by the Punjab Financial Corporation during 1977-78 are chargeable under the said Act.

[No. 13|78-Stamp-F. No. 33/29/78-ST]

स्टाम्प

का० आ० 2054.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 20 मई, 1978 की अधिसूचना सं० 10/स्टाम्प-(का० आ० सं० 1497) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे दी गयी सारणी में क्र० सं० 14 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"14.	पाउंड स्टर्लिंग	6.4835"

[सं० 14/स्टाम्प-फा० सं० 33/3/78-वि० क०]
एस० डी० रामस्वामी, अवर सचिव

STAMPS

S.O. 2054.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 10/Stamp-(S.O. No. 1497), dated the 20th May, 1978, namely :—

In the Table below the said notification, for Serial No. 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"14.	Pound Sterling	6.4835"

[No. 14/Stamps—F. No. 33/3/78-ST]
S. D. RAMASWAMY, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क समाहर्तालय, भुवनेश्वर उड़ीसा

भुवनेश्वर, 14 फरवरी, 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

का०आ० 2055.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944, के नियम 5 के अधीन मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नलिखित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को उनके अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में, नियम 173 आर डी (2) के अधीन निर्धारित समय के भीतर यदि शुल्कदाता शुल्कदेय उन्मोचन करने में असफल हों, तो समाहर्ता का, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944, के नियम 173 आर० के० (2) के अधीन विलम्ब का संक्षमण सम्बन्ध में, शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शक्ति देता हूं :—

(क) सहायक समाहर्ता :—अविलम्ब 2 (दो) मास तक संक्षमण करने के लिये जब कभी ऐसा, संक्षमण दिया जाय, इसे देने के समय समुचित कारण अभिलिखित हों ।

[सं० 1/के० उ०/78/क० सं० IV-16-11-77/11424-बी)
एल० वुमखोथा, समाहर्ता

Collectorate of Central Excise & Customs, Bhubaneswar, Orissa

Bhubaneswar, the 14th February, 1978

CENTRAL EXCISES

S.O. 2055.—In exercise of the powers vested in me under rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I empower the following officers of Central Excise to exercise within their respective jurisdictions, the powers of the Collector under 173 RK(2) of Central Excise Rules, 1944, relating to condonation of delay in case where the assessee fails to discharge the duty liability within the time specified under rule 173 RD(2):

(a) Assistant Collector.—for condoning delay upto 2 (two) months.

2. Whenever, such condonation is allowed, there should be adequate reason being recorded at the time of granting the same.

[No. 1/CE/78C, No. IV-16-11-77/11424-B]
H. VUMKHAWTHANG, Collector

सीमा तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्ता का कार्यालय, बंगलौर-6

बंगलौर, 9 जून 1978

सीमा-शुल्क

का० आ० 2056.—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त, तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की तारीख 18 जुलाई, 1975 की अधिसूचना संख्या 79/सीमा शुल्क-फा० सं० 473/2/75 सीमा शुल्क-7 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आर० एन० शुक्ला, समाहर्ता सीमा तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, बंगलौर कर्नाटक समाहर्तालय, एतद्द्वारा कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड (नाथ केनरा) जिले के कारवान टाउन' (नगर पालिका सीमा) को "भांडागार केन्द्र" घोषित करता हूं ।

[अधिसूचना संख्या 1/78 /सी० सं० VIII/48/160/78 सीमा शुल्क]

आर० एन० शुक्ला समाहर्ता,

Office of the Collector of Central Excise and Customs,

Bangalore-1

Bangalore, the 9th June, 1978

CUSTOMS

S.O. 2056.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with notification No. 79 (Customs) F. No. 473/2/75 Cus. VII dated 18-7-75 of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue). I, R. N. Shukla, Collector of Central Excise and Customs, Bangalore, Karnataka Collectorate hereby declare "KARWAR TOWN" (Municipal Limits) North Kanara District, in the State of Karnataka, to be a warehousing Station.

[Notification No. 1|78|C, No. VIII|48|160|78-Cus.]
R. N. SHUKLA, Collector

वित्तीय कार्य विभाग

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 1978

का०आ० 2057.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की दिनांक 15 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या एफ 84/76/ए०सी० का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार

एतद्द्वारा श्री बी० रामचन्द्र राव को श्री वैशाख ग्रामीण बैंक, श्री काकुलम का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई 1978 को प्रारम्भ होने वाली तथा 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्दिष्ट करती है जिसके दौरान श्री बी० रामचन्द्र राव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-27/77-आर० आर० बी०]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 26th June, 1978

S.O. 2057.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), and in supersession of this Department's Notification No. F. 4-84/76-AC dated 15th June, 1978 the Central Government hereby appoints Shri B. Ramachandra Rao as the Chairman of the Sri Visakha Grameena Bank, Srikakulam and specifies the period commencing on the 1st July, 1978 and ending with the 31st December, 1978 as the period for which the said Shri B. Ramachandra Rao shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-27/77-RRB]

का० आ० 2058.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की दिनांक 15 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या एफ० 4-77/76 ए०सी० का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री शैलेन्द्र प्रसाद गर्ग को सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई, 1978 को प्रारम्भ होने वाली तथा 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्दिष्ट करती है जिसके दौरान शैलेन्द्र प्रसाद गर्ग अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ० 3-41/77-आर०आर०बी०]

S.O. 2058.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), and in supersession of this Department's Notification No. F. 4-77/76-AC dated the 15th June, 1978 the Central Government hereby appoints Shri Shailendra Prasad Garg as the Chairman of the Sultanpur Kshetriya Gramin Bank, Sultanpur and specifies the period commencing on the 1st July, 1978 and ending with the 31st December, 1978 as the period for which the said Shri Shailendra Prasad Garg shall hold office as such Chairman.

[No. F. 3-41/77-RRB]

नई दिल्ली, 29 जून, 1978

का० आ० 2059.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 18 और 24 के उपबन्ध इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए, किसी भी केन्द्रीय सहकारी बैंक या किसी भी राज्य सहकारी बैंक पर जो सहकारी समितियों का, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम के अलावा वित्त पोषण करते हैं, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक उक्त धाराओं में इन सहकारी बैंकों से सहकारिता विनियमन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन अथवा समितियों के पंजीकरण संबंधी ऐसे ही किसी अन्य दूसरे विधान के अधीन पंजीकृत और आदिवासी क्षेत्रों के विकास में लगी हुई समितियों से उक्त सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋणों से पैदा होने वाली दायित्वों के संबंध में क्रमशः उक्त धाराओं में उल्लिखित सकद कोष का प्रतिशत और न्यूनतम परिसम्पत्तियां बनाये रखने की अपेक्षा की जाती है।

[सं० एफ० 8-12/78-ए०सी०]

New Delhi, the 29th June, 1978

S.O. 2059.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of secions 18 and 24 of the said Act shall not, for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, apply to any central cooperative bank or to any state cooperative bank which finances cooperative societies otherwise than through central cooperative banks, in so far as the said sections require such cooperative bank to maintain the percentage of cash reserve and a minimum of assets, respectively mentioned therein, in respect of the liabilities arising out of the loan availed of by the said cooperative banks from societies registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other similar enactment for the registration of societies, and engaged in the development of tribal areas.

[No. F. 8-12/78-AC]

का० आ० 2060.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 1 मार्च, 1978 से 1 मार्च, 1983 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए श्री राम कोआपरेटिव अरबन बैंक लिमिटेड, निपानी पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक इसका संबंध एक खुले मकान की जगह पर कब्जा करने से है जिसका माप 95 वर्ग गज और निपानी का सी०टी० नं० 1052 है।

[संख्या एफ० 8/9/78-ए०सी०]

S.O. 2060.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply to Shree Ram Co-operative Urban Bank Ltd., Nipani in so far as they relate to its holding of an open house site measuring 95 sq. yards bearing CTS No. 1052 of Nipani for a period of 5 years from 1 March 1978 to 1 March 1983.

[No. F. 8-9/78-AC]

का० आ० 2061.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध, 1 मार्च, 1978 से 29 फरवरी, 1980 तक की 2 वर्ष की अवधि के लिए सिरसी अरबन कोपरेटिव बैंक लि० पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक इसका संबंध हेब्रे और बंदल (सिरसी तालुका) होनावर (होनावर तालुका), अगनाशीनी और कागल गांव, हेब्बनगेरी और बाडा गांव, गुडीनगडी गांव, होलनगड्डे गांव (समीकुमटा तालुका में) में स्थित जमीन जायदाद पर कब्जा करने से है।

[संख्या एफ० 8-9/78-ए०सी०]

S.O. 2061.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply to the Sirsi Urban Co-operative Bank Ltd., Sirsi in so far as they relate to its holding of landed property located at Hebre and Bundal (Sirsi Taluka), Honavar (Honavar Taluka), Aghanashini and Kagal Village, Hebbangeri and Baada Village, Gudeangadi Village, Holangadde Village (all in Kumta Taluka) for a period of 2 years from 1 March 1978 to 29 February, 1980.

[No. F. 8-9/79-AC]

का०आ० 2062.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषित करती है कि पहली जुलाई, 1978 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखंड (i) और (ii) तथा धारा 10ख की उपधारा (2) और (4) के उपबन्ध "विजय बैंक लि० मंगलौर" और "आंध्र बैंक लि०, हैदराबाद" पर वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे उपबन्ध उक्त बैंकों का प्रबन्ध उनके अध्यक्षों द्वारा किये जाने का प्रतिषेध इस कारण करते हैं कि वे कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन एक पंजीकृत कंपनी "कृषिक वित्त निगम लि०" के निदेशक हैं; और

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबन्ध उक्त बैंकों के मामलों में वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे उपबन्ध उक्त बैंकों के उपर्युक्त "कृषिक वित्त निगम लि०" के शेयर धारण करने का प्रतिषेध करते हैं।

[संख्या एफ० 13/10/78 ए० सी०]

S.O. 2062.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that, during the period commencing on the 1st July 1978 and ending with the 30th June 1980—

(a) the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 and sub-sections (2) and (4) of Section 10B of the said Act shall not apply to the Vijaya Bank Limited, Mangalore and the Andhra Bank Limited, Hyderabad, insofar as the said provisions prohibit the said banks from being managed by their Chairman by reason of their being directors of the Agricultural Finance Corporation Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956); and

(b) the provisions of sub-section (3) of Section 19 of the said Act shall not apply to the said banks insofar as the said provisions prohibit the said banks from holding shares in the said Agricultural Finance Corporation Limited.

[No. F. 13-10/78-AC]

का० आ० 2063.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि 1 जुलाई, 1978 से प्रारम्भ होकर 30 जून, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान:—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखंड (i) और (ii) के उपबंध नीचे लिखे बैंकों के मामलों में वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उक्त उपबंध बैंकों का प्रबंध उन व्यक्तियों द्वारा किये जाने का प्रतिषेध करते हैं, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन एक पंजीकृत कंपनी 'कृषिक वित्त निगम लि०' के निदेशक हैं, और

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबंध नीचे लिखे बैंकों के मामलों में वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे उपबन्ध उक्त बैंकों को उपर्युक्त 'कृषिक वित्त निगम लि०' के शेयर धारण का प्रतिषेध करते हैं।

क्रम संख्या	बैंक का नाम
1.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
2.	बैंक आफ इंडिया
3.	पंजाब नेशनल बैंक
4.	बैंक आफ बड़ौदा
5.	यूनाइटिड कमर्शियल बैंक
6.	यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया
7.	यूनियन बैंक आफ इंडिया
8.	बैंक आफ महाराष्ट्र
9.	सिंडीकेट बैंक
10.	देना बैंक
11.	केनरा बैंक
12.	इंडियन बैंक

[संख्या एफ० 13/10/78 ए० सी०]

S.O. 2063.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that, during the period commencing on the 1st July, 1978 and ending with the 30th June, 1980—

(a) the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to the undermentioned banks in so far as the said provisions prohibit the said banks from being managed by persons who are directors of the Agricultural Finance Corporation Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956); and

(b) the provisions of sub-section (3) of Section 19 of the said Act shall not apply to the undermentioned banks, insofar as the said provisions prohibit the said banks from holding shares in the said Agricultural Finance Corporation Limited.

Sr. No.	Name of the bank
1.	Central Bank of India
2.	Bank of India
3.	Punjab National Bank
4.	Bank of Baroda
5.	United Commercial Bank
6.	United Bank of India
7.	Union Bank of India
8.	Bank of Maharashtra
9.	Syndicate Bank
10.	Dena Bank
11.	Canara Bank
12.	Indian Bank

[No. F. 13-10/78-AC]

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1978

का० आ० 2064.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध 30 सितम्बर, 1976 से 28 फरवरी, 1979 तक की अवधि के लिये अर्बन को आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर पर लागू नहीं होंगे।

[संख्या एफ० 8-1/78-ए० सी०]

एम० पी० वर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 4th July, 1978

S.O. 2064.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Urban Cooperative Bank Ltd., Jaipur for the period from 30 September 1976 to 28 February, 1979.

[No. F. 13-10/78-AC]

M. P. VARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 1978

का०आ० 2065.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध 25 मार्च, 1979 तक साउथ इंडिया बैंक लि० (तिन्नेवेली) तमिलनाडु पर निम्नलिखित सम्पत्तियों के बारे में लागू नहीं होंगे :—

(1) सरमादेवी ग्राम के सभी 19 सेंटों की मापवाली सर्वे नं० 200-7, 8 और ओ०ई० 1 वाली जंजा भूमि

(2) पेट्टाई स्थित छोटे मकान दरवाजा नं० 51 और 52 जिला तीरुनेलवेल्ली, तमिलनाडु में स्थित दोनों मदें ।

[संख्या 15(8)बी०ओ०-III/78]

New Delhi, the 30th June, 1978

S.O. 2065.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply till the 25th March 1979 to the South India Bank Ltd., (Tinnevelly) Tamil Nadu in respect of the following properties :—

(i) Nanja Lands having Survey Nos. 200-7, 8 and OE (1) measuring in all 19 cents at Sermadevi Village ; and

(ii) Small houses (Door Nos. 51 and 52) at Pettai, both the items situated in Tirunelveli District, Tamil Nadu.

[No. 15(8)-B.O. III/78]

का०आ० 2066.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध 6 जनवरी, 1979 तक बैंक आफ कराड लि०, कराड, जिला सतारा पर महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले में शीरशिंगी महल अजरा स्थित आर०एस० नं० 134 और 2 वाली भू सम्पत्ति के बारे में लागू नहीं होंगे ।

[सं० 15(9)बी०ओ०III/78]

मे० भा० उमगांवकर, अवर सचिव

S.O. 2066.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act, shall not apply till the 6th January, 1979 to the Bank of Karad Ltd., Karad, District : Satara in respect of the landed property bearing RS. Nos. 134 and 2 at Shirsingi. Mahal Ajra, District : Kolhapur in Maharashtra State.

[No. 15(9)-B.O. III/78]

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1978

का० आ० 2067.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना, 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, कुमारी कुसुमलता मित्तल के स्थान पर वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री बलदेव सिंह को एतद्द्वारा बैंक आफ बड़ौदा के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 9/16/78 बी० ओ०-I(1)]

New Delhi, the 1st July, 1978

S.O. 2067.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Baldev Singh, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi as a Director of the Bank of Baroda vice Kumari Kusum Lata Mital.

[No. F. 9/16/78-BOI(1)]

का० आ० 2068.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री बलदेव सिंह के स्थान पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री वी० आर० गुप्ते को एतद्द्वारा यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 9/16/78 बी० ओ०-I (2)]

मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव

S.O. 2068.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri V. R. Gupte, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Banking Division), New Delhi, as a Director of the Union Bank of India vice Shri Baldev Singh.

[No. F. 9/16/78-BO.I-(2)]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 15 जुलाई 1978

का० आ० 2069.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है कि काजू की गिरियाँ निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण के अधीन होंगी :

केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं तथा उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है :

अतः अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1022, तारीख 26 मार्च, 1964, संख्या का० आ० 408, तारीख 29 जनवरी, 1977 तथा संख्या का० आ० 2742, तारीख 3 सितम्बर, 1977 का अधिक्रमण करते हुए उक्त प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है।

2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजने की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति उसे इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर', 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल) कलकत्ता-700006 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि काजू की गिरियाँ निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी ;

(2) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को इस आदेश के उपाबन्ध-I में दिए गए काजू की गिरियों को निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1978 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो कि निर्यात से पूर्व ऐसी काजू की गिरियों पर लागू होंगी ;

(3) इस आदेश के उपबन्ध-2 में दिए गए विनिर्देशों को काजू की गिरियों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना ;

(4) अंतराष्ट्रीय व्यापार के दौरान काजू की गिरियों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरण द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र हो कि ऐसे काजू की गिरियाँ मानक विनिर्देशों के अनुरूप है तथा निर्यात योग्य हैं ;

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को काजू की गिरियों के नमूनों के निर्यात पर भूमि, वायु या समुद्र मार्ग द्वारा लागू नहीं होगी जिनका शुद्ध भार पाँच किलो ग्राम से अधिक न हो।

4. इस आदेश में 'काजू की गिरियों' से सभी प्रकार की काजू की गिरिया बिना झुलसी-झुलसी हुई, साबुत तथा टुकड़े तथा भूनी हुई तथा नमक लगाई हुई गिरियाँ भी अभिप्रेत है।

उपाबन्ध-I

काजू की गिरियों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 के अधिक्रमण में निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

---

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काजू की गिरियों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978 है।

(2) ये नियम को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) 'काजू की गिरियों' में भी सभी प्रकार की काजू की गिरियाँ बिना झुलसी हुई, साबुत, तथा टुकड़े तथा भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई गिरियाँ अभिप्रेत हैं।

3. क्वालिटी नियंत्रण

क. प्रसंस्करण यूनिटों की अपेक्षाएँ

अभिकरण द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण यूनिटें ही निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्कृत करने योग्य होंगी तथा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अर्हित होने के लिए एक यूनिट के पास नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएँ होनी चाहिएं :—

क. संयंत्र की बनावट और अभिन्यास

(1) स्थिति, आकार तथा स्वच्छता संबंधी डिजाइन :—(क) इमारत तथा आस-पास के क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जो आपत्तिजनक गंध, धुआँ, धूल अथवा अन्य संदूषणों से मुक्त रहे जा सकते हों वे उत्स्करों अथवा कर्मचारियों की भीड़-भाड़ के बिना अपेक्षित प्रयोजन के लिए पर्याप्त आकार के होने चाहिए, मजबूत बनावट के होने चाहिए और अच्छी हालत में होने चाहिए : ऐसी बनावट के होने चाहिए जिससे कीड़ों या पक्षियों या पीड़क तंतुओं के प्रवेश तथा आश्रय को रोका जा सके और उनकी डिजाइन इस प्रकार की हो जिससे उनकी सफाई आसानी से और ठीक हो सके।

(ख) कार्य करने के परिसर, दीवारें, फर्श तथा छत ऐसी सामग्री की बनी होनी चाहिए तथा उनकी फिनिश इस प्रकार की हो कि सफाई आसानी से हो सके तथा सूख सके तथा उनकी ठीक तरह मरम्मत की जा सके तथा जहाँ तक संभव हो सके उसको किसी भी उत्पीड़न से बचाया जा सके।

(2) प्रसंस्करण क्षेत्र : (क) वह क्षेत्र जहाँ कच्चा माल प्राप्त तथा भंडार किया जाता है उस क्षेत्र से बिल्कुल अलग होगा जिसमें उत्पाद अंतिम रूप से तैयार होता है या उसकी पैकिंग की जाती है जिससे कि तैयार उत्पाद को दूषित तथा उत्पीड़ित होने से बचाया जा सके।

(ख) पोत पर लदान योग्य उत्पाद को भंडारकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र तथा कक्ष उससे अलग तथा भिन्न होंगे जिनमें वह सामग्री रखी जाती है जो पोत पर नहीं लादनी हो।

(ग) जिन क्षेत्रों में सामग्री की उठाई-धराई की जाती है वे निवास के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त क्षेत्र से बिल्कुल अलग होंगे।

(3) छत, दीवार तथा फर्श—(क) उस कमरे की छत में जहाँ माल या तो भंडार किया जाता है या प्रसंस्कृत किया जाता है, दरार और खुले जोड़ नहीं होने चाहिए तथा वह ऐसी होनी चाहिए जिसमें सफाई आसानी से की जा सके।

(ख) छत में कृन्तक और कीड़ों के आश्रय के लिए कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए।

(ग) प्रसंस्करण क्षेत्रों की दीवारें कम से कम 1.3 मीटर की ऊँचा तक चिकनी होनी चाहिए तथा उनमें गड्ढे और दरारें नहीं होनी चाहिए।

(घ) फर्श अपारगम्य सामग्री से बना होगा।

(ङ) फर्श तथा दीवार इस ढंग से बने होने चाहिए कि उसकी सफाई आसानी से की जा सके।

(4) मक्खियों से बचाव पीड़क जन्तुओं तथा जानवरों पर नियंत्रण:—(क) प्रसंस्करण क्षेत्र में मक्खियों के बचाव के लिए सभी प्रभावशाली प्रबंध किए जाएंगे।

(ख) प्रसंस्करण क्षेत्रों में सभी प्रकार के कीड़ों, कृन्तकों, पक्षियों, बिल्लियों, कुत्तों तथा इसी प्रकार के जानवरों का प्रवेश रोकने के लिए प्रबन्ध किए जाएंगे।

(5) प्रकाश तथा संवातन—(क) काम करने के सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रकाश होना चाहिए।

(ख) उत्पाद के ऊपर या उसकी तैयारी के किसी भी प्रक्रम स्तर पर, लटकते हुए रोशनी के बल्ब तथा फिक्सचर सुरक्षित प्रकार के होने चाहिए प्रकाशरागी कीड़ों फोटो फिलिक कीड़ों से संदूषण को रोकने के लिए उन्हें अन्यथा सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

(ग) जिन कमरों में काम किया जाता है वहां ताजी हवा लाने के लिए, अवांछनीय गंध को दूर करने के लिए तथा उन्हें संघनन से सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक अथवा यांत्रिक संवातक प्रणाली की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।

(6) काम करने के लिए मेजें तथा बर्तन—(क) प्रसंस्करण कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली मेजों की सतह असंरक्षक और अक्रीय क्रियाशील सामग्री की होनी चाहिए।

(ख) प्रसंस्करण मेजें इस प्रकार से बनाई तथा लगाई जाएंगी कि उनके नीचे तथा आसपास के क्षेत्रों में आसानी से सफाई की जा सके।

(ग) मेज की सतह स्टैनलैस स्टील अथवा एल्युमीनियम की होगी तथा चिकनी होगी तथा उनमें गड्ढे और दरारें नहीं होंगी।

(घ) काम करने में प्रयोग की जाने वाली मेजों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि काम सुगमता से किया जा सके।

(ङ) प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त सभी पात्र जैसे ट्रे, बाऊल तथा बर्तन लकड़ी के भिन्न असंक्षारक सामग्री के होने चाहिए तथा दरारों रहित समतल सतह वाले होने चाहिए।

(च) काजू की गिरियों को लाने ले जाने के लिए बांस की टोकरियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(छ) पोत पर न लादे जाने वाली श्रेणियों के प्रयोग में लाए जाने वाले उपस्कर तथा बर्तन एक चिन्ह या आकार या रंग द्वारा अलग-अलग पहचाने जाने योग्य होंगे जिससे उन्हें प्रतिपर उत्पीड़न अथवा फिर संदूषण को रोकने की दशा में पोत पर लादने के योग्य काजू की गिरियों की उठाई-धराई के प्रयोग में न लाया जा सके।

(ज) काम करने वाले क्षेत्रों से संस्करण किया के दौरान फालतू सामग्री शीघ्र ही हटानी होगी तथा इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त अपशिष्टीकरण करने के लिए पात्र दिए जाएंगे तथा वे भी उपरिवर्णित के अनुसार अलग से पहचाने जाएंगे।

(7) मशीनरी—(क) कार्य अधिक होने के समय उत्पादन को पूरा करने के लिए भूनने, सखाने, ठंडा करने, सफाई करने, भरने के तथा विटापैकिंग की क्षमता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए।

(ख) विटापैक उपस्कर, डिब्बे से निकले रिक्त स्थान अथवा सी 02 अथवा पैक के अन्दर विद्यमान अन्य निष्क्रिया जड़ पदार्थ को दिखाने के लिए जाली के साथ फिट किए जाएंगे।

(8) प्रसंस्करण, भंडारकरण और भाण्डागारण—(क) कच्च गिरि गोदामों तथा प्रसंस्करण कक्षों का अभिन्यास इस प्रकार का होगा कि प्रभावशाली प्रति पीड़क तथा पीड़कहरण कार्य किए जा सके।

(ख) सभी अपमार्जक तथा रोगाणुनाशक का अलग-अलग भंडारकरण किया जाएगा।

(ग) पैक की गई सामग्री के भंडार करने की अलग सुविधा होगी।

(घ) आग बुझाने वाले यंत्रों के अतिरिक्त, जहरीले पदार्थ जैसे कृन्तकनाशि, धूमक, कीटनाशि या अन्य पदार्थ, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पृथक बंद कमरे में रखे जाएंगे।

(ङ) ऐसी सभी पदार्थों तथा उपस्करों की उठाई-धराई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा की जाएगी।

(9) जल—(क) पेय जल (हानिकारक रसायन तथा कीटाणु से रहित) हाथ तथा पैर धोने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा।

(ख) यदि संचय टंकी का प्रयोग किया जाता है तो उसे बाहरी संदूषणों से अच्छी तरह सुरक्षित रखा जाएगा, और वह पर्याप्त क्षमता वाली होगी।

(ग) संचय टंकी एक मास में कम से कम एक बार अच्छी तरह से साफ की जाएगी।

(10) सफाई संबंधी सुविधाएं तथा नियंत्रण

(i) (क) सभी बर्तन, ट्रे और मेज की सतह जो सामग्री के सम्पर्क में आती है, प्रयोग के पहले, बाद में तथा प्रयोग के अन्तरालों के दौरान तथा जब भी आवश्यक हो न्यूनतम 50 पी० पी० एम० क्लोरीन वाले जल में साफ की जाएंगी।

(ख) प्रसंस्करण हाल दिन का काम शुरू होने से पहले एक बार साफ किया जाएगा और फिर प्रत्येक कार्य-पारी के अन्त में भी साफ किया जाएगा।

(ग) इसके अतिरिक्त सफाई और धुलाई आवश्यकतानुसार बार-बार की जाएगी।

(ii) धुलाई संबंधी सुविधाएं—(क) प्रत्येक प्रसंस्करण हाल में प्रवेश द्वार के पास साबुन तथा हाथ तथा पैर धोने की पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी।

(ख) हाथ तथा पैर साफ करने का प्रबन्ध भी प्रवेश द्वार के पास किया जाएगा।

(iii) वाहित मल तथा गन्दे पानी का निपटान:—(क) प्रसंस्करण परिसर में प्रयुक्त जल को निकालने के लिए जल निकास की और उसे यूनिट से कम से कम 3 मीटर दूर किसी नाले में डालने की पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।

(ख) कारखाने के अन्दर जल-निकास तंत्र ठीक तरह से ढकी होगी।

(ग) कृन्तकों के प्रवेश को रोकने के लिए खुली नालियों के विवरों में जो दीवारों में से गुजरती हैं, धातु की जालियां लगाई जाएंगी।

(घ) वाहित मल, गंदे पानी तथा कूड़े-करकट के निपटान की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि यह यूनिट तथा उसके पास-पड़ौस के लिए सफाई संबंधी कोई समस्या उत्पन्न न करे।

(ङ) शौचालय से वाहित मल इस ढंग से हटाया जाएगा कि मक्खियां उस तक पहुंच न सके और यूनिटों को दिया जाने वाला जल दूषित न हो।

(च) किसी भी दशा में परिसरों में फालतू पानी या वर्षा का पानी एकत्रित नहीं किया जाए।

(iv) शौच सुविधाएं:—(क) इस संबंध में लागू विधिक अपेक्षाओं के अनुसार सफाई संबंधी पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी।

(ख) शौचालय प्रसंस्करण क्षेत्र से कम से कम 10 मीटर दूर स्थित होंगे।

(ग) शौचालय में अपने आप बंद होने वाले दरवाजे होंगे तथा उसमें हाथ धोने का पात्र तथा साबुन होगा।

(घ) धोने के प्रयोजनों के लिए पेय जल उपयोग में लाया जाएगा ।

(11) कर्मचारियों का स्वास्थ्य तथा स्वच्छता—(क) संयंत्र का प्रबन्ध मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में यह जानकारी हो कि वह संचारी रोग से पीड़ित है, यूनिट के किसी भी क्षेत्र में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) ऐसे रोग का पता आसानी से लग सके इसके लिए प्रबंध मंडल उन कर्मचारियों की जिन्हें यूनिट के किसी भी क्षेत्र में काम करने की अनुज्ञा दी गई, कालिक जांच कराएगा ।

(ग) प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी व्यक्ति काम करते समय अपनी अत्याधिक सफाई रखेंगे ।

(घ) प्रबंध मंडल प्रसंस्करण तथा पैकिंग क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को स्वच्छकृत एप्रान तथा टोपी देगा ।

(ङ) कर्मचारी हमेशा प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात विशेष रूप से प्रसंस्करण हाल में प्रवेश करने से पूर्व, जहां भी आवश्यक हो, अपने हाथ तथा पैर पेय जल से तथा साबुन से धोएंगे ।

(च) प्रसंस्करण परिसरों में, किसी भी रूप में तम्बाकू का थूकना तथा खाया जाना, प्रयोग करना निषिद्ध होगा ।

(छ) भोजन करने के लिए अलग से किसी स्थान की व्यवस्था की जाएगी तथा अन्य स्थानों पर भोजन करने की मनाही होगी ।

(ज) खाना रखने वाले डिब्बे प्रसंस्करण क्षेत्रों में नहीं रखे जाएंगे ।

(झ) कपड़े तथा जूते जो पहनने नहीं है, काम करने के दौरान किसी भी प्रसंस्करण क्षेत्र में नहीं रखे जाएंगे ।

(ञ) यह वांछनीय है कि प्रत्येक काजू प्रसंस्करण यूनिट अपने हित में एक उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त करे जिसका कार्य उत्पादन से अलग विशिष्ट रूप से सफाई तथा संयंत्र की स्वच्छता करने का होगा ।

(12) सफाई तथा पीड़कहरण :—सफाई तथा पीड़कहरण के लिए एक कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाएगा कि स्थापना के सभी भागों की सफाई तथा पीड़कहरण ठीक तरह किया जाए तथा जितनी स्तर अपेक्षित हो, के लिए कालिक क्षेत्र तथा उपस्कर सफाई और पीड़कहरण के लिए नियत किए जाए ।

(13) वाहन संबंधी सुविधाएं :—(क) सब से अच्छा तो यह है कि पूर्व प्रसंस्कृत तथा तैयार माल को धातु के पात्रों अथवा पालिएथीन के स्तर वाले पात्रों में ही ले जाया जाए ।

(ख) तैयार माल को बिना स्तर वाले पात्रों में नहीं ले जाया जाएगा ।

(14) अभिलेखों का रखा जाना :—काजू की गिरियों के प्रसंस्करण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण-कर्ता परिषद् द्वारा समय समय पर यथा निहित आवश्यक अभिलेख तथा रजिस्टर रखेगा जो अभिकरण या अधिकारियों को जैसी ही और जब आवश्यकता होगी, उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(ख) प्रसंस्करण यूनिटों का अनुमोदन

(1)(क) निर्यात करने के लिए काजू की गिरियों को प्रसंस्करण करने का इच्छुक प्रसंस्करण-कर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना परिषद् द्वारा विहित प्रोफार्मा में, अभिकरण के निकटतम कार्यालय को लिखित रूप में देगा ।

(ख) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण के अधिकारी प्रसंस्करण यूनिट में यह देखने के लिए जाएंगे कि यूनिट में प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं ।

(ग) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में वे न्यूनतम सुविधाएं जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट हैं, विद्यमान हैं तो इस प्रयोजन के लिए अभिकरण, यूनिट को अनुमोदित करेगा तथा उसे निर्यात के लिए काजू की गिरियों का प्रसंस्करण करने की अनुज्ञा देगा ।

(घ) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यूनतम सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं तो प्रसंस्करण कर्ता को निर्यात के लिए प्रसंस्करण करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(2) प्रसंस्करण कर्ता को दिया गया अनुमोदन कम से कम सात दिन की सूचना देने के पश्चात् निम्नलिखित कारणों से वापस लिया जा सकेगा, अर्थात् :—

(i) यदि उपस्करण, मशीनरी, विशेष रूप से विटापैकिंग सुविधाएं अच्छी हालत में न हों ;

(ii) यदि यूनिट की स्वच्छता और सफाई की व्यवस्था संतोषजनक न हो ;

(iii) यदि प्रति जांच के लिए, लिए गए नमूने अधिकथित मानकों के अनुसार न हों ;

(iv) यदि प्रसंस्करण-कर्ता ने परिषद् द्वारा जारी किए गए इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया हो या जानबूझ कर उल्लंघन करने का प्रयास किया हो ;

(v) अनुमोदन की ऐसी वापसी प्रसंस्करण-कर्ता को लिखित रूप में सूचित की जाएगी ।

(3) जिस यूनिट का अनुमोदन वापिस लिया गया है वह त्रुटियों को सुधारने के पश्चात् अभिकरण से नया अनुमोदन लेने के लिए नए सिरे से आवेदन करेगा ।

(4) (क) यदि किसी भी समय किसी कारण से उत्पादों की अनुरूपता को विनिर्देशों के अनुसार बनाए रखने में कठिनाई होती है या यदि किसी कारण से निर्यात के लिए उत्पादन को निलम्बित करने का निदेश अभिकरण द्वारा दिया गया हो तो अभिकरण की सूचना देते हुए निर्यात के लिए प्रसंस्करण निलम्बित कर दिया जाएगा ।

(ख) निर्यात के लिए प्रसंस्करण को तभी पुनः आरम्भ किया जाएगा जब यह लिखित रूप में अभिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए ।

(ग) प्रसंस्करण :

(1) प्रसंस्करण कर्ता काजू की गिरियों का प्रसंस्करण तथा पैकिंग विनिर्माण की अच्छी कार्य प्रणाली का अनुपालन करने वाले अनुमोदित यूनिटों में ही करेगा ।

(2) (क) प्रसंस्करण यूनिट में आने वाली कच्ची गिरि का निरीक्षण उसी क्वालिटी के लिए किया जाएगा तथा विशेषतः कड़क के दृष्टिकोण के संप्रेषणों को समय-समय पर परिषद् द्वारा विहित रीति से अभिलिखित किया जाएगा ।

(ख) यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रसंस्करण के लिए केवल साबुत कच्ची सामग्री ही प्रयोग की जाती है तथा प्रति-पीड़क आवश्यक कार्यवाही कलिकतः या अभिकरण के निरीक्षण द्वारा जैसी ही और जब सुझाव दिया जाए की जाएगी ।

(3) कच्चे माल का चयन और उसका पश्चात्वर्ती प्रसंस्करण पैकिंग और भंडारकरण निर्यात किए जाने तक समय-समय पर अभिकरण के अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित पर्यवेक्षण के अधीन किया जाएगा ।

(4) (क) उपरोक्त सांकियाओं की जब भी आवश्यकता हो, अभिकरण के अधिकारियों द्वारा और आगे जांच की जाएगी ।

(ख) अभिकरण के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित न किया गया माल यथास्थिति, प्रसंस्करण अथवा पैकिंग के किसी भी प्रक्रम पर प्रसंस्करण परिसर से हटा दिया जाएगा या उसकी त्रुटियां सुधार दी जाएंगी ।

(ग) अस्वीकृत माल का निपटान अभिकरण का समाधान हो जाने पर किया जाएगा ।

(5) विवाद की दशा में, संबंधित सामग्री या तो अलग रखी जाएगी या अलग से पहचान चिन्ह टैग या के साथ प्रसंस्कृत की जाएगी तथा अंतिम निपटान के लिए पृथक रखी जाएगी और अभिकरण के पैनल द्वारा विनिश्चित की जाएगी ।

(घ) निरीक्षण प्रक्रिया :—

(1) (क) इन नियमों के अधीन निरीक्षण के प्रयोजन के लिए, एक दिन के उत्पादन से एक नियंत्रण यूनिट बनेगा ।

(ख) एक नियंत्रण यूनिट में प्रदाय के स्रोतों के आधार पर कई उपयूनिटें हो सकती हैं ।

(ग) परिषद् द्वारा अधिकथित अनुदेशों के अनुसार नमूने कच्चे माल, प्रसंस्करण की विभिन्न अवस्थाओं और अंतिम उत्पाद से लिए जाएंगे ।

(2) काजू की गिरियों से परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यात-कर्ता, परिषद् द्वारा विहित प्रोफार्मा में अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा तथा ऐसी सूचना के साथ इस आशय का घोषणा-पत्र भी देगा कि काजू की गिरियों का परेषण, इस संबंध में अभिकरण द्वारा यथा विहित प्रसंस्करण के दौरान क्वालिटी नियंत्रण उपायों का प्रयोग करके प्रसंस्कृत किया गया है।

(3) ऐसी सूचना प्रसंस्करण परिसर से परेषण के पोत पर लादने के लिए भेजे जाने की तारीख से कम से कम तीन कार्य दिवसों के पूर्व अभिकरण के कार्यालय में पहुंचेगी ।

(4) जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण, केवल वास्तविक परीक्षण के लिए नमूने लेगा तथा यदि अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किया जाने वाला परेषण विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है और यदि खंड ग (4) के अनुसार दी गई अभिलिखित नियमित जांच के परिणाम संतोषजनक हैं, तो ऐसी सूचना प्राप्त होने से तीन कार्य दिवसों के भीतर परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए निर्यात-कर्ता को प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(5) अभिलिखित जांच पड़ताल के परिणामों से यह उचित प्रतीत होता है या यदि अभिकरण यह अनुभव करता है कि और विस्तृत जांच आवश्यक है तो परेषण से विस्तृत परीक्षण के लिए और नमूने लिए जाएंगे और ऐसी दशा में निर्यात-योग्य होने का प्रमाण पत्र केवल परीक्षणों के संतोषजनक पूरा होने के पश्चात् ही जारी किया जाएगा।

(6) जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो सकता है वहां वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित लिखित रूप में निर्यात-कर्ता को देगा ।

(7) नियंत्रण यूनिटों या उपयूनिटों का, जो विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, अस्वीकृति तथा नियंत्रण के निपटान की पद्धति से संबंधित सूचना देते हुए पृथक अभिलेख रखे जाएंगे ।

(8) (क) निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए, अभिकरण के अधिकारी की सुसंगत अभिलेखों और परिसरों तक, जहां काजू की गिरियों का प्रसंस्करण, पैकिंग तथा भंडारकरण किया जाता है, पहुंच होगी।

(ख) प्रसंस्करण-कर्ता प्रसंस्करण क्षेत्र के पार्श्वस्थ आवश्यक सुविधाओं सहित पृथक निरीक्षण कक्ष की व्यवस्था करेगा।

(9) (क) प्रमाणन के पश्चात्‌भी अभिकरण को भंडारगृह में, अभिवहन में या बन्दरगाहों पर परेषण की क्वालिटी पुनः निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(ख) इनमें से किसी भी प्रक्रम पर जब यह पाया जाता है कि परेषण मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है तो जारी किया गया मूल प्रमाण-पत्र वापिस ले लिया जाएगा।

3. निरीक्षण शुल्क

प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम 30 रुपए के अधीन रहते हुए, श्रेणी (बी०बी०) बिट्स, जिसके लिए 12.70 कि०ग्रा० या उसके भाग के लिए 60 पैसे की दर से फीस प्रभारित की जाएगी, को छोड़कर काजू की गिरियों के 11.31 कि०ग्रा० या उसके भार के लिए 60 पैसे की दर से फीस प्रभारित की जाएगी।

5. अपील

(1) नियम 3 के खंड ख (1) के अधीन अभिकरण द्वारा उसकी यूनिट के लिए अनुमोदन प्रदान करने से या नियम 3 के खंड घ(6) के अधीन निर्यात योग्य होने का प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार की संसूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के ऐसे पैनल को जिसमें कम से कम तीन किन्तु सात से अनधिक व्यक्ति होंगे, अपील कर सकता है।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के दो-तिहाई सदस्य अशासकीय व्यक्ति होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

उपाबन्ध—2

काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश

0. साधारण

0.1 निम्नलिखित विनिर्देशों में वर्णित काजू की गिरियों, काजू (ऐनाकार्डीयम आक्सीडेन्टल) के छिलकों को उतार कर प्राप्त की जाएंगी। व विशेष आकार की होंगी तथा उचित रूप से सुखाई जाएंगी।

0.2 वे (ठीक की गई यदि असामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक हो) ऐसे अंश से आवर्धन के साथ जो किसी विशेष दशा में आवश्यक हो सकती है दिखाई देने वाले जीवित कीटाणुओं, फफूंदी, मृत कीटाणुओं, कीटाणुओं, टुकड़ों तथा कृन्तक संदूषणों से मुक्त होंगी।

0.3 वे विकृत सम्मिश्रता, बीजावरण तथा बाह्य आपत्तिजनक पदार्थों से मुक्त होंगी।

0.4 काजू की गिरियां नए स्वच्छ, शुष्क तथा ठीक रोधिता वाले टीन के डिब्बों में भरी जाएंगी जो विनिर्दिष्ट विनिवर्णों के अनुसार 0.3150 मि०मी० (30 एस डब्ल्यू जी) न्यूनतम टीन की चद्दर से बनाए गए हों। डिब्बे दृढ़ता से बन्द किए जाएंगे तथा इस ढंग से मोहरबन्द किए जाएंगे कि गिरियों के लिए डिब्बे के अन्दर अक्रिय वातावरण रहे।

0.5 जब टीनों को प्लाई के लहरदार कार्डबोर्ड के डिब्बों में पैक किया जायेगा। कार्ड बोर्ड के डिब्बों के अतिरिक्त उन डिब्बों में, जिनके लिए संविदा में तय हुआ है पैकिंग के लिए प्रयुक्त कार्ड बोर्ड के या लकड़ी के डिब्बे अधिसूचित विनिर्देशों के अनुसार होंगे।

1. विभिन्न किस्मों के लिए श्रेणी नाम, व्यापार नाम तथा सामान्य विशेषताएं, इत्यादि निम्नलिखित होंगी।

(क) काजू की गिरियां (साबुत)

श्रेणी नाम	गिरियों की सं० प्रति पौंड	सामान्य विशेषताएं
डब्ल्यू 180	170/180	गिरियां विशिष्ट आकार की होंगी/रंग में सफेद, पीली हाथी दांत या हल्की राख के रंग की होंगी, उचित रूप से शुष्क तथा कीटाणु द्वारा की जाने वाली क्षति, खराब गिरियां तथा काले या भूरे धब्बों से मुक्त होंगी।
डब्ल्यू 210	200/210	
डब्ल्यू 240	220/240	
डब्ल्यू 280	260/280	
डब्ल्यू 320	300/320	
डब्ल्यू 450	400/450	

सहायता : टूटी हुई गिरियां तथा अगली निम्न श्रेणी गिरियां, यदि कोई हों, एक साथ भार में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

श्रेणी नाम	गिरियों की संख्या प्रति पौंड	सामान्य विशेषताएं
एस डब्ल्यू	भुलसी हुई साबुत	गिरियां विशिष्ट प्रकार की होंगी, उचित रूप से सुखाई जाएंगी। कीटाणु द्वारा की जाने वाली क्षति, खराब गिरियां तथा काले धब्बों से मुक्त होंगी। भुलसी होने के कारण गिरियां रंग में हल्की भूरी, हल्की हाथी दांत हल्की राख या गहरी हाथी दांत के रंग की हो सकती है।

श्रेणी एस डब्ल्यू निम्नलिखित आकार श्रेणी की भी हो सकती है :—

आकार श्रेणी नाम	प्रति पौंड गणना	
एस डब्ल्यू (काउन्ट 180)	170/180	गिरियां विशिष्ट प्रकार की होंगी, उचित रूप से सुखाई जायंगी कीटाणु द्वारा की जाने वाली क्षति, खराब गिरियां तथा काले धब्बों से मुक्त होंगी। भुलसी होने के कारण गिरियां रंग में हल्की भूरी, हाथी दांत, हल्की राख या गहरी हाथी दांत के रंग की हो सकती है।
एस डब्ल्यू (काउन्ट 210)	200/210	
एस डब्ल्यू (काउन्ट 240)	220/240	
एस डब्ल्यू (काउन्ट 280)	260/280	
एस डब्ल्यू (काउन्ट 320)	300/320	
एस डब्ल्यू (काउन्ट 450)	400/450	

सहायता : टूटी हुई गिरियां तथा अगली निम्न श्रेणी की गिरियां, यदि कोई हों, एक साथ भार में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

(ग) भुलसी हुई घटिया काजू की गिरियां (साबुत)

श्रेणी नाम	व्यापार नाम	सामान्य विशेषताएं
एस एस डब्ल्यू	भुलसी हुई साबुत घटिया	गिरियां विशिष्ट आकार की होंगी, उचित रूप से सुखाई जाएंगी तथा कीटाणु द्वारा की जाने वाली क्षति से मुक्त होंगी जरा सी भुलसी हुई गिरियां, हल्के दाग तथा अपवर्णित वाली गिरियों की स्वीकृति दी जाएगी। गिरियां कुछ-कुछ अपरिपक्व भी हो सकती हैं। भुलसी होने के कारण गिरियां रंग में हल्की भूरी, हल्की नीली या हल्की हाथी दांत के रंग की हो सकती हैं।

सहायता : टूटी हुई गिरियां अगली निम्न श्रेणी की गिरियां, यदि कोई हों एक साथ भार में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

(घ) डेजर्ट काजू की गिरियां (साबुत)

श्रेणी नाम	व्यापार नाम	सामान्य विशेषताएं
डी डब्ल्यू	डेजर्ट साबुत	गिरियां विशिष्ट आकार की होंगी, उचित रूप से सुखाई जाएंगी तथा कीटाणु द्वारा की जाने वाली क्षति से मुक्त होंगी भुलसी हुई अपवर्णित हल्के दाग वाली तथा सिकुड़ी हुई गिरियों को स्वीकृति दी जाएगी। गिरियों पर गहरे काले धब्बे हो सकते हैं।

सहायता : टूटी हुई गिरियां या अगली निम्न श्रेणी की गिरियां यदि कोई हों, एक साथ भार में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

(ङ) काजू की गिरियां (सफेद टुकड़े)

श्रेणी नाम	व्यापार नाम	वर्णन	सामान्य विशेषताएं
बी	बट्स	आड़ी तिरछी टूटी हुई तथा स्वाभाविकत: जुड़ी हुई गिरियां।	गिरियां रंग में सफेद, पीली, हाथी दांत या हल्की राख की होंगी उचित रूप से शुष्क तथा कीटाणु द्वारा क्षति, टूटी हुई गिरियों तथा काले धब्बों से मुक्त होंगी।
एस	टुकड़े	गिरियां स्वाभाविकत: लम्बाई में कटी होंगी।	—वही—
एस डब्ल्यू पी	बड़े सफेद टुकड़े	दो से अधिक टुकड़ों में टूटी हुई गिरियाँ तथा 4.75 मि०मी० आई०एस० छलनी (4 छिद्रों वाली 1.6 एस० डब्ल्यू० जी० छलनी) में से न गुजरें।	—वही—
एस डब्ल्यू पी	छोटे सफेद टुकड़े	जैसा एस डब्ल्यू पी वर्णित है उनसे छोटी टूटी हुई गिरियाँ परंतु 2.80 मि०मी० आई एस छलनी (6 छिद्रों वाली 20 एस डब्ल्यू जी छलनी) से न गुजरें।	—वही—
बी बी	बबी बिट्स (छोटा अंश)	जैसा एस डब्ल्यू पी में वर्णित है उन से छोटी प्रांकुर तथा टूटी हुई गिरियाँ परन्तु 1.70 मि० मी० आई एस छलनी (10 छिद्रों वाली 29 एस डब्ल्यू जी छलनी) में से न निकल सकें।	—वही—

सहायता : अगली निम्न श्रेणी की गिरियां या छोटे टुकड़े, यदि कोई हों, एक साथ भार में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(च) काजू की गिरियां (झुलसे हुए टुकड़े)

श्रेणी नाम	व्यापार नाम	सामान्य विशेषताएं	
एस बी	झुलसे हुए बट्स	आड़ी तिरछी टूटी हुई तथा जुड़ी हुई गिरियां	स्वाभाविकतः गिरियां उचित रूप से सुखाई जाएंगी तथा कीटाणु द्वारा की जाने वाली क्षति, खराब गिरियों, काले धब्बों से मुक्त होंगी। झुलसे होने के कारण रंग में टुकड़े हल्के भूरे या गहरे हाथी दांत के रंग के होंगे।
एस एस	झुलसे हुए टुकड़े	स्वाभिकतः लम्बाई में गिरियों के टुकड़े।	—यथोक्त—
एस पी	झुलसे हुए टुकड़े	टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां तथा 4.75 मि०मी० आई एस छलनी (4 छिद्रों वाली 16 एस डब्ल्यू जी छलनी) में से न निकल सके।	—यथोक्त—
एस एस पी	झुलसे हुए छोटे टुकड़े	जैसा एस पी में वर्णित है उनसे छोटी टूटी हुई गिरियां परन्तु 2.80 मि०मी० आई एस छलनी (6 छिद्रों वाली 20 एस डब्ल्यू जी छलनी) में से न निकल सकें।	यथोक्त—

सहायता : अगली निम्न श्रेणी की गिरियां या छोटे टुकड़े, यदि कोई हों, एक साथ भार में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(छ) काजू की गिरियां (झुलसे हुए घटिया टुकड़े)

श्रेणी नाम	व्यापार नाम	विवरण	सामान्य विशेषताएं
एस पी एस	घटिया झुलसे हुए टुकड़े	टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां परन्तु होने वाली 4.75 मि० मी० आई एस छलनी (4 छिद्रों वाली 16 डब्ल्यू जी छलनी) में से न निकल सके।	गिरियां उचित रूप से सुखाई जाएंगी तथा कीटाणु द्वारा होने वाली क्षति से मुक्त होंगी दाग वाली सतह सहित झुलसे हुए टुकड़े तथा अपवर्णित टुकड़ी की स्वीकृति दी जाएगी। गिरियां रंग में हल्की भूरी, गहरे हाथी दांत या गहरे नीले रंग की और हल्की नीली हो सकती हैं। अपरिपक्व गिरियां नट के कारण विकृत हो सकती हैं।

सहायता : अगली श्रेणी की गिरियां या छोटे टुकड़े यदि कोई हों, एक साथ भार में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ज) डेजर्ट काजू की गिरियां (टुकड़े)

डी बी	डेजर्ट बट्स	आड़ी तिरछी टूटी हुई तथा स्वाभाविकतः जुड़ी हुई गिरियां	गिरियां उचित रूप से सुखाई जाएंगी तथा कीटाणु द्वारा होने वाली क्षति स्वीकृति दिए गए अपवर्णित तथा दाग की सतह के साथ झुलसे हुए टुकड़ों से मुक्त होंगी। गिरियां रंग में हल्की भूरी, गहरी हाथी दांत या हल्की से गहरी नीली हो सकती है। अपरिपक्व गिरियों के कारण गिरियां विरूपित तथा धब्बेदार हो सकती हैं जैसा एस पी एस में वर्णन किया गया है उनसे अधिक सिकुड़ी हुई गिरियां तथा स्वीकृति प्राप्त अधिक झुलसी हुई गिरियां।
डी एस डी पी	डेजर्ट टुकड़े डेजर्ट टुकड़े	स्वाभाविक रूपलम्बाई में कटी हुई गिरियां टुकड़ों में टूटी हुई गिरियां परन्तु एक 4.75 मि०मी० आई एस छलने (4 छिद्रों वाली 15 एस डब्ल्यू जी छलनी) में से न निकल सकें।	—यथोक्त—
डी एस पी	डेजर्ट	उसी वर्णन की गिरियां परन्तु डी पी से छोटी तथा 2.80 मि०मी० आई एस छलनी (16 छिद्रों वाली 20 एस डब्ल्यू जी छलनी) में से न निकल सकें।	—यथोक्त—

सहायता : अगली निम्न श्रेणी की गिरियां या छोटे टुकड़े, यदि कोई हों, एक साथ भार में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(ख) भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियों के लिए विनिर्देश

1. कच्ची सामग्री

1.1. काजू की गिरियां, जिनके अन्तर्गत झुलसी हुई, बिना झुलसी (अच्छी), साबुत या टुकड़े हैं, भूनने तथा नमक लगाने के लिए प्रयुक्त की जाएंगी।

1.2. ये कीड़ों किसी प्रकार के पीड़क फफूंदी, बासीपन तथा छिनकों से पूरी तरह मुक्त होंगी।

2. तैयार करने की विधि

2.1. भुनी हुई तथा नमक लगाई गई काजू की गिरियां किसी भी मान्य प्राप्त पकाने वाले बर्तन में काजू की गिरियों को भूनकर तथा नमक लगाकर या सूखे भूनने तथा नमक लगाने की प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाएंगी।

2.2. पकाने के लिए प्रयुक्त बर्तन स्टैनलैस स्टील के होंगे।

2.3. भूनने से पहले गिरियों का आर्द्रता अंश 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. उत्पाद की अपेक्षाएं

3.1. क्रेता तथा विक्रेता के बीच किए गए संविदा में दिए गए के अनुसार श्रेणी नाम स्वीकार किए जाएंगे जब तक कि उनके तथ्यों का दुर्व्यपदेशन न होता हो।

3.2. भूनकर तथा नमक लगाकर तैयार करने के पश्चात् रसायन विश्लेषण पर काजू की गिरियां सारणी 1 में दिए गए स्वीकृति स्तरों के अन्तर्गत होंगी।

सारणी—1

स्वीकृति स्तर

वसा मुक्त अम्ल	0.4 प्रतिशत (ओलीक अम्ल के रूप में) सम वसा भार के अनुसार
पैराक्साइड मूल्य	गत वसा का 0_2/कि॰ग्रा॰

3.3. खाद्य अप मिश्रण निवारण नियम, 1955 के अन्तर्गत स्वीकृत परिरक्षक तथा सुगंधित पदार्थ।

4. पैकिंग

4.1. भुनी हुई तथा नमक लगाई हुई काजू की गिरियां क्रेता द्वारा विहित उचित आकार के डिब्बों में और अन्य अपेक्षाओं के अनुसार पैक की जाएंगी।

4.2. गिरियां संविदा के अपेक्षानुसार फाइल पैक की जा सकती हैं।

4.3. डिब्बे नए, साफ तथा जंग से मुक्त या किसी भी प्रकार की क्षति से मुक्त होंगे।

4.4. गिरियां, वैक्यूम, वाले डिब्बों में या अक्रिय गैस के माध्यम में पैक की जाएंगी।

4.5. क्रेता की पैकिंग अपेक्षाओं के अनुसार डिब्बे कार्डबोर्ड के डिब्बों में या विसंक्रमित लकड़ी के बक्सों में बंद किए जाएंगे।

4.6. प्रत्येक डिब्बे या बक्सों पर निम्नलिखित चिन्हित होगा :—

(क) उत्पाद का नाम
(ख) विनिर्माता का नाम
(ग) पोत-लदान चिन्ह
(घ) शुद्ध तथा कुल भार किलोग्राम में।

5. मुहर बन्द करना :

5.1. पैकिंग के पश्चात् प्रत्येक परेषण उचित रूप से मुहरबन्द किया जाएगा जैसा कि परिषद् विहित किया जाए।

काजू की गिरियां

संकेतन

एक संकेत पर्ची प्रत्येक डिब्बे के मुंह पर चिपकी होनी चाहिए। संकेत पर्ची पर उत्पाद व श्रेणी नाम, वर्ष, मास तथा प्रसंस्करण की तारीख होगी। ये अभिकरण के अधिकारियों द्वारा दी जाएगी तथा अभिकरण के अधिकारी की उपस्थिति में अमिट स्याही का प्रयोग करते हुए संकेत मोहर लगाई जाएगी। संक्षेप रूप में संकेत पर्ची बनाने के लिए एक उदाहरण नीचे दिया गया है

'8ए॰1'

उदाहरणार्थ में—
8—तैयार करने का वर्ष (यहां 1978 वर्ष)।
ए—प्रसंस्करण का मास (यहां जनवरी का मास)।
01— प्रसंस्करण की तारीख (यहां मास का पहला दिन)।

निम्नलिखित संक्षेपाक्षर, वर्ष के मास को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे :—

मास	संक्षेपाक्षर
जनवरी	ए
फरवरी	बी
मार्च	सी
अप्रैल	डी
मई	ई
जून	एफ
जुलाई	जी
अगस्त	एच
सितम्बर	जे
अक्तूबर	के
नवम्बर	एन
दिसम्बर	एम

[सं॰ 6(1)/77-नि॰नि॰ तथा नि॰उ॰]
सी॰बी॰ कुकरेती, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 15th July, 1978

S.O. 2069.—Whereas in exercis eof the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central-Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do for the development of the export trade of India cashew kernels should be subject to quality control and inspection prior to export :

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forward the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 1022, dated the 26th March, 1964, No. S.O. 408 dated the 29th January, 1977 and No. S.O. 2742 dated the 3rd September, 1977, hereby publishes the said proposals for information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within forty five days of the date of publication of this order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, World Trade Centre, 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-700001.

PROPOSALS

(1) To notify that Cashew Kernels shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1978 as set out in Annexure-I to this order as the type of Inspection which shall be applied to such Cashew Kernels prior to their export ;

(3) To recognise the specifications as set out in Annexure-II to this order as the standard specifications for Cashew Kernels ;

(4) To prohibit the export in the course of international trade of such Cashew Kernels unless the same are accompanied by a Certificate of Inspection issued by an Agency established by the Central Government under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that such Cashew Kernels shall conform to the standard specifications and are exportworthy.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land sea or air of samples of Cashew Kernels to perspective buyers, which do not exceed 5 kgs. in net weight.

4. In this order "Cashew Kernels" means all types of Cashew Kernels unscorched, scorched, wholes and pieces and also roasted and salted Kernels.

ANNEXURE—I

Draft Rules proposed to be made under Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) in supersession of the Import of Cashew Kernels (Inspection) Rules, 1966.

1. Short title and commencement—(1) These Rules may be called the Export of Cashew Kernels (Quality Control and Inspection) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the.....

2. Definitions—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963 (22 of 1963) ;

(b) "agency" means any one of the agencies, established under Section 7 of the Act at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi. ;

(c) "Cashew Kernels" means all types of Cashew Kernels, unscorched, scorched, wholes, pieces roasted and salted Kernals.

3. Quality Control.

A. Requirements of processing units

Only processing units appuroved by the agency shall be eligible for processing cashew Kernels for export and a unit to quality for approval shall have minimum facilities as specified below :—

A. Plant Construction and Lay-out.

(1) Location, size and sanitary design.

(a) The building and surrounding areas should be such as can be kept reasonably free from objectionable odours, smoke, dust, or other contaminations; should be of sufficient size for the purpose intended without crowding of equipment or personnel; should be of sound construction and kept in good repair; should be of such construction as to prevent the entrance and harbouring of insects or birds or vermin; and should be so designed as to permit easy and adequate cleaning.

(b) The working premises, walls, floors and ceiling should be constructed of such a materials and be so finished as to allow them to be effectively cleaned and drained and should be kept in good repair and prevent as far as practicable from any risk of infestation.

(2) Processing areas

(a) The area in which the raw material is received and stored shall be so separated from the area in which the final product preparation or packing is conducted so as to preclude infestation and contamination of the finished product.

(b) Areas and compartments used for the storage of shippable product shall be separate and distinct from those used for non-shippable materials.

(c) The material handling areas shall be completely separated from the area used for residential purposes.

(3) Ceiling, well and floor.

(a) The ceiling of the room, where the material is either processed or sored, shall be free from crevices and open joints and lend itself for easy cleaning.

(b) The ceiling shall not offer any facility for rodent and insect harbourages.

(c) The walls of the processing areas shall be smooth and free from pits and cracks upto a height of minimum 1.3 metres.

(d) The floor shall be of impermeable material.

(e) The floor and wall junctions shall be rounded off to facilitate easy cleaning.

(4) Flyproofing, vermin and animal control.

(a) The processing area shall be provided with effective fly-proofing arrangements.

(b) Measures shall be adopted to protect against the entry of all other insects, rodents, birds, cats, dogs and the like into the processing areas.

(5) Lighting and ventilation.

(a) All the working areas shall be well lighted.

(b) Light bulbs and fixtures suspended over the product or at any stage of its preparation shall be of safety type or otherwise protected to prevent contamination from photophilic insects.

(c) There shall be adequate facilities for natural or mechanical ventilation system to provide fresh air, remove undesirable odours, and smoke and prevent condensation in rooms where work is performed.

(6) Working tables and utensiles,

(a) The able tops used for processing work shall be of non-corrodible, non-reacting material.

(b) The processing tables shall be constructed and installed in such a way that the areas underneath and around are accessible to easy cleaning.

(c) The able tops shall be of stainless steel or aluminium and shall be smooth and free from pits and crevices.

(d) The arrangement of working tables shall be such that smooth flow of work is ensured.

(e) All receptacles like trays, bowls, and utensils used for the processing shall also be of non-corrodible material other than wood, and shall also have smooth surfaces free from crevices.

(f) Bamboo baskets shall not be used for handling Cashew Kernels.

(g) The equipment and utensils used for nonshippable grades shall be separately identifiable by a mark or shape or colour so that these are not used for handling shippable grades of Cashew Kernels in order to prevent cross-infestation or cross-contamination.

(h) Waste material shall be frequently removed from the working areas during processing operation, and adequate waste receptacles shall be provided for this purpose and they shall also be separately identifible as for mentioned.

(7) Machinery.

(a) The roasing, drying, cooling, cleaning, filling, vitapacking capacity shall be adequate to meet the production in peak season.

(b) The vitapack equipment shall be fitted with gauges to show the vacuum drawn from the tins and CO^2 or other inert media introduced into the pack.

(8) Processing storage and warehousing.

(a) The rawnut godowns and the processing rooms should have such layout to permit effective anti-infestation and disinfestation operations.

(b) All detergents and distinfectants shall be stored separately.

(c) There shall be separate facility for storing packaging materials.

(d) Toxic substances such as rodenticides, fumigants, insecticides or other substances injuries to health, except fire fighting equipments, shall be kept in a separate locked room.

(e) All these substances and equipments shall be handled by trained personnel only.

(9) Water.

(a) There shall be adequate supply of potable water for hand and feet washing purposes (free from harmful chemical and bacteria).

(b) The storage tanks, if used, shall be sufficiently protected from extraneous contamination, and shall be of sufficient capacity.

(c) The storage tanks shall be properly cleaned. atleast once in a month.

(10) Sanitary facilities and control.

(i) (a) All the utensils, trays and table surfaces, which come in conract with the material shall be cleaned before, after and during intervals of use and as often as necessary with water having a minimum concentration of 50 p.p.m. chlorine.

(b) The processing hall shall be cleaned before the day's work starts and then at the end of each working shift.

(c) In addition, the cleaning and washing shall be done as frequently as necessary.

(ii) Washing facilty

(a) Soap and adequate hand and feet washing facilities shall be provided in each processing hall near the entrances.

(b) Arrangements to sanitise the hand and feet shall also made near the entrances.

(iii) Sewage and waste disposal.

(a) There shall be adequate drainage facilities for carrying away water used in the processing premises and to discharge it into a channel atleast 3 metres from the unit.

(b) The drainage system inside the factory shall be properly covered.

(c) The openings of open drains, which pass through walls, shall be fitted with metal grills to prevent the entry of rodents.

(d) The arrangements for disposal of sewage, waste and waste material shall be such that it shall not cause any sanitary problem to the unit and the neighbourhood.

(e) The sewage from the toilet shall be disposed of in such a manner that the water shall not be accessible to flies and the unit's water supply not contaminated.

(f) On no account there shall be accumulation of water including waste or rain water in the premises.

(iv) Toilet facility

(a) Adequate toilet facilities of sanitary type shall be provided as per the legal requirements applicable in this regard.

(b) The toilets shall be located or a minimum distance of 10 metres from the processing area.

(c) The toilets shall be provided with self-closing doors and with wash basin and soap.

(d) Potable water shall be used for washing purposes.

(11) Personal health and hygiene.

(a) Plant management shall take care to ensure that no person, while known to be affected with a communicable disease, is permitted to work in any area of the unit.

(b) In order to facilitate the detection of such disease, the management shall conduct periodical examination of the personnel permitted to work in any area of the unit.

(c) All persons working in the processing area shall maintain a high degree of personal cleanliness while on duty.

(d) The management shall provide clean aprons and headgears to the employees working in the processing and packing areas.

(e) The workers shall wash their hands and feet with potable water and soap as often as necessary, and specially before entering the processing hall after each absence.

(f) Chewing, spitting and use of tobacco in any form shall be prohibited in the processing premises.

(g) A separate eating place shall be provided, and eating at other places shall be prohibited.

(h) Lunch, boxes shall not be kept in the processing areas.

(j) Clothing and footwear not worm during working hours should not be kept in any processing area.

(j) It is desirable that each cashew processing unit in its own interest designates a suitable person whose duties are preferably diversed from production to be held responsible for cleanliness and plant sanitation.

(12) Cleaning and disinfestation.

A permanent cleaning and disinfestation schedule shall be drawn up to ensure that all parts of the establishment are cleaned and disinfested appropriately and that critical areas and equipments are designated for cleaning and disinfestation as frequently as required.

(13) Transportation facilities.

(a) It is ideal that pre-processed and finished products are transported only in metallic bins or polythene laminated wares.

(b) Under no circumstances finished products shall be carried in non-laminated receptacles.

(14) Maintenance of records : Necessary registers and records, as prescribed by the Council from time to time, shall be maintained by the processor in order to ensure effective control on the processing of Cashew Kernels and these shall be made available to the agency Officers as and when required.

B. Approval of Processing Units.

(1) (a) A processor intending to process Cashew Kernels for export shall inform his intention to do so in writing, in the proforma prescribed by the Council to the nearest office of the agency.

(b) On receipt of such information, the agency officers shall visit the processing unit in order to adjudge the facilities for processing available in the unit.

(c) If the unit is found to have the minimum facilities as specified in these rules, the agency shall approve the unit and permit it to carry out processing of cashew kernels for export.

(d) If the unit is found not to have the minimum facilities, the processor shall not be allowed to process for export.

(2) The approval accorded shall be withdrawn in respect of a processor for the following reasons, after giving a notice of minimum period of seven days, namely :—

(i) if the equipments, machinery, particularly vita-packing facilities are not in good working condition ;

(ii) if the sanitary and hygienic condition of the unit is not satisfactory ;

(iii) if samples drawn for counterchecks fail to meet the laid down standards ;

(iv) if the processor has violated or deliberately attempted to violate the provisions of these rules issued by the council ;

(v) Such withdrawal of approval shall be intimated in writing to the processor.

(3) A unit, whose approval has been withdrawn, may, after rectifying the defects make a fresh application to the agency for getting fresh approval.

(4) (a) If at any time there is any difficulty in maintaining the conformity of the products to the specifications for any reason or if directed by the agency to suspend production for export for any reason, the processing for export shall be suspended under intimation to the agency.
(b) The processing for export shall be resumed only after the same is approved by the agency in writing.

C. Processing.

(1) The processor shall carry out processing and packing of chshew kernels only in approved units observing good manufacturing practices.

(2) (a) The rawnuts arriving in the processing unit shall be inspected for its quality and the observations particularly from infestation angle recorded in the manner prescribed by the Council from time to time.

(b) It shall be ensured that only whole some raw materials are used for processing and necessary anti-infestation measures are carried out periodically and as and when suggested to be so done by the agency officers.

(3) The selection of raw material and its subsequent processing, packing and storage, till export shall be carried out under proper supervision as per directives given by the agency officers from time to time.

(4) (a) The above operations shall be subject to further check by the agency officers as often as found necessary.

(b) The material at any stage of processing or packing, not approved by the agency officers, shall be removed from the processing premises or defects rectified as the case may be.

(c) The rejected material shall be disposed of in way satisfactory to the agency.

(5) In case of dispute, the concerned goods shall be either kept separately or processed with a separate identity tag or mark, and kept separately for final disposal, which shall be decided by a panel of officers of the agency.

D. Procedure of Inspection :

(1) (a) For the purpose of inspection under these rules, a day's production shall constitute a control unit.

(b) A control unit may have more subunits depending upon the sources of supply.

(c) Sample shall be drawn from raw material, different stages of processing and the final product in accordance with the instructions laid down by the Council.

(2) An exporter intending to export a consignment of Cashew Kernels shall give intimation to the agency in writing, in the proforma prescribed by the Council, and submit along with such intimation a declaration to the effect that the consignment of Cashew Kernels has been processed exercising the inprocess quality control measures as prescribed by the Agency in this regard.

(3) Such intimation shall reach the agency office not less than 3 working days prior to the date of despatch of the consignment from the processing premises for shipment.

(4) On receipt of such intimation, the agency shall normally draw samples for physical tests only unless otherwise required and if the agency is satisfied that the consignment to be exported complies with the specified standards, and if the results of recorded regular checks conducted as per clause C(4) are satisfactory, it shall, within 3 working days of receipt of such intimation, issue a certificate to the exporter declaring the congnment exportworthy.

(5) In case the results of the recorded checks so warrant, or if the agency feels that further detailed checks are necessary, additional samples shall be drawn from the consignment for detailed testing and in such a case, the certificate of exportworthiness shall be issued only after satisfactory completion of the tests.

(6) Where the agency is not so satisfied shall refuse to issue such certificate and communicate such refusal in writing to the exporter, alongwith the reasons therefor.

(7) A separate record shall be maintained giving information relating to the rejection and mode of disposal of the control units or sub-units which do not conform to the specifications.

(8) (a) For the purpose of inspection, the agency officer shall have access to relevant records and premises where processing, packing and storage of cashew kernels are carried out.

(b) The processor shall provide a separate inspection room with necessary facilities adjacent to the processing area.

(9) (a) Subsequent to certification, the agency shall have the right to re-assess the quality of the consignment in the storage, in transit, or at the ports.

(b) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate originally issued shall be withdrawn.

3. Inspection Fee :

Subject to a minimum of Rs. 30 for each consignment, a fee at the rate of 60 Ps. for 11.34 kgs. of cashew kernels or part thereof except for the grade (BB) Bits, for which the fee of 60 Ps. for 12.70 kgs. or part thereof shall be charged.

5. Appeal :

(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to accord approval for his unit under clause B(1) of rule 3, or to issue a certificate of exportworthiness under clause D(6) of rule 3, may, within ten days of receipt of the communication of such refusal by it, prefer an appeal to a Panel of Experts consisting of not less than three, but not more than seven persons, appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two-thirds of the total membership of the Panel of Experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum of the Panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

Annexure II

SPECIFICATIONS FOR CASHEW KERNELS

8 GENERAL

0.1 Cashew kernels described in the following specifications shall have been obtained through shelling and peeling of cashew nuts (Anacardium Occidentale). They shall have the characteristic shape and be reasonably dry.

0.2 They shall be free from living insects, moulds dead insects, insect fragments and rodent contamination visible to the naked eye (corrected if necessary for abnormal vision) with such magnification as may be necessary in any particular case.

0.3 They shall be free from rancidity, testa and obnoxious extraneous matter.

0.4 Cashew Kernels shall be filled in new clean, dry and leak-proof tin containers made out of 0.3150 mm (30 SWG). minimum tin sheet in accordance with the specified specifications The containers shall be securely closed and sealed in such a manner that the kernels remain in an inert atmospheric condition inside the container.

0.5 The tin shall then be packed in 5-ply corrugated cardboard cartons. The packing in containers other than cardboard cartons may be permitted as may be contracted for. The card board cartons or wooden cases used for packaging shall be in accordance with the notified specifications.

1. Grade designations, trade names and general characteristics etc. for different varieties shall be as follows.

(A) Cashew Kernels (Whole).

Grade-design ation	No. of kernels per lb.	General characteristics
1	2	3
W. 180	170/180	The kernels shall have the characteristic shape; shall be white, pale ivory or light ash in colour reasonably dry and free from insect damage, damaged Kernels and black or brown spots.
W. 210	200/210	
W. 240	220/240	
W. 280	260/280	
W. 320	300/320	
W. 450	400/450	

Tolerance : Broken kernels and kernels of the next lower grade, if any, shall not together exceed 5% by weight.

Grade designation	No. of kernels per lb.	General characteristics
SW	Scorched wholes	The kernels shall have the characteristic shape; shall be reasonably dry and free from insect damage; damaged kernels and blackspots. The kernels may be light brown, light ivory, light ash or deep ivory in colour due to scorching.
Grade SW may also be size-graded as follow.		
Size-grade designation	Count per lb.	
SW (Count 180)	170/180	
SW (Count 210)	200/210	
SW (Count 240)	220/240	
SW (Count 280)	260/280	-do- -do-
SW (Count 320)	300/320	
SW (Count 450)	400/450	

Tolerance : Broken kernels and kernels of the next lower grade if any, shall not exceed 5 per cent by weight.

(C) Scorched Second Cashew Kernels (Whole)

Grade designation	Trade Name	General Characteristics
SSW	Scorched Wholes Second	The kernels shall have the characteristic shape; be reasonable dry and free from insect damage. Slightly scorched kernels and kernels with slight speckling and discolouration permitted. The kernels may also be slightly immature. The kernels may be light brown, light blue or light ivory in colour due to scorching.

Tolerance : Broken kernels or kernels of the next lower grade, if any, shall not together exceed 5% by weight.

(D) Dessert Cashew Kernels (Whole)

Grade designation	Trade Name	General Characteristics
DW	Dessert Wholes	The kernels shall have the characteristic shape; be reasonably dry and free from insect damage. Scorched, discoloured, speckeld and shrivelled Kernels permitted. The kernels may show deep blackspots.

Tolerance : Broken kernels or kernels of the next lower grade if any shall not together exceed 5% by weight.

(E) Cashew Kernels (White Pieces)

Grade designation	Trade Name	Description	General characteristics
B	Butts	Kernels broken crosswise and naturally attached	The kernels shall be white, pale, ivory or light ash in colour, reasonably dry and free from insect damage, damaged kernels and blackspots.
S	Splits	Kernels split naturally lengthwise	-do-
LWP	Large White Pieces	Kernels broken into more than two pcs. and not passing through a 4.75 mm I.S. Sieve (4 mesh 16 SWG Sieve)	-do-
SWP	Small White Pieces	Broken kernels smaller than those described as LWP but not passing through a 2.80 mm I.S. sieve (6 mesh 20 SWG sieve).	-do-
BB	Baby Bits	Plumules and broken kernels smaller than those described as SWP but not passing through a 1.70 mm I.S. sieve (10 mesh 24 SWG sieve).	-do-

Tolerance : Kernels of the next lower grade or smaller pieces if any shall not exceed 5% by weight.

(F) Cashew Kernels (Scorched Pieces)

Grade designation	Trade Name	Description	General Characteristics
SB	Scorched Butts	Kernels broken crosswise and naturally attached	The kernels shall be reasonably dry and free from insect damage, damaged kernels, blackspots. The pieces may be light brown or deep ivory in colour due to scorching.
SS	Scorched Splits	Kernels split naturally lengthwise	-do-
SP	Scorched Pieces	Kernels broken into pieces and not passing through a 4.75 mm I.S. sieve (4-mesh 16 SWG sieve)	-do-
SSP	Scorched Small Pieces	Broken kernels smaller than those described as Sp but not passing through a 2.80 mm I.S. sieve (6 mesh 20 SWG sieve)	-do-

Tolerance : Kernels of the next lower grade or smaller pieces if any shall not together exceed 5% by weight.

(G) Cashew Kernels (Scorched pieces Second)

Grade designation	Trade Name	Description	General Characteristics
SPS	Scorched Pieces Second	Kernels broken into pieces but not passing through a 4-75 mm I.S. sieve (4-mesh 16 SWG sieve)	The kernels shall be resaonbly dry and free from insect damage. Scorched pieces with surface speckling and discollouration permitted. The kernels may be light brown, deep ivory or light to deep blue in colour. May be deformed due to immature nuts.

Tolerance : Kernels of the next lower grade or smaller pieces if any shall not together exceed 10% weight.

(H) Dessert Cashew Kernels (Pieces)

Grade designation	Trade Name	Description	General Characteristics
DB	Dessert Butts	Kernels broken crosswise and naturally attached	The kernels shall be reasonably dry and free from insect damage Scorched pieces with surfacespockling and discolouration permitted. The kernels may be light brown, deep ivory or light to deep blue in colour. May be deformed due to immature nute and may have spots. More shrivelled kernels than those described as SPS and deeply scorched kernels permitted.
DS	Dessert Splits	Kernels split naturally lengthwise	-do-
DP	Dessert Pieces	Kernels broken into pieces but not passing through a 4.75 mm I.S. sieve (4-mesh 16 SWG sieve).	-do-
DSP	Dessert	Kernels of the same description but smaller than DP and not passing through a 2.80 mm I.S. sieve (16 mesh 20 SWG sieve).	-do-

Tolerance : Kernels of the next lower grade or smaller pieces if any shall not together exceed 10% by weight.

B. Specifications for roasted and salted cashew kernels.

1. RAW MATERIAL

1.1 Cashew kernels, which shall include scorched, unscorched, whole or pieces, shall be used for roasting and salting.

1.2 They shall be completely free from insect infestations of any kind, fungal frowth, rancidity and the presence of testa.

2. PREPARATION

2.1 Roasted and salted cashew kernels shall be prepared by roasting the cashew kernels in any of the recognised cooking media and salting, or through dry roasting and salting process.

2.2 The cooking utensils used shall be of stainless steel.

2.3 The moisture content of the kernels before roasting shall not be more than 3.5 per cent.

3. PRODUCT REQUIREMENTS

3.1 The grade designations as stipulated in the contract between the buyer and the seller shall be allowed unless they make any misrepresentation of the facts.

3.2 The kernels, after the preparation through roasting and salting, a chemical analysis, shall be within the acceptance levels shown in Table I.

Table-I

Acceptance levels

Free Fatty Acid : 0.4% (as oleic acid) on the weight of extracted fat.

Peroxide value 2 meq. O_2/kg. of extracted fat.

3.3 Preservations and flavouring agent permitted under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

4. PACKING

4.1 The roasted and salted cashew kernels shall be packed in consumer containers of the size and other requirements as may be prescribed by the buyer.

4.2 The kernels may also be foil packed as required in the contract.

4.3 The containers shall be new, clean and free from rusting or any kind of damage.

4.4 Kernels shall be packed in the containers under vaccum or in the medium of inert gas.

4.5 The containers shall be packed in cardboard cartons or disinfected wooden cases accordance to the packaging requirements of the buyer.

4.6 Each carton or case shall be marked to show :—

(a) name of the product

(b) name of the manufacturer

(c) shipping marks

(d) net and gross weight in Kgs.

5. SEALING

5.1 Each consignment after packing shall be suitably sealed as may be prescribed by the Council.

CASHEW KERNELS

CODING

A code slip should be pasted on the bung of each tin. The code slip shall bear the grade designation of the product, year, month and date of processing. These would be supplied by the ency offices and the code stamp shall be affixed using indelible

ink in presence of the Agency officer. An illustration for marking the code slip in the abbreviated form is given below :

'8A01'

Where,
8—stands for the year of processing (here 1978)
A—month of processing (here January)
01—date of processing (here the first day of the month)

The following abbreviation shall be used for indicating the month of the year :

Month	Abbreviation
January	A
February	B
March	C
April	D
May	E
June	F
July	G
August	H
September	J
October	K
November	L
December	M

[No. 6(1)/77-EI&EP]

C.B. KUKRETI, Joint Director

नई दिल्ली, 7 जून, 1978

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

का०आ० 2070.— सर्वश्री तेल एवं प्राकृतिक गैस आयुक्त, तेल भवन, देहरादून का अनुमेय फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस संख्या आई/ए/1404298, दिनांक 21-9-74 प्रदान किया गया था । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयुक्त ने सूचना दी है कि लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और उसकी अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया है।

2. अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है, अधोहस्ताक्षरी सन्तुष्ट है कि लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता है कि लाइसेंस की उपयुक्त सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जाए ।

3. लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द कर दी गई है और उसकी एक अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही

[संख्या-एन०डी०/215/74-75/पीएलएस/बी/268]

उ० सि० रावत, उप-मुख्य नियंत्रक

कृते मुख्य-नियंत्रक

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 7th June, 1978

S.O. 2070.—M/s. Oil and Natural Gas Commission Tel Bhavan Dehradun was granted Licence No. I/A/1404298, dated 21st September, 1974 for the import of permissible spares parts. The ONGC has reported that the customs copy of the licence has been lost/misplaced and has requested to issue duplicate copy of the same.

2. In support of their contention the applicant has filled an affidavit, the undersigned is satisfied that the customs copy of the licence has been lost and directs that the duplicate copy of the said customs purpose copy of the licence be issued.

3. The original customs purpose copy of the licence has been cancelled, and a duplicate copy of the same is being issued separately.

[File No. ND/215/74-75/PLS/B/268],
U. S. RAWAT, Dy. Chief Controller
for Chief Controller.

(उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

(लौह एवं इस्पात)

रद्द करने के आदेश

फरीदाबाद 13 अक्टूबर, 1977

का०आ० 2071.—सर्वश्री आर्मी ब्रुश फैक्ट्री, 1/161, काश्मीरी गेट, दिल्ली-6 -6 को अंतिम उत्पाद सभी प्रकार के औद्योगिक तार ब्रुशों के लिए अप्रैल-मार्च 77 अवधि के लिए प्राइम टैम्पर्ड तथा हार्डिन्ड इस्पात के तार ब्रुशों के लिए 13,443 रुपये का आयात लाइसेंसस सं० पी/एस/8227320/सी/एक्सएक्स/62/जे/43-44 दिनांक 25-1-77 प्रदान किया गया था।

पार्टी ने यह सूचना दी है कि उपर्युक्त आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति बिना उपयोग किए खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है। इस संबंध में उन्होंने एक शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है। मैं संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है/अस्थानस्थ हो गई है तथा वह पूर्णतः रद्द की गई समझी जाए। उसकी एक अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है। उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि यदि मिल जाए तो मूल विनिमय प्रति इस कार्यालय को वापस कर दें।

[सं० एन० एस/ए-2/ए०एम-77/एक्स/ए०यू०डी०/279]

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports & Exports)

(Iron & Steel)

CANCELLATION ORDER

Faridabad, the 13th October, 1977

S.O. 2071.—M/s. Army Brush Factory, 1/161, Kashmiri Gate Delhi-6, were granted Import Licence No. P/S/8227320/C/XX/62/J/43-44 dated 25-1-1977 for Rs. 13,443 for the items Prime Tempered and Hardened Brush Steel Wire for the period AM-77 for the end-product all Type of Industrial Wire Brushes.

The party have informed that the Exchange Control Purpose copy of above Import Licence have been lost/misplaced without having been utilized at all. To this effect they have produced an affidavit. I am satisfied that the Exchange Control Purpose copy of Import Licence has been lost/misplaced and the same may be treated as cancelled for all purposes. A duplicate copy thereof is being issued separately. They are advised to return the original Exchange Control Purpose copy to this office if it is traced.

[No. NS/A-2/AM-77/X/AUD/279]

रद्द करने के आदेश

फरीदाबाद, 24 अक्टूबर 1977

का० आ० 2072.- सर्वश्री अल्लाबक्स एंड कम्पनी, जालोरी गेट, डाकघर के समीप, जोधपुर (राज०) की अन्तिम उत्पाद कृषि उपकरणों के लिए 5 मि० मी० से कम मोटाई की सीधी लंबाई में एम० एस० शीट कटिंग्स और डिफेक्टिव शीट्स जिनमें सभी लेपित शीट कटिंग्स और डिफेक्टिवज शामिल नहीं है, मदों के लिए अप्रैल-मार्च, 72 अवधि के लिए, 5000 रुपये

का आयात लाइसेंस सं० पी०/एस/8565954/सी/एक्सएक्स/43/जे/33/34 दिनांक 19-6-72 तथा 1,667 रुपये का आयात लाइसेंस सं० पी/एस/8565955/आर/एमएल/43/डी/33-34 दिनांक 19-6-72 प्रदान किए गए थे।

पार्टी ने यह सूचना दी है कि उपर्युक्त आयात लाइसेंसों की सीमा-शुल्क प्रति तथा मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति दोनों ही किसी भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कराये बिना ही खो गई हैं/अस्थानस्थ हो गई हैं। इस संबंध में उन्होंने एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। मैं संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंसों की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति तथा सीमा-शुल्क प्रति खो गई हैं/अस्थानस्थ हो गई हैं तथा इन्हें पूर्णतः रद्द किया गया समझा जाए। उन्हें परामर्श दिया जाता है कि यदि उन्हें उपर्युक्त लाइससों की मूल सीमा-शुल्क प्रति तथा मुद्रा-विनिमय नियंत्रण प्रति प्राप्त हो जाए तो वे उन्हें इस कार्यालय को लौटा दें।

[सं० पी/ए-14/एएम-72/एन०यू/ए०यू-राज/272]

एस० बालाकृष्णा पिल्ले, उप-मुख्य नियंत्रक

CANCELLATION ORDER

Faridabad, the 24th October, 1977

S.O. 2072.—M/s. Allabux & Co., Jalorigate, Near Post Office, Jodhpur (Raj) were granted Import Licence No. P/S/8565954/C/XX/43/D/33-34 dated 19-6-1972 for Rs. 5,000 and P/S/8565955/R/ML/43/D/33-34 dated 19-6-1972 for Rs. 1,667 for the item M. S. SHEET Cuttings and defective Sheets in Straight Length below 5 mm thick/ excluding all coated sheet cuttings and defectives, for the period AM-72 for the end product Agricultural Implements.

The party have informed that both the customs purpose copy and the exchange control purpose copy of above Import Licences have been lost/misplaced without having been registered with any customs authority. To this effect they have produced an affidavit. I am satisfied that the exchange control purpose copy and custom Purpose copy of Import Licences have been lost/misplaced and the same may be treated as cancelled for all purposes. They are advised to return the original/customs purpose copy and exchange control purpose copy of the above said import licence to this office if they are traced.

[No. P/A-14/AM-72/NU/AU-RAJ/272]

S. BALAKRISHNA PILLAI, Dy. Chief Controller

वाणिज्य एंव औद्योगिक विकास मंत्रालय

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 1978-06-28

का० आ० 2073.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अनुसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे अनुसूची में दिए गए हैं वे रद्द हो गए हैं अब उन्हें वापस माना जाए।

अनुसूची

क्रम सं०	भारतीय मानक की सं० और रद्द होने की तिथि	भारतीय मानक के राजपत्र में छपने की तिथि और एस० ओ० सं०	विवरण
1.	IS : 722 (भाग 4)—1966 ए सी बिजली के मीटर की विशिष्टि: भाग 4 तीन फेज वाट घंटा मीटर अधिकतम मांग सूचक वाले (पहला पुनरीक्षण)	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1967-04-15 में एस ओ 1325 दिनांक 1967-03-30 के अंतर्गत प्रकाशित	IS :8530—1977 अधिकतम मांग सूचक, श्रेणी 1 की विशिष्टि के प्रकाशन के फलस्वरूप रद्द

[सं० सी एम डी/13:7]

MINISTRY OF COMMEREC, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 1978-06-28

S.O. 2073.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standard(s), particulars of which is/are mentioned in the Schedule given hereafter, has/have been cancelled and stands withdrawn :

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Title of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
1	2	3	4
1.	IS : 722 (Part IV)—1966 Specification for ac electricity meters : Part IV Three-phase watthour meters with maximum demand indicators (*first revision*)	S.O. 1325 dated 1967-03-30 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1967-04-15.	Consequent upon the publication of IS : 8530-1977 Specification for maximum demand indicators, Class 1.

[No. CMD/13 : 7]

का० आ० 2074.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अनुसार अनुसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे अनुसूची में दिए गए हैं वे रद्द हो गए हैं अब उन्हें वापस माना जाए ।

अनुसूची

क्रम सं०	भारतीय मानक की सं० और रद्द होने की तिथि	भारतीय मानक के राजपत्र में छपने की तिथि एस०ओ०सं०	विवरण
1.	IS : 237–1951 सूती धागे का नंबर (या टेक्स प्रणाली में सूत का नंबर) मालूम करने की पद्धति	भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3 में एस आर ओ 658 दिनांक 1955-03-26 के अंतर्गत प्रकाशित	IS : 1315–1977 सूती प्रणाली पर कते धागे का रेखीय घनत्व (पहला पुनरीक्षण) प्रकाशित होने के फलस्वरूप रद्द ।
2.	IS : 239–1951 सूती धागे का लच्छी (ली) भेजक भार (सामर्थ्य) और उसके नंबर लच्छी सामर्थ्य का गुणनफल	–तदैव–	IS : 1671–1977 सूती प्रणाली पर कते धागे के सामर्थ्य आयाम (पहला पुनरीक्षण) प्रकाशित होने के फलस्वरूप रद्द ।

[सं. सी एम डी/13:7]

वाई० एस० वेंकटेश्वरन, अपर महानिदेशक

S.O. 2074.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulation 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standard(s), particulars of which is/are mentioned in the Schedule given hereafter, has/have been cancelled and stands withdrawn :

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Title of the Indian Standard cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was Notified	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 237—1951 Method for determination of cotton yarn count (or yarn melidity in tex).	S.R.O. 658 dated 1955-03-26 published in the Gazette of India, Part II, Section 3.	Consequent upon the publication of IS : 1315—1977 Linear density of yarns spun on cotton system (*first revision*).
2.	IS : 239—1951 Method for determination of lea breaking load (strength) of cotton yarn and its count lea-strength product.	-do-	Consequent upon the publication of IS : 1671-1977 yarn strength parameters of yarn spun on cotton system (*first revision*).

[No. CMD/13 : 7]

Y.S. VENKATESWARAN, Addl. Director General.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 23 जून, 1978

का०आ० 2075.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 1388 तारीख 18-4-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० एन०के०बी०जे० से एस०एन०ए० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	सर्वे नं०	हे०	एआरई	सेंटीआर
1	2	3	4	5
तेलावी	75	0	03	84
	121	0	10	20
	119	0	20	64
	90	0	07	20

1	2	3	4	5
	91	0	12	48
	95	0	07	20
	94	0	14	40
	96/2	0	14	40
	97	0	21	60
	102	0	07	92
	जिला : मेहसाना	तालुका : महसाना		
ईजपुरा	509/1/पी	0	07	80

[सं० 12016/1/77-प्रोडक्शन-I]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZER

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 23rd June, 1978

S.O. 2075.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, S.O. No. 1388, dated 18-4-77 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of secion 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Acquisition of ROU for laying Pipeline from Well No. NKBJ to SNA

State : Gujarat District: Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectre	Are	Centi-Are
Telavi	75	0	03	84
	121	0	10	20
	119	0	20	64
	90	0	07	20
	91	0	12	48
	95	0	07	20
	94	0	14	40
	96/2	0	14	40
	97	0	21	60
	102	0	07	92
	District— Mehsana	Taluka— Mehsana		
I J PURA	509/1/P	0	07	80

[No. 12016/1/77-Prod.-I]

364 GI/78—4

का०आ० 2076.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1389 तारीख 18-4-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं०—ग्रेस डी सी से ग्रेस बी ग्रेक्स

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाणा तालुका—मेहसाणा

गांव	ब्लाक नं०	हे०	आ०	सें०
जगुवण	51	0	13	20
पुनासन	346	0	07	20
	347	0	02	76
	348	0	11	40
	349	0	13	20

[सं० 12016/1/77-प्रोडक्शन-II]

S.O. 2076.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, S.O. No. 1389 dated 18-4-77 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of secion 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs

that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Acquisition of ROU for laying Pipeline from well no SDC to SBX

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hect.	Are	Centi-are
Jagudan	51	0	13	20
Punasan	346	0	07	20
	347	0	02	76
	348	0	11	40
	349	0	13	20

[No. 12016/1/77-Prod. II]

का०आ० 2077.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 3140 तारीख 27-9-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

रूप नं० के० ए० टी० से ए० के० ए० यू०

राज्य—गुजरात जिला—अहमदाबाद तालुका—विरमगाम

गांव	सर्वेक्षण नं०	हे०	एआरई	सेंटी-आर
सुजपुरा	90	0	08	28
बालसासन	385	0	16	00
	386	0	07	80
	387/2	0	12	22
	388/2	0	05	64
	371/1	0	06	84
	366/3	0	07	20

[सं० 12016/1/77-प्रोडक्शन-III]

S.O. 2077.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, S.O. No. 3140 dated 27-9-77 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of secion 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Acquisition of ROU for NKAT to NKAU.

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hect.	Are	Centi-are
Sujpura	90	0	08	28
Balsasan	385	0	16	00
	386	0	07	80
	387/2	0	12	22
	388/2	0	05	64
	371/1	0	06	84
	366/3	0	07	20

[No. 12016/1/77-Prod. III]

का०आ० 2078.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 3918 तारीख 21-11-77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० एस डी एफ से जी जी एस कम सीटीएफ सोभासन राज्य - गुजरात जिला-मेहसाणा तालुका-मेहसाणा

गांव	ब्लाक नं०	हे०	एआरई	सेन्टीआर
हेबुवा	88	0	00	84
	89	0	12	96
	94	0	13	56
पुनासन	117/A	0	11	88
	126	0	04	80
	127	0	12	24
	130	0	03	60

[सं० 12016/1/77 प्रोडक्शन-IV]

एस० एम० वाई० नदीम, अवर सचिव

S.O. 2078.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, S.O. No. 3918 dated 21-11-1977 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of secion 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Laying pipeline from well no. SDF to GGS-CUM-CTF Sobhasan State : Gujarat District & Taluka : Mehsana.

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-are
Hebuva	88	0	00	84
	89	0	12	96
	94	0	13	56
Punasan	117/A	0	11	88
	126	0	04	80
	127	0	12	24
	130	0	03	60

[No. 12016/1/77-Prod. IV]

S. M. Y. NADEEM, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जून, 1978

का०आ० 2079.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० डबका—1 से डबका जी० सी० एस० तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा—9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० डबका—1 से डबका जी० सी० एस० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात	जिला : बड़ौदा	तालुका : पादरा		
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
गवासद	1014/2	0	03	90
	1015	0	14	56
		0	03	25
	58	0	00	65
	56	0	23	40
	46/1	0	02	60
	45	0	06	50

[सं० 12016/2/78—प्रो०]

New Delhi, the 23rd June, 1978

S.O. 2079.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Well No. Dabka-1 to Dabka-GCS in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-9;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

RIGHT OF USER FOR FLOW LINE FROM WELL NO.

DABKA-A to DABKI—GCS

State : Gujrat District Baroda Taluka : Padra

Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centiare
GAVASAD	1014/2	0	03	90
	1015	0	14	56
		0	03	25
	58		00	65
	56	0	23	40
	46/1	0	02	60
	45	0	06	50

[No. 12016/2/78-Prod.]

का०आ० 2080.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उद्योग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 581 तारीख 25-2-1978 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

डबका जी सी एस से ए वी जी एस वाल्व प्लेट के फार्म में सरसावनी के गांव के पास तक पाइप लाइन बिछाने के लिए :—

राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : पादरा

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टर	ए आर ई सेंटीयर	
1	2	3	4	5
जलालपुरा	476	0	12	72
	475	0	05	04
	474	0	02	28
	473	0	03	84
	477	0	00	15
जलालपुरा (जारी)				
कार्ट-ट्रैक बी० नं० 473 तथा		0	02	28
489 के बीच	489	0	10	36
	488	0	00	20
	490	0	09	86
	493	0	06	60
	494	0	09	60
	496	0	10	92
कार्ट-ट्रैक बी० नं० 496 तथा		0	01	20
511 के बीच	511	0	05	40
	498	0	05	40
	499	0	03	12
	510	0	19	44
कार्ट-ट्रैक बी० नं० 510 तथा		0	01	80
11 के बीच	11	0	13	92
	64	0	01	92
	63	0	12	00
कार्ट-ट्रैक बी० नं० 63 तथा		0	00	60
62 के बीच	62	0	15	58
	90	0	00	50
	61	0	06	12
	60	0	07	80
	59	0	07	56
	134	0	02	28
	135	0	12	84
	133	0	05	88
कार्ट-ट्रैक बी० नं० 136 तथा		0	01	20
137 के बीच	137	0	08	16
	138	0	00	15
	139	0	15	12
	140	0	01	56
	160	0	03	36
	159	0	06	72
	158	0	08	16
	157	0	08	40
	156	0	15	24
कार्ट ट्रैक बी० नं० 154 तथा		0	01	20
153 के बीच	153	0	00	36
	152	0	06	60
कार्ट-ट्रैक जलालपुरा और		0	01	20
भोमा गांव की सीमा के	154	0	05	76
बीच	सर्वेक्षण नं०			
भोमा कार्ट-ट्रैक भोमा और		0	01	20
जलालपुर गांव की सीमा	699	0	10	80
के बीच	700	0	09	60
	701	0	10	32
	702/2	0	04	56
	702/1	0	04	68
	706	0	15	60
	688	0	11	52
	687	0	04	26

1	2	3	4	5
कार्ट-ट्रैक क्रम सं० 687 और		0	01	08
792 के बीच	792	0	01	92
	791/1	0	05	12
	795	0	09	60
	1503	0	03	60
	1504	0	01	56
भोभा रेलवे स्टेशन से भोभा		0	01	68
गांव के बीच सड़क	797	0	05	76
	780/1	0	11	16
	806/ए	0	08	40
	807	0	05	72
	774	0	02	36
	775	0	12	24
	773	0	04	32
केन्स क्र० सं० 773 और		0	02	28
818 के बीच				
कार्ट-ट्रैक क्र० सं० 812 और		0	00	40
813 के बीच	812	0	10	44
छोटा उदे पुर जम्बूसार रे०		0	02	64
	593	0	00	15
	596	0	00	84
	595	0	07	56
	594	0	12	00
	590	0	00	75
	589/2	0	13	17
कार्ट-ट्रैक क्र० सं० 589/2		0	00	72
और 499 के बीच	499	0	07	08
	500	0	11	04
	498	0	08	28
	505	0	01	50
	497	0	00	18
	495	0	08	28
	495	0	06	12
कार्ट-ट्रैक भोभा और गवासद		0	00	96
गांव की सीमा के बीच				
गवासद	627	0	15	60
	632	0	06	12
	633	0	05	40
	634	0	02	40
	635	0	13	20
	706/2	0	06	36
	क्रम सं० 706 और	0	01	56
	650 के मध्य			
	कार्ट-ट्रैक			
	650	0	10	68
	651	0	03	84
	652	0	05	64
	653	0	05	64
	655	0	02	04
	658/1	0	09	48
	665	0	16	32
गवासद (जारी)	664/2	0	02	76
	669/1	0	02	40
	669/2/बी	0	17	88
	क्र०सं० 669/2	0	00	96
	और 671 के			
	मध्य कार्ट-ट्रैक			
	671	0	04	56
	670	0	05	40
	683	0	21	36
	689	0	17	40
	688	0	07	72
	687/1	0	02	16
	687/2	0	02	88
	857	0	08	04
	क्रम संख्या 857	0	03	60
	और 997 के मध्य			
	कार्ट			
	997	0	00	96
	996/1/ए	0	01	08
	996/1/बी	0	01	56
	996/2	0	01	92
	996/3	0	04	00
	998/1	0	00	20
	999	0	07	32
	1000	0	08	08
	1001	0	00	20
	क्र० सं० 1000	0	02	16
	और 1033/2 के			
	मध्य कार्ट-ट्रैक			
	1033/2	0	05	76
	1032/2	0	03	60
	1031/3	0	01	92
	1031/2	0	01	56
	1030	0	01	20
	1026	0	02	88
	क्र०सं० 1026	0	01	80
	और 7 के मध्य	0	05	28
	कार्ट ट्रैक			
	क्रम सं० 7 और	0	00	96
	42 के मध्य			
	कार्ट ट्रैक			
	42	0	03	36
	43	0	06	00
	44	0	02	88
	45	0	14	64
	क्र०सं० 45 और	0	00	60
	108/1 के मध्य			
	कार्ट ट्रैक			
	108/1	0	05	88
	क्र०सं० 108/1	0	00	60
	और 106 के मध्य			
	कार्ट-ट्रैक			
	107	0	00	20
	106	0	08	16

1	2	3	4	5
पाडरा-जम्बूसार मार्ग		0	02	88
	104/2	0	07	08
	104/1	0	06	48
	111/2	0	05	76
	111/1	0	07	08

[सं० 12016/2/78-प्रो०]

S.O. 2080.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, S.O. No. 581 dated 25-2-1978 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipelines ;

And, further in exercise of, the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM DABKA GCS TO VALVE PLATFORM NEAR SARSAVANI.

State : Gujarat Dist : Baroda Taluka : Baroda

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
JALALPUR	476	0	12	72
	475	0	05	04
	472	0	02	28
	473	0	03	84
	477	0	00	15
	Cart-Track Between B.No. 473 and 489.	0	02	28
	489	0	10	36
	488	0	00	20
	490	0	09	86
	493	0	06	60
	494	0	09	60
	496	0	10	92
	Cart-Track Between B.No. 496 and 511.	0	01	20
	511	0	05	40
	498	0	05	40
	499	0	03	12
	510	0	19	44
	Cart-Track Between B.No. 510 and 11.	0	01	80
	11	0	13	92
	64	0	01	92
	63	0	12	00
	Cart Track Between B. No. 63 and 62.	0	00	60
	62	0	15	58
	90	0	00	50
	61	0	06	12
	60	0	07	80
	59	0	07	56
	134	0	02	28
	135	0	12	84
	136	0	05	88
	Cart-Track Between B. No. 136 and 137	0	01	20
	137	0	08	16
	138	0	00	15
	139	0	15	12
	140	0	01	56
	160	0	03	36
	159	0	06	72
	158	0	08	16
	157	0	08	40
	156	0	15	24
	Cart Track Between B. No. 154 and 153	0	0	20
	153	0	00	36
	152	0	06	60
	Cart-Track Between Boundary of Vill. Jalalpur and Mobha.			
	154	0	05	76
MOBHA	Cart-Track Between Boundary of Vill. Mobha and Jalalpur	0	01	20
	699	0	10	80
	700	0	09	60
	701	0	10	32
	702/2	0	04	56
	702/1	0	04	68
	706	0	15	60
	688	0	11	52
	687	0	04	26
	Cart-Track Between S. No. 687 & 792.	0	01	08
	792	0	01	92
	791/1	0	06	12
	795	0	09	60
	1503	0	01	56
	1504	0	01	68
	Road Between Mobha Rly. St. to Mohba Vill.	0	05	76

1	2	3	4	5
	797	0	06	00
	780/1	0	11	16
	806/A	0	08	40
	807	0	05	72
	774	0	02	36
	775	0	12	24
	773	0	04	32
	Kans Between S.No. 773 and 816.	0	02	28
	Cart-Track Between S. No. 812 and 816.	0	00	40
	812	0	10	44
	Chhotaudepur Jambusar Ray.	0	02	64
	593	0	00	15
	596	0	00	84
	595	0	07	56
	594	0	12	00
	590	0	00	75
	589/2	0	13	17
	Cart-Track Between S. No. 589/2 and 499.	0	00	72
	499	0	07	08
	500	0	11	00
	498	0	08	28
	505	0	01	50
	497	0	00	18
	096	0	08	28
	495	0	06	12
	Cart-Track Between Boundary of Vill. Mobha and Gvasad.	0	00	96
GAWASAD	627	0	15	60
	632	0	06	12
	633	0	05	40
	634	0	02	40
	635	0	13	20
	706/2	0	06	36
	Cart-Track Between S. No. 706 and 650.	0	01	56
	650	0	10	68
	651	0	03	84
	652	0	05	64
	653	0	05	64
	655	0	02	04
	658/1	0	09	48
	665	0	16	32
	664/2	0	02	76
	669/1	0	02	40
	669/2/B	0	17	88
	Cart-Track Between S. No. 669/2 and 671.	0	00	96
	671	0	04	56
	670	0	05	40
	683	0	21	36
	689	0	17	40
	688	0	07	72
	687/1	0	02	16
	687/2	0	02	88
	857	0	08	04
	Kans Between S.No. 857 & 997	0	03	60
	997	0	00	96
	996/1/A	0	01	08
	996/1/B	0	01	56
	996/2	0	01	92
	996/3	0	04	00
	998/1	0	00	20
	999	0	07	32
	1000	0	08	08
	1001	0	00	20
	Cart-Track Between S. No. 1000 and 1033/2.	0	02	16
	1033/2	0	05	76
	1032/2	0	03	60
	1031/3	0	01	92
	1031/2	0	01	56
	1030	0	10	20
	1026	0	02	88
	Cart-Track Between S. No. 1026 and 7.	0	01	80
	7	0	05	28
	Cart-Track Between S. No. 7 & 42.	0	00	96
	42	0	03	36
	43	0	06	00
	44	0	02	88
	45	0	14	64
	Cart-Track Between S. No. 45 108/1.	0	00	60
	108/1	0	05	88
	Cart-Track Between S. No. 108/1 and 106.	0	00	60
	107	0	00	20
	106	0	08	16
	Padra-Jambusar Road.	0	02	88
	104/2	0	07	08
	104/1	0	06	48
	111/2	0	05	76
	111/1	0	07	08

[No. 12016/2/76—Prod.]

का० आ० 2081:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 580 तारीख 25-2-1978 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को, निहित होगा।

अनुसूची

डहेजा जी०सी०एस० से ए०वी०जी०एल० वाल्व प्लेटफार्म सरसावनी गांव के पास तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात तालुका : पादरा जिला : बड़ौदा

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
1	2	3	4	5
सरसावनी	969	0	02	88
	968	0	08	88
	917	0	08	64
	966	0	03	84
	965	0	08	16
	1934	0	05	04
	963	0	07	08
	981	0	22	68
	982	0	00	10
	1925	0	01	00
	सर्वे नं०			
आमला	1240	0	02	72
	1241	0	04	80
	1239	0	11	40
	1238/2	0	08	88
	1238/1	0	06	48
	1237	0	02	76
	1219	0	06	24
	1218	0	05	52
	1173/6/2	0	09	24
	1173/6/1/ए	0	06	96
	1173/6/1/ए/पी (कार्ट-ट्रैक)	0	00	48
	1174/5	0	06	72
	1162/पी	0	04	20
	1162/पी	0	09	00
	1161	0	08	88
	1220	0	08	16
	1021/पी (रोड)	0	01	44
	1021	0	04	32
	1020/2	0	07	80
	कार्ट-ट्रैक	0	00	36
	1023	0	06	00
	1024	0	01	68
	कार्ट-ट्रैक	0	00	84
	1012	0	05	76
	980	0	07	44
	981	0	07	80
	975	0	08	04
	974	0	08	52
	473	0	14	04
	कार्ट-ट्रैक	0	02	88
	871/1	0	08	16
	869	0	10	44
	868	0	15	48
	कार्ट-ट्रैक	0	00	60
	878/1	0	06	36
	879/1	0	08	16
	880	0	12	48
	881	0	13	44
	सर्वे नं०			
साधी	452	0	06	84
	453	0	02	16
	रोड	0	03	84
	656	0	03	00
	655	0	09	36
	कार्ट-ट्रैक	0	03	48
	654/1	0	01	80
	654/3	0	00	90
	653/2	0	00	10
	646	0	06	60
	652	0	11	10
	648	0	09	30
	649	0	00	20
	640	0	07	76
	639	0	01	00
	635	0	06	48
	635/1	0	07	80
	ट्रेवर्स खराबा	0	06	12
	ट्रेवर्स खराबा	0	22	80
	499/1	0	13	80
	498	0	02	40
	1787/1	0	07	20
	1788/1	0	03	48
	1793/2	0	03	25
	1789	0	03	00
	1793/1	0	00	15
	1792	0	09	83
	1727/1	0	06	60
	1728	0	09	60
	कार्ट-ट्रैक	0	02	52
	1693/1	0	02	40
	1693/2	0	05	52
	1692/2	0	02	40
	1691/1	0	06	00
	1690	0	03	96
	1689/1	0	01	32

1	2	3	4	5
	1703	0	04	20
	1684/2/ए	0	05	64
	1683/3	0	08	16
	1683/2	0	06	96
	1683/1	0	13	92
	कार्ट-ट्रैक	0	00	72
	सर्वे नं०			
आंती	25/2	0	00	50
	25/1	0	13	66
	26	0	06	00
	28	0	06	84
	29	0	03	36
	30	0	03	36
	31	0	06	24
	कार्ट ट्रैक	0	02	04
	61/2	0	05	85
	61/1	0	01	95
	66(3)/डी	0	05	52
	66(2)/3/पी	0	01	32
	66(2)/3/पी	0	01	80
	66(2)/3/पी	0	01	80
	66/1	0	05	04
	67/1	0	08	90
	57/1/ए	0	00	10
	कार्ट-ट्रेक	0	01	44
	68	0	04	80
	कानस	0	04	20
	रोड	0	04	20
	452/2	0	01	80
	452/1	0	04	32
	450	0	04	80
	451/2	0	01	80
	451/1	0	02	40
	कार्ट-ट्रैक	0	00	60
	448/1	0	06	12
	446/2	0	05	16
	446/1	0	05	04
	445	0	07	80
	440	0	07	80
	442/1	0	08	40
	कार्ट-ट्रैक	0	01	20
	428/1	0	07	20
	कार्ट-ट्रैक	0	00	36
	427/2	0	07	80
	427/1	0	09	12
	कार्ट-ट्रैक	0	00	60
	419/2	0	09	12
	418/2	0	00	96
	कार्ट-ट्रैक	0	03	00
	343	0	07	20
	344	0	10	80
	कार्ट-ट्रैक	0	00	72
	408	0	13	92
	407	0	07	44
आंती—जारी	406	0	09	12
	357	0	13	60
	358	0	00	20
	355/1	0	12	72
	354	0	20	52
	369	0	05	52
	370/2	0	02	22
	370/1	0	00	90
	372	0	11	02
	371	0	09	72
	374/3	0	16	20
	ब्लाक नं०			
अम्बाड़ा	कानस]	0	00	72
	221	0	13	20
	कार्ट-ट्रैक]	0	03	48
	223	0	01	75
	222	0	13	44
	कार्ट-ट्रैक	0	01	20
	219	0	15	00
	217	0	18	12
	218	0	00	10
	कार्ट-ट्रैक	0	02	76
	164	0	18	48
	163	0	06	00
	162	0	09	12
	161	0	08	16
	रोड	0	02	16
	120	0	13	20
	109	0	18	48
	कार्ट-ट्रैक	0	00	72
	107	0	02	40
	106	0	03	60
	101/ए	0	23	16
	100	0	00	15
राजपुरा	156	0	05	76
	158	0	07	44
	159	0	03	48
	160	0	03	24
	161	0	06	00
	174	0	12	84
	175	0	07	44
	176	0	05	40

[सं० 12016/2/78-प्रो०-I]

[एस० एम० बाई० नदीम, अवर सचिव

S.O. 2081.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, S.O. No. 580 dated 25-2-1978 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM DABKA G.C.S. TO A.B.G.L. VALVE PLATFORM (NEAR SARSAVANI)

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Baroda

Village	Block No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
SARSAVANI	969	0	02	88
	968	0	08	88
	967	0	08	64
	966	0	03	84
	965	0	08	16
	1934	0	05	04
	963	0	07	08
	981	0	22	68
	982	0	00	10
	1925	0	01	00
	Survey No.			
AMLA	1240	0	02	72
	1241	0	04	80
	1239	0	11	40
	1238/2	0	08	88
	1238/1	0	06	48
	1237	0	02	76
	1219	0	06	24
	1218	0	05	52
	1173/6/2	0	09	24
	1173/6/1/A	0	06	96
	1173/6/1/A/P (Cart-track)	0	00	48
	1174/5	0	06	72
	1162/P	0	04	20
	1162/P	0	09	00
	1161	0	08	88
	1220	0	08	16
	1021/P (Road)	0	01	44
	1021	0	04	32
	1020/2	0	07	80
	Cart-track	0	00	36
	1023	0	06	00
	1024	0	01	68
	Cart-track	0	00	84
	1012	0	05	76
	980	0	07	44
	981	0	07	80
	975	0	08	04
	974	0	08	52
	973	0	14	04
	Survey No.			
	Cart-track	0	02	88
	871/1	0	08	16
	869	0	10	44
	868	0	15	48
	Cart-track	0	00	60
	878/1	0	06	36
	879/1	0	08	16
	880	0	12	48
	881	0	13	44
	Survey No.			
SADHI	452	0	06	84
	453	0	02	16
	Road	0	03	84
	656	0	03	00
	655	0	09	36
	Cart-track	0	03	48
	654/1	0	01	80
	654/2	0	00	90
	653/2	0	00	10
	646	0	06	60
	652	0	11	10
	648	0	09	30
	649	0	00	20
	640	0	07	76
	639	0	01	00
	635	0	06	48
	635/1	0	07	80
	Traverse Kharaba	0	06	12
	Traverse Kharaba	0	22	80
	499/1	0	13	80
	498	0	02	40
	1787/1	0	07	20
	1788/1	0	03	48
	1793/2	0	03	25
	1789	0	03	00
	1793/1	0	00	15
	1792	0	09	83
	1727/1	0	06	60
	1728	0	09	60
	Cart-track	0	02	52
	1693/1	0	02	40
	1693/2	0	05	52
	1692/2	0	02	40
	1691/1	0	06	00
	1690	0	03	96
	1689/2	0	01	32
	1703	0	04	20
	1684/2/A	0	05	64
	1683/3	0	08	16
	1683/2	0	06	96
	1683/1	0	13	92
	Cart-track	0	00	72
	Survey No.			
ANTI	25/2	0	00	50
	25/1	0	13	66
	26	0	06	00
	28	0	06	84
	29	0	03	36
	30	0	03	36
	31	0	06	24
	Cart-track	0	02	04
	61/2	0	05	85
	61/1	0	01	95
	66(3)/D	0	05	52
	66(2)/3/P	0	01	32
	66(2)/3/P	0	01	80

1	2	3	4	5
	Survey No.			
	66(2)3/P	0	01	80
	66/1	0	05	00
	67/1	0	08	30
	57/1/A	0	00	10
	Cart-track	0	01	44
	68	0	04	80
	Kans	0	04	20
	Road	0	04	20
	452/2	0	01	80
	452/1	0	04	32
	450	0	04	80
	451/2	0	01	80
	451/1	0	02	04
	Cart-track	0	00	60
	448/1	0	06	12
	446/2	0	05	16
	446/1	0	05	04
	445	0	07	80
	440	0	07	80
	442/1	0	08	40
	Cart-track	0	01	20
	428/1	0	07	20
	Cart-track	0	00	36
	427/2	0	07	80
	427/1	0	09	12
	Cart-track	0	00	60
	419/2	0	09	12
	418/2	0	00	96
	Cart-track	0	03	00
	343	0	07	20
	344	0	10	80
	Cart-track	0	00	72
	408	0	13	92
	407	0	07	44
	406	0	09	12
	357	0	13	60
	358	0	00	20
	355/1	0	12	72
	354	0	20	52
	369	0	05	52
	370/2	0	02	22
	370/1	0	00	90
	372	0	11	02
	371	0	09	72
	374/3	0	16	20
	Block No.			
AMBADA .	Kans	0	00	72
	221	0	13	20
	Cart-track	0	03	48
	223	0	01	75
	222	0	13	44
	Cart-track	0	01	20
	219	0	15	00
	217	0	18	12
	218	0	00	10
	Cart-track	0	02	76
	164	0	18	48
	163	0	06	00
	162	0	09	12
	161	0	08	16
	Road	0	02	16
	120	0	13	20
	109	0	18	48
	Cart-track	0	00	72
	107	0	02	40
	Block No.			
	106	0	03	60
	101/A	0	23	16
	100	0	00	15
	Block No.			
RAJUPURA	156	0	05	76
	158	0	07	44
	159	0	03	48
	160	0	03	24
	161	0	06	00
	174	0	12	84
	175	0	07	44
	176	0	05	40

[No. 12016/2/78-Prod. I]

S. M. Y. NADEEM, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 जून, 1978

का० आ० 2082.—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम 1966 (1966 का 51) की धारा 5 के खण्ड (ङ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व कर रहीं प्रोफेसर (श्रीमती) असिमा चटर्जी अध्यक्ष, रसायन विभाग, यूनिवर्सिटी कालेज आफ साइंसेज एण्ड टेकनोलाजी 92, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड, कलकत्ता-9 को डा० एस० एम० सरकार, जिन्हें पहले भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 30 जून 1977 की अधिसूचना संख्या वी० 17013/1/77 एम० ई० (पी०जी०) में मनोनीत किया गया था के स्थान पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ का सदस्य मनोनीत करती है।

[सं० वी० 17011/1/78 एम०ई० (पी०जी०)]

के० सी० कपूर, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 28th June, 1978

S.O. 2082.—In pursuance of clause (e) of section 5 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966), the Central Government hereby nominates Prof. (Mrs.) Asima Chatterji, Head of the Department of Chemistry, University College of Sciences and Technology, 92, Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta-9, representing the Indian Science Congress Association as a member of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh in the vacancy of Dr. S. M. Sircar who was nominated earlier *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. V. 17013/1/77-M.E. (PG), dated the 30th June, 1977.

[No. V. 17011/1/78-M.E. (PG)]

K. C. KAPOOR, Desk Officer

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1978

का० आ० 2083 यतः केन्द्रीय सरकार ने दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 6 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 3 के खंड (छ) के उपबंधों के अनुसरण में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के दन्त शल्य चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर तथा अध्यक्ष डा० एस० एस० सिद्ध को पहली जनवरी, 1979 से भारतीय दन्त परिषद् का सदस्य मनोनीत किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1978 की अधिसूचना सं० वी० 12013/1/77-एम० पी० टी (पी० एम० एस०) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना में धारा 3 के खण्ड (छ) के अधीन मनोनीत "शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 1 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"डा० एस० एस० सिद्धू,
दन्त शल्य चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली-110016"

[संख्या वी० 12025/18/77-पी०एम०एस०]

ह० स० धकालीया, अवर सचिव

New Delhi, the 1st July, 1978

S.O. 2083.—Whereas the Central Government have, in pursuance of the provisions of clause (f) of section 3 read with sub-section (4) of section 6 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948) nominated Dr. S. S. Sidhu, Associate Professor and Head of Department of Dental Surgery, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi-110016, to be a member of the Dental Council of India with effect from 1st January, 1978;

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health No. V. 12013/1/77-MPT (PMS), dated the 9th February, 1978, namely :—

In the said notification, under the heading "Nominated under clause (f) of section 3", for the entry against Serial No. 1, the following entry shall be substituted, namely :—

"Dr. S. S. Sidhu,
Associate Professor and Head of
Department of Dental Surgery,
All India Institute of Medical Sciences,
New Delhi-110016".

[No. V. 12025/18/77-PMS]

H. S. DHAKAALIA, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1978

शुद्धि-पत्र

का०आ० 2084.—दिनांक 21 जनवरी, 1978 के भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की दिनांक 22.12.1977 की अधिसूचना का० आ० 186 में—

पृष्ठ 148—अनुसूची I

1. रेखा डी आर जी संख्या आदि में "सभी अधिकार" शब्दों के नीचे "वी के जी" के स्थान पर
"बी के पी" पढ़ें

2. "कुल" कालम के नीचे
(i) ग्राम तेलगांव के सामने
74.222 के स्थान पर
74.202 पढ़ें

(ii) ग्राम भटगांव के सामने
98.000 के लिए
98.600 पढ़ें

3. "ग्राम तेल गांव में अर्जित किए जाने वाले प्लाट नम्बर" शीर्षक के नीचे—संख्याएं 207/3(पी) के बाद—
207/5 (पी) के स्थान पर
207/4 (पी) पढ़ें

"ग्राम भट गांव के अर्जित किए जाने वाले प्लाट नम्बर" शीर्षक के नीचे "1253 (पी), 1492 से 1995 तथा 1559 (पी) के स्थान पर क्रमशः 1263 (पी), 1492 से 1495" तथा 1556 (पी) पढ़ें।

पृष्ठ 149

5. "ग्राम कुरदा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट नम्बर" की पंक्ति में—
(1) कुरवा के स्थान पर
दुर्गा पढ़ें

(2) इस शीर्षक के नीचे
335 (पी) के स्थान पर
235 (पी) पढ़ें
"सीमा वर्णन" शीर्षक के नीचे—ब्लाक II
की रेखा क19—क20 में
"1375" के स्थान पर
1315 पढ़ें

पृष्ठ 150 : ब्लाक III

7. रेखा क-21—क-26 में
(i) "1959" के स्थान पर
"1259" पढ़ें

(ii) रेखा क35—क-36 में
1976 तथा 1252 के स्थान पर
क्रमशः 1276 तथा 1262 पढ़ें

पृष्ठ 151

8. रेखा क42—क-37 ब्लाक 4
"234" के स्थान पर
"237" पढ़ें

9. रेखा क-37—क-36 में
(i) 372 के स्थान पर
237 पढ़ें

(ii) रेखा क34—क-33 में
5/3 के स्थान पर
513 पढ़ें

अनुसूची II

10. "सरकारी भूमि" शीर्षक के नीचे—ग्राम तेलगांव के सामने
"58.220" के स्थान पर
"58.120" पढ़ें

पृष्ठ 152

11. "ग्राम तेलगांव में अर्जित किए जाने वाले प्लाट नम्बर" शीर्षक के नीचे—
"175 से 171, 341 (पी), 248/1, 284 से 396
तथा "515 से 432" के स्थान पर

क्रमशः "165 से 171", (पी), 384/1.384 से 396 तथा 515 से 532 पढ़ें।

12 : ग्राम भट गांव में अर्जित किए जाने वाले प्लाट नम्बर" शीर्षक से नीचे—

757/1, 830 (पी), 827/1, 828 से 834, 1036/2, 1052/1 से 1053/8, 1082 (पी), 1202/2, 1203/1, 1216, 1217/5 से 1215/14, 1405 और 1332 से 1434 के स्थान पर

क्रमशः 747/1, 823(पी), 927/1, 928 से 934, 1026/1, 1053/1 से 1053/8, 1092 (पी), 1201/2, 1203 से 1216, 1217/5 से 1217/14, 1305 तथा 1322 से 1434 पढ़ें।

13. "ग्राम दुग्दा में अर्जित किए जाने वाले प्लाट नम्बर" शीर्षक में—

(i) दुग्दा के स्थान पर
दुग्गा पढ़ें

(ii) उसी शीर्ष के नीचे

"से 226, 230 से 224, 248 (पी), 354/12, 513 से 419 के स्थान पर

क्रमशः "224 से 226, 239 से 244, 249 (पी), 364/2, 513 से 519 पढ़ें।

260/2 से पहले आनेवाले 260/1 और 596/6 (पी) तथा 636 के बीच में आनेवाले 596 को हटा दिया जाए

14. पृष्ठ 153 पर

"ग्राम बिसाही में अर्जित किए जाने वाले प्लाट नम्बर" शीर्ष के नीचे—

279/1 से 297/3 और से 536 के स्थान पर

क्रमशः 297/1 से 297/3 तथा 536 पढ़ें

15. सीमा वर्णन शीर्षक के नीचे—ब्लाक 4 पी ख 17-ख 13 में—

428 के स्थान पर
429 पढ़ें

16 पृष्ठ 154 पर

ब्लाक 4 की रेखा ख—41-ख 42 में

(i) 532 और 30/1 के स्थान पर
क्रमशः 523 और 301 /1 पढ़ें

(ii) प्लाट नम्बर 512 के बाद प्लाट नम्बर 511 जोड़ा जाए

पृष्ठ 154 पर
रेखा ख 48-ख 21 में
प्लाट नम्बर 483 और 482 के बीच में
प्लाट नम्बर 481 जोड़ा जाए

[संख्या 19(35)/77 सी० एल०]

एम० आर० ए० रिजवी, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Coal)

New Delhi, the 3rd July, 1978

CORRIGENDUM

S.O. 2084.—In the notification of Government of India, in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 186, dated the 22nd December, 1977, published at pages 155—160 of the Gazette of India, Part II Section 3, sub-section (ii), dated the 21st January, 1978,—

(1) at page 155,—

(a) in para 1 for "1638.75 hectares" read "1638.95 hectares";

(b) for "Schedule 'A' " read "Schedule 'I' ";

(c) in Schedule portion (i) under heading "Plot numbers to be acquired in village Telgaon" for "464(P)" read "564(P)";

(ii) under heading "Plot numbers to be acquired in village Bhatgaon" for "1565" read 1665";

(2) at page 156 under the heading "boundary description", in Block II, in line A23-A24 for "209/3, and meets at point A24" read "209/3, 213 and meets at point A24";

(3) at page 157 under Block III, in line A37-A38 for "231" read "331";

(4) at page 159, in Schedule II,—

(a) in Schedule II, after North Bisrampur Coalfields (Madhya Pradesh) for "Drawing No. WCL/PLG/BKP/Bhatgaon/Land/1-77 dated 12-7-1776" read "Drawing No. WCL/PLG/BKP/Bhatgaon/Land/1-77 dated 12-7-1976".

(b) under the heading "Plot numbers to be acquired in village Bhatgaon"—

(i) for "1054 to 1097" read "1059 to 1074";

(ii) for "1207(P)" read "1307(P)";

(5) at page 159,—

(a) under the heading "Plot numbers to be acquired in village Dugga,—

(i) for "538,1" read "538/1";

(ii) for "588|1, read '588|1(P)";

(b) under the heading "Plot numbers to be acquired in village Kapsara for "257(P), 257(P)" read "257(P)";

(6) at page 160 under the heading "Boundary description in Block VI,—

(a) in line B-42-B43, for "9/8" read "9, 8";

(b) in line B43-B44 for "243, 244, 242", read "243, 242".

[No. 19(35)/77-CL].

S. R. A. RIZVI, Director.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 1978

का० आ० 2085:—भूतपूर्व राजस्व तथा कृषि विभाग की 25 जुलाई, 1900 की अधिसूचना संख्या 1616 एफ के साथ प्रकाशित नियमावली के नियम 3 की धारा (क) तथा उसके साथ पठित नियम 4, जिसमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है, के अनुसरण में भारत सरकार सन्त हरचन्द सिंह भूतपूर्व विधायक ग्राम लोंगोवाल, जिला संगरूर (पंजाब) को तत्काल से भारतीय लोक अकाल न्यास के प्रबन्ध मंडल में श्री राम लखन, भूतपूर्व विधायक, 86 मेलूपुरा वाराणसी के स्थान पर मंडल का सदस्य नियुक्त करती है।

[संख्या 15-2/78-एस० आर०]

नगेन्द्र सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 29th June, 1978

S.O. 2085.—In accordance with clause (a) of Rule 3 of the Rules published with the late Department of Revenue & Agriculture Notification No. 16160F dated the 25th July, 1900 read with Rule 4 thereof as amended from time to time, the Government of India are pleased to appoint Sant Harchand Singh, Ex. MLA, village Longowal, District Sangroor (Punjab) as member of the Board of Management, Indian People Famine Trust with immediate effect vice Shri Ram Lakhan, Ex. MLA, 86 Bhelupura, Varanasi.

[No. 15-2/78-SR]

NAGINDER SINGH, Dy. Secy.

(ग्राम विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 1978

का०आ० 2086.—बकरे-बकरी की खाल के श्रेणीकरण और चिन्ह नियम, 1978 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्ह) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और खाल श्रेणीकरण और चिन्ह नियम, 1937 को अधिक्रांत करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है जिनका उनके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है तथा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाए, जनता को उपलब्ध कराई जाएं।

किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उक्त प्रारूप के संबंध में प्राप्त होने वाले किसी भी आक्षेप अथवा सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

बकरे-बकरी की खाल के श्रेणीकरण और चिन्ह नियम, 1978

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बकरे-बकरी की खाल के श्रेणीकरण और चिन्ह नियम, 1978 है।

(2) ये भारत में उत्पादित सूखी और आर्द्र लवणित बकरे-बकरी की खाल को लागू होंगे :

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में—

(1) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत और इसके अन्तर्गत उसके अधीनस्थ ऐसा अधिकारी भी है जिसे इन नियमों के अधीन कृषि विपणन सलाहकार द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएं।

(2) "अमृतसर वाली" से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत है :—

आकार—नियमित और फैला हुआ :

बाल मोटे एवं लम्बाई में छोटे से लेकर मध्यम तक

पदार्थ—अच्छा एवं पतला,

दाने—मोटे,

क्षेत्रफल, 4,877 वर्ग से०मी० (5-1/4 वर्ग फुट),

क्वालिटी—30 प्रतिशत प्रथम वाली, 40 प्रतिशत द्वितीय वाली और 30 प्रतिशत तृतीय वाली (अस्वीकृतियां);

(3) "सर्वोत्तम पटनावाली" से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :

आकार—नियमित और फैला हुआ,

बाल—उत्तम से लेकर थोड़े मोटे तक,

पदार्थ—साधारण से लेकर अच्छा तक,

वजन—प्रति 500 नग का 204 से लेकर 215 कि०ग्रा० (450 से 475 पौंड);

क्षेत्रफल—3484 से लेकर 3716 वर्ग से० मी० (3-1/4 से 4 वर्गफुट) तक क्वालिटी—40 प्रतिशत प्रथम वाली, 40 प्रतिशत द्वितीय वाली और 20 प्रतिशत तृतीय वाली (अस्वीकृत माल)—सूखी लवणित;

(4) "कलकत्ता—अधित वाली" से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—

बाल—उत्तम से मोटे तक ;

पदार्थ—बहुत अच्छा;

क्षेत्रफल—4,181 वर्ग से०मी० (4½ वर्ग फुट), क्वालिटी—50 प्रतिशत प्रथम वाली, 40 प्रतिशत द्वितीय वाली और 10 प्रतिशत तृतीय वाली—आर्द्र लवणित ;

(5) "दक्षिण —बम्बई मध्य प्रदेश, वाली" "निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत है :—

आकार—बहुत कुछ आयताकार;

बाल—छोटे, नरम और चमकदार,

दाने—मध्यम से लेकर मोटे तक;

पदार्थ—काफी भरा हुआ, क्षेत्रफल 1,645 वर्ग से० मी० (5 वर्ग फुट);

क्वालिटी—30 प्रतिशत प्रथम वाली, 40 से 50 प्रतिशत तक, द्वितीय और 20 प्रतिशत तृतीय वाली;

(6) "दक्षिण—मद्रास वाली" से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत है :—

आकार—"कार्कानाडा वाली" की अपेक्षा आकार रहित अधिक लम्बा पैटर्न;

बाल—मध्यम;

पदार्थ—अच्छा;

क्षेत्रफल—4,877 वर्ग से० मी० (5¼ वर्ग फुट);

(7) "दिनाजपुर वाली"—से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—

आकार—अनियमित; कोणीय से लेकर फैला हुआ तक; किनारे अधिक खींचे हुए; भारतीय ढाका वाली से अधिक गन्दा।

बाल—उत्तम से लेकर मध्यम तक;

पदार्थ—मध्यम से लेकर अच्छा तक;

वजन—प्रति 500 नग का 204 से लेकर 215 कि०ग्रा० (450 से 475 पौंड) तक;

क्षेत्रफल 3,716 वर्ग से० मी० (4 वर्ग फुट) ;

क्वालिटी—45 प्रतिशत प्रथम वाली, 40 प्रतिशत द्वितीय वाली और 15 प्रतिशत तृतीय वाली (अस्वीकृत माल) सूखी लवणित;

(8) "हिन्दीगुल वाली"—से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
आकार— सम प्रकार का;
बाल—छोटे, बहुत अधिक काले;
पदार्थ—साधारण; दाने—उत्तम ;
क्षेत्रफल—4,181 वर्ग से० मी० ($1\frac{3}{4}$ वर्ग फुट);

(9) "बकरे—बकरी की खाल"—ये बकरे बकरी अथवा मैमने की, उनके वध के पश्चात्, निकाली गई खाल अभिप्रेत है ;

(10) "गुजरात किस्म"—से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
आकार—चौड़ाई की अपेक्षा लम्बाई में अधिक फैला हुआ;
बाल—मोटे एवं लम्बाई में छोटे से लेकर लम्बे तक ;
दाने—मध्यम से लेकर मोटे तक ;
पदार्थ—काफी भरा हुआ ;
क्षेत्रफल—4,877 वर्ग से० मी० ($5\frac{1}{4}$ वर्ग फुट);
क्वालिटी—80 प्रतिशत और वाली और द्वितीय वाली मिलाजुलाकर 20 प्रतिशत तृतीय वाली ;

(11) "भारतीय ढाका वाली"—से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
आकार—प्रायः लम्बा;
बाल—उत्तम ;
पदार्थ—अच्छा;
वजन—प्रति 500 नग 215 से लेकर 227 कि०ग्रा० (475 से 500 पौंड) तक;
क्षेत्रफल 3,716 से लेकर 4181 वर्ग सें०मी० (4 से लेकर $4\frac{1}{2}$ वर्ग फुट) तक;
क्वालिटी—40 प्रतिशत प्रथम वाली, 40 प्रतिशत द्वितीय वाली और 10 प्रतिशत तृतीय वाली (अस्वीकृत माल) सूखी लवणित;

(12) "भारतीय खुशियों वाली" से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
बाल—उत्तम एवं नरम ;
पदार्थ—बहुत अच्छा;
क्षेत्रफल—4,181 वर्ग से० मी० ($4\frac{1}{2}$ वर्ग फुट);
क्वालिटी—50 प्रतिशत प्रथम वाली,
40 प्रतिशत द्वितीय वाली और 10 प्रतिशत तृतीय वाली (अस्वीकृत माल). आर्द्र लवणित;

(13) "काकीनाडा" से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
आकार—लम्बा प्रकार
बाल—मध्यम;
दाने—उत्तम ;
पदार्थ—अच्छा;
क्षेत्रफल—4,877 सें०मी० ($5\frac{1}{4}$ वर्ग फुट);

(14) "लम्बाई—से वह माप अभिप्रेत है जो खाल को लम्बाई में समतलित कर और सपाट बिछाकर तथा पूंछ के मूल से उस बिन्दु तक, जहां गले का सामने वाला भाग सबसे अधिक चौड़ा हो, मापने के पश्चात् प्राप्त होती है ;

(15) "लखनऊ कानपुर वाली" से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
आकार—नियमित, औसत गर्दनों के साथ वर्गाकार;
बाल—उत्तम लम्बाई में मध्यम से लेकर छोटे तक;
पदार्थ—अच्छा; दाने—मध्यम से लेकर उत्तम तक;
क्षेत्रफल—4,181 वर्ग से० मी० ($4\frac{1}{2}$ वर्ग फुट) ;
क्वालिटी—35 प्रतिशत प्रथम वाली, 35 प्रतिशत द्वितीय वाली और 30 प्रतिशत तृतीय वाली (अस्वीकृत माल);

(16) "मद्रास जिले वाली" से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
आकार—वर्गाकार प्रकार;
बाल—मध्यम;
पदार्थ—मध्यम से लेकर अच्छा तक;
दाने—उत्तम;
क्षेत्रफल—4,645 वर्ग सें०मी० (5 वर्ग फुट);

(17) "मालाबार वाली" से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
आकार—वर्गाकार प्रकार और छोटी माप ;
दाने—उत्तम;
पदार्थ—अच्छा;
क्षेत्रफल—3,716 वर्ग सें०मी० (4 वर्ग फुट);

(18) "माल्दा वाली" से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
आकार—अनियमित, कोणीय से लेकर फैला हुआ तक, किनारों पर अधिक खिचा हुआ; भारतीय ढाका वाली से अधिक गंदा।
बाल—उत्तम से लेकर मध्यम तक;
पदार्थ—मध्यम से लेकर अच्छा तक;
वजन—प्रति 500 नग 204 से लेकर 115 कि० ग्रा० (450 से लेकर 475 पौंड) तक;

(19) "खाज या खुर्ज" से ऐसा नुकसान अभिप्रेत है जो चर्म रोग कारक और सामान्यतः खारिश के नाम से ज्ञात किसी परजीवी द्वारा खाल में कारित होता है;

(20) "मुजफरपुर पटना वाली" से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
आकार—नियमित, फैला हुआ;
बाल—उत्तम;
पदार्थ—अच्छा;
क्षेत्रफल—3,484 से लेकर 3,716 वर्ग सें० मी० (3 से 4 वर्ग फुट) तक ;
क्वालिटी—40 प्रतिशत प्रथम वाली, 40 प्रतिशत द्वितीय वाली और 20 प्रतिशत तृतीय वाली (अस्वीकृत माल) सूखी लवणित;

(21) "मुजफरपुर वाली" —से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
आकार—नियमित, फैला हुआ;
बाल—उत्तम और नरम;
पदार्थ—अच्छे से लेकर मध्यम तक;
वजन—प्रति 500 नग 181 से लेकर 204 कि०ग्रा० (400 से 450 पौण्ड) तक ;
क्षेत्रफल— 3,716 वर्ग सें०मी० (4 वर्ग फुट);
क्वालिटी—45 प्रतिशत प्रथम वाली, 40 प्रतिशत द्वितीय वाली और 15 प्रतिशत तृतीय वाली (अस्वीकृत माल) ;

(22) "पटना वाली"—से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
आकार—नियमित, फैला हुआ;
बाल—मोटे;
पदार्थ—मध्यम से लेकर पतला तक ;
वजन—प्रति 500 नग 193 से लेकर 204 कि०ग्रा० (425 से लेकर 450 पौंड) तक;
क्वालिटी—30 प्रतिशत प्रथम वाली, 45 प्रतिशत द्वितीय वाली और 25 प्रतिशत तृतीय वाली (अस्वीकृत माल) सूखी लवणित;

(23) "पूरब वाली" से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
आकार—लम्बी गर्दन के साथ लम्बा और पेट पर संकरा;
बाल—उत्तम, लम्बाई से मध्यम से लेकर छोटे तक ;
पदार्थ—औसत ;
क्षेत्रफल—लगभग 3,167 वर्ग सें०मी० (4 वर्ग फुट);
क्वालिटी—40 प्रतिशत प्रथम वाली, 35 प्रतिशत द्वितीय वाली, और 25 प्रतिशत तृतीय वाली (अस्वीकृत माल) ;

(24) "अनुसूची" से इन नियमों के संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है :—

(25) "शोलापुरवाली" से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
आकार—आयाताकार;
बाल—छोटे नरम और चमकदार;
दाने—मध्यम से लेकर मोटे तक ;
पदार्थ—बहुत भरा हुआ;
क्षेत्रफल—4,645 वर्ग सें०मी० (5 वर्ग फुट) ;
क्वालिटी—30 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक प्रथम वाली; 40 से 50 प्रतिशत तक द्वितीय वाली और 20 प्रतिशत तृतीय वाली।

(26) "विशेष डिन्डीगुल वाली"—से निम्नलिखित विवरण की खालें अभिप्रेत हैं :—
आकार - सम प्रकार;
बाल—छोटे, बहुत अधिक काले,
पदार्थ—अच्छा;
दाने—उत्तम ;
क्षेत्रफल—4,181 वर्ग सें०मी० (4½ वर्ग फुट) ;

(27) "वार्बल" से वह नुकसान अभिप्रेत है जो हाईपोडर्मा काउई जाति की वार्बल मक्खी के लार्वे द्वारा खाल में छेद करने से कारित होता है।

(28) "चौड़ाई" से वह माप अभिप्रेत है जो खाल की लम्बाई में समकलित कर और बिछाकर तथा बलन के पेट से किनारे पर आगे और पीछे के पैरों के मध्य बिन्दु तक सम कोणों पर मापने से प्राप्त होती है।

नोट—पूर्वोक्त खण्डों में छोटे, मध्यम और लम्बे बाल के प्रति निर्देश से निम्नलिखित मापों के बाल अभिप्रेत है :—

स्पष्टीकरण—1—छोटे बाल—2.54 सें०मी० (1") ;
मध्यम बाल—2.54 सें०मी० से लेकर 5.7 सें०मी० (1" से 2¼") तक।
लम्बे बाल—5.8 से०मी० से अधिक (2¼" से अधिक)।

स्पष्टीकरण 2—उपर्युक्त परिभाषाओं में दर्शाए गये क्वालिटी और क्षेत्रफल केवल पहिचान के लिए है तथा पैकिंग के लिये लागू नहीं होंगे और अनुसूची 2 से 18 तक के उपबन्धों के अधीन होंगे।

3—श्रेणी अभिधान—चिन्ह—श्रेणी अभिधान—चिन्ह "एगमार्क" शब्द के साथ भारत के मानचित्र की रूपरेखा का एवं (Produce of India) (भारतीय उत्पाद) शब्दों के साथ उगते हुए सूर्य का चित्र होगा, जैसा कि अनुसूची में दिखाया गया है।

4—क्वालिटी की परिभाषा—विभिन्न श्रेणी अभिधानों द्वारा दर्शायी गई बकरे/बकरी की खाल की क्वालिटी ऐसी होगी जैसी 2 से लेकर 18 तक कि अनुसूचियों के भाग 1 के स्तम्भ (2) से लेकर (7) तक में ऐसे अभिधानों के सामने और उक्त अनुसूचियों के अन्तर्गत आने वाली वाणिज्यिक क्वालिटी के अनुसार उपवर्णित की गई हो।

5—श्रेणी अभिधान—बकरे-बकरी की खाल की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची 2 से लेकर 18 तक के भाग 1 के स्तम्भ 1 में उपवर्णित अभिधानों के अनुसार होंगे।

6. चिन्हन की पद्धति—श्रेणी अभिधान चिन्ह का लेबल खाल के प्रत्येक पैकेज में कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से मजबूती के साथ लगाया जायेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट रूप से दर्शित की जायेंगी :—

1—पैक किए जाने का स्थान
2—क्वालिटी
3—श्रेणी
4—खालों की संख्या
5—पैक किए जाने की तारीख
6—निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
7—प्राधिकरण प्रमाणपत्र की विशेष शर्तें —

सामान्य श्रेणीकरण और चिन्हन नियम, 1937 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, इन नियमों के प्रयोजन के लिये जारी किए गए प्रत्येक प्राधिकरण प्रमाणपत्र के लिये निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :—

(क) प्राधिकृत पैकर के परिसर साफ सुथरे होंगे और उनमें बकरे-बकरी की खाल के शासकीय निरीक्षण एवं चिन्हन के लिए पर्याप्त स्थान एवं सुविधा की व्यवस्था होगी।

(ख) पैकिंग से पहले और इसके बाद बकरे-बकरी की खाल की प्रतिचयन पद्धति, जांच, चिन्ह और निरीक्षण के बारे में और उनके अभिलेख रखने के सम्बन्ध में, समय-समय पर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा जारी किए गए समस्त अनुदेशों का सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

अनुसूची 1

(नियम 3 देखिए)

बकरे-बकरी की खालों के पैकजों में प्रयुक्त श्रेणी अभिधान चिन्ह

"एगमार्क"
शब्द के साथ
भारत के मानचित्र की रूपरेखा एवं
Produce of India (भारतीय उत्पाद)
शब्दों के साथ उगते हुए सूर्य का चित्र।

पैकिंग का स्थान———
क्वालिटी———
श्रेणी———
खालों की संख्या———
पैकिंग की तारीख———

(निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर)

अनुसूची 2

(नियम 4 और 5 देखिए)

I. "कलकत्ता-वधित खाली" नाम से प्रख्यात कलकत्ता-वधित बकरे-बकरी की खाल (क० ब० ब० खा०) के श्रेणी अभिधान एवं क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी पदार्थ		सहायता					साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाज अथवा खर्जु और अन्य चर्मरोग कि चिह्न	बाह्य क्षतियों से हुए नुकसान चिह्न	स्फोट और खुले हुए वार्बल छिद्र (पोखरा छिद्र)	खाल उतारने के कटाव एवं चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अच्छा (साइज के अनुरूप)	अनुज्ञात नहीं	अनुज्ञात नहीं	अनुज्ञात नहीं	किनारे से 51 मि० मी० के भीतर लम्बाई में कुल मिलाकर 51 मि० मी० की माप तक के दो कटाव या छिद्रों के सिवाय, अनुज्ञात नहीं।	छापे का कोई चिह्न न हो। रक्त, धूल और अन्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हो। सिर और खुर निकाले गए हों। तापन और बाल झड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं। प्रतिभारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं।	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित।	प्रायः सभी आकार एवं छटाव (क्वालिटियों) का माल पृथक-पृथक पैक किया जाता है किन्तु यदि उसे एक साथ ही पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिए।
2.	साधारण रूप से अच्छा (साइज) से बड़ा बुल अनुज्ञात नहीं)	खाज, खर्जु अथवा अन्य रोग चिह्न से प्रभावित 26 वर्ग सें० मी० से अनधिक अनुज्ञात।	कुल 26 वर्ग सें० मी० से अनधिक अनुज्ञात	पूरी खाल पर फैले हुए 4 से या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात। खाल के अन्य भागों में खाल की मोटाई से आधे तक खाल उतारने से हुए चिह्न केवल 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई अनुज्ञात।	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
3.	सह्य पदार्थ सहित पतली खाल अनुज्ञात	कुल मिला कर 39 वर्ग सें०मी०से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	कुल मिला कर 39 वर्ग सें०मी०से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	पूरी खाल पर बिखरे हुए 10 से अनधिक खुले हुए छिद्र या किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित 15 छिद्रों तक अनुज्ञात।	ऐसे कटाव और छिद्र अनुज्ञात जिन से खाल के प्रतिशत से अधिक को नुकसान न होता हो।	यदि छापे के चिह्न किनारे से 102 मि० मी० के भीतर न हो तो वे अनुज्ञात नहीं। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हो। सिर और खुर निकाले गये हों। तापन के कोई दृश्यमान निशान न हो। मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं। कुछ झड़े बाल अनुज्ञात।	—यथोक्त—	—यथोक्त—

II. छटाव प्रतिशत :

1	2	3
जैसा कि पैकिंग विनिर्देशों में उपदर्शित और गांठों पर चिह्नित किया गया हो।		

1	2	3	4	5	6	7	8	9

III. मानक न्यूनतम माप, सेंटीमीटरों में (लम्बाई × चौड़ाई)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
100 × 45	90 × 40	80 × 35	70 × 30	आर्द्र लवणित खालों के लिये ।
81 × 45	74 × 40	67 × 35	60 × 30	सूखी लवणीकृत खालों के लिये ।

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार ।

IV. पैकिंग की मानक पद्धति :

(किसी परेषण में अन्तर्वस्तुओं का प्रतिशत)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
5	25	50	20	100

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार ।

टिप्पण :—(1) 70 सें० मी० से कम लम्बी माप वाली खालें मेमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जायेंगी और पृथक-पृथक पैक की जायेंगी।

(2) विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल के लक्षणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जायेंगी।

अनुसूची 3

(नियम 4 और 5 देखिए)

1. "भारतीय बुशितयों वाली" के नाम से ज्ञात भारतीय बुशितय बकरे-बकरी की खाल (भा० बु० ब० खा०) के श्रेणी अभिज्ञान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी	पदार्थ	साध्यता					साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाज अथवा खर्जु और अन्य चर्मरोग के चिह्न	बाह्य क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फोट और खुले हुए बार्बल छिद्र (पोखा छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अच्छा (साइज के अनुरूप)		अनुज्ञात नहीं	अनुज्ञात नहीं	अनुज्ञात नहीं	किनारे से कुल 51 मि०मी० के भीतर लम्बाई में कुल मिला कर 51 मि०मी० की माप के दो कटावों या छिद्रों के सिवाय अनुज्ञात नहीं ।	छापे का कोई चिह्न न हो। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हो । सिर और खुर निकाले गये हों । तापन और बाल झड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं। अति भारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं ।	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधन या परिरक्षित ।	प्रायः सभी आकार एवं छटाव (क्वालिटियों) का माल पृथक-पृथक पैक किया जाता पैक है किन्तु यदि उसे एक साथ ही किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपवर्णित की जानी चाहिये ।
2. साधारण रूप से अच्छा (साइज से बड़ा बुल अनुज्ञात नहीं)		खाज, खर्जु अथवा अन्य रोग चिह्न से प्रभावित 26 वर्ग सें० मी० से अनधिक अनुज्ञात ।	कुल 26 वर्ग सें०मी० से अनधिक अनुज्ञात ।	दूरी खाल पर फैले हुए 4 से या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि०मी० की संयुक्त लम्बाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात । खाल के अन्य भागों में खाल की मोटाई से आधे तक खाल उतारने से हुए चिह्न केवल 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई अनुज्ञात ।	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	सख्त पदार्थ सहित पतली खाल अनुज्ञात।	कुल मिला कर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	कुल मिला कर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	पूरी खाल पर बिखरे हुए 10 खुले हुए छिद्र या किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित 15 छिद्रों से अनधिक अनुज्ञात।	ऐसे कटाव और छिद्र अनुज्ञात जिससे खाल के 50 प्रतिशत से अधिक को नुकसान न होता हो	यदि छापे के चिह्न किनारे से 102 मि० मी० के भीतर न हों तो वे अनुज्ञात नहीं। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्ति-युक्त रूप से मुक्त हो। सिर और खुर निकाले गये हों। तापन के कोई दृश्यमान निशान न हों। मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं। कुछ झड़े बाल अनुज्ञात।	—यथोक्त—	—यथोक्त—

II. छटाव प्रतिशत

1	2	3

जैसा कि पैकिंग विनिर्देशों में उपदर्शित और गांठों पर चिह्नित किया गया हो।

III. मानक न्यूनतम माप, सेन्टीमीटरों में (लम्बाई × चौड़ाई)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
100×45	90×40	80×35	70×30	आर्द्र लवणीकृत खालों के लिये।
81×45	74×40	67×35	60×30	सूखी लवणीकृत खालों के लिये।

या क्रेता और विक्रेता के बीच के संविदा के अनुसार।

IV. पैकिंग की मानक पद्धति

(किसी परेषण में अन्तर्वस्तुओं का प्रतिशत)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
5	25	50	20	100

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार

टिप्पण :—(1) 70 सें० मी० से कम लम्बी माप वाली खालें मेमने खालों के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

(2) विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल के लक्षणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

अनुसूची 4

(नियम 4 और 5 देखिए)

"भारतीय ढाका खालों" के नाम से ज्ञात भारतीय ढाका (भा० ढा० ब० खा०) बकरे-बकरी की खाल के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी		पदार्थ		सहूयता			साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाज अथवा खर्रा और अन्य चर्मरोग के चिह्न	बाहूय क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फोट और खुले हुए वार्बल छिद्र (पोखा छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	अच्छा (साइज के अनुरूप)	अनुज्ञात नहीं	अनुज्ञात नहीं	अनुज्ञात नहीं	किनारे से कुल 51 मि० मी० के भीतर लम्बाई में कुल मिला-कर 51 मि० मी० की माप के दो कटावों या छिद्रों के सिवाय, अनुज्ञात नहीं।	छापे का कोई चिह्न न हो। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हो। सिर और खुर निकाले गये हों। तापन या बाल गड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं। अति-भारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं।	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित।	प्रायः सभी आकार एवं छटाव (क्वालिटियों) का माल पृथक-पृथक पैक किया जाता है किन्तु यदि उसे एक साथ ही पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिये।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	साधारण रूप से अच्छा (साइज में बड़ा बुल अनुज्ञात नहीं)	खाज, खर्ज अथवा अन्य रोग चिह्न से प्रभावित 26 वर्ग से० मी० से अनधिक अनुज्ञात।	कुल 26 वर्ग से० मी० से अनधिक अनुज्ञात ।	पूरी खाल पर फैले हुए 4 से या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात। खाल के अन्य भागों में खाल की मोटाई से आधे तक खाल उतारने से हुए चिह्न—केवल 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई अनुज्ञात।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
3.	सब्जी पदार्थ सहित पतली खाल अनुज्ञात	कुल मिलाकर 39 वर्ग से० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात :	कुल मिलाकर 39 वर्ग से० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात	पूरी खाल पर बिखरे हुए 10 से अनधिक खुले हुए छिद्र या किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित 15 छिद्रों तक अनुज्ञात।	ऐसे कटाव और छिद्र अनुज्ञात जिनसे खाल के 50 प्रतिशत से अधिक को नुकसान न होता हो।	यदि छापे के चिह्न किनारे से 102 मि० मी० के भीतर न हों तो वे अनुज्ञात नहीं। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्ति-युक्त रूप से मुक्त हो। सिर और खुर निकाले गए हों। तापन के कोई दृश्यमान निशान न हों। मोटा ग्लास्टर अनुज्ञात नहीं। कुछ झड़े बाल अनुज्ञात।	यथोक्त	यथोक्त

II. छटाव प्रतिशत

1	2	3

जैसा कि पैकिंग विनिर्देशों में उपदर्शित और गांठों पर चिह्नित किया गया हो।

III. मानक न्यूनतम माप, सेंटीमीटरों में, (लम्बाई × चौड़ाई)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
100 × 45	90 × 40	80 × 35	70 × 30	आर्द्र लवणीकृत खालों के लिए
81 × 45	74 × 40	67 × 35	60 × 30	सूखी लवणीकृत खालों के लिए

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार ।

IV. पैकिंग की मानक पद्धति

(किसी परेषण में अन्तर्वस्तुओं का प्रतिशत)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
5	25	50	20	100

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार ।

टिप्पण :– (1) 70 से० मी० से कम लम्बी माप वाली खालें मेमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी ।

(2) विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल से लक्षणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

अनुसूची 5

(नियम 4 और 5 देखिए)

1. "दिनाजपुर वाली" के नाम से ज्ञात दिनाजपुर बकरे-बकरी की खाल (दि० न० खा०) के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी	पदार्थ	सह्यता					साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाज अथवा खुर्ज और अन्य चर्मरोग के चिह्न	बाह्य क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फोट और खुले हुए वार्बल छिद्र (पांखा छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अच्छा (साईज के अनुरूप)	अनुज्ञात नहीं	अनुज्ञात नहीं	अनुज्ञात नहीं	किनारे से कुल 51 मि०मी० के भीतर लम्बाई में कुल मिला कर 51 मि० मी० की माप के दो कटावों या छिद्रों के सिवाय अनुज्ञात नहीं ।	छापे का कार्य चिह्न न हों । रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हो । सिर और खुर निकाले गये हों । तापन या बाल झड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं । अतिभारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं ।	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित ।	प्रायः सभी आकार एवं कटाव (क्वालिटियों) का माल पृथक-पृथक पैक किया जाता है किन्तु यदि उसे एक साथ ही पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिये ।
2.	साधारण रूप से अच्छा (साइज में बड़ा कुल अनुज्ञात नहीं)	खाज खुर्ज अथवा अन्य रोग चिह्न से प्रभावित 26 वर्ग से० मी० से अनधिक अनुज्ञात ।	कुल 26 वर्ग सें० मी० से अनधिक अनुज्ञात ।	पूरी खाल पर फैले हुए 4 से या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात ।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि०मी० की संयुक्त लम्बाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात । खाल के अन्य भागों में खाल की मोटाई से आधे तक खाल उतारने से हुए चिह्न—केवल 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई अनुज्ञात ।	—यथोक्त—	—यथोक्त —	—यथोक्त—
3.	सह्य पदार्थ सहित पतली खाल अनुज्ञात	कुल मिला कर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात ।	कुल मिला कर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात ।	पूरी खाल पर बिखरे हुए 10 से अनधिक खुले हुए छिद्र या किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित 15 छिद्रों तक अनुज्ञात नहीं ।	ऐसे कटाव और छिद्र अनुज्ञात जिनसे खाल के 50 प्रतिशत से अधिक को नुकसान न होता हो ।	यदि छापे के चिह्न किनारे से 102 मि० मी० के भीतर न हों तो वे अनुज्ञात नहीं । रक्त, धूल और अन्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हों । सिर और खुर निकाले गये हों । तापन के कोई दृश्यमान निशान न हों । मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं । कुछ झड़े बाल अनुज्ञात ।	—यथोक्त—	—यथोक्त—

1	2	3	4	5	6	7	8	9

ii. छटाव प्रतिशत

1	2	3	
जैसा कि पैकिंग विनिर्देशों में उपदर्शित और गांठों पर चिह्नित किया गया हो ।			
iii. मानक न्यूनतम माप, सेंटीमीटरों में, (लम्बाई × चौड़ाई)			
अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
100 × 45	90 × 40	80 × 35	70 × 30	आर्द्र लवणीकृत खालों के लिये
81 × 45	74 × 40	67 × 35	60 × 30	सूखी लवणीकृत खालों के लिये
या क्रेता और विक्रेता के बीच के संविदा के अनुसार।				

4. पैकिंग की मानक पद्धति
(किसी पोषण में अन्तर्वस्तुओं का प्रतिशत)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
5	25	50	20	100

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार

टिप्पण :—1. 70 सें० मी० से कम लम्बी माप वाली खालें मेमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जायेंगी और पृथक-पृथक पैक की जायेंगी ।

2. विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल से लवणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जायेंगी।

अनुसूची 6

[नियम 4 और 5 देखिए]

1. "पटना वाली" नाम से ज्ञात साधारण पटना बकरे-बकरी की खाल (सा० प० ब० खा०) के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी	पदार्थ	सहजता					साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाज अथवा खजूं और अन्य चर्मरोग के चिह्न	बाह्य क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फोट और खुले हुए बार्बल छिद्र (पोखा छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अच्छा (साइज के अनुरूप)	दो छोटे (टिक) चिह्न तक अनुज्ञात	अनुज्ञात नहीं	दो तक अनुज्ञात	किनारे से 51 मि० मी० के भीतर लम्बाई में कुल मिला कर 51 मि० मी० की माप के एक या दो कटावों या छिद्रों के सिवाय अनुज्ञात नहीं ।	छापे का कोई चिह्न न हो । रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हों । सिर और खुर निकाले गए हों । तापन और बाल झड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं। अतिभारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं ।	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित ।	प्रायः सभी आकार एवं कटाव (क्वालिटियों) का माल पृथक-पृथक पैक किया जाता है किन्तु यदि उसे एक साथ ही पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपवर्णित की जानी चाहिये ।
2.	साधारण रूप से अच्छा (साइज में बड़ा बुल अनुज्ञात नहीं)	खाज, खुजूं अथवा छोटे (टिक) चिह्न से प्रभावित 26 वर्ग सें० मी० से अनधिक अनुज्ञात	कुल 26 वर्ग सें० मी० से अनधिक अनुज्ञात	पूरी खाल पर फैले हुए 4 से अनधिक या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित आनधिक या तक अनुज्ञात	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि० मी० की संयुक्त लंबाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात। खाल के अन्य भागों में खाल की मोटाई से आधे तक खाल उतारने से हुए चिह्न—केवल 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई अनुज्ञात ।	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	सह्य पदार्थ सहित पतली खाल अनुज्ञात	खाज खर्जु अथवा छोटे (टिक) चिह्न से प्रभावित कुल मिला कर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात	कुल मिला कर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात	पूरी खाल पर बिखरे हुए 10 से अनधिक खुले हुए छिद्र या किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित 15 छिद्रों तक अनुज्ञात ।	ऐसे कटाव और छिद्र अनुज्ञात जिनसे खाल के 50 प्रतिशत से अधिक को नुकसान न होना हो ।	यदि छापे के चिह्न किनारे से 102 मि० मी० के भीतर न हों तो वे अनुज्ञात नहीं । रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हो । सिर और खुर निकाले गये हों । तापन के कोई दृश्यमान निशान न हों । मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं । कुछ झड़े बाल अनुज्ञात ।	—यथोक्त—	—यथोक्त—

II. कटाव प्रतिशत

जैसा कि पैकिंग विनिर्देशों में उपदर्शित और गांठों पर चिह्नित किया गया हो ।

III. मानक न्यूनतम माप, सेंटीमीटरों में (लम्बाई × चौड़ाई)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
100 × 45	90 × 40	80 × 35	70 × 30	आर्द्र लवणीकृत खालों के लिये
81 × 45	74 × 40	67 × 35	60 × 30	सूखी लवणीकृत खालों के लिये

IV. पैकिंग की मानक पद्धति

(किसी पोषण में अन्तर्वस्तुओं का प्रतिशत)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
5	25	50	20	100

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार

टिप्पण—1. 170 सें० मी० से कम लम्बी माप वाली खालें मेमना खाले के रूप में वर्गीकृत की जायेंगी और पृथक-पृथक पैक की जायेंगी ।

2. विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल के लक्षणों से मुक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जायेंगी ।

अनुसूची 7

(नियम 4 और 5 देखिए)

1. "सर्वोत्तम पटना वाली" या "मुजफ्फरपुर पटना वाली (नाम से ज्ञात सर्वोत्तम पटना" या मुजफ्फरपुर पटना) बकरे-बकरी की खाल के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी	पदार्थ	सहता					साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाल अथवा खर्जु और अन्य चर्मरोग के चिह्न	बाह्य क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फोट और खुले हुए बार्बल छिद्र (पोखा छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अच्छा (साइज के अनुरूप)	दो लघु (टिक) चिह्न तक अनुज्ञात	अनुज्ञात नहीं	दो तक अनुज्ञात	किनारे से 51 मि०मी० के भीतर लम्बाई में कुल मिलाकर 51 मि०मी० की माप के एक या दो कटावों या छिद्रों के सिवाय, अनुज्ञात नहीं ।	छापे का कोई चिह्न न हो । रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों के युक्तियुक्त रूप से मुक्त हों । सिर और खुर निकाले गये हों । तापन और बाल झड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं अतिभारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं ।	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित ।	प्रायः सभी आकार एवं कटाव क्वालिटियों का माल पृथक-पृथक पैक किया जाता है किन्तु यदि उसे एक साथ ही पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिये ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	साधारण रूप से अच्छा (साइज में बड़ा धुल अनुज्ञात नहीं),	खाज, खर्जु अथवा अन्य रोग चिह्न से प्रमाणित 28 वर्ग सें० मी० से अनधिक अनुज्ञात	कुल 26 वर्ग सें०मी० से अनधिक अनुज्ञात	पूरी खाल पर फैले हुए 4 से या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि०मी० की संयुक्त लम्बाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात। खाल के अन्य भागों में खाल की मोटाई से आधे तक खाल उतारने से हुए चिह्न—केवल 76 मि०मी० की संयुक्त लम्बाई अनुज्ञात।	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
3.	साद्र पदार्थ सहित पतली खाल अनुज्ञात	खाज, खर्जु या अन्य चर्म रोग चिह्न से प्रभावित कुल मिला कर 39 वर्ग सें०मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	कुल मिला कर 39 वर्ग सें०मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	पूरी खाल पर बिखरे हुए 10 से अनधिक, खुले हुए छिद्रों या किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित 15 छिद्रों तक अनुज्ञात।	ऐसे कटाव और छिद्र अनुज्ञात जिनसे खाल के 50 प्रतिशत से अधिक को नुकसान न होता हो।	यदि छापे के चिह्न किनारे से 102 मि० मी० के भीतर न हों तो वे अनुज्ञात नहीं। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्ति-युक्त रूप से मुक्त हो। सिर और खुर निकाले गये हों। तापन के कोई दृश्यमान निशान न हो। मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं। कुल झड़े बाल अनुज्ञात।	—यथोक्त—	—यथोक्त—

II. कटाव प्रतिशत

जैसा कि पैकिंग विनिर्देशों में उपवर्णित और गांठों पर चिह्नित किया गया हो।

III. मानक न्यूनतम माप, सेंटीमीटरों में लम्बाई × चौड़ाई

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
100 × 45	90 × 40	80 × 35	70 × 30	आर्द्र लवणीकृत खालों के लिये
81 × 45	74 × 40	67 × 35	60 × 30	सूखी लवणीकृत खोलों के लिये

IV. पैकिंग की मानक पद्धति

(किसी पोषण में अन्तर्वस्तुओं का प्रतिशत)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
5	25	50	20	100

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार

टिप्पण :—1. 70 सें० मी० से कम लम्बी नाप वाली खालें मेमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जायेंगी और पृथक-पृथक पैक की जायेंगी।

2. विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल में लवणों से मुक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जायेंगी।

अनुसूची 8

(नियम 4 और 5 देखिए)

1. "मुजफ्फरपुर वाली" नाम से ज्ञात मुजफ्फरपुर बकरे-बकरी की खाल (मु०ब० खा०) के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी	पदार्थ	सह्यता					साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाज अथवा खुर्जु और अन्य चर्म रोग के चिह्न	बाह्य क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फोट और खुले हुए बार्बले छिद्र (पोखा छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अच्छा (साइज के अनुरूप)		दो लघु (टिक) चिह्न तक अनुज्ञात	अनुज्ञात नहीं	दो तक अनुज्ञात	किनारे से कुल 51 मि०मी० के भीतर लम्बाई में कुल मिलाकर 51 मि० मी० की माप के एक या दो कटावों या छिद्रों के सिवाय, अनुज्ञात नहीं।	छापे का कोई चिह्न न हो। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हों। सिर और खुर निकाले गए हों। तापन और मास लटकने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं। अतिभारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं।	आर्द्र या सूखी लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित।	प्रायः सभी आकार एवं कटाव (क्वालिटियों) का माल पृथक-पृथक पैक किया जाता है किन्तु यदि उसे एक साथ ही पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिए।
2. साधारण रूप से अच्छा (साइज में बड़ा कुल अनुज्ञात नहीं)		खाज, खर्जु अथवा अन्य रोग चिह्न से प्रभावित 26 वर्ग से० मी० से अनधिक अनुज्ञात।	कुल 26 वर्ग सें०मी० से अनधिक अनुज्ञात।	पूरी खाल पर फैले हुए 4 से या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि०मी की संयुक्त लम्बाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात। खाल के अन्य भागों में खाल की मोटाई से आधे तक खाल उतारने से हुए चिह्न—केवल 76 मि०मी० की संयुक्त लम्बाई अनुज्ञात।	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—
3. सह पदार्थ सहित पतली खाल अनुज्ञात।		कुल मिलाकर 39 वर्ग सें०मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें०मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	पूरी खाल पर बिखरे हुए 10 से अनधिक खुले हुए छिद्र या किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित 15 छिद्रों तक अनुज्ञात।	ऐसे कटाव और छिद्र अनुज्ञात जिनसे खाल के 60 प्रतिशत से अधिक को नुकसान न होता हो।	यदि छापे के चिह्न के किनारे से 102 मि० मी० के भीतर न हों तो वे अनुज्ञात नहीं। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हों। सिर और खुर निकाले गए हों। तापन के कोई दृश्यमान निशान न हों। मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं। कुछ सड़े माल अनुज्ञात।	—यथोक्त—	—यथोक्त—

1	2	3	4	5	6	7	8	9

II छंटाव प्रतिशत

जैसा कि पैकिंग विनिर्देशों में उपदर्शित और गांठों पर चिह्नित किया गया हो।

III मानक न्यूनतम माप, सेंटीमीटरों में (लम्बाई × चौड़ाई)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
100 × 45	90 × 40	80 × 35	70 × 30	आर्द्र लवणीकृत खालों के लिए
81 × 45	74 × 40	67 × 35	60 × 30	सूखी लवणीकृत खालों के लिए

IV पैकिंग की मानक पद्धति :

(किसी परेषण में अन्तर्वस्तुओं का प्रतिशत)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
5	25	50	20	100

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार।

टिप्पण : 1. 7 सें०मी० से कम लम्बी माप वाली खालें मेमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

2. विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल के लक्षणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

अनुसूची 9

(नियम 4 और 5 देखिए)

I. "अमृतसर वाली" के नाम से ज्ञात अमृतसर बकरे-बकरी की खाल के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा।

श्रेणी	पदार्थ	सहजता					साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाज अथवा खुर्जु और चर्मरोग के चिह्न	बाह्य क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फोट और खुले हुए वाबंले छिद्र (पोला छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मध्यम से लेकर अच्छी तक।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें०मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी०के० भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें०मी० से अनधिक अनुज्ञात।	अनुज्ञात नहीं।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि०मी० के लम्बाई के माप के 4 कटाव या छिद्रों के सिवाय अनुज्ञात नहीं अन्य भागों में खाल की मोटाई से आधे तक कुल 76 मि०मी० की लम्बाई के खाल उतारने के चिह्न अनुज्ञात।	छापे का कोई चिह्न न हो। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हो। सिर और खुर निकाले गये हों तापन और बाल झड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं। अभिभारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं।	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित।	(क) जब नाप पर बेची जाए तब विक्रय के आधार पर निम्नलिखित किसी समूह के अन्तर्गत या विनिर्देशों के अनुसार होना चाहिए। (ख) प्रायः सभी आकार (क्वालिटियों) का माल पृथक-पृथक पैक किया जाता है किन्तु यदि उसे एक साथ ही पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिए। (ग) यदि ऐसी खोलें खारी लवणीकृत (कलकत्ता पद्धति की) या आर्द्र लवणीकृत हों तो जी० के०जी० (अनुसूची सं० 2) के अनुसार श्रेणीकृत की जाएंगी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	पतले से लेकर अच्छी तक।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें०मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	पूरी खाल पर बिखरे हुए 4 से अनधिक या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 152 मि मी० की लम्बाई से अधिक के कटाव या छिद्र अनुज्ञात खाल की मोटाई के आधे से अनधिक किसी भी लम्बाई के खाल उतारने के चिह्न अनुज्ञात। किन्तु पूरी खाल पर बिखरे हुए 8 से अनधिक और किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 16 तक अनुज्ञात।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
3.	सख्त पदार्थ सहित पतली खाल अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें०मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें०मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	पूरी खाल पर बिखरे हुए 10 से अनधिक खुले हुए छिद्र, या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 15 छिद्रों तक अनुज्ञात।	खाल के 50 प्रतिशत से अधिक को नुकसान न करने वाले कटाव और छिद्र अनुज्ञात।	यदि छापे के चिन्ह किनारे से 102 मि० मी० के भीतर न हों तो वे अनुज्ञात। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हों। सिर और खुर निकाले गए हों। तापन के कोई दृश्यमान निशान न हों। मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं। कुछ छाड़े बाल अनुज्ञात।	आर्द्र या सूखे लवणीकरण द्वारा या अन्य किसी पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित।	यथोक्त

II. छंटाव प्रतिशत :

1 2 3

जैसा कि पैकिंग विनिर्देशों में उपदर्शित और गांठों पर चिन्हित किया गया हो।

III. मानक न्यूनतम माप, सेंटीमीटरों में (लम्बाई × चौड़ाई) :

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
110 × 60	100 × 55	90 × 50	80 × 45	आर्द्र लवणीकृत खालों के लिए
100 × 60	90 × 55	80 × 50	70 × 45	सूखी लवणीकृत खालों के लिए

IV. पैकिंग की मानक पद्धति (वजन के आधार पर) :

500 नग के लिए 500 से 2500 पौंड तक या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार।

माप के आधार पर पैकिंग की मानक पद्धति

वर्ग	अतिबड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी
0	0	15	35	50
1	5	15	35	45
2	5	20	35	40
3	10	25	35	30
4	15	30	35	20
5	15	45	40	0

सामान्य आधार चौथा या पांचवा समूह

उपर्युक्त समूहों के अतिरिक्त, निम्नलिखित मापों के आधार पर विक्रय होता है :

(i) केवल अति बड़ी; या

(ii) केवल बड़ी; या

(iii) 50 प्रतिशत बड़ी और 50 प्रतिशत अति-बड़ी।

टिप्पण : 1. 70 सें०मी० से कम लम्बी माप वाली खालें मेमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

2. विभिन्न प्रावेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल के लक्षणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

अनुसूची 10

(नियम 4 और 5 देखिए)

I. 'पूरब वाली' के नाम से ज्ञात उत्तर-पूर्वी या पूरब बकरे-बकरी की खाल के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा।

श्रेणी	पदार्थ	सह्यता: खाज अथवा खुर्ज और चर्मरोग के चिन्ह	सह्यता: बाह्य क्षति से हुए नुकसान के चिन्ह	सह्यता: स्फोट और खुले हुए वार्बल छिद्र (पोखा छिद्र)	सह्यता: खाल उतारने के कटाव और चिन्ह	सह्यता: अन्य	साधारण शर्त	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मध्यम से लेकर अच्छी तक।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें०मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें०मी० से अनधिक अनुज्ञात।	अनुज्ञात नहीं	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि०मी० की लम्बाई के माप के 4 कटाव या छिद्रों के सिवाय अनुचित नहीं। अन्य भागों में खाल की मोटाई से आधे तक कुल 76 मि०मी० की लम्बाई के खाल उतारने के चिन्ह अनुज्ञात।	छापे का कोई चिन्ह न हो। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हो। सिर और खुर निकाले गये हों। तापन और बाल झड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं। अतिभारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं ?	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित।	(क) जब नाप कर बेची जाएं तब विक्रय के आधार निम्नलिखित किसी समूह के अन्तर्गत या विनिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

1	2	3	4	5	6	7	8	9

समूह	अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी
0	0	15	35	50
1	5	15	35	45
2	5	20	35	40
3	10	25	35	30
4	15	30	35	20
5	15	45	40	0

सामान्य आधार चौथा या पांचवा समूह है। उपर्युक्त समूहों के अतिरिक्त निम्नलिखित मापों के आधार पर भी विक्रय होता है :—

(i) केवल अति-बड़ी; या

(ii) केवल बड़ी; या

(iii) 50 प्रतिशत बड़ी और 50 प्रतिशत अति बड़ी।

2.	साधारण रूप से अच्छा साइज से बड़ा बुल अनुज्ञात नहीं।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें०मी० से अनधिक अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें०मी० से अनधिक अनुज्ञात।	पूरी खाल पर बिखरे हुए 4 से अनधिक और किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 152 मि०मी० की लम्बाई से अनधिक के कटाव और छिद्र अनुज्ञात। खाल की मोटाई के आधे से अनधिक किसी भी लम्बाई के खाल उतारने के चिन्ह अनुज्ञात, किन्तु पूरी खाल पर बिखरे हुए 8 से अनधिक और किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 16 तक अनुज्ञात।	यथोक्त	यथोक्त	(ख) प्रायः सभी आकार के छंटाव (क्वालिटियों) में पृथक-पृथक पैक किया जाता है किन्तु यदि उसे एक साथ ही पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिए। (ग) यदि ऐसी खालें खारी लवणीकृत (कलकत्ता पद्धति) की या आर्द्र लवणीकृत हों तो वे जी० के० जी० (अनुसूची सं० 2) के अनुसार श्रेणीकृत की जाएंगी।

II छंटाव प्रतिशत

1	2	3

जैसा कि पैकिंग विनिर्देशों में उपदर्शित और गांठों पर चिन्हित किया गया हो।

III मानक न्यूनतम माप सेंटीमीटरों में (लम्बाई × चौड़ाई)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
110 × 60	100 × 55	90 × 50	80 × 45	आर्द्र लवणीकृत बकरे-बकरी की खालों के लिए।
100 × 60	90 × 55	80 × 50	70 × 45	सूखी लवणीकृत बकरे-बकरी की खालों के लिए।

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार।

IV पैकिंग की मानक पद्धति :

(क) वजन के आधार पर

संविदा के अनुसार 500 नग के लिए 500 से 1200 पौंड (227 से 545 कि॰ग्रा॰) तक या विनिर्देशों के अनुसार।

(ख) माप के आधार पर—

(किसी पारेषण की अन्तर्वस्तुओं का प्रतिशत)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
10	25	35	30	100

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार।

टिप्पण : 1. 70 सें॰मी॰ से कम लम्बी माप वाली खालें मेमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

2. विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल के लक्षणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

अनुसूची 11

(नियम 4 और 5 देखिए)

I. "लखनऊ/कानपुर वाली" के नाम से ज्ञात लखनऊ/कानपुर बकरे-बकरी की खाल के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा।

श्रेणी	पदार्थ	सह्यता					साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाज अथवा खर्जू और चर्म रोग के चिह्न	बाह्य क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फोट और खुले हुए वार्बल छिद्र (पोश्ता छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मध्यम से लेकर अच्छा तक।	किनारे से 102 मि॰मी॰ के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें॰मी॰ से अनधिक अनुज्ञात	किनारे से 102 मि॰मी॰ के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें॰मी॰ से अनधिक अनुज्ञात	अनुज्ञात नहीं	किनारे से 102 मि॰मी॰ के भीतर 76 मि॰मी॰ की लम्बाई की माप के 4 कटाव या छिद्रों के सिवाय अनुज्ञात नहीं। अन्य भागों में खालों की मोटाई के आधे तक खाल उतारने के चिह्न, केवल 76 मि॰मी॰ की कुल लम्बाई अनुज्ञात।	छापे के कोई चिह्न नहीं रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हो। सिर और खुर निकाले गए हों तापन और बाल झड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं। अतिभारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं।	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित।	(क) जब नाप से बेची जाए तब बिक्री का आधार निम्नलिखित किसी समूह के अन्तर्गत या विनिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

समूह	अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी
0	0	15	35	50
1	5	15	35	45
2	5	20	35	40
3	10	15	35	30
4	15	30	35	20
5	15	45	40	0

सामान्य आधार चौथा अथवा पांचवां समूह है। उपर्युक्त समूहों के अतिरिक्त निम्नलिखित मापों में भी विक्रय किया जाता है :—

(i) केवल अति बड़ी, या (ii) केवल बड़ी, या

(iii) 50 प्रतिशत बड़ी और 50 प्रतिशत अति बड़ी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	साधारण रूप से अच्छा साइज में बड़ा बुल अनुज्ञात नहीं।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक अनुज्ञात	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक अनुज्ञात,	पूरी खाल पर बिखरे हुए 4 से अनधिक या किसी एक विशेष स्थान पर केंद्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात,	कुल मिलाकर 102 मि० मी० से अनधिक लम्बाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात नहीं। खाल की मोटाई के आधे गहरे से अनधिक किसी भी लम्बाई के खाल उतारने के चिह्न अनुज्ञात, किन्तु पूरी खाल पर बिखरे हुए 8 से अनधिक या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 16 तक अनुज्ञात।	(i) केवल अति बड़ी, या (ii) केवलबड़ी, या (iii) 50 प्रतिशत बड़ी और 50 प्रतिशत अति बड़ी।	(ख) प्रायः सभी आकार एवं छंटाव (क्वालिटियों) में पृथक पृथक पैक किया जाता है किन्तु यदि उसे एक साथ ही पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिए। (ग) यदि खाल खारी लवणीकृत कलकत्ता पद्धति की) या आर्द्र लवणीकृत हो तो वह अनुसूची सं० 2 के अनुसार श्रेणीकृत की जाएगी

II छंटाव प्रतिशत :

1	2	3	कुल
85	15	—	100

या यथा विनिर्दिष्ट

III मानक न्यूनतम माप सेंटीमीटरों में (लम्बाई × चौड़ाई) :

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
110 × 60	100 × 55	90 × 50	80 × 45	आर्द्र लवणीकृत खालों के लिए
100 × 60	90 × 55	80 × 50	70 × 45	सूखी लवणीकृत खालों के के लिए

या क्रेता एवं विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार

VI पैकिंग की मानक पद्धति

(क) वजन के आधार पर :

संविदा के अनुसार 500 नग के लिए 500 से 1400 पौंड (227 से 635 कि० ग्रा०) तक

मूल गणना का आधार 500 नग के लिए 1200 पौंड (545 कि० ग्रा०) पर किया गया आफर या जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ख) माप के आधार पर :

(किसी परेषण में अन्तर्यस्तुओं का प्रतिशत)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
15	30	35	20	100

या क्रेता एवं विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार

टिप्पण :—1. 70 सें० मी० कम लम्बी माप वाली खालें मैमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

2. विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल के लक्षणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

अनुसूची 12

(नियम 4 और 5 देखिए)

1 "गुजरात किस्म खाली" के नाम से ज्ञात गुजरात किस्म की बकरे-बकरी की खाल के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा।

श्रेणी	पदार्थ	सह्यता					साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाज अथवा खर्जू और चर्म रोग के चिह्न	बाह्य क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फोट और खुले हुए वार्बल छिद्र (गोंडा छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मध्यम से लेकर अच्छा तक।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	अनुज्ञात नहीं।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि० मी० की लम्बाई की माप के 4 कटाव सिवाय अनुज्ञात नहीं अन्य भागों में खालों की मोटाई के आधे तक खाल उतारने के चिह्न केवल 76 मि० मी० की कुल लम्बाई अनुज्ञात।	छापे के कोई चिह्न नहीं, रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हो। सिर और खुर निकाले गए हों तापन और बाल झड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं। अतिभारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं।	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित।	(क) जब नाप बेची जाए तब बिक्री का आधार निम्नलिखित किसी समूह के अन्तर्गत या विनिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

समूह	अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी
0	0	15	35	50
1	5	15	35	45
2	5	20	35	40
3	10	15	35	30
4	15	30	35	20
5	15	45	40	0

सामान्य आधार चौथा अथवा पांचवां समूह है। उपर्युक्त समूहों के अतिरिक्त निम्नलिखित मापों में भी विक्रय किया जाता है।

(i) केवल अति बड़ी, या (ii) केवल बड़ी, या (iii) 50 प्रतिशत बड़ी और 50 प्रतिशत अति बड़ी।

2.	साधारण रूप से अच्छा साइज में बड़ा बुल अनुज्ञात नहीं।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	पूरी खाल पर बिखरे हुए 4 से अनधिक या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 152 मि० मी० से अनधिक लम्बाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात नहीं। खाल की मोटाई के आधे गहरे से अनधिक किसी भी लम्बाई के खाल उतारने के चिह्न अनुज्ञात किन्तु पूरी खाल पर बिखरे हुए 8 से अनधिक या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित से 16 तक अनुज्ञात।	यथोक्त	यथोक्त	(ख) प्रायः सभी आकार एवं छंटाव (क्वालिटियों) में पृथक-पृथक पैक किया जाता है किन्तु यदि उसे एक साथ ही पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिए।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	सख्त पदार्थ सहित पतली खाल।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें० मी० से अधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें० मी० से अधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	पूरी खाल में बिखरे हुए 10 से अधिक खुले छिद्र या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 15 छिद्र तक अनुज्ञात।	खाल के 50 प्रतिशत से अधिक को नुकसान करने वाले कटाव और छिद्र अनुज्ञात।	यदि छापे के निशान किनारे से 102 मि० मी० के भीतर न हों तो वे अनुज्ञात नहीं। रक्त, धूल एवं अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हों। सिर एवं खुर निकाले गए हों। तापन के दृश्यमान निशान न हों। मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं। कुल झड़े बाल अनुज्ञात।	आर्द्र अथवा सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी पद्धति से उचित ढंग से परिरक्षित या संसाधित।	प्रायः सभी आकार एवं कटाव (क्वालिटियों) में पृथक-पृथक पैक किया जाता है। किन्तु यदि उसे एक साथ ही पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिए।

II. छंटाव प्रतिशत :

	1	2	3	कुल
	85	15	..	100
या	70	30	..	100
या	80	20	..	100

III. मानक न्यूनतम माप सेंटीमीटरों में (लम्बाई × चौड़ाई)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
110 × 60	100 × 55	90 × 50	80 × 45	आर्द्र लवणीकृत खालों के लिए
100 × 60	90 × 55	80 × 50	70 × 45	सूखी लवणीकृत खालों के लिए

IV. पैकिंग की मानक पद्धति (वजन के आधार पर) :

500 नग के लिए 500 से 2500 पौंड (227 से 1135 कि० ग्रा०) तक

टिप्पण :—1. 70 सें० मी० से कम लम्बी माप वाली खालें मेमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

2. विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल के लक्षणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

अनुसूची 13

(नियम 4 और 5 देखिए)

I. "दक्खिन-बम्बई/मध्यप्रदेश वाली" के नाम से ज्ञात दक्खिन (बम्बई और मध्य प्रदेश की किस्म की) बकरे-बकरी की खाल के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी	पदार्थ	सहायता					साधारण	टिप्पण
		खाज अथवा खर्ज और अन्य चर्म रोग के चिह्न	बाधा क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फोट और खुले हुए बार्बल छिद्र (पोखा छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य	शर्तें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मध्यम से लेकर अच्छा तक।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें० मी० से अधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें० मी० से अधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	अनुज्ञात नहीं।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर लम्बाई में 76 मि० मी० की नाप के 4 कटावों या छिद्रों के सिवाय अनुज्ञात नहीं।	छापे का कोई चिह्न न हो। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हो। सिर और खुर निकाले गए हों। तापन और बाल झड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं। अतिभारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं।	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित।	प्रायः सभी आकार एवं छंटाव (क्वालिटियों) का माल पृथक-पृथक पैक किया जाता है किन्तु यदि उसे एक साथ ही पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिए।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	पतली से लेकर अच्छी तक।	कुल मिलाकर 39 वर्ग से० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र।	कुल मिलाकर 102 मि० मी० क्षेत्र में 6 चिह्नों से अधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात और इसमें से किनारे से 102 मि० मी० के बाहर केवल 13 वर्ग सें० मी० अनुज्ञात।	खाल पर बिखरे हुए 4 से अनधिक या किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात।	152 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात। खाल के भागों में खाल की मोटाई से आधे गहरे खाल उतारने के चिह्न अनुज्ञात। किन्तु पूरी खाल पर फैले हुए 8 से अनधिक या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 16 तक अनुज्ञात।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
3.	सख्त पदार्थ सहित पतली खाल अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें० मी० से अनधित को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	पूरी खाल पर बिखरे हुए 10 खुले हुए छिद्र से अनधिक या किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित 15 छिद्रों तक अनुज्ञात।	खाल के 50 प्रतिशत से अधिक का नुकसान न करने वाले कटाव और छिद्र अनुज्ञात।	यदि छापे या चिह्न किनारे से 102 मि० मी० के भीतर न हों तो वह अनुज्ञात नहीं। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से मुक्ति युक्त रूप से मुक्त हो। सिर और खुर निकाले गए हों। तापन के कोई दृश्यमान निशान न हों। मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं। कुछ झड़े बाल अनुज्ञात।	यथोक्त	यथोक्त

II. छंटाव प्रतिशत :

	1	2	3	कुल
	40	40	20	100
या	30	50	20	100

या जैसा विनिर्दिष्ट हो।

III. न्यूनतम मानक माप सेंटीमीटरों में (लम्बाई × चौड़ाई) :

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
110 × 60	100 × 55	90 × 50	80 × 45	आर्द्र लवणीकृत खालों के लिए
100 × 60	90 × 55	80 × 50	70 × 45	सूखी लवणीकृत खालों के लिए

IV. पैकिंग की मानक पद्धति

(i) नाप के आधार पर (किसी परेषण में अन्तर्वस्तुओं का प्रतिशत)

	अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
(क)	10	20	35	35	100
या (ख)	10	20	30	40	100
या (ग)	15	25	35	25	100

(ii) वजन के आधार पर 100 खालों के लिए 150 पौंड से 820 पौंड तक (68 से 100 कि० ग्रा० तक) या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार।

टिप्पण :—1. 70 सें० मी० से कम सम्बी माप वाली खालें मेमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

2. विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल के लक्षणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

अनुसूची 14

(नियम 4 और 5 देखिए)

I. "काकीनाडा खाली" के नाम से ज्ञात काकीनाडा बकरे-बकरी की खाल के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा।

श्रेणी	पदार्थ	सह्यता					साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाज अथवा खर्जु और अन्य चर्मरोग के चिह्न	बाह्य क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फोट और खुले हुए बावले छिद्र (मोखा छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मध्यम से ले कर अच्छा तक।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर चार तक अनुज्ञात।	किनारे से 51 मि० मी० के भीतर लम्बाई में 51 मि० मी० की माप के दो कटावों या छिद्रों के सिवाय अनुज्ञात नहीं।	छापे का कोई चिह्न न हो। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हो। सिर और खुर निकाले गए हों। तापन और बाल झड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं। अतिभारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं।	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित।	प्रायः सभी आकार एवं छटाव (क्वालिटियों) का माल पृथक-पृथक पैक किया जाता है किन्तु यदि उसे एक साथ ही पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिए।
2.	पतले से ले कर साधारण तक।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	8 तक अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात। खाल के अन्य भागों में खाल की मोटाई के आधे तक खाल उतारने के चिह्न केवल 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई अनुज्ञात।	–यथोक्त–	–यथोक्त–	–यथोक्त–

II. छटाव प्रतिशत

1	2	3
जैसा कि पैकिंग विनिर्देशों में उपदर्शित और गांठों पर चिह्नित किया गया हो।		

III. मानक माप सेंटीमीटरों में केवल (न्यूनतम लम्बाई)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
—	100	90	80	आर्द्र लवणीकृत खालों के लिए
—	90	80	70	सूखी लवणीकृत खालों के लिए

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार

IV. मानक लगभग वजन

(सूखी लवणीकृत बकरे-बकरी की खाल के 100 नग के लिए) विनिर्देशों के अनुसार

पैकिंग की मानक पद्धति

बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
20	40	40	100

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार।

टिप्पण : 1. 70 सें० मी० से कम लम्बी माप वाली खालें मेमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

2. विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल के लक्षणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

अनुसूची 15

(नियम 4 और 5 देखिए)

"मद्रास जिले वाली' और "डिन्डीगुल वाली" के नाम से ज्ञात मद्रास जिले वाली और डिन्डीगुल वाली बकरे-बकरी की खाल के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी	पदार्थ	सहायता					साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाज अथवा खर्जू और अन्य चर्मरोग के चिह्न	बाह्य क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फोट और खुले हुए बार्बले छिद्र (पोखा छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. मध्यम से लेकर अच्छा तक		किनारे से 102 मि०मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि०मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	अनुज्ञात नहीं	किनारे से 51 मि० मी० के भीतर कुल मिलाकर 51 मी० मी० की लम्बाई के कटाव या छिद्रों के सिवाय अनुज्ञात नहीं।	छापे का कोई चिह्न न हो। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हों। सिर और खुर निकाले गए हों। तापन और बाल झड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं। अतिभारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित	प्रायः सभी आकार एवं छंटाव (क्वालिटियों) का माल पृथक-पृथक पैक किया जाता है, किन्तु यदि उसे एक साथ पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिए।
2. पतले से लेकर साधारण तक।		कुल मिलाकर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 39 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	पूरी खाल पर बिखरे हुए 4 से अनधिक या किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात। खाल के अन्य भागों में खाल की मोटाई से आधे गहरे तक केवल 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई के बाल उखारने के चिह्न अनुज्ञात।	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—

II. मानक छंटाव प्रतिशत

1	2	3
जैसा कि पैकिंग विनिर्देशों में उपदर्शित और चिह्नित किया गया हो।		

III. मानक माप, सेंटीमीटरों में (केवल न्यूनतम लम्बाई)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
—	100	90	80	आर्द्र लवणीकृत खालों के लिए
—	90	80	70	सूखी लवणीकृत खालों के लिए

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार

IV. मानक लगभग वजन

(सूखी लवणीकृत बकरे-बकरी की खाल के 100 नग के लिए)

विनिर्देशों के अनुसार

V. पैकिंग की मानक पद्धति

बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
20	40	40	100

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार

टिप्पण : 1. 70 सें० मी० से कम लम्बी माप वाली खालें मेमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

2. विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल के लक्षणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

अनुसूची 16

(नियम 4 और 5 देखिए)

1. "विशेष डिन्डीगुल वाली" के नाम से ज्ञात डिन्डीगुल बकरे-बकरी की खाल के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी	पदार्थ	सहनशीलता					साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाज या खर्जु और अन्य चर्मरोग के चिह्न	बाह्य क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फोट और खुले हुए बार्बल छिद्र (पोखा छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अच्छा	अनुज्ञात नहीं	अनुज्ञात नहीं	अनुज्ञात नहीं	किनारे से 51 मि० मी० के भीतर कुल मिलाकर 51 मि० मी० की लम्बाई के कटाव या छिद्रों के सिवाय अनुज्ञात नहीं।	छापे का कोई चिह्न न हो। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्ति-युक्त रूप से मुक्त हो। सिर और खुर निकाल गए हों। तापन और खाल झाड़ने के दृश्य-मान निशान अनुज्ञात नहीं। अतिरिक्त संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं।	आर्द्र या सूखे लवणी-करण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परि-रक्षित।	प्राय: सभी आकार एवं छंटाव (क्वालिटियों) का माल पृथक-पृथक पैक किया जाता है, किन्तु यदि उसे एक साथ पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिए।
2.	साधारण रूप से अच्छा	खाज या खर्जु या अन्य रोग चिह्न से प्रभावित 26 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 26 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात	पूरी खाल बिखरे हुए 4 से अनधिक और किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात। अन्य भागों में खाल की मोटाई से आधे गहरे तथा केवल 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई के खाल उतारने के चिह्न अनुज्ञात।	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—

II. मानक छंटाव प्रतिशत

1	2	कुल
80	20	100

या जैसा विनिर्दिष्ट हो।

III. मानक माप, सेंटीमीटरों में (केवल न्यूनतम लम्बाई)

अति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
—	100	90	80	आर्द्र लवणीकृत खालों के लिए
—	90	80	70	सूखी लवणीकृत खालों के लिए

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार।

मानक लगभग वजन

(सूखी बकरे-बकरी की खाल के 100 नग के लिए) विनिर्देशों के अनुसार

V पैकिंग की मानक पद्धति

बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
20	40	40	100

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार

टिप्पण: 1. 70 सें० मी० से कम लम्बी माप वाली खालें मेमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

2. विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल के लक्षणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

अनुसूची 17

(नियम 4 और 5 देखिए)

1. "मालाबार वाली" के नाम से ज्ञात मालाबार बकरे-बकरी की खाल के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी	पदार्थ	सहायता					साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाज अथवा खर्रा और अन्य चर्मरोग के चिह्न	बाह्य क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फोट और खुले हुए बार्बल छिद्र (पोखा छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मध्यम से लेकर अच्छा तक	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात।	अनुज्ञात नहीं	किनारे से 51 मि० मी० के भीतर कुल मिलाकर 51 मि० मी० की लम्बाई के कटाव या छिद्रों के सिवाय अनुज्ञात नहीं।	छापे का कोई चिह्न न हो। रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त से मुक्त हो। सिर और खुर निकाले गए हों। तापन और बाल झड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं। अतिभारित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं।	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित।	प्रायः सभी आकार एवं छंटाव (क्वालिटियों) का माल पृथक-पृथक पैक किया जाता है किन्तु यदि उसे एक साथ पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिए।
2.	पतले से लेकर साधारण तक	कुल मिलाकर 26 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात और इसमें से किनारे से 102 मि० मी० से बाहर केवल 13 वर्ग सें० मी० अनुज्ञात।	कुल मिलाकर 26 वर्ग सें० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात और इस में से किनारे से 102 मि० मी० से बाहर केवल 13 वर्ग सें० मी० अनुज्ञात।	पूरी खाल पर बिखरे हुए 4 से अनधिक और किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात। खाल के अन्य भागों में खाल की मोटाई से आधे गहरे तक केवल 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई के खाल उतारने के चिह्न अनुज्ञात।	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—

II. छंटाव प्रतिशत

1	2	कुल
80	20	100

III. मानक माप सैंटीमीटरों में (केवल न्यूनतम लम्बाई)

अतिबड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
—	100	90	80	आर्द्र लवणीकृत खालों के लिए
—	90	80	70	सूखी लवणीकृत खालों के लिए

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार।

IV. मानक लगभग वजन

(सूखी लवणीकृत बकरे-बकरी की खाल के 100 नग के लिए)
(विनिर्देशों के अनुसार)

V. पैकिंग की मानक पद्धति

बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
—	50	50	100

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार।

टिप्पण: 1. 70 सें० मी० से कम लम्बी माप वाली खालें मेमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

2. विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल में लक्षणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी।

अनुसूची 18

(नियम 4 और 5 देखिए)

I. "दक्खिन-मद्रास वाली" के नाम से ज्ञात दक्खिन (मद्रास) बकरे-बकरी की खाल के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी	पदार्थ	स्वीकार्यता					साधारण शर्तें	टिप्पण
		खाज अथवा खर्जु और अन्य चर्म रोग के चिह्न	बाह्य क्षति से हुए नुकसान के चिह्न	स्फीट और खुले हुए बारबेल छिद्र (पोखा छिद्र)	खाल उतारने के कटाव और चिह्न	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मध्यम से लेकर अच्छा तक ।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात ।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर और गर्दन पर कुल मिलाकर 13 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात ।	अनुज्ञात नहीं	किनारे से 51 मि० मी० के भीतर कुल मिलाकर 51 मि० मी० की लम्बाई की माप के एक या दो कटाव या छिद्रों के सिवाय अनुज्ञात नहीं ।	छापे के कोई चिह्न न हों । रक्त, धूल और अन्य बाह्य द्रव्यों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त हो । सिर और खुर निकाले गए हों । तापन और बाल झड़ने के दृश्यमान निशान अनुज्ञात नहीं । अतिमानित संसाधन या मोटा प्लास्टर अनुज्ञात नहीं ।	आर्द्र या सूखे लवणीकरण अथवा अन्य किसी उपयुक्त पद्धति द्वारा उचित ढंग से संसाधित या परिरक्षित ।	प्रायः सभी आकार एवं छंटाव (क्वालिटियों) का माल पृथक-पृथक पैक किया जाता है किन्तु यदि उसे एक साथ ही पैक किया गया हो तो यह बात गांठ पर उपदर्शित की जानी चाहिए ।
2.	पतले से लेकर साधारण तक ।	कुल मिलाकर 26 वर्ग सें० मी० से अनधिक को घेरने वाला क्षेत्र अनुज्ञात और इसमें से किनारे से 102 मि० मी० से बाहर केवल 13 वर्ग सें० मी० से अनधिक अनुज्ञात ।	कुल मिलाकर 26 वर्ग सें० मी० से अधिक में होने वाले 6 चिह्नों से अनधिक अनुज्ञात और इसमें से किनारे से 102 मि० मी० से बाहर केवल 13 वर्ग सें० मी० अनुज्ञात ।	पूरी खाल पर बिखरे हुए 4 से अनधिक और किसी एक विशेष स्थान पर केन्द्रित 6 से अनधिक अनुज्ञात ।	किनारे से 102 मि० मी० के भीतर 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई के कटाव और छिद्र अनुज्ञात । खाल के अन्य भागों में खाल की मोटाई से आधे गहरे तक 76 मि० मी० की संयुक्त लम्बाई के खाल उतारने के चिह्न अनुज्ञात ।	—यथोक्त—	—यथोक्त—	—यथोक्त—

II. मानक छंटाव प्रतिशत :

1	2	कुल
75	25	100

III. मानक न्यूनतम माप सेंटीमीटरों में (लम्बाई × चौड़ाई) :

प्रति बड़ी	बड़ी	मध्यम	छोटी	
--	100 × 55	90 × 50	80 × 45	आर्द्र लवणीकृत की खालों के लिए ।
--	90 × 55	80 × 50	70 × 45	सूखी लवणीकृत की खालों के लिए ।

या क्रेता और विक्रेता के बीच की संविदा के अनुसार

IV. पैकिंग की मानक पद्धति :

(किसी परेषण विशेष की अन्तर्वस्तुओं का प्रतिशत) :

बड़ी	मध्यम	छोटी	कुल
20	40	40	100

टिप्पण : 1. 70 सें० मी० से कम लम्बी माप वाली खालें मेमना खालों के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी ।

2. विभिन्न प्रादेशिक नामों वाली खालें उस प्रदेश की खाल से लक्षणों से युक्त होंगी और पृथक-पृथक पैक की जाएंगी ।

[सं० फा० 13-20/68-ए० एम०]

ए० के० अग्रवाल, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Rural Development)

New Delhi, the 29th June, 1978

S.O. 2086.—The following draft of the Goat-skin Grading and Marking Rules, 1978, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), and in supersession of the Skins Grading and Marking Rules, 1937, are published, as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

GOAT-SKIN GRADING AND MARKETING RULES, 1978

1. Short title and application.—(1) These rules may be called Goat-skin Grading and Marking Rules, 1978.

(2) They shall apply to dry and wet salted goat-skins produced in India.

2. Definitions.—In these rules.—

(i) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India and includes any officer subordinate to him to whom the powers under these rules may be delegated by the Agricultural Marketing Adviser ;

(ii) "Amritsars" means skins of the following description :—
Shape—regular spreading
Hair coarse and short to medium in length.
substance-good and thin ;
Grain-coarse ;
Area 4,877 sq. cm. (5 1/4 sq. ft.);
Quality—30 per cent primes, 40 per cent seconds and 30 per cent thirds (rejections) ;

(iii) "Best Patnas" means skins of the following description :—
Shape-regular spreading ;
Hair—fine to slighty coarse
Substance—fair to good ;
Weight—204 to 215 kg. (450 to 475 lbs.) per 500 pieces;
Area—3,2484 to 3,716 sq. cm. (31|4 to 4 sq. ft.).
Quality—40 per cent primes, 40 per cent seconds and 20 per cent thirds (rejections)—dry salted ;

(iv) "Calcutta Kills" means skins of the following description :—
Hair—fine to coarse ;
Substance—very good ;
Area—4, 181 sq. cm. (4½ sq. ft.) ;
Quality—50 per cent primes, 40 per cent seconds and 10 per cent thirds—wet salted ;

(v) "Deccans—Bombay/Machya Pradesh" heans skins of the following description :—
Shape—rather rectangular ;
Hair—short, soft and shiny ;
Grain—medium to coarse ;
Substance—quite plump.
Area—4,645 sq. cm. (5 sq. ft.) ;
Quality—30 per cent primes, 40 to 50 per cent seconds and 20 per cent thirds ;

(vi) "Deccans—Madras" means skins of the following description :—
Shape—Shapeless longer pattern than "Kakinadas";
Hair—medium ;
Substance—good ;
Area : 4,877 sq. cm. (5 sq. ft.) ;

(vii) "Dinajpores" means skins of the following description :—
Shape—irregular ; from angular to spready ;
over—stretched sideways ; dirtier than Indian Daccas ;
Hair—fine to medium .
Substance—medium to good ;
Weight—204 to 215 kg. (450 to 475 lbs.)
per 500 pieces ;
Area—3,716 sq. cm. (4 sq. ft.) ;
Quality—45 per cent primes, 40 per cent seconds and 15 per cent thirds (rejections), dry salted ;

(viii) "Dindiguls" means skins of the following description :—
Shape—even pattern ;
Hair—short, predominantly black ;
Substance—fair ;
Grain—fine.
Area—4,181 sq. cm. (4 sq. ft.) ;

(ix) "Goatskin" means the skin of goat or lamb derived after slaughtering the animal ;

(x) "Gujarat type" means skins of the following description :—
Shape—spreading, more in length than breadth ;
Hair—coarse and in length short to long ;
Grain—medium to coarse ;
Substance—quite plump ;
Area—4,877 sq. cm. (5 sq. ft.) ;
Quality—80 per cent primes and seconds combined and 20 per cent thirds.

(xi) "Indian Daccas" means skins of the following description :—
Shape—usually long ;
Hair—fine ;
Substance—good ;
Weight—215 to 227 kg.
(475 to 500 lbs.) per 500 pieces ;
Area—3,716 to 4,181 sq. cm. (4 to 4½ sq. ft.)
Quality—50 per cent primes, 40 per cent seconds and 10 per cent thirds (rejections)—dry salted ;

(xii) "Indian Kushties" means skins of the following description :—
Hair—fine and soft ;
Substance—very good ;
Area—4,181 sq. cm. (4½ sq. ft.) ;
Quality—50 per cent primes, 40 per cent seconds and 10 per cent thirds (rejections) wet salted ;

(xiii) "Kakinadas" means skins of the following description :—
Shape—longish pattern ;
Hair—medium ;
Grain—fine ;
Substance—good ;
Area—4,877 cm. (5½ sq. ft.) ;

(xiv) "Length" means the measurement obtained after the skin has been evenly folded lengthwise and laid flat and measured from the root of the tail to the point where the skin of the front part of the throat is the widest ;

(xv) "Lucknow/Kanpurs" means skins of the following description :—

Shape—regular, square with average necks ;

Hair—fine . medium to short in length ;

Substance—good ;

Grain—medium to fine ;

Area—4,181 sq. cm. (4½ sq. ft.) ;

Quality—35 per cent prime, 35 per cent seconds and 30 per cent thirds (rejections) ;

(xvi) "Madras Districts" means skins of the following description :—

Shape—Square pattern ;

Hair—medium ;

Substance—medium to good ;

Grain—fine ;

Area—4, 645 sq. cm. (5 sq. ft.) ;

(xvii) "Malabars" means skins of the following description :—

Shape—square pattern and small size ;

Grain—fine ;

Substance—good ;

Area—3,716 sq. cm. (4 sq. ft.) ;

(xviii) "Maldas" means skins of the following descriptions :—

Shape—Irregular, from angular to spready,

Over—stretched sideways ; dirtier than Indian Daccas ;

Hair—fine to medium ;

Substance—medium to good ;

Weight—204 to 215 kg. (450 to 475 lbs.) per 500 pieces.

Area—3,716 sq. cm. (4 sq. ft.) ;

Quality—40 per cent primes, 40 per cent seconds and 15 per cent thirds (rejections). dry salted ;

(xix) "Mange or Scab" means damage caused to the skin by a parasite causing skin disease and commonly known as "Kharish" ;

(xx) "Muzzaffarpur Patnas" means skins of the following descriptions :—

Shape—regular, spreading ;

Hair—fine ;

Substance—good ;

Area-3,484 to 3,716 sq. cm. (3¾ to 4 sq. ft.) ;

Quality-40 per cent primes, 40 per cent seconds and 20 per cent thirds (rejections) dry salted ;

(xxi) "Muzaffarpurs" means skins of the following description :—

Shape—regular, spreading .

Hair—fine and soft ;

Substance—good to medium ;

weight—181 to 204 kg. (400 to 450 lbs.) per 500 pieces ;

Area—3,716 sq. cm. (4 sq. ft.) ;

Quality—45 per cent primes, 40 per cent seconds and 15 per cent thirds (rejections) ;

(xxii) "Patnas" means skins of the following descriptions :—

Shape—regular, spreading ;

Hair—coarse ;

Substance—medium to thin ;

Weight—193 to 204 kg. (425 to 450 lbs.), per 500 pieces .

Quality—30 per cent primes, 45 per cent seconds and 25 per cent thirds (rejections)—dry salted ;

(xxiii) "Purabs" means skins of the following description :—

Shape—longish with long necks and narrow belly ;
Hair—fine, medium to short in length ;

Substance—average ;

Area—about 3,716 sq. cm. (4 sq. ft.) ;

Quality—40 per cent primes, 35 per cent seconds and 25 per cent thirds (rejections) ;

(xxiv) "Schedule" means a schedule appended to these rules ;

(xxv) "Sholapurs" means skins of the following description :—

Shape—rectangular ;

Hair—short, soft and shiny .

Grain—medium to coarse ;

Substance—quite plump ;

Area—4,645 sq. cm. (5 sq. ft) ;

Quality—30 per cent to 40 per cent primes ;
40 to 50 per cent seconds and 20 per cent thirds ;

(xxvi) "Special Dindiguls" means skins of the following description ;

Shape—even pattern ;

Hair—short, predominantly black ;

Substance—good .

Grain—fine ;

Area—4.181 sq. cm. 4½ sq. ft.) ;

(xxvii) "Warble" means damage caused by the puncturing or the skin by larve fly of the warble fly of the species, Hypoderma Crossi ;

(xxvii) "width" means the measurement obtained after the skin has been evently folded lengthwise and laid flat and measured at right angles from the fold to a point midway between the fore and hind legs at the frings of the belly.

Note :—In the clauses aforesaid, reference to hair as short medium and long will mean hair of the following measurment, namely :—

Explanation 1 : Short Hair—2.54 cms. (1")

Medium hair—2.54 cms. to 5.7 cms. (1" to 2-1/4")

Long Hair—above 5.7 cms. (above 2 1/4").

Explanation 2 : The quality and areas shown in the above definitions are only for identification and shall not apply for packing and are subject to the provisions of Schedules II to XVIII.

3. Grade Designation marks :—The grade designation mark shall consists of an outline map of India, with the word "AGMARK" and the figure of the rising Sun, with the words "produce of India" and (भारतीय उत्पाद) resembling the one set out in Schedule 1.

4. Definition of quality :—The quality of goat skins indicated by the respective grade designation shall be as set out against such grade designations in columns (2) to (7) in Part 1 of Schedule II to XVIII and the commercial quality covered by the said Schedules.

5. Grade designations :—Grade designations to indicate the quality of goat skins shall be as set out in column I of Part I of Schedules II to XVIII.

6. Method of Marketing :—A grade designation mark label shall be securely affixed to each package of skins in a manner

approved by the Agricultural Marketing Adviser and shall clearly show the following particulars :—

1. Place of packing.
2. Quality.
3. Grade.
4. Number of skins.
5. Date of packing.
6. Signature of the Inspecting Officer.

7. Special conditions for certificate of authorisation :—In addition to the conditions specified in rule 4 of the General Grading and Marking Rules, 1937, every certificate of authorisation issued for the purposes of these rules shall be governed by the following conditions :—

(a) The premises of the authorised packer shall be clean and tidy and shall provide adequate space and facility for offlcial inspection and marking of goat skins.

(b) All instructions regarding the method of sampling, testing marking and inspection of goat skins before and after packing and maintenance of records thereof, issued by the Agricultural Marketing Adviser, from time to time, shall be observed strictly by all concerned.

SCHEDULE I

(See rule 3)

Grade designation mark to be applied to packages of goat skins.

.....PLACE OF PACKING.....

Outline Map of India

with the word "AGMARK"

and the figure of the rising sun, with the words "PRODUCE OF INDIA" "भारतीय उत्पाद"

QUALITY.....

GRADE.....

NUMBER OF SKINS.....

DATE OF PACKING.....

Signature of Inspecting Officer

SCHEDULE II

(See rules 4 & 5)

Grade designation and definition of Quality of Calcutta killed Goat skins (C.K.G.S.) known as "Cacutta Kills".

Grade	Substance	TOLERANCE					General conditions	Remarks
		Manage of scabe and other skin disease marks.	Damage marks due to external injuries	Pox and open warble holes (Pokha holes)	Flayers cuts and marks.	others		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Good (Corresponding to size)	Not allowed	Not allowed	Not allowed	Not allowed except two cuts or holes measuring 51 mm. in length in aggregate within 51 mm. from the fringe.	No brand marks Reasonably free from blood dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating or hair slips allowed. Overloaded cure or thick plastering not allowed,	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitable methods.	Usually all the sizes & assortment (qualified) are packed separately, but if packed together it should be indicated on the bale.
2.	Fairly good. (No over-size bull allowed)	Not more than 26 sq. cm. affected by mange, scab or other disease marks allowed.	Not more than 26 sq. cm. in aggregate allowed.	Not more than 4 scattered all over the skins or 6 concentrated at a particular spot allowed.	Cuts and holes with a combined length of 76 mm. within 102 mm. from the fringe allowed. Flay marks upto half through the thickness of the skin allowed in other parts of the skin combine length of 76 mm. only.	-do-	-do-	-do-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Thin Skin with tolerable substance allowed.	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Not more than 10 open holes scattered all over the skin or upto 15 holes concentrated at one particular spot allowed.	Cuts and holes not damaging more than 50% of the skin allowed.	No brand marks unless within 102 mm from the fringe allowed. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating. No thick plastering allowed. Some hair slips allowed.	-do-	-do-

II. Assortment Percentages :

1	2	3
As indicated in the packing specifications and marked on the bales		

III. Standard minimum measurements in centimeters (Length X Breadth)

Extra-large	Large	Medium	Small	
100x45	90x40	80x35	70x30	For wet salted skins.
81x45	74x40	67x35	60x30	for Dry salted skins.

or as per the contract between the buyer and the sellers.

IV. Standard Method of Packing :

(Percentage contents in a consignment)

Extra-large	Large	Medium	Small	Total
5	25	50	20	100

or as per the contract between the buyer and the seller.

Note 1.—Skins measuring less than 70 cm. in length shall be classed as lambs and shall be packed spearately.

Note 2— Skins of different territorial nomenclature shall have the characteristics pertaining to the skins of that region and shall be packed separately.

SCHEDULE III

(See rules 4 & 5)

1. Grade designation and definition of quality of Indian Kushtia Goat Skins (IKGS) known as "Indian Kushtias"

TOLERANCE

Grade	Substance	Mange or scabe and other skin disease marks	Damage marks due external injuries.	Pox and open Warble holes (Pokha holes)	Flayers, cuts and marks.	Others
1	2	3	4	5	6	7
1. Good (corresponding to size)		Not allowed.	Not allowed	Not allowed.	Not allowed except one or two cuts or holes measuring 51 mm. in length in aggregate within 51 mm. from the fringe.	No brand marks reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating or hairslips allowed Overloaded cure or thick plastering not allowed.

1	2	3	4	5	6	7
2.	Fairly good (No over-size bull allowed)	Not more than 26 sq. cm. affected by mange, scab or other disease marks allowed.	Not more than 25 sq. cm. in aggregate allowed.	Not more than 4 scattered all over the skin or 6 concentrated at a particular allowed.	Cuts and holes with a combined length of 76 mm. within 102 mm. from the fringe allowed. Spot flay marks upto half through the thickness of the skins allowed in the other parts of the skins combine, length of 76 mm. only.	-do-
3.	Thin skins with tolerable substance. allowed.	Area covering not more than 39 cm. in aggregate allowed.	Area co vering not more than 39 sq.cm. aggregate allowed.	Not more than 10 open holes scattered all over the skin or upto 15 holes concentrated at one particular spot allowed.	Cuts and holes not damaging more than 50% of the skin allowed.	No brand marks unless within 102 mm. from the fringe allowed. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head & hoofs removed. No visible signs of heating. No thick plastering allowed. Some hair slips allowed.

Others	General Conditions	Remarks
	8	9
	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitable methods.	Usually all the sizes and assortment (qualities) are packed separately, but if packed together it should be indicated on the bale.
	-do-	-do-
	-do-	-do-

II. Assortment percentages :

1	2	3
As indicated in the packing specifications and marked on the bales.		

III. Standard minimum measurements in centimetres (Length × Breadth)

Extra-large	Large	Medium	Small
100 × 45	90 × 40	80 × 35	70 × 30 for wet salted skins
81 × 45	74 × 40	67 × 35	60 × 30 for dry salted skins

Or as per the contract between the buyer and the seller.

IV. Standard Method of packing :

(Percentage contents in a consignment)

Extra-large	Large	Medium	Small	Total
5	25	50	20	100

Or as per the contract between the buyer and the seller.

Note : 1. Skins measuring less than 70 cm in length shall be classes as lambs and shall be packed separately.

2. Skins of different territorial nomenclature shall have the characteristics pertaining to the skins of that region and shall be packed separately.

SCHEDULE IV

(See rules 4 & 5)

Grade designation and definition of quality of Indian Dacca's Goat skins (I.D.A.G.S.) known as "Indian Daccas"

Grade Substance	TOLERANCE					General conditions	Remarks
	Mange or Scan and other skin disease marks	Damage marks due to external injuries	Pox & open warble holes (Pokha holes)	Flayers cuts and marks	Others		
1 2	3	4	5	6	7	8	9
1. Good (Corresponding to size)	Not allowed	Not allowed	Not allowed	Not allowed except one or two cuts or holes measuring 51 mm in length in aggregate within 51 mm from the fringe.	No brand marks. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating or hairslips allowed. Overloaded cure or thick plastering not allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitable methods.	Usually all the sizes & assortment (qualities) are packed separately but if packed together it should be indicated on the bale.
2. Fairly good (No oversize bull allowed).	Not more than 25 sq. cm. affected by mange scabe or other disease marks allowed	Not more than 26 sq. cm. in aggregate allowed	Not more than 4 scattered all over the skin or 6 concentrated at a particular spot allowed.	Cuts and holes with a combined length of 76 mm. within 102 mm. from the fringe allowed. Flay marks upto half through the thickness of the skin allowed in the other parts of the skin combined length of 76 mm. only.	-do-	-do-	-do-
3. Thin skin with tolerable substance allowed.	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed	Not more than 10 open hoes scattered all over the skin or upto 15 holes concentrated at one particular spot allowed.	Cuts and holes not damaging more than 50% of the skin allowed.	No brand marks unless within 102 mm. from the fringe allowed. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No. visible signs of heating. No thick plastering allowed. Some hair slips. allowed.	-do-	-do-

II. Assortment percentages :

1	2	3
As indicated in the packing specifications and marked on the bales.		

III. Standard minimum measurements in centimeters (Length × Breadth)

Extra-large	Large	Medium	Small	
100 × 45	90 × 40	80 × 35	70 × 30	(for wet salted skins)
81 × 45	74 × 40	67 × 35	60 × 30	(for dry salted skins)

Or as per the contract between the buyer and the seller.

IV. Standard method of packing :

(Percentage contents in a consignment)

Extra-large	Large	Medium	Small	Total
5	25	50	20	100

Or as per the contract between the buyer and the seller

Note : 1. Skins measuring less than 70 mm. in length shall be classed as lambs and shall be packed separately.

2. Skins of different territorial nomenclature shall have the characteristics pertaining to the skins of that region and shall be packed separately.

SCHEDULE V

(See Rules 4–5)

I. Grade designation and definition of quality of Dinajpore Goat Skins (D. I. G. S.) known as "Dinajpores"

Grade	Substance	TOLERANCE						
		Mange of Scab and other skin disease marks	Damage marks due to external injuries	Pox & open warble holes (Pokha holes)	Flayer cuts and marks	Others	General Condition	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Good	(correspondece to size)	Not allowed.	Not allowed.	Not allowed.	Not allowed except one or two cuts or holes measureing 51 mm. in length in aggregate within 51mm from the fringe.	No brandmarks. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head hoofs removed. No visible signs of heating or hair slips allowed. Overloaded cure or thick plastering not allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitable methods.	Usually all the sizes and assortment (qualities) are packed separately but if packed together it should be indicated on the bales.
2. Fairly good.	(No oversize bull allowed)	Not more than 26 sq. cm. affected by mange scale or other disease marks allowed.	Not more than 26 sq. cm. in aggregate allowed	Not more than 4 scattered all over the skin or 6 concentrated at a particular spot allowed.	Cuts & hoes with a combined length of 76 mm. within 120 mm. from the fringe allowed. Fly marks upto half through the thickness of the other parts of the skin-combined length of 76 mm. only.	-do-	-do-	-do-
3. Thin skin with tolerable substance allowed		Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed	Not more than 10 open holes scattered all over the skin or upto 15 holes concentrated at one particular spot allowed.	Cuts and holes not damaging more than 50% of the skin allowed.	No brand marks. unless within 102 mm. from the fringe allowed. Reasonably free from blood, dirt and other extranneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating. No thick plastering allowed. Some hair slips allowed.	-do-	Maldas described as such free from visible warbles and measured as Muzza farpur may also go under this definition

II. Assortment percentages :

1	2	3
As indicated in the packing specifications and marked on the bales.		

III. Standard minimum measurements in centimeters (Length × Breadth)

Extra-large	Large	Medium	Small	
100 × 45	90 × 40	80 × 35	70 × 3	(For wet salted skins)
81 × 45	74 × 40	67 × 35	60 × 30	(For Drysalted skins)

Or as per the contract between the buyer and the seller.

IV. Standard method of packings

(Percentage contents in a consignment)

Extra-large	Large	Medium	Small	Total
5	25	50	20	100

Or as per the contract between the buyer and seller

Notes : 1. Skins measuring less than 70 cm. in length shall be classed as packed lambs and shall be packed separately.

2. Skins of different territorial nomenclature shall have the charactristics pertaining to the skins of that region and shall be packed separately.

SCHEDULE VI

(See rules 4 & 5)

I. Grade designation and definition of quality of ordinary Patna Goat Skins (P.G.S.) known as "Patna"

Grade	Substance	TOLERANCE					General condition	Remarks
		Mange or scab and skin disease mark	Damage marks due to external injuries	Pox & open warble holes (Pokha holes)	Flayers cuts and marks	Others		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Good (corresponding to size)		Upto two tick marks allowed.	Not allowed	Upto 2 allowed.	Not allowed except one or two cuts or holes measuring 51 mm. in length in aggregate within 51 mm. from fringe.	No brand marks. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head & hoofs removed. No visible signs of heating or hair-slips allowed. Over-loaded cure or thick plastering not allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitable methods.	Usually all the sizes and assortment (qualities) are packed separately but if packed together it should be indicated on the bale.
2. Fairly good (No over-size bull allowed)		Not more than 26 sq. cm. affected by mange scab or tick marks allowed.	Not more than 26 sq. cm. in aggregate allowed.	Not more than 6 scattered over the skin or upto 10 concentrated on a particular spot allowed.	Cuts and holes with a combined length of 76 mm. within 102 mm. free from the fringe allowed. Flay marks upto half through the thickness of the skins allowed in other parts of the skin combined length of 76 mm. only.	-do-	-do-	-do-
3. Thin skin with tolerable substance allowed.		Not more than 39 sq. cm. in aggregate affected by mange, scab or tick marks allowed.	Not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Not more than 10 scattered and upto 15 on a particular spot allowed.	Cuts and holes not damaging more than 50% of the skin allowed.	No branding iron marks unless within 76 mm. from the fringe allowed. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible red spots. Overloaded cure not allowed. Not thick plastering allowed. Slight hair-slips allowed.		

II. Assortment percentages.

III. Standard minimum measurements in centimeters (Length × Breadth).

1	2	3				
As indicated in the packing specifications and marked on the bales.		Extra-large	Large	Medium	Small	
		100 × 45	90 × 40	80 × 35	70 × 30	(for wet-salted skins).
		81 × 45	74 × 40	67 × 35	60 × 30	(for drysalted skins)

IV. Standard method of packing (Percentage contents in a consignment).

Extra-large	Large	Medium	Small	Total
5	25	50	20	100

Or as per the contract between the buyer and the seller.

Note : 1. Skins measuring less than 70mm. in length shall be classed as lambs and shall be packed separately.

2. Skins of different territorial nomenclature shall have the characteristics pertaining to the skins of that region and shall packed separately.

SCHEDULE VII

(See rules 4 & 5)

1. Grade designation and definition of quality of Best Patna (or Muzaffarpur Patna) Goat skins known as "Best Patna" or "Muzaffarpur Patna"

Grade Substance	TOLERANCE					General conditions	Remarks
	Mange or scab and other skin disease marks.	Damage marks due to external injuries	Pox & open warble holes (Pokha holes)	Flayers cuts and marks	Others		
1 2	3	4	5	6	7	8	9
1. Good (Corresponding to size).	Upto two tick marks allowed.	Not allowed.	Only upto 2 allowed.	Not allowed except one or two cuts or holes measuring 51 mm. in length in aggregate within 51 mm. from the fringe.	No brand marks. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Heads and hoofs removed. No visible signs of heating or hair-slips allowed. Overloaded cure or thick plastering not allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitable method.	Usually all the sizes and assortment (qualities) are packed separately but if packed together it should be indicated on the bale.
2. Fairly good (No over size bull allowed).	Not more than 26 sq. cm. affected by mange, scab or other disease marks allowed.	Not more than 26 sq. cm. in aggregate allowed.	Not more than 6 scattered or 10 concentrated on a particular spot allowed.	Cuts and holes with a combined length of 76 within 102 mm. from the fringe allowed. Flay marks upto half through the thickness of the skin allowed in the other parts of the skin-combined length of 76 mm. only.	-do-	-do-	-do-
3. Thin skin with tolerable substance allowed.	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregte allowed.	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Not more than 10 open holes scattered all over the skin or upto 15 holes concentrated at one particular spot allowed.	Cuts & holes not damaging more than 50% of the skin allowed.	No brand marked unless within 102 mm. from the fringe allowed. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head & hoofs removed. No visible signs of heating. No thick plastering allowed. Some hair slips allowed.	-do-	-do-

II. Assortment percentages :

1	2	3
As indicated in the packing specifications and marked on the bales.		

III. Standard minimum measurments in centimeters (Length × Breadth)

Extra-large	large	Medium	Small	
100 × 45	90 × 40	80 × 35	70 × 30	(For wetsalted skins)
81 × 45	74 × 40	67 × 35	60 × 30	(For drysalted skins).

Or as per the contract between the buyer and the seller.

IV. Standard method of packing :

(Percentage contents in a consignment)

Extra-large	Large	Medium	Small	Total
5	25	50	20	100

Or as per the contract between the buyer and seller.

Note : — 1. Skins measuring less than 70 cm. in length shall be classed as lambs and shall be packed separately.

2. Skins of different territorial nomenclature shall have the characteristics pertaining to the skins of that region and shall be packed separately.

SCHEDULE VIII

(See rules 4 & 5)

Grade designation and definition of quality of Muzaffarpur Goat skins (MGS) known as "Muzaffarpures".

Grade	Substance	TOLERANCE					General conditions	Remarks
		Mange or scab and skin disease marks.	Marks due to external injuries	Pox and warble holes (Pokha holes)	Flayers cuts and marks	Others		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Good (Corresponding to size)		Upto two tick marks allowed.	Not allowed.	Only upto 2 allowed.	Not allowed except one or two cuts or holes measuring 51 mm. in length in aggregate within 51 mm. from the fringe.	No brand marks. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating or hairs slips allowed. Overloaded cure or thick plastering not allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitable method.	Usually all the sizes and assortment (qualities) are packed separately but if packed together it should be indicated on the bale. These specifications will apply also to Tirhoots.
2. Fairly good (No over-size bull allowed.)		Not more than 25 sq. cm. affected by mange scab or other disease marks allowed.	Not more than 26 sq. cm. in aggregate allowed.	Not more than 6 scattered all over the skin or 10 concentrated at a particular spot allowed.	Cuts and holes with a combined length of 76 mm. within 102 mm. from the fringe allowed. Flay marks upto half through the thickness of the skin allowed, in the other parts of the skin combined length of 76 mm. only.	-do-	-do-	-do-
3. Thin skin with tolerance substance allowed.		Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Not more than 10 open holes scattered all over the skin or upto 15 holes concentrated at one particular spot allowed.	Cuts and hoofs not damaging more than 50% of the skin allowed.	No brand marks unless within 102 mm. from the fringe allowed. Reasonably free from blood, dirt, and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating. No thick-pastering allowed. Some hair slips allowed.	-do-	-do-

II. Assortment percentages :

1	2	3
As indicated in the packing specifications and marked on the bales.		

III. Standard minimum measurements, in centimenters (Length × Breadth)

Extra-large	large	medium	small	
100 × 45	90 × 40	80 × 35	70 × 30	(For wetsalted skins)
81 × 45	74 × 40	67 × 35	60 × 30	(For drysalted skins)

or as per the contract between the buyer and the seller.

IV. Standard methods of packing (percentage contents in a consignment)

Extra-large	large	medium	small	total
5	25	50	20	100

Or as per the contract between the buyer and the seller.

Note : 1. Skins measuring less than 70 cm. in length shall be classed as lambs and shall be packed separately.

2. Skins of different Territorial nomenclature shall have the characteristics pertaining to the skins of that region and shall be packed separately.

SCHEDULE IX

(See rules 4 & 5)

1. Grade designation and definition of quality of Amritsar Goat Skins known as "Amritsars".

Grade	Substance	TOLERANCE					General conditions	Remarks
		mange or scab and skins disease marks	Marks due to external injuries	Pox and Warble holes (Pokha holes)	Flayers cuts & Marks	Others		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Medium to good.		Area covering not more than 13 sq. cm. in aggregate within 102 mm. of the fringe on the neck allowed.	Not more than 13 sq. cm. in aggregate within 102 mm. of the fringe and on the neck allowed.	Not allowed.	Not allowed except four cuts or holes measuring 76 mm. in length within 102 mm. from the fringe. Flay marks upto half through the thickness of the skin upto a total length of 76 mm. allowed in other parts.	No brand marks. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating of hair slips allowed. Over loaded cure or thick plastering not allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitable methods.	(a) When sold on mesurement basis of sale, may be under any of the groups specified below or as per specifications. (b)Usually all the sizes and assortment (qualities) are packed separately but if packed togther it should be indicated on the bale. (c) Specifications of this Schedule will also apply to Delhi-Amritsar, Delhi-Agra and Delhi-skins.
2. Thin to fine		Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Not more than 4 scattered over the whole skin or not more than 6 concentrated in one particular spot.	Cuts and holes not more than 152 mm. in length in aggregate allowed. Flay marks of any length not more than half deep through the skin allowed but not more than 8 scattered all over or upto 16 if concentrated at one particular spot.	-do-	-do-	-do-
3. Thin skin with tolerable substance.		Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Not more than 10 open holes scattered all over the skin or upto 15 holes concentrated at one particuar spot allowed.	Cuts and holes not damaging more than 50% of skin allowed.	No brand marks unless within 102 mm. from the fringe allowed. Reasonably free from dirt, blood and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating. No thick-plastering allowed. Some hair slips allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitatable method.	-do-

II. Assortment Percentage :

1	2	3
As indicated in the packing specifications and marked on the bales.		

III. Standard minimum measurements in centimeters (Length × Breadth).

Extra-large	large	medium	small	
110 × 60	100 × 55	90 × 50	80 × 45	(For wetsalted skins).
100 × 60	90 × 55	80 × 50	70 × 45	(For drysalted skins).

IV. Standard Method of packing (on weight basis). Or as per the contract between the buyer and the seller).
From 500 to 2,500 lb. for 500 pieces or as per the contract between the buyer and the seller.

V. Standard method of packing (on measurement basis).

Group	Extra-large	Large	Medium	Small
0	0	15	35	50
1	5	15	35	45
2	5	20	35	40
3	10	25	35	30
4	15	30	35	20
5	15	45	40	0

Usual basis either 4th or 5th group.
Besides the above groups , sales on the following measurements are also made:

(i) Extra-large alone ; or

(ii) Large alone; or

(iii) 50% large & 50% extra-large.

Note : (1) Skins measuring less than 70 cm. in length shall be classed as lambs and shall be packed separately.

(2) Skins of different territorial nomenclature shall have the characteristics pertaining to the skins of that region and shall be packed separately.

SCHEDULE X

(See rules 4 & 5).

I. Grade designation and definition of quality of North Eastern or Purab Goat Skins (Dry-salted) known as "Purabs".

Grade	Substance	Tolerance					General Conditions	Remarks
		Mange or Scab and skin disease marks	Marks due to external injuries	Pox & Warble holes (Pokha holes)	Flayers cuts and marks	Others		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Medium to good substance		Not more than 13 sq.cm. in aggregate within 102 mm. of the fringe and on the neck allowed.	Not more than 13 sq.cm. in aggregate within 102 mm. of the fringe and on the neck allowed.	Not allowed.	Not allowed except four cuts or holes measuring 76 mm. in length within 102 mm. from the fringe. Flay marks upto half through the thickness of the skin upto a total length of 76 mm. allowed in other parts.	No brand marks. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters Head and hoofs removed. No visible signs of heating or hairslips allowed. Over loaded cure or thick plastering not allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitable method.	(a) When sold on measurement basis of sale may be under any of the following groups or as per specifications

Group	Extra-large	large	medium	small
0	0	15	35	50
1	5	15	35	45
2	5	20	35	40
3	10	25	35	30
4	15	30	35	20
5	15	45	40	0

Usual basis is either 4th or 5th group. Besides the above groups, sales on the following measurements are also made :—

(i) Extra-large alone; or

(ii) Large along ; or

(iii) 50% large and 50% Extra-large.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Faily good. No over size bull allowed.	Not more then 39 sq.cm. in aggregate allowed.	Not more than 39 sq.cm. in aggregate allowed.	Not more then 4 scattered over the whole skin or not more than 6 concentrated in one particular spot.	Cuts and holes not more than length of 152 mm. in aggregate allowed. Flay marks of any length not more than half deep through the skin allowed, but not more than 8 scattered all over or upto 16 if concentrated at one particular spot.	-do-	-do-	(b) Usually all the sizes assortment (qualities) are packed separately but if packed together it should be indicated on the bale. (c) If, however, they are khari salted (Calcutta practice) or wet-salted than the skins will be graded as per G.K. G.S. (Schedule No. II).

II. Assortment Percentages :

1	2	3

As indicated in the packing specifications and marked on the bales.

III. Standard minimum measurements in centimeters (Length × Breadth).

Extra-lage	Large	Medium	Small	
110 × 60	100 × 55	90 × 50	80 × 45	(For Wetsalted skins)
100 × 60	90 × 55	80 × 50	70 × 45	(For Drysalted skins)

Or as per the contract between the buyer and the seller.

IV. Standard method of packing :

(a) On the Weight basis :

As per contract from 500 to 1200 lb. (227 to 545 kg). for 500 pieces or as per specifications.

(b) On measurement basis :

(Percentage contents in a consignment)

Extra-large	large	medium	Small	Total
10	25	35	30	100

or as per the contract between buyer and the seller.

Notes:—1. Skins measuring less than 70 cm. in length shall be classed as lambs and shall be packed separately.

2. Skins of different territorial nomenclature shall have the characteristics pertaining to the skins of that region and shall be packed separately.

SCHEDULE XI

(See rules 4 and 5)

I. Grade designation and defintion of quality of Lucknow/Kanpur Goat Skins (Dry Salted) known as "Lucknow/Kanpurs".

Grade	Substance	Tolerance					General Conditions	Remarks
		Mange or Scab and skin disease marks	Marks due to external injuries	Pox and Warble holes (Pokha holes)	Flayers cuts and marks	Others		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Medium to good substance	Not more than 13 sq.cm. in aggregate within 102 mm. fringe and on the neck allowed.	Not more than 13 sq. cm. in aggregate within 102 mm. of the fringe and on the neck	Not allowed.	Not allowed except four cuts or holes mesauring 76 mm. in length within 102 mm. from the fringe. Flay marks upto half through the thickness of the skin upto a total length of	No brand marks. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating or hair-slips allowed. Overloaded cure or	Properly preserved or cured by wet or dry salted or by any other suitable method.	(a) When sold on measurement basis of sale may be under any of the following groups or as per specifications.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			allowed.		76 mm. allowed in other parts.	thick plastering not allowed.		

Group	Extra-Large	Large	Medium	Small
0	5	15	35	50
1	5	15	35	45
2	10	20	35	40
3	15	25	35	30
4	15	30	35	20
5		45	40	0

Usual basis is either 4th or 5th group. Besides the above groups, sales on the following measurements are also made :—

(i) Extra-large alone; or
(ii) Large alone;
(iii) 50% Lage and 50% extra-large

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Fairly good No oversize bull allowed.	Not more than 39 sq.cm. in aggregate allowed.	Not more than 39 sq. cm.in aggregate allowed.	Not more than 4 scattered over the whole skin or not more than 6 concentrated in one particular spot allowed.	Cuts and holes not more than length of 152 mm. in aggregate allowed. Flay marks of any length not more than half deep through the skin allowed but not more than 8 scattered all over or upto 16 if concentrated at one particular spot.	-do-	-do-	(b) Usually all the size assortment (qualities) are packed separately but if packed together it should be indicated on the bale. (c) If Khari salted (Calcutta practice) or wet salted then the skin will be graded as per Schedule No. II.

II. Assortment percentages :

1	2	3
85	15	—Total 100

or as specified.

III. Standard minimum measurements in contimeters (Length × Breadth).

Extra-large	Large	Medium	Small	
110 × 60	100 × 55	90 × 50	80 × 45	(For Wet-salted skins)
100 × 60	90 × 55	80 × 50	70 × 45	(For Dry-salted skins)

Or as per the contract between the buyer and the seller.

IV. Standard method of packing :

(a) On weight Basis :

As per contract from 500 to 1000 lbs. (287 to 635 Kg,) (for 500 pieces. Basic for price calculations offer made on 1200 lbs. (545 kg.) for 500 pieces or as specified.

(b) On measurement basis :

(Percentage contents in a consignment)

Extra-large	large	Medium	Small	TOTAL
15	30	35	20	100

Or as per the contract between the buyer and the seller.

Note :—1. Skins measuring less than 70 cm. in length shall be classed as lambs and shall be packed separately.

2. Skins or different territorial nomenclature shall have the characteristics pertaining to the skins of that region and should be packed separately.

SCHEDULE XII

(See rules 4 & 5)

1. Grade designation and definition of quality of Gujarat type goat skins known as "Gujrat type".

Grade	Substance	TOLERANCE						
		Mange or Scab and skins disease marks	Marks due to external injuries	Pox and Warble holes (Pokha Holes)	Flayers cuts and marks	Others	General conditions	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Medium to good	Area covering not more than 13 sq.cm. in aggregate within 102 mm. of the fringe & on the neck allowed.	Area covering not more than 13 sq.cm. in aggregate within 102 mm. of the fringe & on the neck allowed.	Not allowed.	Not allowed except 4 cuts or holes measuring 76 mm. in length within 102 mm. from the fringe. Flay Marks upto half through the thickness of the skin upto total length of 76 mm. allowed in other parts.	No brand marks. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating or hair slips allowed. Over-loading cure or thick plastering not allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitable method.	(a) When sold on measurement basis of sale may be under any of the following groups or as per specifications :—

Group	Extra-large	Large	Medium	Small
0	0	15	35	50
1	5	15	35	45
2	5	20	35	40
3	10	20	35	30
4	15	30	35	20
5	15	40	40	0

Usual basis is either 4th or 5th group. Besides the above groups, sales on the following measurements are also made :—

(i) Extra-large alone; or

(ii) Large alone; or

(iii) 50% large and 50% Extra large.

2.	Thin to fine	Area covering not more than 39 sq.cm. in aggregate allowed.	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Not more than 4 scattered over the whole skin or not more than 6 concentrated in one particular spot.	Cuts and holes not more than length of 152 mm. in aggregate allowed. Flay marks of any length not more than half deep through the skin allowed, but not more than 8 scattered all over or upto 16 if concentrated at one particular spot.	-do-	-do-	(b) Usually all the sizes and assortment (qualities) are packed separately, but if packed together it should be indicated on the bale.
3.	Thin skin with tolerable substance	Area covering not more than 39 sq.cm. in aggregate allowed.	Area covering not more than 39 sq.cm. in aggregate allowed.	Not more than 10 open holes scattered all over the skin or upto 15 holes concentrated at one particular spot allowed.	Cuts and holes not damaging more than 50% of the skin allowed.	No brand marks unless within 102 mm. from the fringe allowed. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating. No thick plastering allowed. Some hairslips allowed.	Properly preserved or cured or by wet or dry salting method or by any other suitable method.	Usually all the sizes assortment (qualities) are packed separately but if packed together it should be indicated on the bale.

II. Assortment Percentages :

1	2	3
85	15	Total 100
or 70	30	Total 100
or 80	20	Total 100

III. Standard minimum measurements in centimeters (Length × Breadth)

Extra-large	large	Medium	Small	
110x60	100x55	90x50	80x45	(For Wetsalted skins).
100x60	90x55	80x50	70x45	(For Drysalted skins).

oras per the contract between the buyer and the seller.

IV. Standard method of packing : (On weight basis).

(From 500 to 2,500 lbs. (227 to 1135 kgs.) for 500 pieces.

NOTE :— 1. Skins measuring less than 70 cm. in length shall be classed as lambs and shall be packed separately.

2. Skins of different territorial nomenclature shall have the characteristics of that region and shall be packed separately.

SCHEDULE XIII

(See rules 4 and 5)

I. Grade designation and definition of quality of Deccan (Bombay and Madhya Pradesh Type Goat skins) known as "Deccans-Bombay/ Madhya Pradesh".

Grade substance	TOLERANCE						Remarks
	Mange or scab & other skin disease marks	Damage marks due to external injuries	Pox and warble holes (Pokha holes)	Flayers cuts and marks	Others	General condition	
1. Medium to good substance.	Area covering not more than 13 sq.cm. space in aggregate within 102 mm. of the fringe and on the neck allowed.	Area covering not more than 13 sq. cm. space in aggregate within 102 mm. of the fringe and on the neck allowed.	Not allowed.	Not allowed except four cuts or holes measuring 76 mm. in length in aggregate within 102 mm. from the fringe.	No brand marks. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating or hairloaded cure or thick plastering not allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitable method.	Usually all the sizes and assortment (qualities) are packed separately, but if packed together it should be indicated on the lable.
2. Thin to good.	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Area covering not more than 6 marks occupying 102 mm. in aggregate allowed & of this only 13 sq. cm. allowed beyond 102mm. from the fringes.	Not more than 4 scattered over the skin or 6 concentrated at a particular spot allowed.	Cuts and holes with a combined length of 152 mm. allowed. Flay marks upto half through the thickness of the skin allowed in the other parts of the skin. However, more than 8 scattered all over or upto 16 if concentrated in one particular spot.	-do-	-do-	-do-
3. Thinner skin allowed.	Area covering not more than 39 sq.cm in aggregate allowed	Area covering not more than 39 sq.cm. in aggregate allowed.	Not more than 10 open holes scattered all over the skin or upto 15 holes concentrated at the particular spot allowed.	Cuts and holes not damaging more than 50% of the skin allowed.	No brand marks unless within 102 mm. from the fringe allowed. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating. No thick plastering allowed. Some hair-slips allowed.	-do-	-do-

I. Assortment percentages

1	2	3	Total
40	40	20	100
or 30	50	20	100

or as specified.

III. Standard minimum measurements in the centimeters (Length × Breadth)

Extra-large	large	Medium	Small
110x60	100x55	90x50	80x45 for wetsalted skins.
100x60	90x55	80x50	70x45 for Drysalted skins.

or as per the contract between the buyer and the seller.

IV. Standard method of packing

(i) On measurement basis (Percentage contents in a consignment)

	Extra-large	Large	Medium	Small	Total
(a)	10	20	35	35	100
or (b)	10	20	30	40	100
or (c)	15	25	35	25	100

(ii) On weight basis :—From 150 lbs. to 820 lbs. (68 to 100 kgs.) for 100 skins or as per the contract between the seller and the buyers.

NOTE :—1. Skins measuring less than 70 cm. in length shall be classed as lambs and shall be packed separately.

2. Skins of different territorial nomenclature shall have the characteristics pertaining to the skins of that region and shall be packed separately.

SCHEDULE XIV

(See rules 4 and 5)

Grade designation and definition of quality of Kakinada Goat Skin known as "Kakinadas"

Grade	Substance	TOLERANCE						Remarks
		Mange or scab & other skin disease marks.	Marks due to external injuries.	Pox & warble holes (Pokhs holes)	Players cuts and marks	Others	General conditions	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Medium to good substance.	Area Covering not more than 13 sq. cm. in aggregate within 102 mm. of the fringe & of the neck allowed.	Area covering not more than 13 sq. cm. in aggregate within 102 mm. of the fringe & of the neck allowed.	Upto 4 allowed if within 102 mm. of the fringe	Not allowed except two cuts or holes measuring 51 mm. in length in aggregate within 51 mm. from the fring	No. brand marks. reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating or hair-slips allowed. Over-loaded cure or thick plastering not allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitable method.	Usually all the sizes and assortment (qualities) are packed separately but if packed together, it should be indicated on the bale.
2. Thin to Fair substance.	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Area covering more than 39 sq. cm. in wed. aggregate allowed.	Upto 8 allowed.	Cut and holes with a combined lenghth or 76 mm. within 102 mm. from the fringe allowed. Flay marks up to half through the thickness of the skin allowed in the other parts of the skin combined length of 76 mm. only	Do.	Do.	Do.

II. Standard Assortment percentages:—

1	2	3
As indicated in the packing specifications and marked on the bales.		

III. standard measurements in centimeters (minimum length only).

Extra-large	Large	Medium	Small	
..	100	80	80	for wetsalted skins.
..	90	70	70	for drysalted skins.

Or as per the contract between the buyer and the seller.

IV. Standard approximate weight
(For 100 pieces of dry-salted goat skins) as per specifications.)

V. Standard method of packing.

Large	Medium	Small	Total
20	40	40	100

Or as per the contract between the byer and the seller.

Note:—1. Skins measuring less than 70 cm. in length shall be classed as lambs and shall be packed separately.

2. Skins of different territorial nomenclature shall have the characteristics pertaining to the skins of the region and shall be packed separately.

SCHEDULE XV

(See rules 5 and 4)

1. Grade designation and definition of quality of "Madras districts" and "Dindigul" goat skins known as "Madras Districts" and "Dindiguls".

Grade	TOLERANCE						Remark
Substance	Mange or scab and other skin disease marks	Marks due to external injuries	Pox and warble holes (Pokhs holes)	Flayers cuts and marks.	Others	General conditions	
1 2	3	4	5	6	7	8	9
1. Medium to good substance.	Area covering not more than 13 sq. cm. in aggregate within 102 mm. of the fringe and on the neck allowed.	Area covering not more than 13 sq. cm. in aggregate within 102 mm. of the fringe and on the neck allowed.	Not allowed	Not allowed except two cuts or holes measuring 51 mm, in length in aggregate within 51 mm. from the fringe.	No brand marks. Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating or hair-slips allowed. Over-loaded cure or thick plastering not allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other method.	Usually all the sizes and assortment (qualities) are packed separately, but if picked together it should be indicated on the bale.
2. Thin to fair substance.	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Area covering not more than 39 sq. cm. in aggregate allowed.	Not more than 4 scattered all over the skin or 6 concentrated at a particular spot.	Cuts and holes with a combined length of 76-mm. within 102 mm. from the fringe allowed. Flay marks up to half through the thickness of the skin allowed in the other parts of the skin combined length of 76mm. only.	Do.	Do.	Do.

II. Standard Assortment Percentage

1	2	3
As indicated in the packing specifications and marked on the bales.		

III. Standard Measurements in centimeters (minimum length only).

Extra-large	Large	Medium	Small	
	100	90	80	for wetsalted skins
	90	80	70	for drysalted skins.

Or as per the contract between the buyer and the seller.

IV. Standard approximate weight.
(for 100 pieces of drysalted goat skins)
As per specifications.

V. Standard method of packing :

Large	Medium	Small	Total
20	40	40	100

Or as per the contract betwen the buyer and the seller.

Note :—1. Skins measuring less than 70 cm. in length shall be classed as lambs and shall be packed separately.

2. Skins of different territorial nomenclature shall have the characteristics pertaining to the skins of the region and shall be packed separately.

SCHEDULE XVI

(See rules 4 and 5)

I. Grade designation and definition of quality of special Dindigul goat skins known as "Special Dindiguls"

Grade substance	TOLERANCE						Remarks
	Mange or scab and other skin disease marks	Marks due to external injuries	Pox & warble holes (Pokhs holes).	Flayers cuts and marks	Others	General Condition	
1 2	3	4	5	6	7	8	9
1. Good	Not allowed.	Not allowed.	Not allowed.	Not allowed except two cuts or holes measuring 51 mm. in length in aggregate within 51 mm. from the fringe.	No brand marks Reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating or hair-slips allowed. Overloaded cure or thick plastering not allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitable method.	Usually all the sizes and assortment (qualities) are packed separately but if packed together it should be indicated on the bale.
2. Fairly Good	Area covering not more than 26 sq. cm. affected by mange, scab or other disease marks allowed.	Area covering not more than 26 sq. cm. in aggregate allowed.	Not more than 4 scattered all over the skin or 6 concentrated at a particular spot allowed.	Cuts and holes with a combined length of 76 mm. within 102 mm. from the fringe allowed. Flay marks upto half through the thickness of the skin allowed in the other parts of the skin combined length of 76 mm. only.	Do.	Do.	Do.

II. Standard assortment Percentage

1	2	3
		Total
80	20	100
or as specified.		

III. Standard measurement

In centimeters (Miniumum length only)

Extre-large	Medium	Small	Large	
..	100	90	80	for wetsalted skin.
..	90	80	70	For Drysalted skin.

Or as per the contract between the buyer and the seller.

IV. Standard Approximate weight.
(for 100 pieces of Dry salted goat skins.)
As per specifications.

V. Standard method of Packing

Large	Medium	Small	Total
20	40	40	100

Or as per the contract between the buyer and the seller.

Note :—1. Skings measuring less than 70 cm. in length shall be classed as lambs and shall be packed separately.

2. Skins of different territories nomenclature shall have the characteristics pertaining to that region and shall be packed separately.

SCHEDULE XVII

(See rules 4 and 5)

1. Grade designation and definition of quality of Malabar Goat Skins known "Malabars".

Grade substance	TOLERANCE					General Condition	Remarks
	Mango or scab & other skin disease marks.	Marks due to external injuries	Pox and Warble holes (Pokhar holes)	Flayers cuts and marks	Others		
1 2	3	4	5	6	7	8	9
1. Medium to good substance.	Area covering not more than 13 sq. cm. space in aggregate within 102 mm. of the fringe and on the neck allowed.	Area covering not more than 4 marks occupying not more than 13 sq. cm. space in aggregate within 102 mm. from the fringe allowed.	Not allowed	Not allowed except one or two cuts or holes measuring 51 mm. in length in aggregate within 51 mm. from the fringe.	No brand marks reasonably free from blood, dirt and other extraneous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating or hairslips allowed. Overloaded cure or thick plastering not allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salting or by any other suitable method.	Usually all the sizes and assortment (qualities) are packed separately but if packed together it should be indicated on the bale.
2. Thin to fair substance.	Area covering not more than 26 sq. cm. in aggregate allowed and of this only 13 sq. cm. allowed beyond 102mm. from the fringe.	Area covering not more than 26 sq. cm. in aggregate allowed and of this only 13 sq. cm. allowed beyond 102mm. from the fringe.	Not more than 4 scattered all over the skin or 6 concentrated at a particular spot allowed.	Cuts and holes with a combined length of 76mm. within 102mm. from the fringe allowed. Flay marks upto half through the thickness of the skin allowed in the other parts of the skin combined length of 76 mm. only.	Do.	Do.	Do.

II. Assortment percentages

1	2	3
		Total
80	20	100

III. Standard measurements in centimeters (Minimum length only)

Extra-large	Large	Medium	Small	
..	100	90	80	For Wetsalted skins.
..	90	80	70	For Drysalted skins.

Or as per the contract between the buyer and the seller.

IV. Standard approximate weight :
(For 100 pieces or dry salted goat skins)
As per specifications.

V. Standard method of packing:
(percentage contents in a consignment)

Large	Medium	Small	Total
..	50	50	100

Or as per the contract between the buyer and the seller.

Note :—(1) Skins measuring less than 70 cm. in length shall be classed as lambs and shall be packed separately.

(2) Skins of different territorial nomenclature shall have the characteristics pertaining to that region and shall be packed separately.

SCHEDULE XVIII

(See rules 4 and 5)

I. Grade designation and definition of quality of Deccan (Madras) Goat skins known as "Deccans/Madras."

Grade	Substance	TOLERANCE					General conditions	Remarks
		Mange or scab and other skin disease marks.	Marks due to external injuries	Pox and warble holes (Pokhar holes)	Flayers cuts and marks	Others		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Medium to good substance.		Area covering not more than 13 sq. cm. space in aggregate within 102 mm. of the fringe & on the neck allowed.	Not more than 4 marks occupying not more than 13 sq. cm. space in aggregate within 102 mm. of the fringe and on the neck allowed.	Not allowed	Not allowed except one or two cuts or holes measuring 51 mm. in length in aggregate within 51 mm. from the fringes	No brand marks reasonably free from blood, dirt and other extranous matters. Head and hoofs removed. No visible signs of heating or hair slips allowed. Over-loaded cure or thick-plastering not allowed.	Properly preserved or cured by wet or dry salt or by any other suitable method.	Usually all the sizes and assortment (qualities) are packed separately, but if packed together, it should be indicated on the bales.
2. Thin to fair substance.		Area covering not more than 26 sq. cm. in aggregate allowed and of this only 13 sq. cm. allowed beyond 102 mm. from the fringe.	Not more than 6 marks occupying more than 26 sq. cm. in aggregate allowed and of this only 13 sq. cm. allowed beyond 102mm. from the fringe.	Not more than 4 scattered all over the skin or 6 concentrated at a particular spot allowed.	Cuts and holes with a combined length of 76 mm. within 102 mm. from the fringe, allowed. Flay marks upto half through the thickness of the skin allowed in the other parts of the skin combined length of 76 mm. only.	Do.	Do.	Do.

II. Standard assortment percentages:—

1	2	Total
75	25	100

III. Standard Minimum measurements in centimeters (Length and Breadth)

Extra-large	Large	Medium	Small	
..	100+55	90+50	80+45	For Wetsalted skins.
..	90+55	80+50	70+45	For Drysalted skins.

Or as per the contract between the buyer and the seller.

IV. Standard Method of packing :

(Percentage contents in a consignment)

Large	Medium	Small	Total
20	40	20	100

Or as per the contract between the buyer and the seller.

Note :—(1) Skins measuring less than 70 cm. in length shall be classed as lambs and shall be packed separately.

(2) Skins of different territorial nomenclature shall have the characteristics pertaining to that region and shall be packed separately.

[No. F. 13-20/68-A.M.]

PARKASH CHANDER, Under Secy

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 1978

का० आ० 2287.—केन्द्रीय सरकार को इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति को, भारत के पूर्त विन्यास के कोषपाल में निहित करने के लिए एक आवेदन किया गया है ; जिसका प्रयोग भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3371 तारीख 27 नवम्बर, 1963 में प्रकाशित स्कीम के अनुसार किया जाएगा ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्वोक्त आवेदन किए जाने पर, यह निदेश देती है कि उक्त सम्पत्ति भारत के पूर्त विन्यास के कोषपाल में निहित होगी, जो उसके द्वारा धार्य होगी, और यह भी निदेश देती है कि उक्त संपत्ति और उसकी आय का उपयोग पूर्वोक्त स्कीम में कथित निबन्धनों के अनुसार किया जाएगा ।

अनुसूची

पुस्तकालय विज्ञान के लिए शारदा रंगनाथन विन्यास की ओर से 100000/- रु० की राशि डाकखाने में 5 वर्षीय आवधिक जमा खाता सं० 633046 में विनिहित होगी जो 12 दिसंबर, 1977 से प्रभावी होगा और जो 12 दिसम्बर, 1982 को 10% वार्षिक दर की ब्याज के साथ प्रतिसंदेय होगी ।

[सं०.एफ० 4-17/78-सी० ए० 1(3) पुस्तकालय]

एम० लक्ष्मीनारायण, अवर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 30th June, 1978

S.O. 2087.—Whereas an application has been made to the Central Government for vesting the property, specified in the Schedule appended hereto, in the Treasurer of Charitable Endowments for India, to be applied in accordance with the Scheme published with the notification of the Government of India in the Late Ministry of Education No. S.O. 3371, dated the 27th November, 1963;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), and on the application as aforsaid the Central Government hereby directs that the said property shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him and directs that the said property and the income thereof shall be applied in accordance with the terms set out in the aforesaid scheme.

SCHEDULE

A sum of Rs. 1,00,000 invested on behalf of the Sarada Ranganathan Endownment for Library Science in 5-Year Post Office Time Deposit Account No. 633046, the deposit being effective from the 12th December, 1977, repayable on the 12th December, 1982, with interest at the rate of 10 per cent per annum.

[No. F. 4-17/78-CAI(3)Lib.]

M. LAKSHMINARAYANA, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1978

का० आ० 2088.—कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1978 है ।

2. कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 के खण्ड II में "पूर्ण कालिक" शब्द के पश्चात "या अंशकालिक शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

[फा० सं० एल०डी०ओ०/55/78-एल-II(1)]

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 1st July, 1978

S.O. 2088.—The following draft of a Scheme further to amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1978.

2. In clause 11 of the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 after the words "a whole-time", the words "or part-time" shall be inserted.

[File No. LDO/55/78-L.II(i)]

का० आ० 2089.—कलकत्ता छीलन और रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कलकत्ता छीलन और रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1978 है ।

2. कलकत्ता छीलन और रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 के खण्ड II में "पूर्णकालिक" शब्द के पश्चात् "या अंशकालिक" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

[फा० सं० एल०डी०ओ/55/78-एल-II (2)]

S.O. 2089.—The following draft of a Scheme further to amend the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1978.

2. In clause 11 of the Calcutta Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, after the words "a whole-time" the words "or part-time" shall be inserted.

[File No. LDO/55/78-L-II(ii)]

का०आ० 2090.—मुम्बई डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मुम्बई डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1978 है ।

2. मुम्बई डाक कर्मकार (विनियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के खण्ड 10 में "पूर्ण कालिक" शब्द के पश्चात "या अंशकालिक" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

[फा० सं० एल डी ओ/55/78-एल आई-II (3)]

S.O. 2090.—The following draft of a Scheme further to amend the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1978.

2. In clause 10 of the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment Scheme, 1956, after the words "a whole-time", the words "or part-time" shall be inserted.

[File No. LDO/55/78-L. II (iii)]

का०आ० 2091.—मुम्बई छीलन रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मुम्बई छीलन और रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1978 है ।

2. मुम्बई छीलन और रंगरोगन कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 के खण्ड 10 में "पूर्ण कालिक" शब्द के पश्चात् "या अंश कालिक" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

[फा० सं० एल डी ओ/55/78-एल-II (4)]

S.O. 2091.—The following draft of a Scheme further to amend the Bombay Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Bombay Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1978.

2. In clause 10 of the Bombay Chipping and Painting Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969, after the words "a whole-time", the words "or part-time" shall be inserted.

[File No. LDO/55/78-L II-(iv)]

का०आ० 2092.—मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन स्कीम, 1956 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप

पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1978 है ।

2. मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के खण्ड 10 में "पूर्ण कालिक" शब्द के पश्चात् "या अंश कालिक" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

[फा०सं०एल डी ओ/55/78-एस-II(5)]

S.O. 2092.—The following draft of a Scheme further to amend the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1978.

2. In clause 10 of the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, after the words "a whole-time", the words "or part-time" shall be inserted.

[File No. LDO/55/78-L. II(v)]

का०आ० 2093.—कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1959 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1978 है ।

2. कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 के खण्ड 10 में "पूर्ण कालिक" शब्द के पश्चात "या अंश कालिक" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

[फा०सं० एल डी ओ/55/78-एल-II(6)]

S.O. 2093.—The following draft of a Scheme further to amend the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme 1959, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1978.

2. In clause 10 of the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, after the words "a whole-time", the words "or part-time" shall be inserted.

[File No. LDO/55/78-L. II(vi)]

का०आ० 2094.—विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1978 है ।

2. विशाखापत्तनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 के खण्ड 10 में "पूर्ण कालिक" शब्द के पश्चात् "या अंश कालिक" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

[फा०सं० एल डी ओ/55/78-एल-II-(7)]

S.O. 2094.—The following draft of a Scheme further to amend the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1978.

2. In clause 10 of the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, after the words "a whole-time", the words "or part-time" shall be inserted.

[File No. LDO/55/78-L. II(vii)]

का०आ० 2095.—मारमुगाओ डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मारमुगाओ डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1978 है।

2. मारमुगाओ डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965 के खण्ड 11 में "पूर्ण कालिक" शब्द के पश्चात "या अंश कालिक" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा।

[फा० सं० एल डी ओ/55/78-एल-II(8)]

S.O. 2095.—The following draft of a Scheme further to amend the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1955 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1978.

2. In clause 11 of the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965, after the words "a whole-time", the words "or part-time" shall be inserted.

[File No. LDO/55/78-L. II (viii)]

का०आ० 2096.—कांडला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार डाक कर्मकार (नियोजना का विनियमन) अधिनियम 1948, की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कांडला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1978 है।

2. कांडला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 के खण्ड 11 में "पूर्व कालिक" शब्द के पश्चात "या अंश कालिक" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा।

[फा०सं० एल डी ओ/55/78-एल-II(9)]

एस० एन० कक्कर, उप सचिव

S.O. 2096.—The following draft of a Scheme further to amend the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment Scheme, 1969 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1978.

2. In clause 11 of the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme 1969, for the words. "The Deputy Chairman shall be an officer of the Board", the words "The Deputy Chairman shall be a whole-time or part-time officer of the Board" shall be substituted.

[File No. LDO/55/78-L. II(ix)]

S. N. KAKAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1978

का०आ० 2097.—मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० आ० 537(ई) तारीख 9 अगस्त, 1972 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग का निम्न प्रकार से पुनर्गठन करती है :—

1.	श्री बी० महाजन, संयुक्त सचिव (परिवहन) नौवहन और परिवहन मंत्रालय, परिवहन पक्ष नई दिल्ली	
2.	श्री ए० एन० सक्सेना संयुक्त निदेशक, यातायात वाणिज्यिक, (मारकेटिंग और बिक्री) रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)	अध्यक्ष सदस्य
3.	निदेशक परिवहन अनुसंधान, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, परिवहन पक्ष, नई दिल्ली	सदस्य
4.	श्री एल एस बस्सी मुख्य इंजीनियर (योजना) नौवहन और परिवहन मंत्रालय, (सड़क पक्ष) नई दिल्ली	सदस्य

[सं० टी०आई०टी०(14)/76]

एन० ए० ए० नारायणन, उप सचिव

New Delhi, the 3rd July, 1978

S.O. 2097.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 63A of the Motor Vehicles Act, 1939, (4 of 1939), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 537(E), dated the 9th August, 1972, the Central Government hereby reconstitutes the Inter-State Transport Commission, as follows :—

(1) Shri B. B. Mahajan,
Joint Secretary (Transport),
Ministry of Shipping and Transport,
Transport Wing, New Delhi ...Chairman.

(2) Shri A. N. Saksena,
Joint Director, Traffic Commercial,
(Marketing and Sales),
Ministry of Railways (Railway Board) ...Member.

(3) Director, Transport Research,
Ministry of Shipping and Transport,
Transport Wing, New Delhi ...Member.

(4) Shri L. S. Bassi,
Chief Engineer (Planning),
Ministry of Shipping and Transport,
(Roads Wing), New Delhi. ...Member

[No. TIT(14/76]

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1978

का० आ० 2098.—मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 (1939 का 4) की धारा 63क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० आ० 537(ई) तारीख 9 अगस्त, 1972 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग का निम्न प्रकार से पुनर्गठन करती है :—

1. श्री बी० बी० महाजन,
(संयुक्त सचिव (परिवहन)
नौवहन और परिवहन मंत्रालय,
परिवहन पक्ष, नई दिल्ली अध्यक्ष

2. श्री ए० एन० सक्सेना
संयुक्त निदेशक, यातायात वाणिज्यिक,
(मारकेटिंग और बिक्री)
रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) सदस्य

3. निदेशक परिवहन अनुसंधान,
नौवहन और परिवहन मंत्रालय,
परिवहन पक्ष, नई दिल्ली। सदस्य

4. श्री एल०एस० बस्सी,
मुख्य इंजीनियर (योजना),
नौवहन और परिवहन मंत्रालय,
(सड़क पक्ष) नई दिल्ली सदस्य

[सं० टी० आई० टी० (14)/76]
एम० ए० ए० नारायणन, उप सचिव

New Delhi, the 3rd July, 1978

S.O. 2098.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 63A of the Motor Vehicles Act, 1939, (4 of 1939), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 537(E), dated the 9th August, 1972, the Central Government hereby reconstitutes the Inter-State Transport Commission, as follows :—

(1) Shri B. B. Mahajan,
Joint Secretary (Transport),
Ministry of Shipping and Transport,
Transport Wing New Delhi ..Chairman.

(2) Shri A. N. Saksena,
Joint Director, Traffic Commercial
(Marketing and Sales),
Ministry of Railways (Railway Board)
..Member.

(3) Director, Transport Research,
Ministry of Shipping and Transport,
Transport Wing, New Delhi .Member.

(4) Shri L. S. Bassi,
Chief Engineer (Planning),
Ministry of Shipping and Transport,
(Roads Wing), New Delhi ..Member.

[No. TIT(14)/76]
N. A. A. NARAYANAN, Dy. Secy.

संचार मंत्रालय

(भारतीय डाक तार विभाग)

कलकत्ता, 7 नवम्बर, 1977

का० आ० 2099.—श्री अभय चरण सरकार, छंटाई डाकिया (सॉर्टिंग पोस्ट मैन) टेंगरा डाक-घर, के संबंध में विभागीय पूछ-ताछ के लिए श्री नागेन्द्र मोहन मजुमदार और श्रीमती सुमीति बाला देवी, जो दोनों ही नॉर्थ आनन्द पुरी, डाकघर बैरकपुर, जिला, चौबीस परगना, के रहने वाले हैं, को गवाही देने के लिए बुलाने का केन्द्रीय सरकार विचार करती है।

विभागीय पूछ-ताछ अधिनियम 1972 (1972 का 18) (गवाहों की उपस्थिति के लिए जोर देने तथा प्रलेखों (डकुमेन्ट्स) प्रस्तुत करने की धारा 4 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते अब इसलिए श्री एम० आर० बरुआ, सहायक अधीक्षक, रेलवे डाक-सेवा, (एल)/3बी (कलकत्ता), रेलवे डाक-सेवा प्रभाग, कलकत्ता को इस पूछ-ताछ का प्राधिकार केन्द्रीय सरकार देती है। वे अधुक्ति अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकार का प्रयोग, उपर्युक्त गवाहों को बुलाने, उनकी उपस्थिति पर जोर देने और शपथपूर्वक गवाही लेने के लिये कर सकते हैं।

[संख्या जी०आई० जी०/जेड-89/15/77-78]
एस० के० घोष, महाडाकपाल
पं० बंगाल परिमण्डल

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts & Telegraphs)

Calcutta, the 7th November, 1977

S.O. 2099.—So, whereas the Central Government is of opinion that for the purposes of Departmental enquiry in relation to Shri Abhoy Charan Sarkar, Sorting Postman, Tengra P.O. it is necessary to summon as witness, Shri Nagendra Mohan Mazumder and Smt. Suniti Bala Devi, both residing at North Anandapuri, P.O. Barrackpore, Dist. 24 Paraganas.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 4 of the Departmental Enquires (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), the Central Government hereby authorises Shri M. R. Barua, Assistant Superintendent, Railway Mail Service (L/3B), Calcutta Railway Mail Service Division, Calcutta as the Enquiring Authority to exercise the powers specified in section 5 of the said Act in relation to the summoning and enforcing the attendance of the witnesses aforesaid and examining them on oath.

[No. Vig./Z-89/5/77-78]
S. K. GHOSH, Postmaster General,
West Bengal Circle

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून, 1978

का० आ० 2100.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इस, के द्वारा निर्देश देते हैं कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) नियमावली, 1955 के नियम 86 के उप-नियम 1 क के परन्तुक के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त पुनर्वास विभाग, नई दिल्ली द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है।

[सं० 1(11)/विशेष सेल/78/एस-एस-ii]

कौशल कुमार, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

MINISTRY OF SUPPLIES & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 20th June, 1978

S.O. 2100.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) the Chief Settlement Commissioner hereby directs that powers exercisable by him under the proviso to Sub-Rule 1A of Rule 86 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Rules 1955 shall be exercisable also by the Deputy Chief Settlement Commissioner (G) in the Department of Rehabilitation, New Delhi.

[No. 1(11)/Spl. Cell/78/S.S. II]

KAUSHAL KUMAR, Chief Settlement Commissioner

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 1978

का० आ० 2101.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 16 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय के अपर सचिव, श्री के० डी० मदान को 30 जून, 1978 के अपराह्न से अगले आदेश जारी होने तक श्री टी० एन० लक्ष्मीनारायणन के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या ए-12026/1/78-एच० आई०]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 30th June, 1978

S.O. 2101.—In pursuance of Section 16 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government appoints Shri K. D. Madan, Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Labour, as Director General, Employees' State Insurance Corporation, with effect from the afternoon of the 30th June, 1978 until further orders vice Shri T. N. Lakshminarayanan.

[No. A-12026/1/78-HI]

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1978

का० आ० 2102.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से (1) भारत गोल्ड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड (केन्द्रीय कर्मशाला) ऊरगांव डाकघर, कोलार स्वर्ण क्षेत्र (2) भारत गोल्ड माइन्स प्राइवेट लि० (ऊरगांव डेयरी), ऊरगांव डाकघर, कोलार स्वर्ण क्षेत्र और (3) भारत गोल्ड माइन्स प्राइवेट लि० (ऊरगांव मुद्रणालय) ऊरगांव डाकघर, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 15 अप्रैल, 1978 से 30 जून, 1978 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तन मान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अवधि' कहा गया है), ऐसी विवरणियां, ऐसे प्रूफ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(i) धारा 44 की उप धारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा उयथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख का, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उस कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सन्दाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियों और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दें, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्त्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने में समय लगा। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि कारखाने छूट के पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एस० 38014/18/78-एच० आई०]

एस० एस० सहस्रानामन, उप सचिव

New Delhi, the 4th July, 1978

S.O. 2102.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby exempts (1) Bharat Gold Mines Private Limited (Central Workshop), Oorgaum Post Kolar Gold Fields, (2) Bharat Gold Mines Private Limited (Oorgaum Dairy), Oorgaum Post, Kolar Gold Fields and (3) Bharat Gold Mines Private Limited (Oorgaum Printing Press), Oorgaum Post, Kolar Gold Fields from the operation of the said Act for the period from the 15th April, 1978 upto and inclusive of 30th June, 1978.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations of 1950;

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory :—

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of prsons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other officials has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/18/78/HI]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 1978

का० आ० 2103.—संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 3 के साथ पठित संविद श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1890, तारीख 18 मई, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 के सामने

"श्री डी० बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव"

शब्दों और अक्षरों के स्थान पर

"श्री के० डी० मदान, अपर सचिव"

शब्द और अक्षर रखे जायेंगे ।

[संख्या यू० 23013/1/78-एल०डब्लू०]

मीना गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 30th June, 1978

S.O. 2103.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), read with rule 3 of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Central Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1890, dated the 18th May, 1976, namely :—

In the said notification, against serial No. 1, for the words and letter "Shri D. Bandyopadhyay, Joint Secretary", the words and letters "Shri K. D. Madan, Additional Secretary" shall be substituted.

[No. U-23012/1/78-LW]

MISS MEENA GUPTA, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 30 जून, 1978

का० आ० 2104.—दिनांक 3 मई, 1978 में, जिसके द्वारा श्री डी० डी० गुप्ता की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली से 111 औद्योगिक विवाद श्री महेश चन्द्र की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली को स्थानान्तरित किए गए थे, निम्नलिखित संशोधन किया जाता है ।

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद संख्या, 16 के सामने की प्रविष्टियों में संशोधन करके इस प्रकार पढ़ा जाए :—

"1976 का सी जी० आई डी० संख्या 31 — स्टेट बैंक आफ इंडिया बनाम श्री जे० एन० मिश्र।"

[सं० एल-12025/21/76-डी०-2ए/डी-4बी]

रामप्रसाद नरूला, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th June, 1978

S.O. 2104.—The following amendment is made to the Ministry of Labour notification No. L-12025/21/76-D. II. A/D. IV B dated 3-5-1978 transferring 111 industrial disputes from Central Government Industrial Tribunal, Delhi presided over by Shri D. D. Gupta to Central Government Industrial Tribunal New Delhi presided over by Shri Mahesh Chandra :—

In the Schedule to the above notification the entries against item No. 16 may be amended to read as follows :—

"CGID No. 31 of 1976—State Bank of India V/s. Shri J. N. Misra."

[No. L-12025/21/76-D.II A/D. IV B.]

R. P. NARULA, Under Secy.

New Delhi, the 1st July, 1978

S.O. 2105.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Alleppey Company Limited and General Export Company, Clearing and Forwarding Agents, Cochin and their workmen which was received by the Central Government on the 30th June, 1978.

BEFORE THIRU K. SELVARATNAM, B. A., B. L., INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Industrial Dispute No. 38 of 1977

New Delhi, the 14th June, 1978

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of M/s. Alleppey Company Limited and General Export Company, Clearing and Forwarding Agents, Cochin).

BETWEEN

The workmen represented by

The President, Cochin Port Shipping and Clearing Staff Association, 1st Main Road, Willingdon Island, Cochin-682003.

AND

The Manager, M/s. Alleppey Company Limited & General Export Company, Clearing and Forwarding Agents, Willingdon Island, Cochin-682003.

REFERENCE :

Order No. L-35011(2)/76-D. IV (A), dated 25th June, 1977 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for final hearing on Tuesday, the 6th day of June, 1978 upon persuing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru K. R. B. Kaimal, Advocate appearing for the workmen and of K. V. R. Shenoi for Menon and Pai, advocates for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :

AWARD

This is a reference by the Government of India under section 10 (1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of an industrial dispute between the Management of M/s. Alleppey Company Limited and General Export Company, Clearing and Forwarding Agents, Cochin and their workmen in the matter of revision of wages and variable Dearness Allowance.

(2) The issue under reference is as follows :

Whether the employees of Messrs Alleppey Company Limited and General Export Company, Clearing and Forwarding Agents, Cochin-682003 are justified in demanding revision and enhancement of their present wages and Variable Dearness Allowance? If so, what should be the increase?

(3) The workmen filed a claim statement, wherein they contend as follows : The petitioners are staff of M/s. Alleppey Company Limited and General Export Company, Clearing and Forwarding Agents, Cochin. The staff of the General Export Company are 4 in number. They are : One Senior Clerk, One Cashier, One Telex Operator and one Peon. The Staff of the Alleppey Company Limited consists of 6 members, namely, One Senior Clerk, C & F Department, 3 Clerks of C & F Department, one Peon and one Peon cum Night Watchman. The Association on behalf of the above said Companies placed the following demands : (1) An increment of 17½ per cent over the drawn salary as at 1st January, 1976, (2) On the total index the first 750 points free, for the balance payment be made at the rate of 25 paise per point effective from 1st January, 1976 and (3) bonus at the rate of 20 per cent to be paid to the staff as paid before. In that connection, there was an exchange of letters between the Mangement and the Labour Officers. But the conciliation proceedings failed.

(4) The two companies are one and the same as except the General Export Company looks after the interests of the Steamer Agency on behalf of the Steamer Owners and the Alleppey Company Limited looks after the Shipping and Clearing works of other clients as well as their own, known as Kerala Balers Limited, Alleppey. The business of the General Export Company is as follows : They advertise a Steamer, book cargo for the destinations as authorised by the owners abroad or as directed by their principal agents in India. They collect a commission on the total tonnage loaded at Cochin or on the total freight earned on the Steamer. All direct expenses such as port charges, stevedoring cables exchanged, trunk calls, telephone calls, tally wages paid, conveyance, entertainments, etc., are all debited to the Steamer, including postage. The net profit is derived after deducting establishment charges, wages and allowance to staff, etc. In

the year ended 1975, a total of 12 Steamers had been berthed at Cochin and in clearing the Company earned a net commission of Rs. 1,95,125-80. Similarly in the year ended 1976, they earned a net commission of Rs. 1,61,689-88. The Alleppey Company Limited, Cochin are shipping and clearing agents receiving cargo for exports from their clients, removes cargo from the godowns to the wharf for shipments and they also undertake the shipments of their sister concern Messrs. Kerala Balers Limited, Alleppey. In addition, they also clear cargo imported from abroad for and on behalf of their clients. They handle both export and import cargo through the port of Cochin. The net profit earned by the Management of the Alleppey Company for the year ended 1975 was approximately Rs. 88,817. The net profits earned for the year 1976 was Rs. 1,23,095-64. Therefore the wages and Dearness Allowance paid by the Company to their workmen is quite inadequate having regard to the raise in the cost of living and the cost of food stuffs are shooting up day by day. Therefore it is just and necessary that there should be a revision of wages and Dearness Allowance.

(5) A counter was filed by the Management and they contend as follows : The Alleppey Company Limited is a public limited company incorporated under the Companies Act having its Registered office at Alleppey in the Alleppey District. It has a branch office at Wellingdon Island, Cochin. The Cochin office is carrying on the business of clearing and forwarding agents. Four clerical staff and two subordinate staff are employed in the Cochin office. The General Export Company, Cochin is a proprietary concern and its office and place of business is also in Willingdon Island, Cochin and the business carried on by them is a steamer agency. Four persons are employed in the office. The establishment of Alleppey Company and the establishment of the General Export Company are independent establishments. The volume of business done by the Steamer Agency business is very small. Four or five steamers in a year and that too with limited loading of cargo, call at the Cochin Port under the agency of General Export Company. The same is the position regarding the business of clearing and forwarding carried on by the Cochin branch of the Alleppey Company Limited. The salary scales, dearness allowance and other terms and conditions of service of the Staff workmen concerned in the dispute are governed by the memorandum of settlement dated the 18th March, 1974. As a result of the settlement, the wage scales were substantially increased and the variable dearness allowance limited to Ernakulam cost of living was introduced. The above settlement was for a period of two years from the 1st January, 1974 and it has not been terminated according to law. Therefore it is deemed to continue. The reference of the disput for adjudication is therefore violative of Section 19 of the Industrial Disputes Act and hence bad in law and without jurisdiction. As such the claim bad in law and without jurisdiction. As such the claim is not maintainable. Even on merits, the salary scales and dearness allowance agreed to by the settlement referred above are extremely fair and reasonable and do not call for any revision or enhancement. They have also compared favourably with the existing wage rates in other comparable establishments in the region. Similar employees of the Alleppey Company Limited at its Head Office at Alleppey are paid much less emoluments. Their annual rate of increment is smaller than the rate of annual increments for the employees concerned in the dispute. The business is very highly competitive and it would not be economical to run the two establishments if the present wages were revised and enhanced. Therefore, the case for enhancement is untenable. The Dearness Allowance which the staff employees get under the conciliation settlement dated 18-3-1974 is linked to the Ernakulam cost of living indext at the rate of 20 paise per point above 1100 points. This is on the basis that the basic salaries or wages fixed took into account whatever requirements there were untill that level. Any increase in the cost of living is automatically compensated by the increase in the amount of dearness allowance. The Unions demand for enhancement of variable dearness allowance at 25 paise per point above 750 points is unreasonable. The Tribunal has limited jurisdiction only in determining the question whether the demand is justified or not and the Tribunal is not competent to revise the rates of salaries having regard to the terms of the reference. There were also no change in the circumstances justifying the demand for 17-1/2 per cent increase over the salary drawn on 1-1-1976 or for a variable dearness allowance of 25 paise per point over 750 points of the cost of living indext for Ernakulam from 1-1-1976. The volume of business has considerably come down after the settlement in March, 1974. Therefore, there is no justification for increase in the wage scales and rates of dearness allowance. In these circumstances, the claim should be rejected.

(6) A reply statement filed by the Union contending that the volume of business carried on by the General Export Company is very small is incorrect. The stand taken by the Management that the 1974 Settlement was not terminated and no notice of termination was served on the Management by the Union is not correct. On the other hand the notice of termination of the Memorandum of Settlement dated 18th March, 1974 was served on the Management of M/s. Alleppey Company Limited and General Export Company Cochin by the Association letter of 15th December, 1975 and the termination of the Memorandum of Settlement is in accordance with law. Therefore the reference is valid. The salary scales, variable dearness allowance as agreed to in the Memorandum of Settlement dated 18th March, 1974 is inadequate having regard to the present increase of necessary commodities. The financial capacity of the Management is sound and as such they can pay the revised scales of salary and enhance the variable dearness allowance as per the demands of the workmen.

(7) On the side of the Union, W.W. 1 Thiru G. S. Pai, the Clerk of the Alleppey Company Limited, Cochin, W.W.2 Thiru T. T. John, the Stenographer of the General Export Company and W.W.3 Thiru M. P. Manoharan, the Cashier and Accountant of Alleppey Company Limited and General Report Company were examined. On the side of the Management, M.W. 1 Thiru V. P. Vijaya Menon, the Manager of the Respondent Company was examined. Exs. W-1 to W-9 and M-1 to M-7 were marked and the evidence was closed.

(8) When the matter was taken up for arguments before this Tribunal at Madras on 6-6-1978, arguments were addressed by both parties. The Union Representative and the counsel for the Management agreed that Ex. M-1 Settlement could be adopted without any change so far as the wage structure and annual increments were concerned. Ex. M-1 settlement will show that the salaries are effective from 1st January, 1974 including the benefit of fitment and increments due on 1-1-1974, the dearness allowance has been fixed on the basis of the salary scales and is payable for increase in the cost of living index figures for Ernakulam above 1100 points with effect from 1-1-1974 at the rate of 20 paise per point. The annual increment also has been fixed for clerical staff and subordinate staff on the basis of the salary. Though both parties agree that the existing wage scales structure and the

Annual increment could be adopted, the Union representative urged for 12-1/2 per cent increase in the basic wages as on 31st December, 1976 and 25 paise per point as per Ernakulam cost of living index (base year 1939) above 1100 points. The Management agreed for increase in the basic salary as well as the increase in the dearness allowance. In view of the agreement reached between both parties, it is unnecessary to go into the legal questions raised by both sides. The only point at which they are at variance is in respect of the point of time for implementation. The Union urged that it must come into effect from 1-3-1976 whereas the Management's contention is that it should come into effect on the 1st January, 1977 and it should be in force for 3 years.

(9) Having regard to the evidence in this case that the volume of business has considerably decreased and the financial condition of the Company is not quite sound. I find it is suffice if it is implemented from 1st January, 1977 for the period of two years.

(10) In the result, an Award is passed on the following terms : The wage scales, dearness allowance and the annual increment as per Ex. M-1 settlement are adopted, but there would be an increase of 12-1/2 per cent in the basic salary of the workmen as on 31st December, 1976 and instead of 20 paise per point above 1100 points of the Ernakulam Cost of Living Index, there would be an increase of 25 paise per point on the cost of living index of Ernakulam above 1100 points (base year 1939). The terms of the Award will come into force from 1st January, 1977 and be in force for a period of two years.

(11) In the circumstances of this case, each party will bear its own costs.

Dated, this 14th day of June, 1978.

(sd/-) K. SELVARATNAM, Industrial Tribunal.

WITNESSES EXAMINED

For workmen :

W.W. 1—Thiru G. S. Pai.

W.W. 2— ,, T. T. John.

W.W. 3— " M. P. Manoharan.

For Management :

M.W. 1—Thiru V. P. Vijaya Menon, Manager.

DOCUMENTS MARKED

For Workmen :

Ex. W-1/6-6-77—Letter from the Union to the Regional Labour Commissioner (C), Madras (copy).

Ex. W-2/7-12-76—Letter from the Regional Labour Commissioner (C), Madras to the parties for discussion (copy).

Ex. W-3/15-5-76—Conciliation failure report (copy).

Ex. W-4/28-4-76—Letter from the Regional Labour Commissioner (C) Madras intimating the parties that joint meeting to be held on 4-4-1976 (copy).

Ex. W-5/10-2-76—Letter from the Assistant Labour Commissioner (C), Ernakulam intimating the parties that joint meeting to be held on 17-2-1976 (copy).

Ex. W-6/15-12-75—Letter from the Union to the Management submitting the demands (copy).

Ex. W-7/18-3-74—Memorandum of Settlement u/s. 12(3) of the I.D. Act, 1947 between parties (copy).

Ex. W-8—Director's report and statement of accounts for the year 1975.

Ex. W-9—Director's report and statement of accounts for the year 1976.

For Management :

Ex. M-1/18-3-74—Memorandum of settlement u/s 12(3) of the I.D. Act, 1947 between parties (copy).

Ex. M-2/24-1-76—Letter from the Managements to the Union regarding demands of the Union.

Ex. M-3/4-7-73—Award in I.D. No. 50/71 of the Industrial Tribunal, Alleppey (gazette notification).

Ex. M-4/31-5-77—Memorandum of settlement between Sorabji & Co. (P) Ltd., Cochin and their workmen (copy).

Ex. M-5/21-3-74—Memorandum of settlement u/s 12(3) of the I.D. Act, 1947 between M/s. P. K. Mohamed (Private) Ltd., Clearing and Forwarding Agents, Cochin and their workmen (copy).

Ex. M-6/29-9-77—Memorandum of settlement between the Alleppey Company Ltd., and their workmen represented by Kerala Commercial and Factories Staff Association. (copy).

Ex. M-7—Director's report and Statement of Accounts for the year 1974.

K. SELVARATNAM, Presiding Officer

[No. L-35011(2)/76-D. IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1978

का०आ० 2106.—लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 58) के खण्ड 5 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से कल्याण आयुक्त श्रम मंत्रालय बंगलौर को कर्नाटक राज्य के लिए लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एम०-15025/1/78-एम-IV]

पी० के० सेन, अवर सचिव

New Delhi, the 1st July, 1978

S.O. 2106.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961 (58 of 1961) the Central Government hereby appoints the Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Bangalore as the Iron Ore Mines Welfare Commissioner for the State of Karnataka with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. M-15025/1/78-M. IV]

P. K. SEN, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1978

का० आ० 2107.—केन्द्रीय सरकार, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि नियम, 1973 के नियम 2 के उप-नियम (5) के साथ पठित चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972 का 62) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2838, तारीख 27 अगस्त, 1977 को अधिक्रांत करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी को, उक्त सारणी के स्तम्भ 4 में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राज्यों में इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान कल्याण तथा उपकर आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है :—

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पद नाम	मुख्यालय	उनकी अधिकारिता के भीतर के राज्यों के नाम
1	2	3	4
1.	कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, जबलपुर	जबलपुर	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा संघ राज्य क्षेत्र
2.	कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, भुवनेश्वर	भुवनेश्वर	उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आसाम और मेघालय
3.	कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, इलाहाबाद	इलाहाबाद	बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली संघ राज्य
4.	अभ्रक कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश
5.	कल्याण आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, बंगलौर	बंगलौर	तमिलनाडु, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश

[फा० सं० एस० 23013/1/77-एम० वी०]
टी० सी० गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 4th July, 1978

S.O. 2107.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972), read with sub-rule (5) of rule 2 of Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Rules, 1973 and in supersession of the Government of India, Ministry of Labour Notification No. S. O. 2838, dated the 27th August, 1977, the Central Government appoints each of the Officers mentioned in column 2 of the Table below to be Limestone and Dolomite Mines Welfare and Cess Commissioner for the purposes of this Act in the States specified in the corresponding entry in column 4 of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Designation of the officer	Headquarter	Name of the States in their jurisdiction
1	2	3	4
1.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Govt. of India, Jabalpur.	Jabalpur	Madhya Pradesh, Maharashtra and Union Territory of Goa.
2.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Govt. of India, Bhubneswar.	Bhubaneswar	Orissa, West Bengal, Assam and Meghalaya
3.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Govt. of India, Allahabad.	Allahabad	Bihar, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir and Union Territory of Delhi.
4.	Mica Mines Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Government of India, Bhilwara.	Bhilwara	Rajasthan, Gujarat, Haryana, Punjab and Himachal Pradesh.
5.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Govt. of India, Bangalore.	Bangalore	Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh.

[File No. S-23013/1/77-M.V.]
T. C. GUPTA, Under Secy.

का० आ० 2108.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 17 के परन्तुक के अनुसरण में भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1599, तारीख 28 जून, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, "भारत" शीर्षक के अन्तर्गत, उपशीर्षक "(अध्ययन के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के पश्चात् खनन में उपाधि/डिप्लोमा देने वाली संस्थाओं और प्राधिकारियों की सूची)" और तदधीन प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्षक और तदधीन प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"(खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा देने वाली संस्थाओं और प्राधिकारियों की सूची)

1. तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण राज्य राज्य परिषद्, उड़ीसा — खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा।"

[सं० एच० 11016/14/77-एम० I (i)]
एन० एल० शर्मा, अवर सचिव

S.O. 2108.—In pursuance of the proviso to regulation 17 of the Coal Mines Regulations, 1957, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1599, dated the 28th June, 1961, namely :—

In the Table appended to the said notification under the heading "INDIA", after the sub-heading "(List of Institutions and authorities awarding Degree/Diploma in Mining after a full-time course of study)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries thereunder shall be inserted, namely :—

"(List of Institutions and authorities awarding Diploma in Mine Surveying)

1. State Council of Technical Education and Training, Orissa.—Diploma in Mine Surveying".

[No. H-11016/14/77-M. I(i)]
N. L. SHARMA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बैंकिंग विभाग)

(बैंकिंग पक्ष)

नई दिल्ली, 12 मई, 1976

का०आ० 2109.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उपधारा (2क) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) और (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त उपखण्डों के प्रयोजन के लिये "जम्मू एण्ड काश्मीर बैंक लि०" को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है।

[सं० एफ० 3/1/76-बी० ओ०I]

के० पी० ए० मैनन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Banking)

(Banking Wing)

New Delhi, the 12th May, 1976

S.O. 2109.—In exercise of the powers conferred by sub-clauses (ii) and (iii) of clause (b) of sub-section (2A) of section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clauses, the Jammu and Kashmir Bank Ltd.

[F. 3/1/76-BO.I]

K. P. A. MENON, Jt. Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 जून, 1978

(बीमा)

का०आ० 2110.—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) और उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 521(अ), तारीख 17 सितम्बर, 1975 के साथ प्रकाशित साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1978 है।

2. साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 में, द्वितीय तथा तृतीय अनुसूची में, शीर्षक "3-मकान किराया भत्ता" और उसके अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"3-मकान किराया भत्ता—

न्यूनतम 75 रु० प्रति मास और अधिकतम 350 प्रति मास के अधीन रहते हुए, मकान किराया भत्ता आधारिक वेतन के 15 प्रतिशत प्रति माह की दर से संदेय होगा।

टिप्पण :—जो कोई अधिकारी साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) द्वितीय संशोधन स्कीम, 1978 के प्रारम्भ होने तक उपरोक्त दरों द्वारा शासित होना चाहता है, वह 1 अप्रैल, 1977 से उक्त मकान किराया भत्तों की दरों का विकल्प स्वीकार कर सकता है और ऐसे विकल्प का प्रयोग इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास के भीतर किया जा सकेगा।

[फा० सं० 65(5)/बीमा IV/6/78]

डी० आर० आहूजा, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 14th June, 1978

(INSURANCE)

S.O. 2110.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) and sub-section (6) of Section 16 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975, published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 521(E) dated the 17th September, 1975, namely :—

(1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Second Amendment Scheme, 1978.

(2) In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Scheme, 1975 in the Second Schedule and the Third Schedule for the heading "III-House Rent Allowance" and the entries thereunder the following shall be substituted, namely :—

"III-House Rent Allowance—

The House Rent Allowance shall be payable at the rate of 15 per cent of basic pay per month, subject to a minimum of Rs. 75 per month and a maximum of Rs. 350 per month.

NOTE :—Any Officer who desires to be governed by the above rates till the commencement of the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Officers) Second Amendment Scheme 1978, may opt for the said rates of House Rent Allowance with effect from the 1st April, 1977 and such option shall be exercised within two months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. 65(5)/Ins. IV/6/78]

D. R. AHUJA, Under Secy.

(भारतीय पूर्त अक्षयनिधि के कोषपाल का कार्यालय)

नई दिल्ली, 15 जून, 1978

का०आ० 2111.—भारतीय पूर्त अक्षय निधि के कोषपाल या उसके अभिकर्ताओं के द्वारा पूर्त अक्षय निधि अधिनियम 1890 (1890 का 6) के अधीन 31 मार्च, 1978 को धारित पूर्त अक्षय निधि (केन्द्रीय) से संबंधित सम्पत्तियों और प्रतिभूतियों की सूची तथा 1977-78 के लेखों का सारांश सामान्य जानकारी के लिये नीचे प्रकाशित किया जा रहा है :

भाग–I—प्रतिभूतियों से भिन्न सम्पत्तियों की सूची

क्रम संख्या	अधिकार में देने के आदेश का ब्यौरा		अक्षय निधि का नाम	सम्पत्ति के प्रशासक	धारित सम्पत्ति			टिप्पणी
	संख्या	दिनांक			विवरण	मूल्य	वार्षिक आय, यदि मालूम हो	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						रुपए	रुपए	
भारत :								
1. स्वास्थ्य मंत्रालय अधिसूचना संख्या एफ० 4-3(2)/53-एम०-1, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 4-2/61–एम०–II (एम०ई०) द्वारा यथा संशोधित।	12 जून 1953 27 नवम्बर 1963		महिलाओं तथा बच्चों के लेडी हार्डिंग अस्पताल दिल्ली की निधि	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल का प्रशासनिक बोर्ड	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल, दिल्ली की भूमि और इमारतें, सभी फिक्सचर/फर्नीचर और उपकरणों आदि सहित। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल दिल्ली का क्षेत्रफल जो 49.82 एकड़ है। स्थान : पंचकुइयां रोड। हदबन्दी इस प्रकार है :— उत्तर : पंचकुइयां रोड। दक्षिण : लेडी हार्डिंग रोड। पूर्व : कनाट सर्कस। पश्चिम : बेयर्ड रोड। सर्वेक्षण संख्या:— सी० ई० 2370 भू० वि० का० संख्या 94. शर्तें—यह जमीन भूमि तथा विकास अधिकारी, दिल्ली द्वारा संस्था को एक रुपया प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर पट्टे पर दी गई है। मस्जिद, चर्च आदि को मिलाकर इस पर कुल 71 इमारतें हैं : भूमि तथा विकास अधिकारी, दिल्ली ने इन इमारतों का मूल्य लगभग 63,50,537 रुपये आंका है।	63,50,537.00	मालूम नहीं	लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1977 बन जाने से लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल तथा उसकी सारी सम्पत्ति पहली फरवरी 1978 से केन्द्रीय सरकार के हाथ में आ गई है। सरकार को संपत्ति के हस्तांतरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या फ० 14-26/61—इंस्टिट्यूट जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० 22020/31 अगस्त 1977 11/76 एम० सी० (एम० एस०) द्वारा यथा संशोधित	31 अगस्त, 1962	पास्चर इंस्टिट्यूट आफ़ इंडिया	पास्चर इंस्टिट्यूट आफ इंडिया का प्रशासक	(1) एन्टीरेबीक रिसर्च सेंटर, कसौली की इमारत (2) लेडी लिनलिथगो सैनिटोरियम, कसौली की इमारत, (3) शैल्टन लाज, कसौली	2,23,200.00 22,18,700.00 26,000.00	मालूम नहीं	
	3. रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस० आर० ओ० 250 महाराष्ट्र	19 जुलाई, 1960	कमोला तथा उदयपुरी स्थित कुमांऊ रेजीमेंटल फारम की फारम निधि	निधि का प्रशासन बोर्ड	कमोला तहसील काला ढूंगी, जिला नैनीताल 1. औषधालय (30 फीट × 24 फीट 2. थिमैया लाज (30 फीट × 24 फीट) 3. अतिथि गृह नं० 1 30 फीट × 35 फीट) 4. अतिथि गृह नं० 2 (28 फीट × 26 फीट)	4,000.00 4,000.00 5,000.00 3,500.00	तदैव	
	1. जी० आई० एच० डी० शिक्षा, संख्या 433	27 मई, 1909	भारतीय विज्ञान संस्थान	बम्बई का कलेक्टर, श्री नारायण दत्तात्रेय सिरूर और श्री नवल एच० टाटा	"विक्टोरिया बिल्डिंग —पूर्ण स्वामित्व (फ्री-होल्ड) की वह सारी भूमि जो फोर्ट में पारसी बाजार स्ट्रीट के पूर्व में एल्फिन्स्टोन सर्किल पर या उसके बराबर में स्थित है। इसमें बाटिका गृह, वास-गृह और इमारतें शामिल हैं जिसे "विक्टोरिया बिल्डिंग कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल 482-3/4 वर्ग गज है।	मालूम नहीं	तदैव	
	2 और 3	तदैव	तदैव	तदैव	"एल्बियन प्लेस और अलेग्जेंडरा टेरेस"—भूमि का वह सारा भाग जो परेल रोड के पूर्व में भायखला में स्थित है। इसमें बाटिका गृह, वास-गृह और इमारतें, अहाते में बने नौकर-चाकरों के मकान और अस्तबल शामिल है, जिन्हें एल्बियन प्लेस और अलेग्जेंडरा टेरेस कहा जाता है, इसका क्षेत्र फल 11,104 वर्ग गज अथवा इसके करीब है।	तदैव	तदैव	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						रुपए	रुपए	
3-क	जी० आई० एच० डी० शिक्षा संख्या 433	27 मई, 1909	भारतीय विज्ञान संस्थान	बंबई का कलक्टर, श्री नारायण दत्तात्रेय सिकर और श्री नवल एच० टाटा	भायखला के निकट परेल रोड जिसे अब डा० अम्बेडकर रोड के नाम से पुकारा जाता है के पूर्वी ओर 11,104 वर्ग गज भूमि पर 'होटल हैरिटेज' नामक एक नई इमारत का निर्माण।	19,00,000.00	1,89.120.00	
4 और 5		तदैव	तदैव	तदैव	'रेहाउस' और 'सेंडहर्स्ट हाउस' बम्बई द्वीप में, अपोलो रिक्लेमेशन पर स्थित भूमि का पट्टे पर मिला हुआ वह टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल 2004-8/9 वर्ग गज है और जिस पर "रे हाउस" और "सेंडहर्स्ट हाउस" नामक दो इमारतें बनी हुई हैं।	मालूम नहीं	मालूम नहीं	
6 और 7		तदैव	तदैव	तदैव	"रूजवेल्ट या एजरा हाउस"—पट्टे पर मिली भूमि का वह सारा टुकड़ा जो अपोली रिक्लेमेशन पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 533-3/9 वर्ग गज है और जिस पर "रूजवेल्ट हाऊस या एजरा हाउस" नामक इमारतें बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 573-3/5 वर्ग गज का पट्टे पर ली गई भूमि का वह टुकड़ा भी जो बम्बई द्वीप में अपोली रिक्लेमेशन पर स्थित है।			
8 और 9		तदैव	तदैव	तदैव	"सारजेंट हाउस" और "जैन्किन्स हाउस"— बम्बई द्वीप में अपोलो रिक्लेमेशन पर स्थित 3487-2/9 वर्ग गज का भूमि का वह टुकड़ा जिस पर सारजेंट हाउस और जैन्किन्स हाउस नामक इमारतें स्थित हैं।	तदैव	तदैव	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						रुपए	रुपए	
10.	जी०आई०एच० डी० विक्री संख्या 433	27 मई, 1909	भारतीय विज्ञान संस्थान	बंबई का कलेक्टर, श्री नारायण दत्तात्रेय सिरूर और श्री सर्वश्री एच० टाटा	"न्यू शामजी बिल्डिंग्स" जिसे अब स्टेशन टेरेसिस स्लोटर रोड" कहा जाता है फोरस टन्थोर की लगभग 2,290 वर्ग गज की भूमि जिस पर कई बाटिका गृह, बास गृह या रिहायशी मकान बने हुए हैं, जिन्हें न्यू शामजी. बिल्डिंग्स कहा जाता था परन्तु वर्तमान नाम—स्टेशन टेरेस है तथा यह बंबई में स्लोटर रोड के दक्षिण में स्थित है ।	मालूम नहीं	मालूम नहीं,	
11	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	"केन्डी हाउस" पट्टे पर मिली हुई भूमि का वह टुकड़ा, जो बम्बई, द्वीप में अपोलो रिक्लेमेशन पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 529-6/9 वर्ग गज है और जिसे "केन्डी हाउस" कहा जाता है ।	तदेव	तदेव	
12 और 13	तदेव	तदेव	तदेव	तदेव	"एल्बियन प्लस और ग्रलेग्जेंड्रा टेरेस" के निकट भूमि का वह टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8,570 वर्ग गज है और जो बम्बई के कलेक्टर द्वारा बम्बई शहर में परेल रोड पर भायखला में स्थित भूमि खंड के साथ पंजीकृत है, इसमें बाटिका-गृह, बास गृह और रिहायशी मकान शामिल हैं इसे "एल्बियन प्लेस और ग्रलेग्जेंड्रा टेरेस" के निकट की भूमि कहा जाता है ।	तदेव	तदेव	बम्बई शहर के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 107-8/9 वर्ग गज भूमि को अधिगृहीत कर लिया है ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						रुपए	रुपए	
14. जी० आई० एच० डी० शिक्षा संख्या 433	27 मई, 1909	भारतीय विज्ञान संस्थान	बंबई का कलेक्टर श्री नारायण वत्तात्रय शिरूर और श्री नवल एच० टाटा	"परेल टैंक रोड पर स्थित भूमि" (1) लगभग 67,057 वर्ग गज भूमि का वह टुकड़ा जिसमें से 7021 वर्ग गज सरकारी टोका भूमि और 2189 वर्ग गज सरकारी भूमि जिसका हाल ही में निर्धारण किया गया है, शामिल है और शेष इनाम भूमि है जो परेल में परेल गवर्नमेंट टैंक को जाने वाली सार्वजनिक सड़क पर स्थित है जिसे परेल टैंक रोड स्थित भूमि (बागेश्री हिल) कहा जाता है।	मालूम नहीं	मालूम नहीं	74,686 वर्ग गज भूमि में से 15,575.80 वर्ग गज भूमि टाटा हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर एण्ड सप्लाई कम्पनी लिमिटेड के लिए प्रेषण लाइनें बिछाने और अन्य निर्माण कार्य करने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा अभिगृहीत कर ली गई तथा 37471.52 वर्ग गज भूमि बाद में 1922 में भूमि अभिग्रहण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत कर ली गई।
				(2) परेल स्थित इनाम भूमि का खाली टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल लगभग 6005 वर्ग गज है।			
				(3) गवर्नमेंट टोका भूमि का खाली टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1058 वर्ग गज है और जो बम्बई नगर में परेल पर गोलांगी हिल रोड पर और उसके दक्षिण में स्थित है।			
				(4) सरकारी टोका भूमि का खाली टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल लगभग 566 वर्ग गज है और जो बम्बई नगर में परेल पर गोलांगी हिल रोड पर और उसके दक्षिण में स्थित है।			परल टक रोड भूमि पर स्थित का एक भाग सी० एस० संख्या 1/202 पार्ट जिसका क्षेत्रफल 2043.88 वर्ग गज है और सी० एस० संख्या 203 पार्ट जिसका क्षेत्रफल 623.33 वर्ग गज है, बंबई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						रुपए	रुपए	
								नगर निगम ने भूमि अभिग्रहण अधिनियम (1894 का पहला) की धारा 12 (2) के अधीन एक जलाशय के निर्माण के लिए अभिग्रहीत कर लिया था ।
15. जी० आई० एच० डी० शिक्षा संख्या 433	27 मई, 1909	भारतीय विज्ञान संस्थान	बम्बई का कलेक्टर श्री नारायण दत्तात्रेय सिरूर और श्री नवल एच० टाटा	बम्बई नगर और रजिस्ट्रेशन उपजिले में कोलाबा रोड के पश्चिम में स्थित भूमि का वह सारा टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल लगभग 2020 वर्ग गज है और जिसकी हदबंदी इस प्रकार है :— उत्तर में या उत्तर की ओर : सर करीमभाई इब्राहिम बारोनेससी न्यास के न्यासियों की संपत्ति, दक्षिण में या दक्षिण की ओर : पुलिस चौकी की सड़क, पूर्व में या पूर्व की ओर : कोलाबा रोड, पश्चिम में या पश्चिम की ओर : वोडहाउस रोड । यह भूमि बम्बई के कलेक्टर की किताबों में रेट रोल संख्या 8509 पर दर्ज है और इसकी कोलाबा प्रभाग की बन्दोबस्त सर्वेक्षण संख्या 48 है । इसमें उस भूमि पर बनी इमारतें और अन्य ढाँचे शामिल हैं । इनका निर्धारण बम्बई नगर पालिका द्वारा अवार्ड संख्या 213 और 214 और क्रमशः कोलाबा रोड और वोडहाउस रोड की गली संख्या 158 और 125 तथा लोअर कोलाबा रोड की गली संख्या 154 के अन्तर्गत किया गया है ।	18,44,108.28	199,675.08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						रुपए	रुपए	
16	जी०आर०ई० डी०संख्या 452	7 मार्च, 1906	सर जमशेदजी जेजीभाई पारसी हितकारी संस्थान	सचिव, सर जमशेदजी जेजीभाई पारसी हितकारी संस्थान बम्बई	बम्बई में हार्नबी रोड, फोर्ट पर स्थित 1688 वर्ग गज भूमि का टुकड़ा और उस पर बने हुए रिहाइशी मकान और इमारतें।	मालूम नहीं	मालूम नहीं	
17	जी०आर०ई० डी०संख्या 1778	10 जुलाई, 1912	तदैव	तदैव	गोलागली, फोर्ट, बम्बई में स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का सारा टुकड़ा और उस पर बने हुए बाटिका गृह, वासगृह और अस्तबल, जिसका क्षेत्रफल लगभग 173 और 62 वर्ग गज है।	तदैव	तदैव	

तमिल नाडु

1.	संख्या 46—शिक्षा तथा संख्या 389—शिक्षा	5 अप्रैल, 1904 तथा 26 जून, 1904	मद्रास सैनिक बालिका अनाथा-लय तथा लय निधि	सचिव तथा कोरस-पोन्टेस्टजोर्ज स्कूल अनाथालय मद्रास	मद्रास में स्थित भूमि जिसकी सर्वेक्षण संख्या 232 है और जिस का क्षेत्रफल 15 कानी, 18 ग्राउन्ड और 1678 वर्गफुट है और उस पर बनी इमारत जिसका नाम मद्रास सैनिक बालिका अनाथालय (मद्रास मिलिट्री फीमेल आरफन असाईलम) है	तदैव	तदैव	इस संपत्ति पर सेंट जार्ज स्कूल तथा अनाथालय का कब्जा है। यह कब्जा इस शर्त पर दिया गया था कि वहां पर अनाथालय की लड़कियों के अलावा मद्रास सैनिक बालिका अनाथालय में बहुत सी गयी 30 अन्य बालिकाओं के भरणपोषण और शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						रुपए	रुपए	
उत्तर प्रदेश								
1. उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 602/XV 301 और 808 जी/XV 619/1923	क्रमशः 2 अप्रैल, 1918 और 29 नवम्बर, 1923	गिरौंडी कायस्थ पाठशाला अक्षय निधि, मिरजापुर	प्रबन्ध समिति जिसके पदेन अध्यक्ष मिरजापुर के कलक्टर होंगे और जिसमें स्व० मुंशी बिन्देश्वरी प्रसाद वकील की संपत्ति के निष्पादक सदस्य होंगे।	(क) जिला मिरजापुर के मुहल्ला बेलेजलीगंज में स्थित तीन मकान जिनकी हदबंदी इस प्रकार है :—			
				(1) दक्षिण : श्री प्यारे लाल का मकान, उत्तर : मुसम्मात मुन्ना का मकान ; पश्चिम : गवर्नमेंट रोड ; पूर्व : श्री सुमेर सुनार का मकान।	600.00	36.00	
				(2) दक्षिण : मुंशी बिन्देश्वरी प्रसाद वकील का मकान; उत्तर : मस्जिद ; पश्चिम : श्री रामेश्वर तेली का मकान; पूर्व : सड़क।	600.00	36.00	
				(3) दक्षिण : श्री बुद्धू का मकान ; उत्तर : मुंशी बिन्देश्वरी प्रसाद वकील का मकान; पश्चिम : मुसम्मात उमराव का मकान ; पूर्व : सड़क	600.00	36.00	
				(ख) मिरजापुर जिले की चुनार तहसील के मौजा गिरौंडी में स्थित बाग।	600.00	15.00	
				(ग) मिरजापुर जिले की चुनार तहसील के मौजा गिरौंडी में, उपर्युक्त (ख) में बताये गये बाग में स्थित पाठशाला।	30.00	मालूम नहीं	
पंजाब								

चूंकि केन्द्रीय पूर्त अक्षय निधि से सम्बद्ध संपत्तियों का भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा अभी नहीं हुआ है, इसलिए इन संपत्तियों की सूची अभी तैयार नहीं की जा सकी है।

भाग 2—प्रतिभूतियों की सूची और लेखा सारांश

मामला संख्या	पूर्व प्रशय निधि का नाम	वे व्यक्ति जिनकी ओर से धारित है	प्रतिभूतियों का ब्यौरा	प्रतिभूतियों की कुल रकम	नकद	
					वसूल किया गया ब्याज या लाभांश	
1	2	3	4	5	6	
भारत				रुपए	रुपए	रुपए
1.	खण्डपारा राज्य न्यास निधि	खण्डपारा राज्य न्यास निधि का न्यासी बोर्ड	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	30,600.00	30,600.00	1,294.13
2.	सशस्त्र सेना हितकारी निधि	सशस्त्र सेना हितकारी निधि की सामान्य समिति	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	8,00,400.00	8,00,400.00	24,012.00

प्राप्तियां		नकद व्यय		नकद शीर्ष	टिप्पणी
अन्य नकद प्राप्तियां	नकद प्राप्तियों की कुल रकम	अदायगियां			
7	8	9	10		11
रुपए	रुपए		रुपए	रुपए	
(क) 30,600.00	31,894.13	दिया गया ब्याज	1,281.19		(क) यह रकम तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड की मियादी जमा रकमों की परिशोधन प्राप्तियों की द्योतक है जिसे 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा में निवेश कर दिया गया है।
		सरकार को दी गई फीस	12.94	—	
		(क) अन्य अदायगियां	30,894.13		
			31,844.13		
—	24,012.00	दिया गया ब्याज	23,771.88	—	
		सरकार को दी गई फीस	240.12		
			24,012.00		

1	2	3	4	5	6	
				रुपए	रुपए	रुपए
3.	महिलाओं तथा बच्चों के लिये लेडी हार्डिंग अस्पताल (दिल्ली) की निधि	लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज और अस्पताल का प्रशासनिक बोर्ड	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	8,05,800.00		
			4½ प्रतिशत ऋण 1986	7,300.00		
			रक्षा जमा पत्र	500.00		
			राष्ट्रीय/रक्षा पत्र	11,20,000.00	27,33,500.00	1,15,826.00
			तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि० के पास मियादी जमा	1,63,100.00		
			7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (निर्गम II)	14,000.00		
			6 प्रतिशत पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड बाण्ड 1982	22,000.00		
			5½ प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण 1979	79,500.00		
			50 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	4,94,300.00		

7	8	9	10	11
रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	
(ख) 1,38,300.00	2,54,126.12 दिया गया ब्याज	72,667.84	—	(ख) यह रकम निम्नलिखित की द्योतक है :—
	सरकार को दी गई फीस	1,158.28		
	(ग) अन्य अदायगियां	1,80,300.00		
		2,54,126.12		

डाक घर के 12 वर्षीय राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्रों की परिशोधन प्राप्तियां	40,000.00
दस वर्षीय रक्षा जमा पत्रों की परिशोधन प्राप्तियां	5,000.00
$4\frac{1}{2}$ प्रतिशत ऋण 1977 की परिशोधन प्राप्तियां	25,300.00
5 वर्षीय डाक घर सावधि जमा में निवेश करने के लिए निधि प्राधिकारियों से प्राप्त की गई रकम	68,000.00
	1,38,300.00

(ग) यह रकम 5 वर्षीय डाक घर सावधि जमा में निवेश की गई रकम की द्योतक है।

40,000.00 रुपये के डाक घर राष्ट्रीय बचत पत्रों के परिपक्व होने पर ब्याज के रूप में 42,500.00 रुपये प्राप्त हुए जिनमें से 42,000.00 रुपयों के साथ साथ परिशोधन प्राप्तियों की रकमों को पांच वर्षीय डाक घर सावधि जमा में निवेश कर दिया गया।

कालम 6 के नीचे दी गई रकम में स्रोत पर काटी गई आय कर तथा अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।

7	8	9	10	11
				लेडी हार्डिंग आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1977 बन जाने से लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज और अस्पताल तथा उसकी सारी सम्पत्ति पहली फरवरी, 1978 से केन्द्रीय सरकार के हाथ में आ गई है । सरकार को सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

1	2	3	4	5	6	
				रु०	रु०	रु०
4.	सेंट डन्सटन्स (इंडिया) फंड	सेंट डन्सटन्स (इंडिया) फंड का न्यासी बोर्ड	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	92,900.00		
			4½ प्रतिशत ऋण 1989	15,000.00	1,07,900.00	3,499.50

7	8	9	10	11
रु०	रु०		रु०	
	3,335.50	दिया गया ब्याज	3,302.14	.. कालम संख्या 6 के नीचे दी गयी रकम में स्रोत पर काटे गये आय कर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है ।
		सरकार को दी गई फीस	33.36	
			3,336.50	

1	2	3	4	5	6	
				रु०	रु०	रु०
5.	थामस रोड बैल स्मारक निधि	अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान और कालेज, देहरादून	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	3,100.00	3,100.00	93.00

7	8	9	10	11
..	93.00	दिया गया ब्याज	92.06	
		सरकारको दी गई फीस	0.94	
			93.00	

1	2	3	4	5	6	
				रु०	रु०	रु०
6.	भारतीय पाश्चर संस्थान	भारतीय पाश्चर संस्थान की संस्था के प्रशासक	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	66,900.00		
			4 प्रतिशत ऋण 1980	1,10,900.00		
			5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	30,750.00	2,08,550.00	12,593.00
7.	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण निधि	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण निधि की सामान्य समिति	तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड के पास मियादी जमा	23,00,000.00		
			5½ प्रतिशत बम्बई नगर-पालिका ऋण पत्र 1978	25,68,500.00	4,00,29,800.00	26,06,969.50
			5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	3,51,61,300.00		

7	8	9	10	10	11
रुपए	रुपए		रुपए	रुपए	
..	12,593.00	दिया गया ब्याज	12,467.06		
		सरकार को दी गई फीस	125.94		
			12,593.00		
(ब) 1,03,86,300.00	1,29,94,269.50	दिया गया ब्याज	25,80,799.80		
		सरकार को दी गई फीस	26,069.70		
		(ङ) अन्य अदायगियां	1,03,86,300.00		
			1,29,94,269.50		

(ब) यह रकम निम्नलिखित की द्योतक है :—

5-1/2 प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण 1977 की परिशोधन प्राप्तियां 29,08,700.00

5-1/2 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 1977 की परिशोधन प्राप्तियां 19,77,600.00

5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा में निवेश करने के लिए निधि प्राधिकारियों से प्राप्त रकम 55,000,00.00

1,03,86,300.00

(क) यह रकम पांच वर्षीय डाकघर सावधि जमा में निवेश की गई रकम की द्योतक हैं ।

82,75,000.00 रुपये की 5-3/4 प्रतिशत बम्बई नगरपालिका ऋण पत्र 1977 की परिशोधन प्राप्तियों को पांच वर्षीय डाकघर सावधि जमा में निवेश कर दिया गया है और उन्हें कालम 4 के अन्तर्गत दिखाई गई प्रतिभूतियों के ब्यौरों में शामिल कर लिया गया है ।

कालम 6 के नीचे जो ब्याज दिखाया गया है, उसमें उद्गम स्थान पर लिया गया आय-कर तथा अधिकार शामिल नहीं है।

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
8. पुस्तकालय विज्ञान के लिए शारदा रंगनाथन पूर्त क्षय निधि	निधि की प्रबन्ध समिति	तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लि० के पास, मियादी जमा	5,00,000.00	6,00,000.00	46,000.00
		5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	1,00,000.00		
9. देहरादून स्थित वयस्क अन्ध प्रशिक्षण केन्द्र की बानूबाई बीरमजी कांगा प्रशिक्षणार्थी कल्याण निधि	अधीक्षक, वयस्क अन्ध प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून	रक्षा जमापत्र	10,350.00		2,866.30
		5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	39,600.00		
		6 प्रतिशत परियम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड बांड 1982	4,400.00	54,350.00	3,173.62
10. झंडा दिवस निधि	झंडा दिवस निधि की प्रबंध समिति	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	4,20,000.00	4,20,000.00	37,800.00

7	8	9	10	11
रुपए	रुपए		रुपए	
(च) 1,00,000.00	1,46,000.00	दिया गया ब्याज	45,540.00	
		सरकार को दी गई फीस	460.00	
		(च) अन्य अदायगियां	1,00,000.00	(च) यह रकम निधि प्राधिकारियों से प्राप्त की गयी रकम की द्योतक है जिसे 5 वर्षीय डाक घर सावधि जमा में निवेश कर दिया गया है।
			1,46,000.00	
	3,173.62	दिया गया ब्याज	3,411.88	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकमें शामिल नहीं हैं।
		सरकार को दी गई फीस	31.74	
			3,173.62	
	37,800.00	दिया गया ब्याज	37,422.00	आय-कर प्राधिकारियों से आय-कर छूट प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण ब्याज की रकम वसूल नहीं की जा सकी।
		सरकार को दी गई फीस	378.00	
			37,800.00	

1	2	3	4	5	6
11 युद्ध पीड़ितों और अपंग सैनिकों के लिए विशेष सहायता निधि	प्रबंध समिति, युद्ध पीड़ितों और अपंग सैनिकों केलिये विशेष सहायता निधि	5 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1984 तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड के पास सावधि जमा	रु० 1,50,16,700.00 1,00,00,000.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाला बंगलौर जलपूर्ति और जलमल निकासी बोर्ड ऋण-पत्र बाण्ड 1984	7,00,000.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाले केरल वित्त निगम बाण्ड 1983	2,00,000.00		

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
		6 प्रतिशत ब्याज वाले आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड बाण्ड 1984	40,00,000.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाले गुजरात आवास बोर्ड के ऋणपत्र 1983 (दूसरी श्रृंखला)	8,00,000.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाले आंध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक के ऋणपत्र 1982-87	1,00,000.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाले उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के बाण्ड 1984	45,00,000.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाले असम राज्य बिजली बोर्ड के बाण्ड 1984 (i)	2,00,000.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाले केरल राज्य बिजली बोर्ड के बाण्ड 1982	10,00,000.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाले केरल राज्य बिजली बोर्ड के बाण्ड 1984	3,75,000.00		
		बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० के 6 प्रतिशत ब्याज वाले ऋण पत्र 1985	3,00,000.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाले उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के बाण्ड 1982 (पहली श्रृंखला)	4,50,000.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाले गुजरात औद्योगिक विकास बाण्ड 1983 (दूसरी श्रृंखला)	15,00,000.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाले तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम के बाण्ड 1984	4,50,000.00	3,97,16,700.00	64,76,103.00
		6 प्रतिशत ब्याज वाले उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के बाण्ड 1985 (पहली श्रृंखला)	1,25,000.00		

7	8	9	10	11	
रु०	रु०		रु०	रु०	
..	64,76,103.00	दिया गया ब्याज	64,11,341.96	—	
		सरकार को दी गई फीस	64,761.04		स्तम्भ 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटे गये आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।
			64,76,103.00		

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
महाराष्ट्र					
1. भारतीय विज्ञान संस्थान (बंगलौर की सम्पत्तियां)	भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर की परिषद्	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	2,150.00	2,150.00	..
2. भारतीय विज्ञान संस्थान (बम्बई की सम्पत्तियां)	भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर की परिषद्	3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपांतरण ऋण 1946	10,22,800.00	12,31,600.00	..
		$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 2,000	1,40,300.00		
		$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1982	57,800.00		
		5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	10,700.00		
3. कराची के फकीरजी कोवासजी की छात्रवृत्ति निधि	कप्तान-अधीक्षक प्रशिक्षण पोत, "राजेन्द्र" न्यू फेरी ह्वार्फ से परे बम्बई-9	3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपांतरण ऋण 1946	60,000.00	60,000.00	..
4. चैटफील्ड स्मारक पुरस्कार निधि	1. प्रिंसिपल पुरुष प्रशिक्षण महाविद्यालय, पूना				
	2. प्रिंसिपल पुरुष प्रशिक्षण महाविद्यालय, धारवाड़	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	200.00	200.00	..
	3. प्रिंसिपल पुरुष प्रशिक्षण महाविद्यालय, अहमदाबाद				
5. गणेश बलवन्त लिमये छात्रवृत्ति निधि	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य पूना	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	56,000.00	56,000.00	..
6. सर विलियम मूरे स्मारक निधि	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महाराष्ट्र राज्य बम्बई	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	1,100.00	1,100.00	..
7. बंबई प्रेजीडेंसी में मुसलमानों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए काजी शाहबुद्दीन अक्षय निधि	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पूना	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	1,45,300.00	..	..
		$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 1981	5,100.00	1,50,400.00	..

7	8	9	10	11
रु०	रु०	रु०	रु०	
(छ) 17.00	17.00	..	17.00	(छ) यह रकम अथशेष की द्योतक है।
(ज) 27.02	27.02	..	27.02	(ज) यह रकम अथशेष की द्योतक है।
..	..	..	..	
(झ) 32.66	32.66	..	32.66	(झ) यह रकम अथशेष की द्योतक है।
..	..	..	..	
..	..	..	..	
..	..	..	..	

1	2	3	4	5	6	
				रु०	रु०	रु०
8.	अंग्रेजी में एस० एस० सी० परीक्षा संबंधी पुरस्कार निधि	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पूना	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	400.00	400.00	..
9.	कृषि और शिक्षा संबन्धी प्रयोजनों के लिए सर सेसून डेविड न्यास निधि	कृषि और सहकारिता विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई के सचिव के मार्फत निधि का न्यासी बोर्ड	5½ प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1983	7,51,100.00	7,51,100.00	..
10.	बम्बई राज्य परिवीक्षा और अनुरक्षण संस्था निधि	अध्यक्ष, बम्बई राज्य परिवीक्षा और अनुरक्षण संस्था, बी० आई० टी० ब्लाक संख्या 33, किंग्स सर्किल माटंगा, बम्बई-19	5½ प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1978	14,000.00		
			3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपान्तरण ऋण 1946	7,000.00	21,000.00	..
11.	भारतीय इम्पीरियल सहायता (छात्रवृत्ति) निधि	शिक्षा-निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पूना	3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपान्तरण ऋण 1946	25,200.00	25,200.00	..
12.	सावित्री बाई कृष्णाराव उपलप छात्रवृत्ति निधि	सवेव	सवेव	12,800.00	12,800.00	..
13.	बम्बई प्रदेश कृषि प्रदर्शनी निधि	कृषि निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पूना	3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपान्तरण ऋण 1946	4,16,000.00		
			5½ प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1979	2,000.00	4,18,000.00	..
14.	डा० रामचन्द्र शिवाजी पोरेवी छात्रवृत्ति निधि	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पूना	3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपान्तरण ऋण 1946	11,100.00	11,100.00	.
15.	सर कुसरो वाडिया न्यास निधि	निधि के शासी निकाय के अध्यक्ष, द्वारा सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, महाराष्ट्र सरकार बम्बई	6 प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण, 1986	12,94,200.00	12,94,200.00	..

7	8	9	10	11
रु०	रु०	रु०	रु०	
(अ) 3,000.00	3,000.00	..	3,000.00	(अ) यह रकम 3,000 रुपए के मूल्य की 4 प्रतिशत ब्याज वाले उधार 1974-75 की परिशोधन प्राप्तियों की द्योतक है जिन्हें पहली जनवरी 1975 को चुका दिया गया था, पुनः निवेश संबंधी आदेशों की प्रतीक्षा की जा रही है।
..	..	..	..	
..	..	..	..	
..	..	..	..	
..	..	..	..	
..	..	..	..	
(ट) 42.00	42.00	..	42.00	(ट) यह रकम अप शेष की द्योतक है।

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
16. युद्धोपरान्त सैन्य पुनर्निर्माण निधि (राजस्थान अंश)	निधि सचिव, द्वारा महाराष्ट्र राज्य एस० एस० तथा ए० बोर्ड, पूना-1	5½ प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1982	6,400.00		
		3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपान्तरण ऋण 1946	1,200.00	11,100.00	..
		6 प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1984	3,500.00		
17. भारतीय वाणिज्य नाविकों के लिये युद्ध स्मारक निधि 1947	इण्डियन सेलर्स होम सोसाइटी की प्रबन्ध समिति, मस्जिद बन्दर साइडिंग रोड, बम्बई-9	3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपान्तरण ऋण 1946	21,32,900.00	21,32,900.00	..
18. होमी मेहता विजय धन्यवाद निधि (राजस्थान अंश)	निधि सचिव, द्वारा महाराष्ट्र राज्य एस० एस० तथा ए० बोर्ड, पूना-1	3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपान्तरण ऋण 1946	800.00	1,300.00	..
		5½ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 2003	100.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1984	400.00		
19. एल० बी० मंडके पुरस्कार निधि	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पूना	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	1,600.00	1,600.00	..
20. कुमारी मणिकबाई शिन्दे पुरस्कार निधि	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, पूना	3 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1896-97	1,000.00	1,000.00	..
21. मराठा युद्ध स्मारक निधि	मराठा युद्ध स्मारक निधि के अवैतनिक सचिव, मराठा लाइट इन्फेंटरी रेजिमेंटल सेंटर, बेलगांव	5½ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 2000	9,100.00		
		3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपान्तरण ऋण 1946	5,45,300.00	5,54,400.00	..
22. सर एम० बी० जोशी न्यास निधि	प्रिंसिपल, कृषि कालेज, पूना	3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपान्तरण ऋण 1946	12,800.00	13,300.00	..
		5½ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 2002	500.00		
23. कुमारी क्लार्क स्मारक उपचर्या निधि	भारत की नारियों को स्त्री रोग चिकित्सा सहायता तथा शिक्षा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय संस्था की बम्बई शाखा के अध्यक्ष द्वारा श्री आर० एन० भाव नगरी एस० बी० बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 113, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-1	3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपान्तरण ऋण 1946	11,000.00	11,000.00	

7	8	9	10	11
रु०	रु०		रु०	
(ठ) 35.00	35.00	रू०	35.00	(ठ) यह रकम अथ शेष की द्योतक है ।
..	..	614.00	..	
(ड) 4.00	4.00	..	4.00	(ड) यह रकम अथ शेष की द्योतक है ।
..	..	..		
..	..	..	..	
(ढ) 35.91	35.91	..	35.91	(ढ) यह रकम अथ शेष की द्योतक है ।
..	..	..	..	
..	..	..	..	

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
24. बरजोरजी मानेकजी सुतारिया पुरस्कार निधि	शिक्षा निदेशक महाराष्ट्र राज्य, पूना	3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपान्तरण ऋण 1946	2,000.00	2,000.00	..
25. कैम्पबेल स्मारक पदक निधि	एशियाटिक सोसाइटी की बम्बई शाखा की प्रबन्ध समिति, टाउन हाल, बम्बई-1	$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1984	4,900.00	4,900.00	..
26. सर जमशेदजी जेजी भाई पारसी हितकारी संस्था	सचिव, सर जे० जे० पी० बी० संस्था 209 डा० दादाभाई नौरोजी रोड, फोर्ट, बम्बई-1	स्टेट बैंक के शेयर	1,300.00		
		3 प्रतिशत ऋण 1896-97	6,900.00		
		3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	12,99,500.00		
		4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1981	500.00		
		$4\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1989	500.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1984	3,000.00		
		5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	9,000.00		
		$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 2001	8,80,800.00		
		$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1978	4,400.00		
		$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1977	500.00		
		5-3/4 प्रतिशत ब्याज वाला मद्रास ऋण 1979	2,500.00		
		5-3/4 प्रतिशत ब्याज वाला मद्रास ऋण 1980	2,500.00		
		5-3/4 प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1982	11,400.00		
		5-3/4 प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1981	8,900.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र राज्य बिजली बाण्ड 1981	3,36,200.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाला बम्बई नगरपालिका के ऋण पत्र 1983	20,500.00		
		$5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1999	10,500.00		
		$5\frac{3}{4}$ प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 2002	3,400.00		
		6 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1998	11,300.00		
		5-3/4 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 2003	15,200.00		
		5-3/4 प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1985	500.00	26,29,806.00	
		6 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 1985	500.00		

7	8	9	10	11
रु०	रु०	रु०	रु०	
..	..	..	..	
..	..	..	..	
..	..	..	..	

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
27. भारत की नारियों को स्त्री रोग चिकित्सा और सहायता तथा शिक्षा प्रदान करने की राष्ट्रीय संस्था की बम्बई शाखा	राष्ट्रीय संस्था की बम्बई शाखा के कोषाध्यक्ष, द्वारा श्री आर० एन० भावनगरी, एस० बी० बिल्ली मोरिया एंड कम्पनी 113, महात्मा गांधी रोड, बम्बई-1	3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपान्तरण ऋण 1946	2,18,100.00		
		5½ प्रतिशत ब्याज वाला महाराष्ट्र ऋण 1981	30,000.00	2,48,100.00	..
28. रुस्तमजी जमशेदजी जेजी भाई गुजराती विद्यालय निधि	सचिव, सर जे०जे० पारसी हितकारी संस्था, 209, डा० दादा भाई नौरोजी रोड, फोर्ट, बम्बई	3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपान्तरण ऋण 1946	72,000.00	72,000.00	..
29. भूतपूर्व संगली राज्य द्वारा रखी गई किंग एडवर्ड स्मारक निधि	शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य पूना	3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपान्तरण ऋण 1946	49,100.00		
		3 प्रतिशत ब्याज वाला ऋण 1896-97	1,200.00	50,300.00	..

7	8	9	10	11
रु०	रु०	रु०	रु०	
..	..	..	..	खातों को विभागीय तौर पर रखने की प्रणाली के अन्तर्गत स्टेट बैंक में पी०एल० खातेको न खोले जाने के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र की अक्षय निधियां के सम्बन्ध में लगभग 5 लाख रुपये की वार्षिक ब्याज की रकम वसूल नहीं की जा सकी।
..	..	..	..	
..	..	..	..	

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु				रु०	रु०
1.	लारेंस स्मारक विद्यालय (लवडेल) निधि	सचिव, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, शिक्षा विभाग		..	..
2.	विक्टोरिया जयन्ती छात्रवृत्ति अक्षय निधि, मंगलौर	एक समिति जिसके सदस्य हैं 1. दक्षिण कनारा के जिला न्यायाधीश, (अध्यक्ष) 2. दक्षिण कनारा के जिला बोर्ड के अध्यक्ष 3. मंगलौर नगर परिषद् के सभापति, और 4. दक्षिण कनारा के जिला शिक्षा अधिकारी	3 प्रतिशत ब्याज वाला रूपांतरण ऋण, 1946	35,400.00	35,400.00 1,593.00
3.	जोनागडला रंगैया चेट्टी कालेजिट छात्रवृत्ति निधि, मद्रास	कालेज शिक्षा के निदेशक, मद्रास	6 प्रतिशत तमिलनाडु ऋण 1984 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946 5½ प्रतिशत मद्रास ऋण, 1980 5½ प्रतिशत मद्रास ऋण, 1979 5½ प्रतिशत ऋण, 2001	3,000.00 32,400.00 3,200.00 400.00 2,700.00	41,700.00 1,874.24

	7	8		9	10	11
	रु०	रु०		रु०	रु०	
(ण)	90,543.99	90,543.99	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	83,473.69 843.00 84,316.69	6,227.30	(ण) यह रकम निम्नलिखित की द्योतक है :— अथ शेष 81,772.69 आयकर और अधिभार की वापसी की रकम 8,771.30 90,543.99
(त)	2,133.99	3,726.90	दिया गया ब्याज सरकार को दी गई फीस	2,880.00 28.00 2,908.00	818.90	यह रकम निम्नलिखित की द्योतक है :— अथ शेष 1,783.90 छात्रवृत्ति की रकम की वापसी 350.00 2,133.90
(थ)	6,288.92	8,163.10		..	8,163.10	(थ) यह रकम निम्नलिखित की द्योतक है :— अथ शेष 6,139.22 आय कर और अधिभार की वापसी की रकम 149.70 6,288.92

कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।

1	2	3	4	5	6	
				रु०	रु०	रु०
4.	ग्रिग स्मारक अक्षय निधि, मद्रास	विद्यालयी शिक्षा निदेशक, मद्रास और कलेक्टर, मद्रास	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	11,500.00	12,600.00	566.74
			5½ प्रतिशत तमिलनाडु ऋण, 1981	1,100.00		
			वर्ष के दौरान वार्षिक ब्याज (लगभग 51,000.00 रुपये) नहीं लिया जा सका क्योंकि इसके लिए खातों को विभागीय तौर पर रखने की प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक में पश्चिम बंगाल के पूर्त अक्षय निधि के कोषपाल के नाम से एक पी०एल० खाता खोला जाना जरूरी था।			
5.	जे० एम० बोर्न स्मारक अक्षय निधि, मद्रास	दक्षिण रेलवे के मुख्य अभियन्ता, मद्रास	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	300.00	1,600.00	72.24
			5½ प्रतिशत तमिलनाडु ऋण, 1982	1,200.00		
			5¾ प्रतिशत तमिलनाडु ऋण, 1983	100.00		
पश्चिम बंगाल						
1.	भारतीय अकाल सहायता न्यास	प्रबन्धक बोर्ड, नई दिल्ली	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	32,78,400.00	32,78,400.00	
2.	यहूदी पूर्त अक्षय निधि	मूसा बोर्ड, कलकत्ता	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	38,000.00		
			5½ प्रतिशत पश्चिम बंगाल ऋण, 1983	59,700.00	97,700.00	

7		8	9		10	11
(ङ)	3,064.92	3,631.66	दिया गया ब्याज	1,140.89	2,478.77	(ङ) यह रकम निम्नलिखित की द्योतक है :—
			सरकार को दी गई फीस	12.00		अथ शेष 3,022.92
				1,152.89		आयकर और अधिभार की वापसी की रकम 42.00
						3,064.92
						कालम 6 में दी गई ब्याज की रकम में स्त्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।
(च)	1,074.46	1,146.70			1,146.70	(च) यह रकम निम्नलिखित की द्योतक है :—
						अथ शेष 1,026.46
						आयकर और अधिभार की वापसी की रकम 48.00
						1,074.46
						कालम 6 में दी गई रकम में स्त्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।
						वर्ष के दौरान वार्षिक ब्याज (लगभग 51,000.00 रुपए) नहीं लिया जा सका क्योंकि इसके लिए खातों को विभागीय तौर पर रखने की प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक में पश्चिम बंगाल के पूर्त अक्षय निधि के कोषपाल के नाम से एक पी० एल० खाता खोला जाना जरूरी था।

1	2	3	4	5		6
				रु०	रु०	रु०
मध्य प्रदेश						
1.	नवाब सुल्तान जहां बेगम शिक्षा अक्षय निधि, भोपाल	गवर्नर बोर्ड जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :—	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	9,24,400.00		
		(1) महामान्य सिकन्दर सौलत इफ्तिखार-उल मुल्क नवाब मुहम्मद हमीदुल्ला खां ;	5¾ प्रतिशत मध्यप्रदेश ऋण, 1982	4,24,500.00	13,48,900.00	40,148.38
		(2) श्री महावीर प्रसाद वर्मा, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, भोपाल ;				
		(3) श्री मुहम्मद अहमद अन्सारी, भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, भोपाल ;				
		(4) कर्नल यामीनुलमुल्क नवाबजादा रशीदुज्जफरखां बहादुर; और				
		(5) मुतमिदुल इंशाअली काविर, श्री सैयद माशूक अली, महामान्य नवाब, भोपाल के सर्फेखास विभाग के सचिव ।				
2.	सी० पी० और बरार किंग एडवर्ड स्मारक समिति निधि	सचिव, शासी निकाय किंग एडवर्ड स्मारक समिति, नागपुर	3 प्रतिशत ऋण 1896-97	19,000.00		
			5¾ प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1893	1,85,900.00		
			3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	2,42,800.00	4,47,700.00	14,275.96
3.	सी० पी० कृषि और उद्योग सुधार निधि	सचिव शासी निकाय कृषि और उद्योग नागपुर	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	1,24,000.00	1,29,900.00	3,203.64
			5¾ प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1979	5,900.00		

	7	8		9	10	11
	रु०	रु०		रु०	रु०	
(न)	89.18	40,237.56	दिया गया ब्याज	39,626.98	89.18	(न) यह रकम अग्र शेष की द्योतक है । कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है ।
			सरकार को दी गयी फीस	521.40		
				40,148.38		
2.	..	14,257.96	दिया गया ब्याज	14,072.52		कालम 6 में दिखाई गयी ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है ।
			सरकार को दी गई फीस	185.44		
				14,257.96		
3.	..	3,203.64	दिया गया ब्याज	3,163.04		
			सरकार को दी गई फीस	40.60		
				3,203.64		

1	2	3	4	5	6
				रु०	रु० रु०
4.	एन्सन गार्डिनर स्मारक छात्रवृत्ति निधि	नागपुर का विशप	5½ प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1983	3,800.00	
			3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	400.00	4,200.00 183.80
5.	सौभाग्यवती कृष्णाबाई बाल कृष्ण सूले पुरस्कार निधि	नागपुर परिमण्डल के विद्यालयों की निरीक्षिका, नागपुर	5½ प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1983	200.00	200.00 9.50
6.	राय बहादुर बन्धुजी जनार्दन चौबल पुरस्कार निधि	सचिव, विदर्भ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	5½ प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1983	900.00	900.00 37.74
7.	रामचन्द्र ठाकुर पुरस्कार निधि	सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश, भोपाल	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	500.00	500.00 11.76
8.	ब्राउनिंग छात्रवृत्ति और ब्राउनिंग शिक्षक छात्रवृत्ति निधि	कलक्टर, नागपुर, शिक्षा निदेशक, मध्य प्रदेश भोपाल और विद्यालय निरीक्षक, नागपुर	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	11,600.00	13,800.00 366.50
			5 प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1979	2,200.00	
9.	हार्डिंग पदक निधि	शिक्षा निदेशक, मध्य प्रदेश, भोपाल	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	2,100.00	2,100.00 48.60

7		8		9		10	11
				रु०		रु०	रु०
4.	(य) 13.17	196.97	दिया गया ब्याज	181.50		13.17	(य) यह रकम अवशेष की द्योतक है ।
			सरकार को दी गई फीस	2.30			
				183.80			कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है ।
(र)	336.85	346.35	..	..		346.35	(र) यह रकम अथ शेष की द्योतक है । कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकम शामिल है ।
(ल)	580.19	617.93	..	..		617.93	(ल)— सदेव—
	..	11.76	दिया गया ब्याज	11.60		..	कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गई आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है ।
			सरकार को दी गई फीस	0.16			
				11.76			
(व)	79.44	445.94	दिया गया ब्याज	361.76		79.44	(व) यह रकम अथशेष की द्योतक है ।
			सरकार को दी गई फीस	4.74			
				366.50			कालम 6 में दिखाई गयी ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है ।
	..	48.60	दिया गया ब्याज	47.96		..	कालम 6 में दिखाई गयी ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं ।
			सरकार को दी गई फीस	0.64			
				48.60			

1	2	3	4	5	6
				रु०	रु०
10.	मेहयू और स्पेंस रजत पदक निधि	जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर	5½ प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1983	500.00	500.00
11.	पंडित प्रेमशंकर गंगाशंकर ठाकर छात्रवृत्ति निधि	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनपद सभा, दमोह	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	7,100.00	7,100.00
12.	रेवाशंकर पंड्या हाई स्कूल छात्रवृत्ति निधि	मंडल शिक्षा अधीक्षक, जबलपुर	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	5,000.00	5,000.00
13.	लक्ष्मीबाई छात्रवृत्ति निधि	जिला शिक्षा अधिकारी, जबलपुर	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	2,600.00	2,600.00
14.	बुडबर्न छात्रवृत्ति निधि	प्रिंसिपल, राजकुमार कालेज, रायपुर	5½ प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण, 1983	2,400.00	
			3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	8,300.00	10,700.00

7	8	9		10	11
(श)	95.72	116.48	दिया गया ब्याज	20.48	95.72 (ण) यह रकम अधिशेष की द्योतक है। कालम 6 में दिखाई गयी ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।
			सरकार को दी गयी फीस	0.28	
				20.76	
	..	164.08	दिया गया ब्याज	161.94	.. कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।
			सरकार को दी गई फीस	2.14	
				164.08	
	.	115.50	दिया गया ब्याज	114.00	.. कालम 6 में दिखाई गयी ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।
			सरकार को दी गयी फीस	1.50	
				115.50	
	..	60.20	दिया गया ब्याज	59.42	.. कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।
			सरकार को दी गई फीस	0.78	
				60.20	
(स)	44.63	342.43	दिया गया ब्याज	293.92	44.63 (स) यह रकम अधिशेष की द्योतक है। कालम 6 में दिखाई गयी ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।
			सरकार को गई फीस	3.88	
				297.80	

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
बिहार					
1. बुडहाउस स्मारक निधि	कलक्टर, भागलपुर	रक्षा जमा-पत्र	1,100.00	1,100.00	
2. राजा रघुनंदन प्रसाद न्यास निधि	अवैतनिक कोषाध्यक्ष, बिहार एस० सी० सी० ए० सदाकत आश्रम, पटना	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	1,600.00	1,600.00	
3. फखरुद्दीन स्मारक स्वर्ण पदक निधि	शिक्षा निदेशक, बिहार पटना	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 1946	1,100.00	1,100.00	
उत्तर प्रदेश					
अलीगढ					
1. तसद्दुक रसूल अरबी छात्रवृत्ति अक्षय निधि न्याय	कोषाध्यक्ष, मुस्लिम विश्व-विद्यालय, अलीगढ़	3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 1946	20,200.00	20,200.00	606.00
2. सर सैयद अहमद स्मारक न्यास निधि	रजिस्ट्रार, मुस्लिम विश्व-विद्यालय, अलीगढ़	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	1,16,000.00	1,16,000.00	3,480.00
3. सर विलियम मैरिस छात्र-वृत्ति अक्षय निधि न्यास	कुलपति, मुस्लिम विश्व-विद्यालय, अलीगढ़	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	6,400.00	6,400.00	192.00

7	8	9	10	
रु०	रु०	रु०	रु०	
(कक) 93.50	93.50		93.50	(कक) यह रकम अथ शेष की द्योतक है।
(कक) 24.00	24.00		24.00	वर्ष के दौरान वार्षिक ब्याज लगभग 130.00 (रुपये) रूप में प्राप्त की गई रकम पी० एल० खाते में जमा नहीं करवायी जा सकी । चालू वर्ष में ब्याज इस रकम को जमा करवा दिया जाएगा जबकि पटना सचिवालय राजकोष से पिछली रकमों का अन्तरण भारतीय स्टेट बैंक के खाते में हो जायेगा।
		48.00		
(कक) 16.50	16.50		16.50	
		33.00		

.. 606.00 दिया गया ब्याज 599.94
सरकार को दी गई फीस 6.06
606.00

.. 3,480.00 दिया गया ब्याज 3,445.20
सरकार को दी गई फीस 34.80
3,480.00

.. 192.00 दिया गया ब्याज 190.00
सरकार को दी गई फीस 1.92
192.00

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
इलाहाबाद					
4. रीवा छात्रवृत्ति अक्षय निधि न्यास	प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट इंटर कालेज, इलाहाबाद	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	4,100.00	4,100.00	123
5. पन्ना छात्रवृत्ति अक्षय निधि न्यास	शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	5,200.00	5,200.00	156.00
6. विजयनगरम् छात्रवृत्ति अक्षय निधि न्यास	प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट, इंटर कालेज, इलाहाबाद	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	14,800.00	14,800.00	444.00
7. विजयनगरम् छात्रवृत्ति अक्षय निधि न्यास	रजिस्ट्रार, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय, इलाहाबाद	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	26,000.00	26,000.00	780.00
वाराणसी					
8. साधोलाल छात्रवृत्ति अक्षय निधि न्यास	उपकुलपति, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	45,000.00	45,000.00	1,350.00
9. काठियावाड़ संस्कृत छात्र वृत्ति अक्षय निधि न्यास	—तदेव—	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	9,100.00	9,100.00	273.700

7	8		9	10	11
रु०	रु०		रु०		रु०
..	123.00	दिया गया ब्याज	121.76	..	
		सरकार को दी गई फीस	1.24		
			123.00		
..	156.00	दिया गया ब्याज	154.44	..	
		सरकार को दी गई फीस	1.56		
			156.00		
..	444.00	दिया गया ब्याज	439.56	..	
		सरकार को दी गई फीस	4.44		
			444.00		
..	780.00	दिया गया ब्याज	772.20		
		सरकार को दी गई फीस	7.80	..	
			780.00		
..	1,350.00	दिया गया ब्याज	1336.50	..	
		सरकार को दी गई फीस	13.50	..	
			1,350.00		
..	273.00	दिया गया ब्याज	270.26	..	
		सरकार को दी गई फीस	2.74		
			273.00		

1	2	3	4	5	6
वाराणसी					
			रु०	रु०	रु०
10. रीवा छात्रवृत्ति अक्षय निधि न्यास	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाराणसी	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	5,800.00	5,800.00	174.00
11. नागरी प्रचारिणी सभा अक्षय निधि न्यास	सचिव, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	1,63,100.00	1,63,100.00	4,767.00
12. महाराज कुमार सुधांशु शेखर सिंह देव, सोनपुर संपदा के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी उड़ीसा पदक अक्षय निधि न्यास	कुलपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	1,500.00	1,500.00	45.00
13. बस्ती की रानी भुवन राज लक्ष्मी देवी अक्षय निधि न्यास	रजिस्ट्रार, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	7,300.00	7,300.00	229.00
पौड़ी गढ़वाल					
14. गढ़वाल क्षेत्रीय शिक्षा न्यास निधि	सचिव, गढ़वाल क्षेत्रीय शिक्षा न्यास निधि, पौड़ी गढ़वाल	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	51,800.00	51,800.00	1,554.00

7	8	9	10	11
रु०	रु०		रु०	
..	174.00	दिया गया ब्याज 172.26 सरकार को दी गई फीस 1.74 174.00	..	
..	4,767.00	दिया गया ब्याज 4,718.06 सरकार को दी गयी फीस 46.94 4,767.00	..	कालम 6 में दिखाई गयी ब्याज की रकम में स्रोत पर काटी गयी आयकर और अधिभार की रकम शामिल नहीं है।
..	45.00	दिया गया ब्याज 44.54 सरकार को दी गयी फीस 0.46 45.00	..	
	219.00	दिया गया ब्याज 216.80 सरकार को दी गयी फीस 2.20 219.00		
	1,554.00	दिया गया ब्याज 1538.46 सरकार को दी गई फीस 15.54 1,554.00		

1	2	3	4	5	6
			रु०	रु०	रु०
लखनऊ					
15. नगर शिक्षा अक्षय निधि न्यास, अपरर इंडिया, लखनऊ	सचिव, नगर शिक्षा अक्षय निधि न्यास, अपर इंडिया लखनऊ	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 1946	16,600.00	36,000.00	1,662.00
		7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (तीसरा निर्गम)	19,400.00		
16. कप्तान कु० इन्द्रजीत सिंह, एम० सी० आई० एम० एस० स्मारक अनुसंधान छात्रवृत्ति अक्षय निधि	प्रधानाचार्य, मेडीकल कालेज, लखनऊ	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	1,06,600.00	1,06,600.00	3,198.00
मिर्जापुर					
17. गिरौंढी कायस्थ पाठशाला अक्षय निधि न्यास	प्रबन्धक समिति, जिसके मिर्जापुर के कलक्टर पदेन सभापति हैं और स्व० मुन्शी बिन्देश्वरी प्रसाद प्लीडर की संपदा के निष्पादक जिसके सदस्य हैं	3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 1946	1,600.00	9,150.00	48.00
		7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (दूसरा निर्गम)	7,550.00		
पांडिचेरी					
1. भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिये विशेष निधि	सचिव राज्य और सैनिक बोर्ड	5 3/4 प्रतिशत ब्याज वाले कृषि पुनर्वित्त बाण्ड	1,000.00	1,000.00	
2. डाक्टर एन० के० रामनायन स्मारक पुरस्कार निधि	प्रधानाचार्य, जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थान और अनुसंधान, पांडिचेरी	5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा	1,000.00	1,000.00	

7	8	9	10	11
रु०	रु०		रु०	
..	1,662.00	दिया गया ब्याज	1,645.38	..
		सरकार को दी गई फीस	16.62	..
			1,662.00	
..	3,198.00	दिया गया ब्याज	3,166.02	..
		सरकार को दी गई फीस	31.98	
			3,198.00	
..	48.00	दिया गया ब्याज	47.52	
		सरकार को दी गई फीस	0.48	
			48.00	
..	..	..	..	भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज की रकम अभी नहीं दी है और उससे इस संबंध में लिखा पढ़ी की जा रही है।
..	..	..	..	

पंजाब :

भारत और पाकिस्तान के बीच केन्द्रीय पूर्त अक्षय निधियों से संबंधित प्रतिभूतियों का विभाजन न हो सकने के कारण प्रतिभूतियों की सूची तैयार नहीं की जा सकी।

[सं० एफ० 1/1/78-टी० सी० ई०]

मंगल दास पाल, कोषपाल,

OFFICE OF THE TREASURER OF CHARITABLE ENDOWMENTS FOR INDIA

New Delhi, the 15th June, 1978

S.O. 2111.—The following list of properties and of securities as on the 31st March, 1978 and abstract of accounts of interest for the year 1977-78 in respect of Charitable Endowments (Central) held by the Treasurer of Charitable Endowments for India or his agents under the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), are published for general information.

Part I—List of Properties other than Securities

Sl. No.	Particulars of Vesting Order		Name of endowment	Administrators of Property	Property held			Remarks
	No.	Date.			Description	Value	Annual Income, if known	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INDIA								
						Rs.	Rs.	
1.	Ministry of Health Notification No. F.4-3(2)153-MI as amended by the Ministry of Health Notification No. F. 4-2/61—MII (ME).	12-6-1953 27-11-1963	The Lady Hardinge Hospital for Women and Children, Delhi, Fund.	Board of Administration, Lady Hardinge Medical College and Hospital.	Land and buildings of the Lady Hardinge Medical College and Hospital, Delhi together with all fictures, furniture, equipment, etc. The area of the Lady Hardinge Medical College and Hospital, Delhi—49.82 acres. Location — Punchkuin Road, Boundaries : North—Punchkuin Road South—Lady Hardinge Road. East—Connaught Circus. West—Baird Road. Survey No. CE-2370.—L.D.O. No. 94 Terms—Leased to the institution by the Land and Development Officer, Delhi on a nominal rental of Re. 1 per annum. Number of buildings including Mosque, Church, etc. 71 in all. Approximate cost of buildings assessed by the Land and Development Officer, Delhi, Rs. 63,50,537/-	63,50,537.00	Not known	With the enactment of the Lady Hardinge Medical College and Hospital (Acquisition) and Miscellaneous Provisions Act, 1977, the Lady Hardinge Medical College and Hospital with all its property now vest in the Central Government with effect from 1-2-1978. Necessary action for transferring the property to Government is in hand.
2.	Ministry of Health Notification No. F. 14-26/61-Instt. as Extended by the Ministry of Health & Family Welfare Notification No. S.22020 11/76—MC(MS).	31-8-1962 31-8-1977	Pasteur Institute of India	Administrator of the Pasteur Institute of India.	1. Anti-Rabies Research Centre Building, Kasauli. 2. Lady Linlithgo Sanatorium Building, Kasauli. 3. Shelton Lodge, Kasauli.	2,23,200.00 22,18,700.00 26,000.00	Not Known	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Ministry of Defence Notification No. S.R.O.250	19th July, 1960	Farm Fund of the Kumaon Regimental Farm at Kamola and Udaipuri.	Board of Administration of the Fund.	Kamola Tehsil Kaladhungi District Nainital 1. Dispensary (30ft. x 24 ft.) 2. Thimayya Lodge (30ft. x 24ft.) 3. Guest House No. 1 (30ft. x 35ft.) 4. Guest House No. 2 (28ft. x 26ft.)	Rs. 4,000.00 4,000.00 5,000.00 3,500.00	Rs. Not known	
MAHARASHTRA								
1.	G.I.H.D. Education No. 433.	27th May, 1909	The Indian Institute of Science.	The Collector of Bombay, Shri Narayan Dattatraya Sirur and Shri Naval H. Tata.	"Victoria Buildings"—All that piece of freehold, situated in the Fort on the eastern side of Parsi Bazar Street, at or near the Elphinstone Circle with the messuage, tenements and buildings thereon known as "Victoria Buildings" containing by admeasurement 482-3/4 sq. yards or thereabouts.	Not known	Do.	
2 & 3.	Do.	Do.	Do.	Do.	"Albion Place and Alexandra Terrace"—All that piece of land, situated at Byculla on the eastern side of Parel Road with the messuage, tenements and buildings thereon, with their out-houses and stables known as "Albion Place and Alexandra Terrace" containing by admeasurement 11,104 sq. Yards or thereabouts.	Do.	Do.	
3A.	Do.	Do.	Do.	Do.	New Construction being a building now Known as "Hotel Heritage" built on portion of land admeasuring 11,104 sq. yards or thereabouts situated at Byculla on the eastern side of Parel Road now Known as Dr. Ambedkar Road.	19,00,000.00	1,89,120.00	
4&5.	Do.	Do.	Do.	Do.	"Reay House" and "Sandhurst House"—All that piece or parcel of leasehold land situated on the Apollo" Reclamation (1) in the Island of Bombay, containing by admeasurement 2,004 - 8/9 square yards, with the two buildings thereon, Known as "Reay House" and "Sandhurst House".	Not Known	Not Known	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 & 7.	G.I.H.D. Education No. 433	27th May, 1909	The Indian Institute of Science.	The Collector of Bombay, Shri Narayan Dattatraya Sirur and Shri Naval H. Tata.	"Rosevelt or Ezra House"—All that piece or parcel of lease hold and, situated on the Apollo Reclamation, containing by admeasurement 533 square yards and 3/9 of another square yard, with the buildings thereon, known as the "Rosevelt House or Ezra House" and secondly all that piece of leasehold land also situated on the Apollo Reclamation, in the Island of Bombay containing by admeasurement 573 square yards ad 3/5 of another square yard.	Not known	Not known	
8 & 9.	Do.	Do.	Do.	Do.	"Sargent House" and "Jenkins House"—All that piece or parcel of land, situated on the Apollo Reclamation in the Island of Bombay containing by admeasurement 3487-2/9 square yards with the buildings thereon known as "Sargent House" and "Jenkins House".	Do.	Do.	
10.	Do.	Do.	Do.	Do.	"New Shamji Buildings" now known as "Station Terraces, Sleater Road"—All that piece of land of Foras tenure admeasuring 2,290 square yards or thereabouts with the several meassuages, tenements or dwelling houses, known as "New Shamji Buildings Extension" now known as the "Station Terraces" situated in the South side of the Sleater Road, Bombay.	Do.	Do.	
11.	Do.	Do.	Do.	Do.	"Candy House"—All that piece of leasehold land, situated on the Apollo Reclamation, in the Island of Bombay, containing by admeasurement 529-6/9 square yards known as "Candy House".	Do.	Do.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Rs.	Rs.	
12 & 13.	G.I.H.D. Education No. 433	27th May, 1909	The Indian Institute of Science.	The Collector of Bombay, Shri Narayan Dattatroya Sirur and Shri Naval H. Tata.	"Land near Albion Place and Alexandra Terrace"—All that piece of land containing by admeasurement 8,570 square yards or thereabouts, registered by the Collector of Bombay with other land situated at Byculla on the eastern side of Parel Road in the City of Bombay, together with messuages, tenements and dwelling Houses standing thereon known as "Land near Albion Place and Alexandra Terrace."	Not known	Not known	107/8/9 sq. yards acquired by the Land Acquisition Officer for the City of Bombay
14.	Do.	Do.	Do.	Do.	"Land at Parel Tank Road" Firstyl—All that piece of land admeasuring 67,057 square yards or thereabouts whereof 7,021 sq. yards is Government Toka land and 2,189 sq. yards is recently assessed Government Land and remaining is Inam land situated at Parel on the Public road leading to Parel Government Tank known as "Land at Parel Tank Road" Wageshri Hill. Secondly—All that piece of vacant Inam land admeasuring 6,005 square yards or thereabouts situated at Parel. Thirdly—All that piece of vacant land of the Government Toka Tenure containing by admeasurement 1,058 square yards or thereabouts situated at and on the south side of Golangi Hill Road at Parel in the City of Bombay.	Do.	Do.	Out of 74, 686 square yards 15,575,80 square yards acquired by Government under Land Acquisition Act for the construction of the work of the Tata Hydro-Electric Power Supply Co. Ltd. in connection with its transmission lines and 37,471.52 square yards subsequently acquired in 1922 by the

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Rs.	Rs.	
					Fourthly—All that piece of vacant Government Toka and containing by admeasurement 566 square yards or thereabouts situated at and on the south side of Golangi Hill Road at Parel in the City of Bombay.			Land Acquisition Officer. A portion of the land at Parel Tank Road admeasuring 2,043.88 square yards of CS. No. 1/202 part and 623.33 square yards of CS. No. 203 part has been acquired by the Bombay Municipal Corporation for the purpose of construction of Water Reservoir under Section 12(2) of the Land Acquisition Act I of 1894
15. G.I.H.D. Education No. 433	27th May, 1909	The Indian Institute of Science	The collector of Bombay, Shri Narayan Dattatraya Sirur and Shri Naval H. Tata.	All that piece of land situated on the West side of the Colaba Road at Colaba within the city and Registration Sub-district of Bombay containing by admeasurement 2,020 sq. yards or thereabouts and bounded as follows : that is to say on or towards the North by the Property of the Trustees of Sir Currimbhoy Ebrahim Baronetcy Trust, on or towards the South by the Road of Police Chowkey, on or	1844,108.28	1,99,675.08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Rs.	Rs.	
					towards the East by Colaba Road and on or towards the West by Wodehouse Road, and which said piece of Land is registered in the books of the Collector of Bombay under Rent Roll No. 8509 and bears Cadestal Survey No. 48 of Colaba Division together with the buildings and erections standing thereon assessed by the Municipality of Bombay under Award Nos. 213, 214 and Street Nos. 158 and 125 of Colaba Road and Wodehouse Road and Street No. 154 of Lower Colaba Road respectively.			
16. G.R.E.D. No. 452	7th March, 1906	Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution.	The Secretary, Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution, Bombay.	A piece of land with dwelling house and building situated at Hornby Road, Fort, Bombay, admeasuring 1,688 square yards.		Not known	Not known	
17. G.R.E.D. No. 1778	10th July, 1912	Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution.	The Secretary, Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution, Bombay.	All that piece or parcel of freehold land with messuage, tenement or stables standing thereon situated at Gola Lane, Fort, Bombay admeasuring 173 and 62 square yards or thereabouts.		Do.	Do.	
TAMIL NADU								
1. No. 46-Education No. 389-Education	5th April, 1904 25th June, 1904	Endowment of the Madras Military Female Orphan Asylum.	Secretary and Correspondent, St. George School and Orphanage, Madras.	Land in Madras bearing Survey No. 232 and measuring 15 cawnies 18 groundes and 1678 sq. ft. with the buildings thereon known as "Madras Military Female Orphan Asylum."		Not known	Not known	The property is in the occupation of the St. Geroge School and Orphanage in consideration of the maintaining and educating 30 additional girls in

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Rs.	Rs.	
								addition to the girls of the Asylum such as were formerly admitted to the Madras Military Female Orphan Asylum.
UTTAR PRADESH								
1. Government of U.P. Education Deptt. Notifications Nos. 602/XV-301 and 808-G/XV/619/1923.	2nd April, 1918 and 29th November, 1923 respectively.	Giraundi Kayastha Pathshala Endowment Trust, Mirzapur.	A Committee of Management consisting of the Collector, Mirzapur as *Ex-officio* Chairman and Executors of the Estate of the late Munshi Bindeshwari Prasad, Pleader.	(a) Three houses situated in Mohalla Welleslygunj, Distt. Mirzapur bounded as follows :—				
					(1) South—House of Sri Piyare Lal, North—House of Musammat Jhunna, West—Government Road, East—House of Sri Sumer Sonar.	600.00	36.00	
					(2) South—House of Munshi Bindeshwari Prasad, Vakil, North — Mosque, West—House of Shri Rameshwar Teli, East—Road.	600.00	36.00	
					(3) South—House of Shri Budhu, North—House of Munshi Bindeshwari Prasad Vakil, West—House of Musammat Umrao, East—Road.	600.00	36.00	
					(b) A grove situated in Mauza Giraundi, Tehsil Chunar, District Mirzapur.	600.00	15.00	
					(c) Pathshala in Mauza Giraundi, Tehsil Chunar, District Mirzapur situated in the grove mentioned in (b) above.	50.00	Not known	

PUNJAB

Pending apportionment of properties relating to Central Charitable Endowments between India and Pakistan the list of properties coul l not be prepared.

PART II—*List and abstract*

Case No.	Name of endowment	Persons in whose behalf held	Particulars of Securities	Total of Securities	Cash: Interest or dividend realised
1	2	3	4	5	6
				Rs.	Rs.
INDIA					
1.	Khandpara State Trust Fund.	Board of Trustees, Khandpara State Trust Fund.	5-Year Post Office Time Deposit.	30,600.00	1,294.13
2.	Armed Forces Benevolent Fund.	Armed Forces Benevolent Fund General Committee.	3% Conversion Loan, 1946.	8,00,400.00	24,012.00

Account of Securities

Receipts: Other Cash receipts	Receipts: Total Cash receipts	Cash Expenditure: Payments		Balance in cash	Remarks
7	8	9		10	11
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	
(a) 30,600.00	31,894.13	Interest remitted	1,281.19	..	(a) Represents redemption proceeds of Fixed Deposit with the Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd., since invested in 5-Year Post Office Time Deposit.
		Fee paid to Govt.	12.94		
		(a) Other Payments.	30,600.00		
			31,894.13		
..	24,012.00	Interest remitted	23,771.88	..	
		Fee paid to Govt.	240.12		
			24,012.00		

1	2	3	4	5	6
3.	Lady Hardinge Hospital for Women and Children, Delhi, Fund.	Board of Administration, Lady Hardinge Medical College and Hospital.	3% Conversion Loan 1946	8,05,800.00	
			4-1/2% Loan 1986	7,300.00	
			Defence Deposit Certificates.	500.00	
			National Defence Certificates.	11,20,000.00	27,33,500.00 1,15,826.12
			Fixed Deposit with the Tamil nadu Industrial Investment Corp. Ltd.	1,63,100.00	
			7-Year National Savings Certificates (II Issue)	41,000.00	
			6% West Bengal State Electricity Board Bonds 1982	22,000.00	
			5½% Maharashtra State Development Loan 1979	79,500.00	
			5-Year Post Office Time Deposit.	4,94,300.00	

7	8	9	10		11
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	
(b) 1,38,300.00	2,54,126.12	Interest remitted	72,667.84	..	(b) Represents—
		Fee paid to Govt.	1,158.28		40,000/- Redemption proceeds of Post Office 12-Year National Plan Savings Certificates.
		(c) Other payments.	1,80,300.00		5,000/- Redemption proceeds of Ten-Year Defence Deposit Certificate
			2,54,126.12		25,300/- Redemption proceeds of 4½% Loan 1977.
					68,000/- Amount received from Fund authorities for investment in 5-Year Post Office Time Deposit.
					1,38,300/-
					(c) Represents investment made in 5-Year Post Office Time Deposit.
					A sum of Rs. 42,500/- was received by way of interest on the Post Office National Savings Certificates for Rs. 40,000/- on maturity, out of which a sum of Rs. 42,000/- along with the redemption proceeds was invested in 5-Year Post Office Time Deposit.
					The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.
					With the enactment of the Lady Hardinge Medical College and Hospital (Acquisition) and Miscellaneous Provisions Act, 1977, the Lady Hardinge Medical College and Hospital with all its property now vest in the Central Government with effect from 1-2-1978. Necessary action for transferring the property to Government is in hand.

1	2	3	4	5		6
4.	St. Dunstan's (India) Fund.	Board of Trustees, St. Dunstan's (India) Fund.	3% Convention Loan 1946 4-3/4% Loan 1989.	92,900.00 15,000.00	1,07,900.00	3,335.50
5.	Thomas Reed Bell Memorial Fund.	The President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun.	3% Convension Loan 1946.	3,100.00	3,100.00	93.00

7	8	9	10		11
..	3,335.50	Interest remitted	3,302.14	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.
		Fee paid to Govt.	33.36		
			3,335.50		
..	93.00	Interest remitted	92.06	..	
		Fee paid to Govt.	0.94		
			93.00		

1	2	3	4		5	6
				Rs.	Rs.	Rs.
6.	Pasteur Institute of India.	Administrator of the Pasteur Institute of India.	3% Conversion Loan 1946	66,900.00		
			4% Loan 1980	1,10,900.00		
			5-Year Post Office Time Deposit	30,750.00	208,550.00	12593.00
7.	National Foundation for Teacher's Welfare.	General Committee, National Foundation for Teacher's Welfare.				
			Fixed Deposit with the T.I.I. Corpn. Ltd.	23,00,000.00		
			5-½% Bombay Munici-Pal Debentures 1978.	25,68,500.00	4,00,29,800.00	26,06,969.50
			5 Year Post Office Time Deposit.	3,51,61,300.00		
8.	Sorda Rangenathan Endowment for Library Science.	Committee of Manament of the Fund.	Fixed Deposit with the Tamil Nadu Industrial Investment Corpn. Ltd.	5,00,000.00	6,00000.00	46,000.00
			5- Year Post Office Time Deposit.	1,00,000.00		

7	8	9		10	11
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	
..	12,593.00	Interest remitted	12,467.06	..	
		Fee paid to Govt.	125.94		
			12,593.00		
(d) 1,03,86,300.00	1,29,93,269.50	Interest remitted	25,80,899.80	..	(d) Represents—
		Fee paid to Govt.	26,069.70		29,08,700 Redemption proceeds of 5½% Maharashtra State Development Loan, 1977.
		(e) Other payments	1,03,86,300.00		19,77,600 Redemption process of 5¼ % Madhya Pradesh State Development Loan 1977.
			1,29,93,269.50		55,00,000 Amount received from Fund authorities for investment in 5-Year Post Office Time Deposit.
					1,03,86,300
					(e) Represents investment in 5-Year Post Office Time Deposit. The redemption proceeds fo the 5½ Bombay Municipal Debentures 1977 for Rs. 82,75,000 have also been invested in 5-Year Post Office Time Deposit and stand included in the particulars of Securities under column 4. The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.
(f) 1,00,000.00	1,46,000.000	Interest remitted ..	45,540.00		(f) Represents amount received from the Fund authorities, since invested in 5-Year Post Office Time Deposit.
		Fee paid to Govt	460.00		
		(g) Other payments	1,00,000.00		
			1,46,000.00		

1	2	3	4	5	6
9. Banubai Byramji Kanga Trainees' Welfare Fund of the Training Centre for the Adult Blind, Dehra Dun.	The Superintendent, Training Center for the Adult Blind, Dehra Dun.	Defence Deposit certificates.	10,350.00		
		5-Year Post Office Time Deposit.	39,600.00		
		6% West Bengal State Electricity Board Bonds 1982.	4,400.00	54,350.00	3,173.62
10. Flag Day Fund	Managing Committee, Flag Day Fund	3% Conversion Loan 1946.	4,20,000.00	4,20,000.00	37,800.00

7	8	9	10	11
..	3,173.62	Interest remitted 3,141.88 Fee paid to Govt. 31.74 3,173.62	..	The Interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.
..	37,800.00	Interest remitted 37,422.00 Fee paid to Govt. 378.00 37,800.00		

1	2	3	4	5	6
				Rs.	Rs.
11. War Bereaved and Disabled Servicemen Special Relief Fund.	Managing Committee, War Bereaved and Disabled Servicemen Special Relief Fund.	5% Loan 1984.	1,50,16,700.00		
		Fixed Deposit with Tamil Nadu Industrial Investment Corpn. Ltd.	1,00,00,000.00		
		6% Bangalore Water Supply & Sewerage Board Debenture Bonds 1984.	7,00,000.00		
		6% Kerala Financial Corpn. Bonds 1983.	2,00,000.00		
		6% Andhra Pradesh Electricity Board Bonds 1984.	40,00,000.00		
		6% Gujarat Housing Board Debentures 1983. (II Series).	8,00,000.00		
		6% Andhra Pradesh Co-op. Central Land Mortgage Bank Debentures 1982—87	1,00,000.00		
		6% Orissa State Electricity Board Bonds 1984.	45,00,000.00		
		6% Assam State Electricity Board Bonds 1984 (I).	2,00,000.00		
		6% Kerala State Electricity Board Bonds 1982.	10,00,000.00		
		6% Kerala State Electricity Board Bonds 1984.	3,75,000.00		
		6% Debentures 1985 of Bihar Rajya Sahakari Bhumi Vikas Bank Ltd.	3,00,000.00		
		6% U.P. State Electricity Board Bonds 1982. (I Series).	4,50,000.00		
		6% Gujarat Ind. Dev. Bonds 1893 (II).	15,00,000.00		
		6% Tamilnadu Industrial Investment Corp .Bonds 1984.	4,50,000.00	3,97,16,700.00	64,76,103.00
		6% U.P. State Electricity Board Bonds 1985 (I Series).	1,25,000.00		

1	2	3	4	5	6
				Rs.	Rs.
MAHARASHTRA					
1.	Indian Institute of Science (Bangalore (Properties).	The Council of the Indian Institute of Science Bangalore.	5 Year Post Office Time Deposit.	2,150.00	2,150.00 ..
2.	Indian Institute of Science (Bombay Properties).	The Council of the Indian Institute of Science, Bangalore.	3% Conversion Loan 1946 5½ % Loan 2000 5¾ % Maharashtra Loan 1982. 5 Year Post Office Time Deposit.	10,22,800.00 1,40,300.00 57,800.00 10,700.00	12,31,600.00 ..
3.	Fakirjee Cowasjee of Karachi Scholarship Fund.	Captain Superintendent, Trainingship "Rajendra," Off New Ferry Wharf, Bombay-9.	3% Conversion Loan 1946.	60,000.00	60,000.00 ..
4.	Chatfield Memorial Prize Fund.	1. Principal, Training College for Men, Poona. 2. Principal, Training College for Men, Dharwar. 3. Principal, Training College for Men, Ahmedabad.	3% Conversion Loan 1946.	200.00	200.00
5.	Ganesh Balwant Limaye Scholarship Fund.	Director of Education, Maharashtra State, Poona.	3% Conversion Loan 1946	56,000.00	56,000.00
6.	Sir William Moore Memorial Fund.	Director of Health Services, Maharashtra State, Bombay.	3% Conversion Loan 1946	1,100.00	1,100.00
7.	Kazi Shahbuddin Endowment for the encouragement of Education among Mohamedans in the Bombay Presidency.	Director of Education, Maharashtra State, Poona.	3% Conversion Loan 1946 5¾% Maharashtra Loan 1981	1,45,300.00 5,100.00	1,50,400.00

7	8	9	10		11
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	
..	64,76,103.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	64,11,341.96 64,761.04 64,76,103.00	..	The interest thown (under column 6) is exclusive of income-tax and Surcharge deducted at source.
MAHARASHTRA					
(g) 17.00	17.00		..	17.00	(g) Represents opening balance.
(h) 27.02	27.02		..	27.02	(h) Represents opening balance.
..	..		..	..	
(i) 32.66	32.66		..	32.66	(i) Represents opening balance.
..	..		..	..	
..	..		..	..	
..	..		..	..	

1	2	3	4	5	6	7
				Rs.	Rs.	Rs.
8.	Fund for Prizes in English in connection with the S.S.C. Examination.	Director of Education, Maharashtra State, Poona.	3% Conversion Loan 1946.	400.00	400.00	..
9.	Sir Sassoon David Trust Fund for Agriculture and Educational purposes.	Board of Trustees of the Fund C/o Secy. to Govt. of Maharashtra, Agriculture and Co-operation Deptt. Bombay.	5¾% Maharashtra Loan 1973.	7,51,100.00	7,51,100.00	..
10.	After-care Fund in connection with the Bombay State Probation and After-care Association.	President, Maharashtra State Probation and After-care Association, B.I.T. Block No. 33, Kings' Circle, Matunga, Bombay-19.	5½% Maharashtra Loan 1978	14,000.00		..
			3% Conversion Loan 1946.	7,000.00	21,000.00	..
11.	Imperial Indian Relief (Scholarship) Fund.	Director of Education, Maharashtra State, Poona.	3% Conversion Loan 1946.	25,200.00	25,200.00	..
12.	Savitribai Kirshnarao Uplap Scholarship Fund.	Do.	3% Conversion Loan 1946.	12,800.00	12,800.00	..
13.	Bombay Province Agricultural Show Fund.	Direcotr of Agriculture, Maharashtra State, Poona.	3% Conversion Loan 1946.	4,16,000.00		
			5¾% Maharashtra Loan 1979.	2,000.00	4,18,000.00	
14.	Dr. Ramachandra Shivaji Poredi Scholarship Fund.	Director of Education, Maharashtra State, Poona.	3% Conversion Loan 1946.	11,100.00	11,100.00	

7	8	9	10	11
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
(j) 3,000.00	3,000.00	..	3,000.00	(j) Represents opening balance relating to the redemption proceeds of 4% B.P.T. Loan 1914-75 of Rs. 3,000/- repaid on 1st January, 1975 Orders for reinvestment are awaited.
..	..	..	..	
..	..	..	..	
..	..	..	..	
..	..	..	..	
..	..	..	..	
..	..	..	..	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
15.	Sir Cusrow Wadia Trust Fund.	Chairman of the Governing Body of the Fund C/o Secy. to Govt. of Maharashtra, Agriculture & Co-operation Deptt. Bombay.	6% Maharashtra State Development Loan 1986	12,94,200.00	12,94,200.00 ..					
16.	Post-War Services Reconstruction Fund (Rajasthan Share).	Secretary of the Fund C/o Maharashtra State S.S. & A. Board, Poona-1.	5¾% Maharashtra Loan 1982.	6,400.00						
			3% Conversion Loan 1946.	1,200,00	11,100,00					
			6% Maharashtra Loan 1984.	3,500.00						
17.	War Memorial Fund for Indian Merchant Seamen 1947.	Committee of Management of the Indian Sailors' Home Society, Masjid Bunder Siding Road, Bombay-9.	3% Conversion Loan 1946.	21,32,900.00	21,32,900.00					
18.	Homi Mehta Victory Thanks giving Fund (Rajasthan Share).	Secretary of the Fund C/o Maharashtra State S.S. & A. Board, Poona-1.	3% Conversion Loan 1946.	800.00	1,300.00 ..					
			5¾% Loan 2003	100.00						
			6% Maharashtra Loan 1984.	400.00						
19.	L.V. Mandke Prize Fund.	Director of Education, Maharashtra State, Poona.	3% Conversion Loan 1946.	1,600.00	1,600.00 ..					
20.	Miss Manikbai Shinde Prize Fund.	Do.	3% Loan 1896-97.	1,000.00	1,000.00 ..					
21.	Maratha War Memorial Fund.	Hony. Secretary, Maratha War Memorial Fund. The Maratha Light Infantry Regimental Centre, Belgaum.	5½% Loan 2000.	9,100.00						
			3% Conversion Loan 1946.	5,45,300.00	5,54,400.00 ..					
22.	Sir M.V. Joshi Trust Fund.	Principal, Agricultural College, Poona.	3% Conversion Loan 1946.	12,800.00						
			5¾% Loan 2002.	500.00	13,300.00					
						(k)	42.00	42.00 ..	42.00	(k) Represents opening balance.
						(l)	35.00	35.00 ..	35.00	(l) Represents to opening balance.
							..	.. ..	..	
						(m)	4.00	4.00 ..	4.00	(m) Represents opening balance.
						..	..	.. ..	..	
						(n)	35.91	35.91	35.91	(n) Represents Opening Balance.
							..	.. ..		

1	3	4		5	6
			Rs.	Rs.	Rs.
23. Miss Clarke Memorial Nursing Fund.	Chairman, Bombay Branch of the National Association for supplying Female Medical Aid and Instruction to the Women of India, C/o. Shri R. N. Bhavnagri, S. B. Billimoria & Co., Chartered Accountants, 113, Mahatama Gandhi Road, Bombay-1.	3% Conversion Loan 1946.	11,000.00	11,000.00	..
24. Barjorji Maneckji Sutaria Prize Fund.	Director of Education, Maharashtra State, Poona.	3% Conversion Loan 1946.	2,000.00	2,000.00	..
25. Campbell Memorial Medal Fund.	Committee of Management of the Asiatic Society of Bombay, Town Hall, Bombay-1.	5¼% Maharashtra Loan 1984.	4,900.00	4,900.00	..
26. Sir Jamsetjee Jejeebhoy Parsee Benevolent Institution.	Secretary, Sir J.J.P.B. Institution, 209 Dr. Dadabhoy Naoroji Road, Fort, Bombay.	State Bank Shares	1,300.00		
		3% Loan 1896-97	6,900.00		
		3% Conv. Loan 1946	12,99,500.00		
		4% Loan 1981	500.00		
		4% Loan 1989	500.00		
		6% Maharashtra Laon 1984	3,000.00		
		5 Year Post Office Time Deposit 1976.	9,000.00		
		5¼% Loan 2001	8,80,800.00		
		5½% Maharashtra Loan 1978.	4,400.00		
		5½% Maharashtra Loan 1977.	500.00		
		5½% Madras Loan 1979	2,500.00		
		5¾% Madras Loan 1980	2,500.00		
		5¼% Maharashtra Loan 1982.	11,400.00		
		5¾% Maharashtra Loan 1981.	8,900.00		
		6% Maharashtra State Electricity Board Bonds 1981.	3,36,200.00		
		6% Bombay Municipal Debentures 1983.	20,500.00		
		5½%Loan 1999	10,500.00		
		5¼%Loan 2002	3,400.00		
		6% Loan 1998	11,300.00		
		5¾%Loan 2003	15,200.00		
		5¾%Maharashtra Loan 1985	500.00		
		6% Maharashtra Loan 1985	500.00	26,29,800.00	

7	8	9	10	11
Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
..	..	..	..	
..	..	..	..	
..	..	..	..	
..	..	..	..	

1	2	3	4	5	6
				Rs.	Rs.
27.	Bombay Branch of the National Association for Supplying Female Medical Aid and Instruction to the Women of India.	Treasurer of the Bombay Branch of the National Association, C/o. Shri R.N. Bhavnagri S.B. Billimoria and Co.,113 M.G. Road, Bombay-1.	3% Conversion Loan 1946 5½% Maharashtra Loan 1981	2,18,100.00 30,000.00 2,48,100.00	..
28.	Rustomji Jamsetjee Jejeebhoy Gujarati School Fund.	Secretary, Sir J.J. Parsee Benevolent Institution, 209, Dr. D.N. Road, Fort, Bombay.	3% Conversion Loan 1946	72,000.00 72,000.00	..
29.	King Edward Memorial Fund maintained by Ex-Sangli State.	Director of Education, Maharashtra State, Poona.	3% Conversion Loan 1946 3% Loan 1896-97	49,100.00 1,200.00 50,300.00	..
TAMIL NADU					
1.	Lawrence Memorial School (Lovedale) Fund.	Secretary, Ministry of Education and Social Welfare (Deptt. of Education).	..	.. ..	..
2.	Victoria Jubilee Scholarship Endowment Fund at Mangalore.	A Committee consisting of (1) Dt. Judge, South Kanara (2) President, District Board, S. Kanara(3) The Chairman, Municipal Council, Mangalore and (4) District Educational Officer South Kanara with the District Judge, South Kanara as President.	3% Conversion Loan 1946	35,400.00 35,400.00	1,593 00

7		8		9	10	11
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	
	..	..		..	..	Annual interest of about Rs. 5 lakhs in respect of endowments in Maharashtra could not be collected due to non-opening of P.L. Account with State Bank on departmentalisation of accounts.
	..	..		..	..	
	..	..		..	..	
(o)	90,543.99	90,543.99	Interest remitted Fee paid to Govt.	83,473.69 843.00 84,316.69	6,227.30	(o) Represents— 81,772.69 Opening balance. 8,771.30 Refund of Income Tax. 90,543.99 and Surcharge.
(p)	2,133.90	3,726.90	Interest remitted Fee paid to Govt.	2,880.00 28.00 2,908.00	818.90	(p) Represents— 1,783.90 Opening balance. 350.00 Refund of Scholarship Amount. 2,133.90

1	2	3	4	5		6
				Rs.	Rs.	Rs.
3.	Jonnagadla Rangiah Chetty Collegiate Scholarship Endowment Fund at Madras.	The Director of Collegiate Education Madras.	6% Tamilnadu Loan 1984 3% Conversion Loan 1946 5¼% Madras Loan 1980 5¼ Madras Loan 1979 5¼ Loan 2001	3,000.00 32,400.00 3,200.00 400.00 2,700.00	41,700.00	1,874.24
4.	Grigg Memorial Endowment Fund at Madras.	The Director of School Education, Madras & Collector Madras.	3 Conversion Loan 1946 5¼ T.N. Loan 1981	11,500.00 1,100.00	12,600.00	566.74
5.	J. M. Bourne Memorial Endowment Fund at Madras	The Chief Engineer of the Southern Railway Madras	3% Conversion Loan 1946 5¼% T. N. Loan 1982 5¼% T.N. Loan 1983	300.00 1,200.00 100.00	1.600.00	72.24
WEST BENGAL						
1.	The Indian People's Famine Trust.	Board of Management, New Delhi	3% Conversion Loan 1946	32,78,400.00	32,78,400.00	..
2.	The Jewish Charitable Endowment Fund.	Mussa Board, Calcutta.	3% Conversion Loan 1946 5¼% West Bengal Loan 1983.	38,000.00 59,700.00	97,700.00	...

7	8	9	10		11
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	
(q) 6,28 8.92	8,163.16	Interest limitted Fee paid to Govt.]	..	8,163.16	(q) Reprecusts— 6,139.22 Opening balance. 149.70 Refund of Income Tax. 6,288.92 and Surcharge. The interest shown (under Column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.
(r) 3,064.92	3,631.66	..	1,140.89 12.00 1,152.89	2,478.77	(r) Represents— 3,022.92 Opening balance. 42.00 Refund of Income Tax 3,064.92 and Surcharge. The interest shown (under Column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.
(s) 1,074.46	1,146.70	..	..	1,146.70	(s) Represents— 1,026.46 Opening balance. 48.00 Refund of Income Tax 1,074.46 and Surcharges.
		..	..	..	The Interest shown (under Column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.
		..	..	..	Annual interest (about Rs. 51,00) could not be collected during the year as a new P.L. Account was required to be opened in the name of the Treasurer Charitable Endowments for West Bengal with the State Bank of India, on departmentalisation of accounts.

1	2	3	4	5	6
			Rs.	Rs.	Rs.
MADHYA PRADESH					
1.	Nawab Sultan Jahan Begum Education Endowment, Bhopal.	Board of Governors consisting of the following:— (1) His Highness Sikander Saulat Iftikhar-ul-Mulk Nawab Mohammad Hamidullah Khan. (2) Shri Mahabir Prasad Verma formerly Judge the Bhopal High Court (3) Shri Mohammed Ahmed Ansari formerly Judge of the Bhopal High Court. (4) Colonel Yameenul Mulk Nawabzada Rashiduz-Zafar Khan Bahadur, and (5) Mutamidul-Insha Aali Quadar Shri Syed Mashuq Ali, Secretary, Sarf-e-Khas of His Highness the Nawab of Bhopal.	3% Conversion Loan 1946. 9,24,400.00 5¾% M.P. Loan 1982 4,24,500.00	13,48,900.00	40,148.38
2.	C.P. & Berar King Edward Memorial Society Fund.	Secretary to the Governing Body of the King Edwerd Memorial Society, Nagpur	3% Loan 1896-97 19,000.00 5¾% M.P. Loan 1983 1,85,900.00 3% Conversion Loan 1946 2,42,800.00	4,47,700.00	14,257.96
3.	C.P. Agriculture and Industries improvement Fund.	Secretary to the Governing Body of the society of Agriculture and Industries Nagpur.	3% Conversion Loan1946 1,24,000.00 5¾% M. P. Loan 1979 5,900.00	1,29,900.00	3,203
4.	Anson Gardiner Memorial Scholarship Fund.	Bishop of Nagpur	5¾% M.P. Loan 1983. 3,800.00 3% Conversion Loan 1946 400.00	4,200.00	183.80
5.	Subhagyawati Krishnabai Bal Krishan Sule Prize Fund.	Inspectress of Schools, Nagpur Circle, Nagpur.	5¾% M.P. Loan 1983 200.00	200.00	9.50

7		8	9	10	11
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
(t)	89.18	40,237.56	Interest remitted Fee paid to Govt. 39,626.98 521.40 40,148.38	89.18	(t) Represents Opening Balance. The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.
		14,257.96	Interest remitted Fee paid to Govt. 14,072.52 185.44 14,247.96	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.
		3,203.64	Interest remitted Free paid to Govt. 3,163.04 40.60 3,203.64	..	
(u)	13.17	196.97	Interest remitted Fee paid to Govt. 181.50 2.30 183.80	13.17	(u) Represents Opening balance.
(v)	336.85	346.35		346.35	(v) Represents Opening balance.

1	2	3	4	5	6
6.	R.B. Bhanduji Janardhan Chaubal Prize Fund	Secretary, Vidarbha Board of Secondary Education, Nagpur.	5¼% Loan 1983	900.00	37.74
7.	Ram Chander Thakur Prize Fund.	Secretary, Board of Secondary Education, M.P. Bhopal	3% Conversion Loan 1946	500.00	11.76
8.	Browning Scholarship and Browning Teachers' Scholarship Fund.	Collector, Nagpur, Director of Public Instructions, M.P. Bhopal & Inspector of Schools, Nagpur.	3% Conversion Loan 1946 5¼% M.P. Loan 1979	11,600.00 2,200.00	13,800.00	366.50
9.	Hardinge Medal Fund	Director of Public Instructions, M.P. Bhopal.	3% Conversion Loan 1946	2,100.00	2,100.00	48.60
10.	Meyhew and Spence Silver Medal Fund	District Educational Officer, Bilaspur	5¼% M.P. Loan 1983	500.00	500.00	20.76
11.	Pandit Prem Shankar Ganga Shankar Thaker Scholarship Fund.	Chief Executive Officer, Janapada Sabha, Damoh.	3% Conversion Loan 1946	7,100.00	7,100.00	164.08
12.	Rewa Shankar Pandya High School Scholarship Fund.	Divisional Superintendent of Education, Jabalpur.	3% Conversion Loan 1946	5,000.00	5,000.00	115.50

7		8	9		10	11
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	
(w)	580.19	617.93	..		617.93	The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source. (w) Represents opening balance.
		11.76	Interest remitted Fee paid to Govt.	11.60 0.16 11.76	..	Thic interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.
(x)	79.44	445.94	Interst remitted Fee paid to Govt.	361.76 4.74 366.50	79.44	(x) Represents opening balance. The interest shown (under column 6) is is exclusive of incom-tax and surchange deducted at source.
		48.60	Interest remitted Fee paid to Govt.	47.96 0.64 48.60	..	The interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge decducted at source.
(y)	95.12	116.48	Interest remitted Fee paid to Govt.	20.48 0.28 20.76	95.72	(y) Represents opening balance. The interest shwon (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.
		164.08	Interest remitted Fee paid to Govt.	161.94 2.14 164.08		The interest shown (under Column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.
	..	115.50	Interest remitted Fee paid to Govt.	114.00 1.50 115.50	..	Do.
	..	60.20	Interest remitted Fee paid to Govt.	59.42 0.78 60 20	..	Do.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rs.	Rs.		Rs.			
13.	Laxmibai Scholarship Fund.	District Educational Officer, Jabalpur.	3% Conversion Loan 1946	2,600.00	2,600.00	60.20	60.20	Intesest remitted Fee paid to Govt.	Rs. 59.42 0.78 60.20	.. Interest shown (under column 6) is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.
14.	Woodburn Scholarship Fund.	Principal, Rajkumar, College Raipur.	5½% M.P. Loan 1983 3% Conversion Loan 1946	3,400 8,300.00	10,700.00	297.80	(z)44.63 342.43	Interest remitted Fee paid to Govt.	293.92 3.88 297.80	44.63 (z) Represents opening balance. The interest shown (under Column 6) is is exclusive of income-tax and surcharge deducted at source.
BIHAR										
1.	The Woodhouse Memorial Fund.	The Collector, Bhagalpur	Defence Deposit Certificate	1,100.00	1,100.00	..	(aa)93.50 93.50	..	..	33.50 (aa) Represents Opening balance.
2.	The Raja Raghunandan Prasad Trust Fund.	The Honorary Treasurer, Bihar SPCA Sadaquat Ashram, Patna.	3% Conversion Loan 1946	1,600.00	1,600.00	..	(aa)24.00 24.00	..	..	24.00 Annual interest (about Rs. 130/-) received during the year could not be deposited in the P.L. Account. Action is in hand to deposit that interest during the current year pending transfer of the earlier balance from the Patna Secretariat Treasury to the account with the State Bank of India.
3.	The Sir Fakhruddin Memorial Gold Medal Fund	The Director of Education, Secondary Education, Bihar, Patna.	3% Conversion Loan 1946	1,100.00	1,100.00	..	(aa) 16.50 16.50	..	..	16.50
UTTAR PRADESH										
Aligarh										
1.	Tassadduque Rasul Arabic Scholarship Endowment Trust.	Treasurer, Muslim University, Aligarh.	3% Conversion Loan 1946	20,200.00	20,200.00	606.00	.. 606.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	599.94 6.06 606.00	..
2.	Sir Syed Ahmed Memorial Trust Fund.	Registrar, Muslim University, Aligarh.	3% Conversion Loan 1946	1,16,000.00	1,16,000.00	3,480.00	.. 3,480.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	3,445.20 34.80 3,480.00	..
3.	Sir William Marris Scholarship Endowment Trust.	Vice-Chancellor, Muslim University, Aligarh.	3% Conversion Loan 1946	6,400.00	6,400.00	192.00	.. 192.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	190.08 1.92 192.00	..

1	2	3	4	5	6
				Rs.	Rs.
Allahabad					
4.	Rewa Scholarship Endowment Trust.	Principal Government Inter College, Allahabad.	3% Conversion Loan 1946	4,100.00	123.00
5.	Panna Scholarship Endowment Trust.	Director of Education, U.P. Allahabad.	3% Conversion Loan 1946	5,200.00	156.00
6.	Vizianagram Scholarship Endowment Trust.	Principal, Government Inter College, Allahabad.	3% Conversion Loan 1946	14,800.00	444.00
7.	Vizianagram Scholarship Endowment Trust.	Registrar, Allahabad University, Allahabad.	3% Conversion Loan 1946	26,000.00	780.00
Varanasi					
8.	Sadholal Scholarship Endowment Trust.	Up-Kulpati, Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi.	3% Conversion Loan 1946	45,000.00	1,350.00
9.	Kathiawad Sanskrit Scholarship Endowment Trust.	Do.	3% Conversion Loan 1946	9,100.00	273.00
10.	Rewa Scholarship Endowment Trust.	Principal Government Higher Secondary School, Varanasi.	3% Conversion Loan 1946	5,800.00	174.00

7	8	9	10	11
Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
..	123.00	Interest remitted	121.76	..
		Fee paid to Govt.	1.24	
			123.00	
..	156.00	Interest remitted	154.44	..
		Fee paid to Govt.	1.56	
			156.00	
..	444.00	Interest remitted	439.56	..
		Fee paid to Govt.	4.44	
			444.00	
..	780.00	Interest remitted	772.00	..
		Fee paid to Govt.	7.80	
			780.00	
..	1,350.00	Interest remitted	1,336.50	..
		Fee paid to Govt.	13.50	
			1,350.00	
..	273.00	Interest remitted	270.26	..
		Fee paid to Govt.	2.74	
			273.00	
..	174.00	Interest remitted	172.26	..
		Fee paid to Govt.	1.74	
			174.00	

1	2	3	4	5	6
				Rs.	
11.	Nagri Pracharni Sabha Endowment Trust.	Secretary, Nagri Pracharni Sabha, Varanasi	3% Conversion Loan, 1946	1,63,100.00	1,63,100.00	4,767.00
12.	Maharaj Kumar Sri Sudhansu Sekhar Singh Deo heir apparent of Sonepur Estate Orissa Medal Endowment Trust.	Vice-Chancellor, Banaras Hindu University, Varanasi.	3% Conversion Loan, 1946	1,500.00	1,500.00	45.00
13.	Rani Bhuwan Raj Lakshmi Devi of Basti Endowment Trust.	Registrar Banaras Hindu University, Varanasi.	3% Conversion Loan, 1946	7,300.00	7,300.00	219.00
Pauri Garhwal						
14.	Garhwal Kshattriya Education Trust Fund.	Secretary, Garhwal Kshattriya Education Trust Fund, Pauri Garhwal.	3% Conversion Loan, 1946.	51,800.00	51,800.00	1,554.00
Lucknow						
15.	Nagar Education Endowment Trust, Upper India, Lucknow.	Secretary, Nagar Education Endowment Trust, Upper India, Lucknow.	3% Conversion Loan, 1946.	16,600.00		
			7-Year National Savings Certificates (III Issue)	19,400.00	36,000.00	1,662.00
16.	Captain Kr. Indrajit Singh M.C.I.M.S. Memorial Research Scholarship Endowment Fund	Principal, Medical College, Lucknow.	3% Conversion Loan, 1946	1,06,600.00	1,06,600.00	3,198.00

7	8	9	10	11
	Rs.		Rs.	
..	4,767.00	Interest remitted	4,718.06	.. The interest shown (under Column 6) is exclusive of Income Tax and Surcharge deducted at source.
		Fee paid to Govt.	48.94	
			4,767.00	
..	45.00	Interest remitted	44.54	..
		Fee paid to Govt.	0.46	
			45.00	
..	219.00	Interest remitted	216.80	..
		Fee paid to Govt.	2.20	
			219.00	
..	1,554.00	Interest remitted	1,538.46	..
		Fee paid to Govt.	15.54	
			1,554.00	
..	1,662.00	Interest remitted	1,645.38	..
		Fee paid to Govt.	16.62	
			1,662.00	
	3,198.00	Interest remitted	3,166.02	..
		Fee paid to Govt.	31.98	
			3,198.00	

1	2	3	4	5		6
				Rs.	Rs.	Rs.
Mirzapur						
17.	Giraundi Kayastha Pathshala Endowment Trust.	A Committee of Management consisting of the Collector, Mirzapur, as Ex officio Chairman and Executors of the Estates of the late Munshi Bindeshwari Prasad Pleader.	3% Conversion Loan, 1946 7-year National Savings Certificates (II Issue)	1,600.00 7,550.00	9,150.00	48.00
PONDICHERRY						
1.	Special Fund for reconstruction & Rehabilitation of Ex-Service men.	Secretary, Rajya Sainik, Board.	5 3/4% Agricultural Refinance Bonds.	1,000.00	1,000.00	..
2.	Dr. M.K. Ramanathan Memorial Prize Fund.	Principal, Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry.	5-Year Post Office, Time Deposit.	1,000.00	1,000.00	..

PUNJAB

Pending apportionment of Securities relating to Central Charitable Endowments between India and Pakistan the list of securities could not be prepared .—

7	8	9	10	11
			Rs.	
..	48.00	Interest remitted Fee paid to Govt.	47.52 0.48	..
			48.00	
..	..		..	.. The interest is awaited from the Reserve Bank of India with whom the matter is
..	..		..	.. under Correspondence.

[No. F. 1/1/78 TCE]

M.D. PAL, Treasurer of Charitable Endowments for India.

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 जून, 1978

का०आ० 2112.—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के संयुक्त सचिव श्री एन०आर० रंगनाथन को श्री एम० दण्डपाणि के स्थान पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक के रूप में नामित करती है ।

[सं० एफ० 2(41) आई०एफ०-1/78]

बी०सी० पटनायक, उप सचिव

(Banking Division)

New Delhi, the 14th June, 1978

S.O. 2112.—In pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948) the Central Government hereby nominates Shri N. R. Ranganathan, Joint Secretary, Department of Economic Affairs (Banking Division), as a Director of the Industrial Finance Corporation of India vice Shri M. Dandapani.

[No. F. 2(41)IFI/78]

B. C. PATNAIK, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 1978

का०आ० 2113.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतल्ला के अध्यक्ष के रूप में श्री मानबेन्द्र सेन की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के "30 जून, 1978" अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "31 दिसम्बर, 1978" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० एफ० 4-84/75 ए०सी०]

New Delhi, the 15th June, 1978

S.O. 2113.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri Manabendra Sen, as the Chairman of the Tripura Gramin Bank, Agartala, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June, 1978" the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-84/75-AC]

का०आ० 2114.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रागज्योतिष गाओंलिया बैंक, नलबाड़ी के अध्यक्ष के रूप में श्री जी० सी० कलिता की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना संख्या एफ० 4-79/75 एफ०सी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 "जून, 1978" अंकों अक्षरों और शब्द के स्थान पर "31 दिसम्बर, 1978" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[संख्या 4-79/75 ए०सी०]

S.O. 2114.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri G. C. Kalita, as Chairman of Pragjyotish Gaonlia Bank, Nalbari, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June, 1978" the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-79/75-AC]

का०आ० 2115.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा माल प्रभाग ग्रामीण बैंक, धारवाड के अध्यक्ष के रूप में श्री एम०वी० इनामदार की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना के "30 जून, 1978" अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "31 दिसम्बर, 1978" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4/87/76 ए० सी०]

S.O. 2115.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1975 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even number dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri M. V. Inamdar, as the Chairman of the Malaprabha Grameena Bank, Dharwar, namely :

In tht said notification, for the figures, letters and words "30th June, 1978" the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-87/76-AC]

का०आ० 2116.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आजमगढ़ के अध्यक्ष के रूप में श्री हसन किदवई की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना के "30 जून, 1978" अंकों, अ रों और शब्द स्थान पर "31 दिसम्बर, 1978" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[सं० एफ० 4-91/ 75 ए०सी०]

S.O. 2116.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's notification of even number dated the 31st December 1977 relating to the appointment of Shri Hasan Kidwai, as the Chairman of the Samyut Kshetriya Gramin Bank, Azamgarh, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June, 1978" the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-91/75-AC]

का०आ० 2117.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सुल्तानपुर के अध्यक्ष के रूप में श्री जगदीश प्रसाद दूबे की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के "30 जून, 1978" अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "31 दिसम्बर, 1978" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-77/76 ए०सी०]

S.O. 2117.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Department's Notification of even No. dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri Jagdish Prasad Dubey, as the Chairman of the Sultanpur Kshetriya Gramin Bank, Sultanpur, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June, 1978" the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-77/76-AC]

का०आ० 2118.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जम्मू रूरल बैंक जम्मू के अध्यक्ष के रूप में श्री एस०आर० कोतवाल की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना के "30 जून, 1978" अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर "31 दिसम्बर, 1978" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० एफ० 4-72/75 ए०सी]

S.O. 2118.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government makes the following amendments in this Department's notification of even number dated the 31st December, 1977 relating to the appointment

of Shri S. R. Kotwal, as the Chairman of the Jammu Rural Bank, Jammu, namely :

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June, 1978" the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-72/75-AC]

का०आ० 2119.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक, हरदोई के अध्यक्ष के रूप में श्री काशीनाथ चतुर्वेदी की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 1-1/77-आर०आर०बी०]

S.O. 2119.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments in this Departments notification of even number dated the 31st December 1977 relating to the appointment of Shri Kashi Nath Chaturvedi as the Chairman of the Hardoi-Unnao Gramin Bank, Hardoi, namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June, 1978" the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 1-1/77-RRB]

का०आ० 2120.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मालापुरम के अध्यक्ष के रूप में श्री करुणाकर शेट्टी की नियुक्ति विषयक इस विभाग की दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के 30 जून, 1978 अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1978 अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० एफ० 4-60/76 ए०सी०]

एम०पी० वर्मा, अवर सचिव

S.O. 2120.—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendments to this Department's notification of even number dated the 31st December, 1977 relating to the appointment of Shri A. Karunakara Shetty, as the Chairman of the South Malabar Gramin Bank, Malappuram namely :—

In the said notification, for the figures, letters and words "30th June, 1978" the figures, letters and words "31st December, 1978" shall be substituted.

[No. F. 4-60/76-AC]

M. P. VARMA, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 9 मार्च 1978

आय-कर

का०आ० 2121.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं० 1 (फा०सं० 55/233/63 आ०क०) तारीख, 18 मई, 1964 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है।

अनुसूची में क्रम सं० 42 च (iv) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

1	2	3	4	5	6
(v)	ऐसे सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले जो सिक्किम में नियुक्त हैं।	आयकर अधिकारी ख-वार्ड वेतन सर्किल कलकत्ता	सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) जिसे केन्द्रीय वेतन सर्किल, कलकत्ता की बाबत सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है।	सहायक आयकर आयुक्त (अपील) जिसे स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने की शक्तियां न्यस्त की गई हैं।	आयकर आयुक्त, पश्चिमी बंगाल, जिसे केन्द्रीय वेतन सर्किल कलकत्ता पर अधिकारिता न्यस्त की गई है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 2213/फा०सं०/188/12/77 आ०स० (ए1)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 9th March, 1978

INCOME-TAX

S. O. 2121.—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the Schedule annexed to its Notification No. 1 (F.No. 55/233/63-IT) dated 18th May, 1964 from time to time.

In the Schedule after serial No. 42F (iv) following shall be added:

1	2	3	4	5	6
(v)	All cases of Central Goverment Employees posted in Sikkim.	Income-tax officer, B-ward, Central Salaries Circle, Calcutta.	Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax who has been appointed to perform the functions of an Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax in respect of Central Salaries Circle, Calcutta.	Appellate Asstt. Commissioner of Income tax who has been invested with power to hear appeals against the decision of the Income-Tax Officer referred to in Col.3	Commissioner of Income-tax, West Bengal who has been vested with the jurisdiction over the Central Salaries Circle, Calcutta.

This notification shall come into force from the 1st April, 1978.

[No. 2213/F.No.188/12/77-IT (AI)]

M. SHASTRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978